राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 9

बुधवार

3 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री ज्ञानदेव आहूजा।

जिला अलवर में उचित मूल्य सामग्री की कालाबाजारी

216. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के रसद विभाग में अनियमितताएं हुई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनियमितताओं की जांच भी हुई किन्तु उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को आबंटित गेहूं एवं मिट्टी तेल की डीलर कालाबाजारी करते हैं?

(4) उक्त जिले में इस वर्ष में ऐसे कितने मामले पकड़ में आये? सरकार उक्त पर क्या कार्यवाही कर रही है?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, अलवर भी लिप्त हैं? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जी नहीं।

(2) शिकायत की जांच कराने पर कोई अनियमितता होना नहीं पाया गया।

(3) इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराई जाती है।

(4) अलवर जिले में इस वर्ष कुल 154 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 5 प्रकरणों में अधिकार पत्र निरस्त, एक प्रकरण का एफ.आई.आर. से निस्तारण, 60 प्रकरणों का विभागीय कार्यवाही में निस्तारण तथा दो प्रकरणों में कार्यवाही ड्राप की गई। इस प्रकार 68 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 86 प्रकरण विचाराधीन हैं।

(5) अलवर जिले में इस वर्ष जो प्रकरण बने उनमें भाग 4 में वर्णितानुसार कार्यवाही की जा चुकी है। जो प्रकरण विचाराधीन हैं उनमें निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी लेना चाहता हूं कि जो शिकायत मैंने और हमारे साथी धर्मपालजी, विधायक मुण्डावर ने की थी उसकी जांच की क्या रिपोर्ट आयी वह हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई है। उसमें अनियमितता नहीं होना पाया गया, ऐसी जानकारी आपने दी है। दूसरा, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच करवायी जाती है। मैंने पूछा है कि क्या यह सही है कि उक्त जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों को आबंटित गेहूं और मिट्टी के तेल की डीलर कालाबाजारी करते हैं? कालाबाजारी करते हैं या नहीं करते हैं, यह तो आपने बताया नहीं। आपने तो यह बताया है कि शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवायी जाती है। जांच तो आप करवायेंगे ही, वह सरकार की मजबूरी है, परन्तु इसमें कालाबाजारी करते हैं कि नहीं, यह है मूल प्रश्न। उसके बाद, उक्त जिले में इस वर्ष में ऐसे कितने मामले पकड़ में आये? आपने बताया कि इतने–इतने निस्तारण हो गये और बकाया 86 विचाराधीन हैं। इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि पूर्व में इंक्वायरी के लिए लिख चुका हूं। साथ में मैंने पांचवें नम्बर पर पूछा है कि क्या रसद अधिकारी या जिला प्रशासन लिप्त है? इसमें कौन लिप्त है कौन नहीं है, यह भी जानकारी आपने नहीं दी। विचाराधीन कह कर आपने प्रश्न को टालने का प्रयास किया है और सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया है, ऐसा मेरा निवेदन है। साथ में एक पूरक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने मामले हैं कि जो डीलर निलम्बित हुए वे निलम्बित होने के बाद पुन: बहाल किये गये? कृपया यह भी बताएं।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिकायतें आयीं उन शिकायतों की जब जांच चली जो जांच में दोषी पाये गये उनके खिलाफ तो कार्यवाही कर दी और जो नहीं पाये गये उनकी जांच चल रही है। आपने कालाबाजारी की बात कही, जांच के बाद जब मामला सामने आयेगा तब ही तो उसके बारे में बतलाऊंगा। जब कुछ में जांच ही चल रही है तो बताऊंगा कहां से कि किसने कालाबाजारी की या नहीं की? इस प्रकार की शिकायतें विभाग को मिलती रहती हैं और उन शिकायतों को हम लोग जांच के लिए भेज देते हैं। मुख्यालय से भी जांच की जाती है और वहां पर भी इसकी जांच करवायी जाती है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कितने निलम्बित हुए और फिर उनमें से कितने बहाल किये गये इस वर्ष?

श्री रामकिशन वर्मा : बहाल वाली बात तो आपने इसमें पूछी नहीं है। यह अलग से प्रश्न है, अलग से आप बात कर लें। मैंने कहा, 154 प्रकरणों में जांच की गयी। गम्भीर प्रकृति के मामलों में जिनमें

(श्री रामकिशन वर्मा)

जिला रसद अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर जांच पूर्ण नहीं कर सकते, ऐसे पांच प्रकरणों में विभिन्न पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। नौ प्रकरणों में निलम्बन किया गया है। 68 प्रकरणों का निपटारा करते हुए 13200 रुपये प्रतिभूति राशि जब्त की गयी है। अभी भी 85 मामलों में सुनवाई जारी है। उपरोक्त 68 प्रकरणों में से पांच मामले अति गम्भीर होने से उनके प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये हैं जो विभागीय कार्यवाही में समुचित दण्ड माना जाता है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जिन पांच मामलों में उनका प्राधिकार आपने समाप्त किया है, निरस्त किया है उनके खिलाफ जांच में मुख्य आरोप क्या साबित हुए? यह बताएं क्योंकि आप कह रहे हैं कि कालाबाजारी वगैरह नहीं हुई। तो जिनके खिलाफ पांच प्राधिकार निरस्त किये गये हैं उनके खिलाफ जांच में क्या सबूत आये कि जिसके कारण आपको उनका प्राधिकार समाप्त करना पड़ा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 86 प्रकरण आपने विचाराधीन बताये...

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी, आप बैठिए। श्री धर्मपाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कुल 154 में से 86 प्रकरण इन्होंने विचाराधीन बताये, ये प्रकरण कब से विचाराधीन हैं?

श्री अध्यक्ष : उसी जिले के हैं, वह बार-बार कह रहे हैं। पहले आप खड़े हो रहे हैं। आपको दिख नहीं रहे, आप ही की पार्टी के हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछली बार जब–विधान सभा में मैंने प्रश्न लगाया था तो मंत्रीजी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि एक अधिकारी आप दोनों विधायकों के साथ जाकर जांच करेगा। यहां से एडिशनल कमिश्नर अलवर गये और मैं उनके साथ गया। वहां पर हमने चार-पांच जगह दुकानों पर छापे डलवाये। कई जगह तो बिना लाइसेंस मिट्टी का तेल बेचते हुए पाये गये। और भी फाइलों की जांच की। लेकिन आज तक हम दोनों विधायकों को उस जांच से अवगत नहीं करवाया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यह हम आपसे पूछना चाहते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भी कहा तो मैंने यह कहा था, मुझे याद है कि हैडक्वार्टर से एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी को भेजूंगा तो आपको भी साथ ले लेंगे ताकि आपसे कोई बात छिपायी नहीं जा

(श्री रामकिशन वर्मा)

सके। जो प्रकरण बने हैं उनकी जांच चल रही है, जब आ जायेगी उसके बाद आपको हम इत्तला पहुंचा देंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : पूरा एक साल हो गया, कब पहुंचाएंगे? जब पौने दो साल निकल जाएंगे आपके? एक साल से आपने आज तक जांच के बारे में नहीं बताया। हम साथ गये, हमारे सामने पकड़ा और उसके बाद में आज तक हमारे को पता नहीं और आप उत्तर में जवाब दे रहे हैं कि कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

श्री रामकिशन वर्मा : इसीलिए तो आपको साथ भेजा था कि जो कोई जांच में कमी रहे आप उनको पूरा बताएं। आपसे छिपाने की बात करना नहीं चाह रहे थे हम।

श्री धर्मपाल चौधरी : आज तक वही सरकारी अधिकारी एक साल से वहीं पर काम पर काम कर रहा है। जांच करने के बाद में अनियमितता पायी गयी और आपने इसमें जवाब दे दिया। आपके अधिकारियों ने लिख दिया कि नहीं, ऐसी कोई अनियमितता नहीं है।

श्री रामकिशन वर्मा : जांच करने के बाद ही बताऊंगा। जो अधिकारी भेजे मैंने कहा हैडक्वार्टर से...

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने इस सदन में आश्वासन दिया, दो-दो विधायक उनके साथ गये, आज तक हमको यह नहीं पता कि जांच क्या हुई है। आपको खुद को ही नहीं पता है।

श्री रामकिशन वर्मा : जांच आने पर ही पूरी बात बताऊंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : कब आएगी जांच? जांच को कोई समय तो होगा?

श्री रामकिशन वर्मा : आ जाएगी जल्दी। जल्दी मंगवा लेंगे अगर देरी हुई है तो।

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने दिन में?

श्री रामकिशन वर्मा : जल्दी मंगवा लूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने दिन में?

श्री रामकिशन वर्मा : एक महीने के अन्दर जांच पूरी करवा कर मंगवा दूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भैरोंसिंह शेखावत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में जो मामला उठ जाए, उस मामले की जांच के लिए मंत्री महोदय इस सदन को आश्वासन दें और उसके उपरान्त भी जांच रिपोर्ट नहीं आए, अब आप खुद निर्णय कर दीजिए। जिस समय यह मामला उठाया गया था, जिस समय मंत्री महोदय ने जांच की घोषणा की, उसके बाद से आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आए, क्या सरकार का इसमें यह नहीं है कि विधान सभा की कार्यवाही को उन्होंने नानसीरियस-वे में लिया है?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : यदि सरकार की नीयत गन्दी होती तो विधायकों को साथ क्यों लेकर जाते? सरकार की नीयत गन्दी होती और इनकी मंशा यह होती तो उनको साथ लेकर क्यों जाते? जब माननीय सदस्यों को साथ लेकर चले गये और सारी बातों की उनको जानकारी हो गयी उसके बाद में और क्या जानकारी बाकी रह गयी थी? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछ चुका हूं कि जो पांच मामलों में आपने प्राधिकार निरस्त किये...

श्री अध्यक्ष : सुरानाजी। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि दो विधायक कौन–कौन थे जिन्होंने शिकायत की, जिनको आपने जांच अधिकारी या एडीशनल कमिश्नर के साथ भेजने के लिए कहा था? क्या यह सही है कि उन दो विधायकों में से एक ने आपको मैसर्स अनिल कुमार अग्रवाल, जी–422, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी जिसके खिलाफ जांच करवा रहे थे, जांच बन्द करने के लिए कोई चिट्ठी लिखी थी? मेरा पहला सवाल।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या दैनिक नवज्योति 23 जनवरी, 2001 में इस कालाबाजारी की रिपोर्ट छपी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर, अलवर ने सम्बन्धित पक्ष को एक महीने में उपस्थित होकर सारे दस्तावेज प्रमाणित करने के लिए समय दिया था? क्या किसी ने उपस्थित होकर इस जांच के सम्बन्ध में कोई बात वहां पर अपनी की थी? ये दो सवाल हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को उप जिला कलक्टर और एडिशनल कलक्टर साहब ने दैनिक नवज्योति में दिनांक 23.1.2001 में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन किया कि दैनिक नवज्योति दिनांक 23.1.2001 में प्रकाशित समाचार ''जिले में हर माह इक्कीस लाख लीटर कैरोसीन की कालाबाजारी'' अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में विचाराधीन है। प्रकाशित समाचार की छाया प्रति संलग्न है। अतः कृपया उक्त समाचार के सम्बन्ध में आप यदि कोई सबूत, गवाह पेश करना चाहें तो एक माह की अवधि में कभी भी अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बावजूद...

मोहम्मद माहिर आजाद : किसी विधायक ने आपको लिख कर मना किया क्या कि आप जांच मत कीजिए?

श्री रामकिशन वर्मा : आप सुनें तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मंत्रीजी को या कलक्टर को, किसी को भी? नाम पूछ रहे हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञानदेवजी आहूजा, रामगढ़ से आने वाले विधायक ने जिला कलक्टर के नाम मेरे नाम से की गयी झूठी शिकायत के खण्डन के क्रम में एक पत्र अपने लैटर पैड पर लिखा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या जांच कराना चाहते हो आप? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले जवाब देने दीजिए। शोर क्यों मचा रहे हो? इसका जवाब देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले जांच कराते हैं फिर उसके बाद मना कर देते हैं। आप पत्र सुनाओ क्या है? (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : यह आपने धंधा बना रखा है धंधा। पहले शिकायत करो, उस मामले में फिर सांठ-गांठ करो, फिर शिकायत दबाने की कोशिश करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, मंत्रीजी को बोलने दीजिए, जवाब देंगे इसका धंधा किनका है। (व्यवधान) धंधेबाज लोगों का धंधा है। अच्छी तरह से जवाब देंगे। (व्यवधान) जवाब देंगे, जवाब देंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे नाम से किसी अपरिचित व्यक्ति ने मैसर्स श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सन् आफ श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, जी-422, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की एक झूठी शिकायत केरोसिन के दुरुपयोग की लिखी है जिसका मैं खण्डन करते हुए आपको निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे नाम से कोई शिकायत है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनो तो सही, आपने हाउस में भी की थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरे नाम से कोई शिकायत है क्या? यह लैटर देखें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने अभी भी कही है...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे नाम से झूठी शिकायत की गयी है, अब आप क्या पूछ रहे हैं कि कोई शिकायत है क्या? (व्यवधान) आप स्वयं इस बात पर कह रहे हैं कि मेरे नाम से झूठी शिकायत की गयी है और अब आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह की शिकायत...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जवाब देने दें मंत्रीजी को। मेरे नाम से कोई झूठी शिकायत है क्या? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : माननीय सदस्य ने पत्र लगाया हुआ है।

डा. के. सी. चौधरी : कुछ तो +++ करो, खुद ही शिकायत कर रहे हो, खुद ही विथड्रा कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके मंत्री सक्षम हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पोल खुल गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पोल तो आपकी खुल गयी। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : अब आपके पास कुछ नहीं बचा है कहने को। (व्यवधान) आपने खुद ने ही विथड्रा किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सौदा पट गया है इनका सौदा (व्यवधान) हाउस का काम नहीं चलने दो, हाउस की कार्यवाही नहीं चलने दो...(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : कितने खाये हैं? ऐसे कितने पैसे खाये हैं? (व्यवधान) यही धंधा करते हो क्या? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके इरादे क्या हैं, यही पता नहीं लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम का कोई लैटर पैड है क्या? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : सारी पोल खुल गयी। (व्यवधान) कालाबाजारियों से मिले हुये हैं। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : लेटर तो सुनें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह स्वयं कह रहे हैं कि मेरे लैटर पैड का (व्यवधान) इस्तेमाल किया गया है... (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : पोल खुल गयी पोल, जोर-जोर से बोलते थे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गोरखधंधा करते थे आज पोल खुल गयी सारे हाउस के सामने। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : इन्होंने कहा है कि मेरे लैटर पैड का गलत इस्तेमाल किया गया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा है, अगर ये ही इस तरह की शिकायत करते तो विधान सभा में यह सवाल क्यों पूछते? (व्यवधान) इनके नाम की झूठी की गयी है...(व्यवधान) बिना मतलब ही...

एक माननीय सदस्य : आपका पत्र लगा हुआ है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा है...(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, सवाल क्या पूछा है? जांच की जाए इसकी पूरे की।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : (व्यवधान) मैं कह रहा हूं जांच करने के लिए। यह कह रहा हूं मैं। आज भी स्टैण्ड कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : कृपया इस पत्र को पढ़ें...(व्यवधान) बिलकुल की गयी है, इसकी जांच की जाए। (व्यवधान) पोल खुल सकती है, और दूसरी पोलें भी खुल सकती हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, दुबारा पढ़िये इसे ऊपर से। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : आपको निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई शिकायत मेरे लैटर पैड पर मेरे हाथ की लिखी गयी नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यस, यही कह रहा हूं मैं।

श्री रामकिशन वर्मा : सुन तो लीजिए आप। (व्यवधान) उक्त फर्म को किसी के हाथ बेवजह परेशान करने के लिए शिकायत लिखकर भेजी गयी है। मैं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जांच करवाना नहीं चाहता। ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप मिले हुए हो उन से। कालाबाजारियों से आप मिले हुए हो, यह तो साफ-साफ साबित हो गया। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष से आप जांच करवा लो अपने आचरण की। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय से इस लैटर की जांच करा ली जाए। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : कालाबाजारियों से कौन मिले हुये हैं, यह साफ जाहिर हो चुका है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इन्होंने रसद विभाग के अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया और जब बाद में उनके साथ इनकी सांठ-गांठ हो तब यह चाहते हैं कि... (व्यवधान) इसलिए इन्होंने माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा है। (व्यवधान) रसद अधिकारी अब इनके दबाव में नहीं आया तो इन्होंने विधान सभा में प्रश्न लगा दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने पत्र पढ़कर सुनाया है। मंत्री जी ने सदस्य का नाम भी लिया है। माननीय सदस्य को भी अधिकार है वह भी अपनी बात कहें। (व्यवधान) आप उनसे पूछें तो सही। आप मिसकोट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिर्फ यह कहा है कि मेरे लैटर पैड का गलत इस्तेमाल हुआ है। किसी ने मेरे झूठे हस्ताक्षर करके शिकायत की है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : यह साफ लिखा है मैं कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उनकी शिकायतों की...(व्यवधान) पत्रों की जांच करवा ली जाए ताकि पता लग जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। (व्यवधान)

श्री नगराज : +++

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, क्या रह गया? क्या सरकार को रोका है इन्होंने? इस प्रकार से कर रहे हो जैसे कोई गवर्नमेंट है। ज्ञानदेव आहूजा एक सिम्पल एम.एल.ए. है। आप किस प्रकार का +++ कर रहे हो? (व्यवधान) किस प्रकार के आरोप लगा रहे हो? (व्यवधान) यह क्या तरीका है? क्या इनके लिखने से आप इस जांच को चालू नहीं रख सकते थे? क्या मजाक बना रखा है आपने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी वैसे भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रहे हैं तो इनकी भी शुद्धि कराओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ।

श्री मानिक चन्द सुराना : विधायकों के द्वारा जो शिकायत की गयी है आपको क्या वह शिकायत सिर्फ एक अनिल कुमार के खिलाफ थी? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं ऐसे नहीं आया हूं, जनता से वोट लेकर आया हूं...(व्यवधान) कोयले की दलाली में काले हाथ तो होंगे ही। (व्यवधान) आपने पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें की हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या यह शिकायत एक ही के खिलाफ थी? लैटर पैड का गलत इस्तेमाल हुआ है, क्या इनके लिखने से आप रुक जाएंगें? जांच नहीं करेंगे? क्या विधायक...(व्यवधान)

आपने खुद ने जांच करायी है... (व्यवधान) इसलिये आप भूल जाओ... (व्यवधान) जांच करायी जाए, स्पष्ट आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : किसी एक्सपर्ट से जांच करायी जाए, इनके हस्ताक्षरों की जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : इनके हस्ताक्षरों की जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पांच आदमी... (व्यवधान)

श्री नगराज : आप उठे जो उठे हैं कोयले की दलाली में आपके भी काले हाथ हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य ने शिकायत की है, इनके हस्ताक्षरों की जांच करवा लीजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं पहले भी सवाल पूछ चुका हूं और फिर पूछ रहा हूं कि ये पांच प्राधिकार आपने जो समाप्त किये उसके क्या मुख्य कारण थे? आपने समाप्त क्यों किये? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जुगल काबरा : दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि शिकायतकर्ता खुद हैं या...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मौके पर इनकी जांच करायी जाए। (व्यवधान) हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच करा ली जानी चाहिए, लैटर पैड का दुरुपयोग हुआ है या हस्ताक्षर इनके हैं या नहीं हैं। इस बात की जब तक स्पष्टता नहीं होगी यह सारा मामला साफ नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जिन दो माननीय सदस्यों ने मामला उठाया था उसमें ज्ञानदेव आहूजा नहीं थे, यह सही है ना?

मोहम्मद माहिर आजाद : थे।

श्री रामकिशन वर्मा : इन्होंने शिकायत की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन में जो मामला उठाया और जिसके आधार पर आपने घोषणा की थी उसमें माननीय सदस्य ज्ञानदेव आहूजा नहीं थे?

श्री रामकिशन वर्मा : दोनों थे, दोनों ने मुझे कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां कहा?

श्री रामकिशन वर्मा : कि हम भी जाएं, तो मैं बोला, मैं आपको भी भेजूंगा साथ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा नहीं है। आप बता दीजिए, कहां है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : तो आप जो कह रहे हैं इस पत्र के बारे में...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इस पत्र की पूरी जांच हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट से करायी जाए जिससे तथ्य सामने आ जायेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ले रहे हैं उनका जबरदस्ती...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष पहले सदन के अन्दर अलवर जिले में कालाबाज़ारी की बात को लेकर कुछ मामले आये। अध्यक्ष महोदय, उस समय जिस फर्म का नाम इन्होंने लिया उस फर्म पर जांच कराने की कोई बात नहीं थी। माननीय सदस्य को जब मालूम पड़ा कि इनके प्रश्न की आड़ के अन्दर वहां के अफसर दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं तब इन्होंने लिखा कि मेरे लैटर पैड के नाम पर यह झूठी शिकायत दर्ज की थी। बिना मतलब बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लेनी चाहिए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसी असत्य बात प्रतिपक्ष के नेता... (व्यवधान) आप कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाहते हो या कालाबाजारी को रोकना चाहते हो, आप भी स्पष्ट कर दीजिए? आप इसकी पूर्ण रूप से जांच करिये कि आपके

(श्री हीरालाल विश्नोई)

माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है या नहीं की, उसी शिकायत को रोकने के लिए आपके माननीय सदस्य ने लिखा है या नहीं लिखा। इस बात को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप स्पष्ट जांच कर लीजिए... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : आपने जांच बंद कराने के लिए पत्र लिखा है या नहीं लिखा है? यह साफ बात है, पत्र में साफ लिखा हुआ है कि जांच नहीं करवाना चाहतो हो आप। यह आपकी पोल...(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : आप कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाहते हो या रोकना चाहते हो, वह भी सामने आए। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं जांच कर लें कि यह शिकायत माननीय सदस्य द्वारा की गयी या नहीं की गयी। आप स्वयं जांच करके सदन को सूचित कर दें कि यह शिकायत की थी या नहीं की थी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इस प्रकरण की एस.डी.ओ., ए.डी.एम. और डी.एस.ओ. तीनों जांच कर चुके हैं और उसके बाद में इन्होंने कलक्टर को लिख कर दिया... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : तो इन्होंने क्या किया? लिख कर दे दिया तो क्या हो गया? पहले लिखा था उसका क्या किया? साल भर पहले...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बरबाद हो गये इसलिए लिख कर दिया...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने किसी को दण्डित किया? आपने आज तक किसी को दण्डित नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : श्रीमान्, पहले अगर मामला लग रहा है और बाहर से मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों की जो गिरती हुई इमेज है उसका प्रश्न है। इस तरह कोई विधायक पहले सच्चाई के लिए प्रश्न उठाए और फिर मानसिक अनुपात और समानुपात होने पर इस तरह की माडस आपरेंडी आ करके हथकंडे करे, यह शर्म की बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह के हल्के हथकंडे अपनाते हैं और उसके बाद मानसिक अनुपात बैठ जाता है तब जाकर यह करते हैं...

श्री संयम लोढ़ा : सदन की गरिमा गिर रही है...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : विधायकों की प्रतिष्ठा इस वजह से अब गिर रही है, पहले सवाल उठाओ फिर अनुपात बैठ जाए तो बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सिग्नेचर आपके पहले थे या नहीं थे, दूसरे थे कि नहीं, उसके लिए बाकायदा केस रजिस्टर करवाया जाए। इसमें विधायकों की अस्मिता का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : पहले इन्होंने कितने मुकदमें...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उनकी जांच होगी। हम विधायकों की स्थिति इन जैसों के आचरण के कारण गिरती जा रही है और हम जांच करवाना चाहते हैं। इतने हल्के-फुल्के आप चार सदस्यों के कहने से नहीं छूटने वाला मामला है। अब तो इसकी एफ.एस.एल. होगी, फोरेंसिक लेबोरेटरी में जांच होगी स्पेशली सिग्नेचर की कि आपके थे कि नहीं थे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं इनकार कहां कर रहा हूं? (व्यवधान) मैं जो कह रहा हूं वह तो...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आये दिन की बात है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा सवाल उठाये जाते हैं, उठाये जाते हैं और बाद में अनुपात बैठने पर...(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : ...(व्यवधान) +++ (व्यवधान) एम.एल.एज. की इमेज गिराने वाले हैं आप। इसकी एक्सपर्ट से जांच कराओ। एक्सपर्ट से जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, ठीक है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जांच कराओ, अच्छी तरह से कराओ और फिर इतनी बात सुन लो...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप बीच में क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : होने दीजिए सही की जांच। सही की जांच कीजिए और... (व्यवधान) इनके +++ हैं कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अगर आप लोग रक्षा चाहते हैं तो गिरती हुई प्रतिष्ठा को रोकिये। सदन की समिति...(व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : सदन की समिति बैठाकर, अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ...(व्यवधान) देखते हैं। यह कंट्राडिक्टरी वर्शन दे रहे हैं।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की समिति बैठा कर इसकी जांच करायी जाए। सदन की एक समिति के सारे प्रकरण की जांच करवा लीजिए। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, करवायी जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : और जितने भी मुकदमे हैं दर्ज करवाये जाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आहूजाजी ने खुद इस बात को एडमिट किया है...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम विधायकों की स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है, यह हो रहा है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गिरावट कौन ला रहा है सदन की प्रतिष्ठा को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, दो पत्र हैं, एक पत्र वह है जिसमें ज्ञानदेव आहूजा के नाम से शिकायत है, सही है। और दूसरा वह है जिसमें यह कहा है कि यह शिकायत मैंने नहीं की है। ये दो पत्र हैं...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। यह क्या है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच...(व्यवधान) जांच में सभी मुद्दे आ जायेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य को डिफाइन करने का कोई अधिकार नहीं है... (व्यवधान) यह नान-आफेंस...(व्यवधान) यह पर्दा डालना चाहते हैं इस सच्चाई की बात पर...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : दोनों पत्रों की हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवा ली जानी चाहिए ताकि तथ्य सामने आ जाएं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह ठीक है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम चाहते हैं असलियत सामने आए और इनके जो ये हथकंडे हैं, जिस तरह ये गिरते हुए हथकंडे काम ले रहे हैं उन पर पाबंदी लगाएं आगे भविष्य में। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो मेरा निवेदन यह था कि दो पत्रों का जिक्र किया आपने...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई कोर्ट है? आपको माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : What is this? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : यह सब जांच का मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : He has himself expressed to clarify the interest.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बोलने ही नहीं दोगे? आप बोलने ही नहीं दोगे? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई बात नहीं है, वह खुद बना लेंगे। सदस्य उपस्थित हैं उनको मौका दो। बोलेंगे यहां बैठकर...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बोलेंगे ही नहीं? बोलेंगे ही नहीं यहां बैठकर?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके बालने से दूध का...(व्यवधान) धुले हुए हैं क्या? आपको +++ दिखते हैं...(व्यवधान) जो गड़बड़ है वह तो एपेरेंट है, वह सब रिकार्ड है...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बुलाना–नहीं बुलाना अध्यक्ष महोदय का अधिकार है, आपका नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह सबका अधिकार है। आपका भी है, हमारा भी अधिकार है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं निश्चित रूप से बोलकर रहूंगा...(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय जो ज्ञानदेव आहूजा हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुझे बोलने दीजिए, पहले मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया कि आज से वह +++ आहूजा हो गये हैं। अब से उनका नाम +++ आहूजा हो गया है। सब सदस्यों को इस बात का पता लग गया है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा :...(व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप इसकी जांच मेहरबानी करके कराएं। हमारे माननीय खाद्य मंत्रीजी ने शुद्ध के लिए युद्ध कर रखा है, इन्होंने तो आज तक पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया। सेनाएं पटक रखी हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध कर रखा है, आप इसको जारी रखें। आहूजा जी के खिलाफ भी जारी रखें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार व्यवधान डाल कर नहीं बोलने दें, आपका प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को...

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरे को मेरे साथी को बचाना है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने मुझे अनुमति दी है सवाल करने के लिए...(व्यवधान) न मैं किसी की सफाई दे रहा हूं, न किसी का विरोध कर रहा हूं...(व्यवधान) बात सुनो आप... (व्यवधान) अब बात ही नहीं सुनोगे आप...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह बात नहीं सुनने से मामला खतम नहीं होगा...(व्यवधान) हमारे पर आरोप लगाये जाएं...(व्यवधान) अब एक विधायक बोल रहा है, आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आपको प्रतिपक्ष के नेता पर विश्वास नहीं है तो आपको भी सम्मिलित कर दिया जाए, पर जांच होनी चाहिए इसकी। आपको भी उसी में शामिल कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर देना, कोई बात नहीं। यह तो मैं ही कह रहा हूं। यही कह रहा हूं। बैठो तो। मेरा यह निवेदन है कि दो पत्रों का जिक्र आया यहां पर...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (शिक्षा, राज्य मंत्री) : जांच में क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बिराजिये ना। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप मंत्री हो...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आप क्यों कतराते हैं एक्सपर्ट ओपीनियन से? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस प्रकार हूट आउट करने से बैठने वाला नहीं हूं, समझ लो, मंत्री महोदय। जांच आपकी बहुत सारी पैंडिंग हैं। आप सुनिये पहले...(व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि दो पत्रों का जिक्र आया यहां पर...(व्यवधान) तो बोले ही नहीं क्या? वह यह...(व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : इनकी मूंछों का रंग झूठा है, इनकी शिकायतें +++ हैं। कभी कहते हैं असली, कभी कहते हैं नकली। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप चाहो जितनी ताली पीट लो, चाहे जितना शोर कर लें, मुझे बोलने नहीं देंगे यह तो नहीं चलेगा। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, बोलने ही नहीं दोगे मुझे आप?

श्री हीरालाल विश्नोई : सौदेबाजी कर लेते हैं। पहले शिकायत कर दी और बाद में सौदेबाजी कर ली। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह क्या बात हुई, साहब? आप बोलने ही नहीं दोगे? कौनसी बात हो रही है? अगर आपका केस मजबूत है तो डरते क्यों हो? यदि आपका केस मजबूत है तो घबराहट किस बात की है?

श्री संयम लोढ़ा : आप कितना ही बोलो, पोल खुल चुकी है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : घबराहट तो आपको है। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई बात नहीं खुल गई। आपके भी छापा पड़ने वाला था, बचा दिया उन्होंने उस दिन आपको। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि...

श्री संयम लोढ़ा : आप सी.बी.आई. से पड़वा देना दिल्ली से। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैं नहीं पड़वाता। मेरा निवेदन है यह है कि दो पत्रों का जिक्र किया आपने। पहले पत्र में यह कि ज्ञानदेवजी ने यह शिकायत की कि जांच की जाए, आधी-आधी, ठीक है ना? ज्ञानदेव जी को मालूम हुआ कि मेरे नाम से कोई शिकायत पत्र आपके पास गया है, उनको क्या फर्ज था यदि उन्होंने शिकायत की थी तो कि हां मैंने की है, कहना चाहिए था। यदि उन्होंने शिकायत नहीं की और उनके नाम पर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, उनकी एप्लीकेशन नहीं है, उनका यह कहना बड़ा वाजिब था कि मेरे को क्यों घसीट रहे हो, मैंने तो शिकायत ही नहीं की। (व्यवधान) यही तो कहा उन्होंने। सुनो...(व्यवधान) बोलने तो दो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम भी दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। (व्यवधान) हम भी यही चाहते हैं जो माननीय सदस्य चाहते हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन्होंने लैटर नहीं लिखा उसकी जांच हो जाए। (व्यवधान) हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को दे दी जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शर्मा जी, इसी बात का तो सौदा हुआ। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बात ही नहीं सुनोगे क्या? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक सवाल मैं पूछ लेता हूं मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय, एक बता दें कि ज्ञानदेव आहूजा ने जो पत्र आपको लिखा है जिसकी फोटो स्टेट आपने पढ़ कर सुनाई है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : और सबको बांट दी। सबको बांट भी दी है। खैर! कोई बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ज्ञानदेव आहूजा ने इसी व्यक्ति के खिलाफ आपको लिखित में कोई शिकायत की थी?

श्री रामकिशन वर्मा : मेरे को भी शिकायत की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी की, इसी फर्म की? इस फर्म की क्या कभी शिकायत की थी क्या? इस फर्म की जिसका पत्र आपने पढ़ कर सुनाया है, उस फर्म की बात करो आप। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, शिकायत नहीं की तो फिर लिखने की कहां जरूरत पड़ गई है? (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : सुना रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरा सुन लीजिए। जिस फर्म के सम्बन्ध में आपने इस लैटर को इस सदन में पढ़ कर सुनाया है क्या इस फर्म के खिलाफ ज्ञानदेव आहूजा ने आपको लिखित में कोई शिकायत की थी?

श्री रामकिशन वर्मा : सुन तो लें, साहब। सुना रहा हूं। अर्ज कर दूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : ज्ञानदेवजी आहूजा ने 16.2.2001 में यह आरोप लगाया कि अलवर, तिजारा, किशनगढ़, भिवाड़ी के अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा लाखों लीटर तेल मिट्टी का कालाबाजारी कर दुरुपयोग किया जाता है। (व्यवधान) लैटर भी तो यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी लैटर का खण्डन किया है उन्होंने।

श्री रामकिशन वर्मा : इन्होंने तो यह कहा कि शिकायत की गई। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मामला न मामला की बात। (व्यवधान) खड़े हो जाओ सब।

श्री अमराराम (धोद) : खण्डन नहीं किया है। इस जांच को रोक दिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : बड़ी चतुराई से इस बात को घुमाना चाहते हैं। (व्यवधान) हम आपसे माननीय सदस्यों की रक्षा करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। जन प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा का सवाल है, आप इसकी जांच करवाइये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप जितनी क्वैरी करेंगे उतने ही फंसते जाएंगे। आप अपने साथी को नहीं बचा पाएंगे। जितनी क्वैरी करेंगे उतने ही ज्यादा फंसते जाएंगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय इस मामले को बड़ी चतुराई से घुमाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : एक्सपर्ट से जांच होनी चाहिए। हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच हो जाए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर दण्ड दोगे। यह जन–प्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ सवाल है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है, और बीच में। माननीय सदस्य, मुझे बोलने दीजिए ना। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह कह रहे हैं कि इन्होंने +++ की वकालत नहीं की। माननीय सदस्य सभी वकालत कर रहे हैं इनकी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है और बीच में, माननीय सदस्य मुझे बोलने दीजिए ना।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, गलती बन गई आहूजा जी से। वह +++ आहूजा है उनसे गलती बन गई। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक असत्य को छुपाने के लिए सौ असत्य मत बोलो। गलती स्वीकार करो, माफी मांगो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था कि दो पत्र हैं...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जो भी जांच में दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : काहे की माफी मांगें?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजा ने यह पत्र किसको लिखा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बड़े दु:ख की बात है, कोई माफी देने को भी तैयार नहीं है इनको तो। सब इनके खिलाफ कार्यवाही चाह रहे हैं, माफी देने को कोई भी तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : जिला कलक्टर महोदय को लेटर लिखा है।

श्री अध्यक्ष : किसको?

श्री रामकिशन वर्मा : जिला कलक्टर महोदय, अलवर को।

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजा जी, आपने इस प्रकार का लेटर लिखा है क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक क्वेश्चन सीधा है कि क्या इन्होंने लिखित में कोई शिकायत की थी और क्या इसी शिकायत का इन्होंने खण्डन किया है कि मेरे लैटर पैड का मिसयूज किया गया है? ये दोनों बातें बता दो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आहूजाजी के लैटर पैड पर, यह प्रेम पत्र, आहूजा जी, कल आप प्रेम पत्र बता रहे थे, यह सम्भालो अपना प्रेम पत्र। यह प्रेम पत्र आपने ही लिखा है, अब सम्भाल लो इसको। कल बहुत बात कर रहे थे प्रेम पत्र की, अब सम्भालो प्रेम पत्र को। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने इनके पत्र पर, दूसरे पत्र पर वह जांच बंद कर दी? (व्यवधान) क्या राज्य सरकार का यह तौर-तरीका है? शिकायत की कोई कह दे कि जांच ना करो तो क्या राज्य सरकार का दायित्व नहीं कि आज तक जांच करके इस सदन को अवगत कराते कि क्या जांच की? (व्यवधान) मिलावट तो उसमें आपने खुद ने कर रखी है। जो लाखों लीटर डीजल कालाबाजारी में बेचते हैं उसमें सरकार मिली हुई है और आरोप विधायक पर लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जो पहले पत्र लिखा गया वह पत्र ज्ञानदेव जी आहूजा द्वारा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कालाबाजारियों को छिपा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : आप किसी हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवा लें। (व्यवधान) दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : एक इनका दायित्व बनता है कि कालाबाजारी रोकें। यह खुद ही कालाबाजारी करने के लिए उनको मजबूर करें, और फिर +++ करके उनके खिलाफ जांच को रुकवाने की कोशिश करें। (व्यवधान)

श्री नगराज : अध्यक्ष महोदय, यह तो पता करो कि सौदा कितने में हुआ है रोकने के लिए। पता तो लगे कम से कम। सदन को यह तो कम से कम... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप तो जांच करवाइये, कितने का सौदा था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। नाथूरामजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : और इस गरीब का सौदा कितने में होगा? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ आप पूरी बात सुन लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस में आज जिस प्रकार की यह व्यवस्था चल रही है, एक मैम्बर पर आरोप लग रहा है और आप यह व्यवस्था नहीं करवा सकते हो कि वह मैम्बर जवाब दे दे। (व्यवधान) हम कहां जाएंगे? हम सवाल पूछ लें, यह अनुमति नहीं दे रहे हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : या हम सवाल पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसके ऊपर आरोप लगाये हैं उसको तो स्पष्टीकरण का मौका दीजिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय पर नाराज काहे को होते हो, सदस्य को ही समझा लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने चालू कर दिया तो हम घाटे में नहीं रहेंगे। यह भी बता देऊं मैं आपको।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ और अध्यक्ष महोदय के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम आसन का सम्मान करते हैं और आसन से प्रोटेक्शन भी चाहते हैं। (व्यवधान) सदन परम्पराओं से चलता है, सदन नियमों से चलता है। बारबार आरोप लग रहे हैं माननीय सदस्य पर, और एक बार अनुमति नहीं? खुली छूट है कि कुछ भी बोलें? (व्यवधान) यह नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह नियम किसको सिखाना चाहते हैं? यह चाहते हैं इनको क्लीन चिट दे दी जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप इस तरह सदन में धमकी नहीं दे सकते। सदन चलाने का काम अध्यक्ष महोदय का है, अध्यक्ष महोदय को आप नहीं चला सकते। अध्यक्ष महोदय अपनी मर्जी से चलते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर। आर्डर-आर्डर। आपने इस प्रकार का लैटर लिखा है क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है मुझे जवाब देने दे। एक बार सब शांत बैठ जाएं, मैं आपको रिप्लाई देता हूं। मैं आपको पूरी रिप्लाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बार रिप्लाई देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात कहने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसका जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : जो लैटर आपने पढ़ा है उस सम्बन्ध में इनको जवाब देने दीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने और धर्मपालजी ने, पीछे भी ये ही डी.एस.ओ. थे और इनके विरुद्ध जब शिकायतें की हैं, 32 लाख लीटर मिट्टी का तेल वहां जाता है और उसमें से 22 लाख लीटर गायब होता है, यह मैंने उस समय बोला। धर्मपालजी की भी शिकायत यही थी। उस पर जांच के लिए आपने कहा कि एडिशनल कमिश्नर साथ

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जाएंगे। मैं नहीं गया, धर्मपालजी गये। मुझे जानकारी भी नहीं, आज तक कोई सूचना नहीं। सम्बन्धित फर्म के सम्बन्ध में मेरे नाम से शिकायत भेज कर मुझे भी पत्र भेजा और अखबारों में दिया। उस फर्म को मैं जानता नहीं हूं कि कौन है। मेरे पास जब वह आये और उन्होंने कहा कि आपने कोई शिकायत की है तो मैंने कहा कि मैंने कोई शिकायत नहीं की है। उसके लिए मैंने कलक्टर को पत्र लिखा कि मेरे नाम से असत्य शिकायत की गई है...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हजारों कागज निकल जायेंगे...(व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : तो फिर यह कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : फिर इनको कैसे मालूम पड़ा कि 22 है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : शिकायत करने के बाद में इन्होंने लैटर लिखा। यह खुद एडमिट करते हैं कि अगली पार्टी इनको आकर मिली, उसके बाद में इन्होंने लैटर लिखा है। यह स्पष्ट है कि अगली पार्टी मिली, लेनदेन होने के बाद में इन्होंने जिला कलक्टर को पत्र लिखा। (व्यवधान) यह स्पष्ट है, यह इस बात को मंजूर कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाउस को आर्डर में लाओ, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लेकर आओ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ लोग आरोप लगा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, हमको भी मौका दीजिए...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि सदन के अन्दर इस प्रश्न को लेकर काफी उत्तेजना है, आप सारे प्रकरण की फाइल अपने पास मंगा लें। आप स्वयं देख लें, उसके बाद जो आप...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आप ही देख लें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दैट विल बी बैटर। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पूरा प्रकरण पिछली बार सदन में रखा था, आप सारा मंगाकर जांच करा लें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इसको देख लें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, सही है। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप स्वयं जांच कर लें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पिछली बार माननीय मंत्रीजी ने सदन में आश्वासन दिया था, उसकी सारी फाइल मंगा लें, उसकी जांच करा लें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : धर्मपाल जी, बैठिये ना। मामले को खतम करना है तो खतम करो और बढ़ाना है तो बढ़ाओ इसको आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं क्या बढ़ाना है इसको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी, इन्होंने जो पत्र लिखा है वह एक कम्प्लेंट के बारे में है। सिर्फ एक, बाकी, कम्प्लेंट के बारे में नहीं है। मंत्रीजी, यह एक प्रकरण के बारे में है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पत्र है कहां? (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : इनकी शिकायत तो तीन-चार की थी, उन प्रकरण में चल रही है, बाकी की शिकायत अभी पूरी हुई नहीं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : करा लो, मना कौन करता है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनकी राय से देंगे क्या उत्तर? (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : एक पर ही लिखा है...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, जो शिकायत छपी है, ज्ञानदेवजी की नहीं है। ज्ञानदेवजी यह लिख दें कि मेरी शिकायत नहीं है तो इसमें अपराध क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य क्या बताना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या हो गया? (व्यवधान) ये दस्तखत मेरे नहीं हैं, यह शिकायत मेरी नहीं है, यह कहने से ही अपराध हो गया? (व्यवधान) यह शिकायत मैंने नहीं दी, ये हस्ताक्षर नहीं हैं, यह कहने में अपराध हो गया? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : इससे स्पष्ट क्या हो सकता है? (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : स्वयं इस सदन में कह रहे हैं कि 32 हजार लीटर में से 22 हजार लीटर ही बंटता है और 10 हजार लीटर की कालाबाजारी होती है। अध्यक्ष महोदय, यह स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाएं, बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : कोई गलत नहीं हो रहा है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? (व्यवधान) एक तरफ पत्र लिख रहे हैं कि मैंने कोई शिकायत नहीं की है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : 32 हजार में 22 हजार लीटर बंटता है और 10 हजार लीटर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी होती है, दो बातें कैसे हो सकती हैं?

श्री अध्यक्ष : 40 मिनट इस प्रश्न पर हो गये हैं...(व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी बात नहीं कर पाया हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आहूजा जी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पूरी बात सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, सुन लें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, सब कुछ आ गया, अब क्या सुनने के लिए बचा है? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ज्ञानदेवजी को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह जब मेरे से मिले तो मैंने उनको कहा कि मैंने कोई आपकी शिकायत नहीं की, मुझे जानकारी नहीं है। (व्यवधान) मुझे जानकारी नहीं है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब तो यह स्पष्ट है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह बात बिलकुल वाजिब है और यह पत्र कलक्टर को लिखा गया, इस फर्म का उस समय जिक्र नहीं था...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, अब तो सारा स्पष्टीकरण आ गया...(व्यवधान) अब तो यह स्पष्ट है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारी जानकारियां थीं...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : कालाबाजारी हो रही है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सारा सौदा तय हुआ है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : दूसरी तरफ यह कहते हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब बार-बार फिर रहे हो अपनी जुबान से ही। (व्यवधान)

+++ नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा यह निवेदन है कि इस फर्म का कोई लेना–देना नहीं है, शिकायत जब हमने की है, इसके बाद की बात है...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस के अन्दर कहा कि...(व्यवधान) वहां से गायब होते हैं। अध्यक्ष महोदय, सारे तथ्य इनकी जानकारी में थे, बैठ कर सौदेबाजी हुई है, निश्चित रूप से हुई है... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब तो शुद्ध के लिए युद्ध चलाना पड़ेगा और लम्बा युद्ध चलेगा शुद्ध के लिए। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से एक बात निवेदन करनी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है, गहलोत साहब। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है, अब इस पर मैं बात नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आप उसके बाद में स्पष्टीकरण उनका मांग रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, आहूजा जी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसकी जांच कराएं, मैं निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : जांच करा लीजिए और विधायकों की कमेटी से करा लीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रसद अधिकारी लिप्त हैं, इसकी जांच आप कराएं, अध्यक्ष महोदय।

श्री ललित भाटी : जब माननीय आहूजा जी खुद बार–बार कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए फिर एतराज क्या है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट हो रहा है।

श्री रामस्वरूप : विधायकों की कमेटी से करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : फिर किसको एतराज है जांच कराने में? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री और रसद अधिकारी लिप्त हैं, इसकी जांच कराएं। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : वह खुद कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां, मैं कह रहा हूं, जांच कराएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : यहां से लैटर लिख कर भेज रहे हैं कि इसकी जांच ना की जाए। (व्यवधान) अभी जांच करवाना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो कुछ यहां कहा जा रहा है वह सदन की ही प्रापर्टी बन रही है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस पर समिति बनाई जाए उसमें विधायकों को रखा जाए। आप भी उसमें रहेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आप अपने लेवल पर इसकी जांच कराएं, यह मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा इस बात को हाउस में स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसकी जांच करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : पहले आपने इस बात को हाउस में रखा...(व्यवधान) कमेटी बना दी गयी और उसके बार-बार बोलने के बाद भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामगोपालजी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, अंकित नहीं हो।

श्री रामगोपाल बैरवा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं बीच में? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

सम्वाद संस्था को जारी विज्ञापन के भुगतान की प्रक्रिया

217. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रचार, सामग्री प्रकाशन व सरकारी सजावटी विज्ञापन जारी करने का माध्यम सम्वाद संस्था को बनाया है? यदि हां, तो उक्त संस्था किसके अधीन काम करेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि सम्वाद संस्था एक पंजीकृत संस्था के रूप में काम करेगी? यदि हां, तो संस्था के संचालक मण्डल में कौन-कौन व्यक्ति मनोनीत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्था राज्य सरकार एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन करने हेतु किन-किन शर्तों का ध्यान रखेगी एवं किन शर्तों के तहत उक्त कार्य करेगी तथा किन शर्तों के तहत सम्वाद संस्था को राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क (डा. जितेन्द्र सिंह) : (1) जी हां। यह संस्था स्वायत्तशासी होगी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क)

(2) जी हां। संस्था के संचालन के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्यों की सूची निम्नानुसार हैं :–

1.	सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री/राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	उपाध्यक्ष
3.	शासन सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो।	सदस्य
4.	निदेशक, सूचना, शिक्षा, संचार संस्थान (आई.सी.आई.)	सदस्य
5.	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	प्रबन्ध संचालक सह सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष

(3) संस्था अपने विधान के तहत एक स्ववित्त संस्था के रूप में न लाभ न हानि के आधार पर कार्य करेगी। संस्था अपने कार्यों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार समय-समय पर शर्तें, प्रक्रिया, नियम, उप-नियम बना सकेगी। प्रचार-प्रसार पर किये गये खर्चों का पुनर्भरण सम्बन्धित विभाग अथवा स्वायत्त संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस संस्था के माध्यम से, मंत्री महोदय, आप प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हो। मेरा आपसे सवाल है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यहां तो हमला मूंछों पर हो गया, आप प्रेस की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मेरा आपसे सवाल है कि जब सम्वाद संस्था का पंजीकृत कार्यालय सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय है, इसकी जो प्रबन्ध कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष आप हो, इसके जो एम.डी. हैं वह डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हैं तो फिर इस संस्था के गठन का उद्देश्य क्या है? आपने क्यों आवश्यकता महसूस की कि आप इस तरह की संस्था का गठन करें? क्या यह सही है कि इस संस्था के माध्यम से राजकीय उपक्रमों, निगमों, बोर्डों और पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं के जो पहले विज्ञापन दिये जाते थे, विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके उस सारे कार्य को आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं? और आप इसका सरकारीकरण करके प्रेस को डिक्टेट करने की इच्छा से यह लेकर आये हैं? मेरा निवेदन है इसके बारे में कि इस संस्था के गठन के लिए आपने क्यों कमी महसूस की? आपने यह भी कहा कि यह बिना लाभ-हानि चलेगी। क्या यह सही है कि इस संस्था में काम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करने वाले सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी आपकी सरकार की तरफ से डैपुटेशन पर आए होंगे? अगर यह है तो इसका मकसद क्या है, यह बताएं?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यदि सम्वाद समिति लाभ में रही तो क्या लाभ की राशि से पत्रकारों को लाभान्वित किया जाएगा?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि संस्था को बनाने का मकसद क्या था, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सारे निगम और अन्य हमारे राजकीय उपक्रम हैं उनके द्वारा जो कार्य कराया जाता है एजेंसियों से, वर्तमान में हमारे जो विजुअल और इलैक्ट्रोनिक माध्यम आ गये हैं, निश्चित रूप से सबके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। सबको सेंट्रलाइज करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रापर बैटर रिजल्ट दिये जा सकें, इस वजह से इन सबको सेण्ट्रलाइज किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेंट्रलाइज करने का मकसद सिर्फ राजस्थान सरकार का नहीं है, अन्य स्टेट्स ने भी इस बारे में एक्सपेरिमेंट किये हैं सफलतापूर्वक, जैसे मध्य प्रदेश में "माध्यम" के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। यह सब प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। नम्बर दो, इसका उद्देश्य बताया। तीसरा, जैसा कि आपने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने तो यह पूछा है कि आपको यह आवश्यकता महसूस क्यों हुई कि इस तरह की संस्था का गठन किया जाए? आवश्यकता क्या आ पड़ी थी? क्या डी.पी.आर. ठीक काम नहीं कर रहा था?

डा. जितेन्द्र सिंह : डी.पी.आर. ठीक काम कर रहा था, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, लेकिन वर्तमान में विजुअल और इलैक्ट्रोनिक माध्यम जो नये डवलप हो गये हैं उसमें निगम और उन सबके पास प्रोपर टाइम पर इंफार्मेशन और उनका रिवीजन नहीं हो पा रहा था, इस कारण से इसका निर्माण करना पड़ा, गठन करना पड़ा।

नम्बर दो, आपने पूछा कि इसमें जो एम्प्लाई होंगे, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय वित्त मंत्रीजी ने पूरा एक स्टेण्डर्ड रखा है। जो हमारे पास टोटल इनपुट होगी, टोटल इनकम होगी उसका 10 प्रतिशत उनके एम्प्लोइज को दिया जायेगा, जो हम लेंगे उसमें बाकी अन्य एजेंसियां हैं। यह समाचार पत्रों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा क्योंकि जोब बेसिस पर एजेंसियों को लेंगे, जो सिस्टम है। समाचार पत्रों को जो भी एडवरटाइजमेंट दिया जायेगा वह मात्र जो डाइरेक्शन हैं निगम और बोर्डों के, उसी आधार पर होंगे। सपोज कोई चूरू का एडवरटाइजमेंट है, चूरू से सम्बन्धित है, उसका क्या औचित्य है कि वह राष्ट्रीय अखबारों में दिया जाए? उन सबके खर्चों को नियमित करने के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

लिए, उसका उद्देश्य समाचार पत्रों पर कुठाराघात नहीं है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे जो खर्चे हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए यह प्रक्रिया अपनायी जायेगी। अगर एजेंसी यह कहती है कि यह चार अखबारों में दिया जाए जबकि उसकी आवश्यकता सिर्फ चूरू में है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर आब्जर्वेशन रखना नितान्त आवश्यक है। इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ी। नम्बर तीन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें कोई गैर सरकारी सदस्य भी है क्या? गैर सरकारी सदस्य भी है क्या इसमें, एक भी?

डा. जितेन्द्र सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, इसका हमारा गजट नोटिफिकेशन हुआ है 13/2 को, इसमें नियम और उप नियम की प्रक्रिया जारी है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने प्रस्ताव रखा है कि इसमें गैर सरकारी सदस्य भी हो। ये जो नियम और उप नियम बन रहे हैं, निःसंदेह उसमें आपकी बात पर गौर करके उनको इनक्लूड किया जाएगा। (व्यवधान) अभी अण्डर प्रोसेस है वह प्रक्रिया।

नम्बर चार, माननीय सदस्य ने पूछा कि नो लास नो प्राफिट पर यह जो हमारी संस्था चल रही है, इससे लाभ होगा तो उसका क्या किया जायेगा। माननीय सदस्य, राजस्थान पहला स्टेट है जिसने जर्नलिस्टों के लिए मेडिकल रिलीफ फण्ड बनाया है और उसमें एक करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा। नो प्राफिट–नो लास के अलावा जो भी लाभ होगा वह जर्नलिस्टों के बैनिफिट के लिए इस्तेमाल होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि आपने प्राइवेट एजेंसियों की जगह एक एजेंसी बनायी, उसमें सब सरकारी प्रतिनिधि हैं। आपका मतलब यह है कि इसमें जो प्राफिट होगा उसमें से एक प्रतिशत पत्रकारों की सहायता के लिए दिया जाएगा। दूसरा आपने यह कहा है कि हमारी आलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसियां हैं उन एजेंसियों से इस बात का पता नहीं लगता कि चूरू से दिये जाने वाले एडवरटाइजमेंट को आल इण्डिया लेवल पर क्यों दिया जाए। यही है आपका सारा मतलब? आपका यह मतलब है तो, अध्यक्ष महोदय, आप बुरा मत मानना, अब कोई हो–हुल्लड़ करें तो मर्जी की बात है, यह सरकार केवल एडवरटाइजमेंट के भरोसे चल रही है। इस सरकार का कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। यदि अखबारों में माननीय मुख्य मंत्रीजी और बाकी के मंत्रियों के फोटो नहीं छापे जाएं, केवल एग्जिस्ट वहीं करती है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है।

श्री संयम लोढ़ा : बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सड़क, गांव और शहर में एक्जिस्ट नहीं करती है, जनता में एक्जिस्ट नहीं करती है लेकिन फिर भी इनको संतोष नहीं है। अब ये चाहते हैं कि यह एडवरटाइजमेंट का काम भी प्राइवेट कम्पनी को, ऐसी संस्था को दे दिया जाए जिस संस्था पर हमारा नियंत्रण हो।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कह गये कि सारे राज्यों में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं केवल मध्य प्रदेश में है और मध्यप्रदेश में फेल हो गयी। मध्य प्रदेश तो कुछ भी कर ले, आपको उसकी नकल करनी है। मैं इस सदन में आपको कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था मत करिये। इस तरह की व्यवस्था हो गयी तो प्रेस की फ्रीडम स्ट्रेंगुलेट होगी, प्रेस स्वतंत्र नहीं रहेगा। और प्रेस स्वतंत्र नहीं रहेगा, वह चाहे आपके पक्ष में हो, चाहे हमारे पक्ष में हो जनता से सम्वाद में एक सरकारीकरण उसमें लगेगा। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की नकल करते-करते आप इस सारी स्वतंत्रता को कुएं में मत डालिये, यह बहुत महंगी पड़ेगी। आप एडवरटाइजमेंट में अपने फोटो छपवा लेना लेकिन यह बहुत महंगा पड़ने वाला है। प्रेस की फ्रीडम एक बार गयी तो आप मान कर चलिये कि इस हाउस की फ्रीडम, हाउस और जनता के बीच जो सम्वाद है, वह सम्वाद अपने आप खतम हो जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। आप इसको ऐसा न समझें कि हमने गजट नोटिफिकेशन कर दिया या एक प्राइवेट मैम्बर को या नान-आफिशियल को ले लिया। उससे काम नहीं चलेगा। आपकी नीयत खराब है, आप प्रेस को को स्ट्रेंगुलेट करना चाहते हैं। प्रेस को एडवरटाइजमेंट का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में खबर छपवाना चाहते हैं और जो आपके पक्ष में खबर नहीं छापेगा उसका गला घोंटने की आप तैयारी कर रहे हैं। इसको अलाउ करना यह लोकतंत्र की हत्या के बराबर है।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय की बात में मैं एक ही संशोधन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उत्तर दिलाएं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि हम सब नकल कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर आना चाहिए। (व्यवधान) यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि नकल कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। आप बताओ, आप बता दो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह मीडिया मैनेजमेंट का पाठ है, यह एक तरह से पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह सारी चीजों का सरकारीकरण किया जा रहा है।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि नकल कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आपको बताना चाहते हैं, यह एक तरह से पत्रकारिता की हत्या है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र प्रेस का चौथा स्तम्भ है, उस पर नियंत्रण करना लोकतंत्र के लिए घातक है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी [illegible]) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मंत्री महोदय अखबारों को अपनी दया पर जिंदा रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, चोरी ऊपर से सीनाजोरी।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको प्रेस कहां से स्वतंत्र रहेगी? इसका अध्यक्ष मंत्री, उपाध्यक्ष जन सम्पर्क निदेशक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी रिप्लाई दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इससे सुधार नहीं होगा।

डा. जितेन्द्र सिंह : यह प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात नहीं है, यह कतई प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? (व्यवधान)

(12.00 बजे)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी को तो सुनो।

डा. जितेन्द्र सिंह : प्रेस के भले के लिए, मेडिकल व्यवस्था के लिए... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा) : राजस्थान के अंतिम छोर पर बैठे हुए...(व्यवधान) [illegible] के चौथे स्तम्भ को कायम रखने

(श्री संजीव कुमार)

के लिए प्रेस की स्वतंत्रता कायम रखी है। (व्यवधान) प्रेस की स्वतंत्रता कायम है। (व्यवधान) ये लोग बिफरे हुए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। यह कल्याणकारी सरकार है। (व्यवधान) यह लोकतांत्रिक सरकार है, माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रेस की स्वतंत्रता कायम रहेगी।

एक माननीय सदस्य : प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।

श्री संजीव कुमार : इस सरकार की लोकप्रियता को देखकर ये लोग बौखलाये हुये हैं इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं हाउस में।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। (व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र पर प्रहार है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पूर्व सांसद शंकरलालजी को शोकाभिव्यक्ति।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नमक क्षेत्र की भूमि के पंजीकरण शुल्क में वृद्धि

369. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नमक क्षेत्र में जो भूमि नमक बनाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा किराये पर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए आबंटित की जाती है? क्या उक्त का पंजीकरण कराया जाता है? यदि हां, तो इसके लिए कितनी पंजीकरण शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी पूर्व में ली जा रही थी और अब कितनी ली जा रही है?

(2) क्या सरकार ने अभी हाल ही में एक ऐसा आदेश जारी किया है कि भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर पंजीकरण फीस व स्टाम्प ड्यूटी ली जावे? यदि हां, तो क्यों, जबकि उक्त भूमि सरकारी मालिकाना हक की है और आबंटन केवल किराये के आधार पर की जाती है?

(3) क्या सरकार को नमक उत्पादकों की ओर से उक्त सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? ज्ञापनों की ओर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 10 वर्ष के लिए दिये जाने वाले पट्टे पर अधिसूचना दिनांक 26.11.2001 से पूर्व प्रतिफल व 2 वर्ष के औसत किराये पर कंवेंस की दर से मुद्रांक शुल्क देय था तथा पंजीयन शुल्क उक्त राशि पर 1 प्रतिशत की दर से देय था। वर्तमान में अधिसूचना दिनांक 26.11.2001 के अनुसार मुद्रांक शुल्क तथा 1 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25,000/-रुपये) पंजीयन शुल्क देय है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.11.2001 द्वारा आबंटन/नवीनीकरण के प्रकरणों में बाजार मूल्य के स्थान पर प्रतिभूति राशि एवं 3 वर्ष के किराये को जोड़ कर 11 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क वसूल करने का प्रावधान किया गया है परन्तु हस्तान्तरण के मामले में बाजार मूल्य के स्थान पर प्रतिभूति राशि, हस्तान्तरण शुल्क, तीन वर्ष का वार्षिक किराया एवं मौके पर किये गये निर्माण कार्य की लागत को जोड़ कर कुल प्रतिफल पर 11 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होने सम्बन्धी प्रावधान किया गया है।

(3) जी हां। नावां नमक उत्पादक संघ से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिनांक 9.2.2001 एवं 2.3.2001 प्राप्त हुये थे। प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसरण में दिनांक 26.11.2001 को एक अधिसूचना प्रसारित की गई, जिसकी प्रति अनुसंलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही में विलम्ब

370. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिंचाई विभाग के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध नियम, 16/17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा अभी तक उक्त पर कोई कार्यवाही अन्तिम तौर पर नहीं हुई है और मामले लम्बित हैं? आरोप-पत्र जारी करने के दिनांक, जांच अधिकारी के नाम व पद तथा जांच की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच निर्धारित समय अवधि में पूरी नहीं करने के बारे में क्या जांच अधिकारियों को कोई स्मरण-पत्र/नोटिस आदि दिये गये? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विचाराधीन विभागीय जांचों के सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट क, ख, ग, घ व ड में वांछित सूचना प्रस्तुत है।

(कार्मिक मंत्री)

(2) नियमों में समय अवधि के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। जांच में लगने वाला समय जांच विशेष की विशिष्टताओं यथा जांच में आरोपितों की संख्या, आरोप व गवाहों की संख्या आदि पर निर्भर करता है।

जांच अधिकारी को जारी किये गये स्मरण पत्रों का विवरण परिशिष्ट ''ख'' में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अधिकारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन रहते हुए बहाली

371. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के चलते हुए उन्हें निलम्बित कर रखा है? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच लम्बी चलने के कारण कुछ निलम्बित अधिकारियों को जांच विचाराधीन रहते हुए बहाल किया गया है? यदि हां, तो जनवरी, 2001 से फरवरी, 2002 तक किस-किस को कब-कब बहाल किया गया तथा वो कब-कब से निलम्बित थे?

(3) उक्त प्रकरणों में विभागीय जांच विचाराधीन रहते हुए बहाल करने के लिए क्या प्रक्रिया है तथा क्या कोई समय सीमा भी है? यदि हां, तो कितने समय बाद बहाल किया जा सकता है?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर उपलब्ध है।

(3) छह माह से अधिक निलम्बित अधिकारियों के प्रकरणों के पुनरावलोकन हेतु कार्मिक मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर रखा है। प्रत्येक तीन माह पश्चात् इस समिति की बैठक की जाती है। बैठक में सम्बन्धित सचिवों द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार कर निलम्बन से बहाली की सिफारिश की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन

372. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगत सिंह दायमा)

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 1999 के बाद विभिन्न विभागों में कुल कितने पदों के लिए भर्ती हुई है? विभागावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में पिछड़े वर्ग के कितने अभ्यर्थियों को भर्ती किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 19 अक्टूबर, 1999 के पश्चात् राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के 1586 पदों पर भर्ती (नियुक्ति) हेतु अभ्यर्थियों का चयन किया गया। विभागावार विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के 385 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। संख्या विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

373. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या स्वर्गीय श्री एम.एल. कालिया, पूर्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के उपचार में लापरवाही करने के लिए दोषी पाए जाने वाले चिकित्सक डा. आर. के. मधोक के विरुद्ध कार्मिक विभाग को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से विभागीय जांच के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रकरण की प्रारम्भिक प्रशासनिक जांच रिपोर्ट पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के हृदय रोग विशेषज्ञों से तकनीकी राय प्राप्त करने हेतु चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया हुआ है।

चिकित्सा विभाग से उक्त संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञों की राय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आशुलिपिकों की परीक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन

374. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार आशुलिपिकों की परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि आशुलिपिकों की परीक्षा आयोजित करने हेतु राज्य सरकार

(श्री रतन लाल ताम्बी)

द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत पहले चरण में विद्यार्थियों की हिन्दी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान आदि विषयों की परीक्षा आयोजित की जावे और उसके उपरान्त द्वितीय चरण में उसमें सफल घोषित विद्यार्थियों की आशुलिपि एवं टंकण ज्ञान की परीक्षा ली जावे?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रक्रिया अपनाने से वे विद्यार्थी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा के लिए हिन्दी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान आदि विषयों की तैयारी करते हैं किन्तु आशुलिपि एवं टंकण का लेशमात्र ज्ञान नहीं रखते उक्त परीक्षा के पहले चरण में सम्मिलित होकर मैरिट में आ जावेंगे एवं सम्बन्धित पद के तकनीकी ज्ञान के अभाव में परिणाम को अनावश्यक प्रभावित करेंगे?

(4) क्या सरकार आशुलिपिक पद की तकनीक को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर विचार करेगी जिसके तहत पहले चरण में आशार्थियों की आशुलिपि और टंकण ज्ञान की परीक्षा ली जावे और उक्त परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो अथवा मैरिट में आये, द्वितीय चरण में उनकी सामान्य ज्ञान, हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों की परीक्षा ली जावे?

(5) क्या यह सही है कि पहले चरण में आशुलिपि और टंकण की परीक्षा आयोजित करने से वो आशार्थी जो वास्तव में उक्त पद का तकनीकी ज्ञान रखते हैं और उक्त पद के दायित्वों और अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, चयनित हो सकेंगे और यह प्रक्रिया अपनाना पद की तकनीक को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षाकृत उचित होगा? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में आयोजित की जाने वाली आशुलिपिकों की परीक्षा में उक्त प्रक्रिया को प्रभावी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विद्यमान नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान तथा हिन्दी और अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अंग्रेजी या हिन्दी की स्टेनो की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

(3) आशुलिपिक परीक्षा की न्यूनतम योग्यता सीनियर सैकण्डरी परीक्षा ही है, जबकि आर.ए.एस./आई.ए.एस. परीक्षा की न्यूनतम योग्यता स्नातक है। जो अभ्यर्थी स्नातक हैं और आशुलिपि भी जानता है वे दोनों परीक्षाओं के लिए योग्य हैं। लेकिन यदि कोई अभ्यर्थी शीघ्रलिपि की योग्यता

(कार्मिक मंत्री)

नहीं रखता तो निश्चित तौर पर द्वितीय चरण परीक्षा में नहीं बैठ सकता और यदि बैठ भी गया तो उसका चयन किसी भी प्रकार से नहीं हो पाएगा। परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी है किन्तु परीक्षा का स्तर केवल सैकण्डरी परीक्षा के समान रखा गया है जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से भी कम है। चूंकि प्रश्न पत्र मात्र सैकण्डरी योग्यता के समान होगा, अत: परिणाम को प्रभावित करने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की घोषित सम्पत्ति

375. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय सेवाओं के राज्य में पदस्थापित अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण प्रतिवर्ष कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक है? यदि हां, तो गत दो वर्षों के प्रस्तुत सम्पत्ति के ब्यौरे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनेकों अधिकारियों ने इसकी पालना नहीं की जिन्हें काली सूची में डाल दिया गया है? ऐसे अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) काली सूची में डाले गये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। गत दो वर्षों के प्रस्तुत किए गए सम्पत्ति के ब्यौरे का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। यह सही है कि कुछ अधिकारियों ने इसकी पालना नहीं की है। विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, जिनके एक वर्ष से अधिक अवधि के सम्पत्ति विवरण बकाया है उन्हें वरिष्ठ पद पर पदोन्नति/विदेश यात्रा/विदेश प्रशिक्षण/केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तब तक विचार नहीं किया जावेगा जब तक कि उनके बकाया अचल सम्पत्ति विवरण प्राप्त नहीं हो जाते।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राजकीय उपक्रमों में उत्पन्न शीरे का लेखा-जोखा

376. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में शुगर बनाने वाली श्रीगंगानगर शुगर मिल्स एवं केशवरायपाटन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में उत्पन्न होने वाले शीरे का लेखा-जोखा किस प्रकार से रखा जाता है? वर्ष जनवरी, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के सक्षम अधिकारी उक्त शुगर मिल्स के शीरे का भौतिक सत्यापन किसी ऐजेंसी से कराते हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 के मध्य कब-कब और किस-किस के द्वारा उक्त मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया? भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शुगर मिल्स के करोड़ों रुपये के शीरे की अनियमितता गत वर्ष नवम्बर माह में उजागर हुई थी? यदि हां, तो इसकी जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस प्रकार समय-समय पर अचानक किए गए निरीक्षणों से ये तथ्य उजागर होते हैं कि करोड़ों रुपये के शीरे का दुरुपयोग कर लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं और शुगर मिल्स को नुकसान पहुंचाते हैं? यदि हां, तो क्या अब तक इस तरह की अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया गया है तथा उनसे राशि वसूल की गई?

(5) क्या भविष्य में शीरे के रख-रखाव और उससे होने वाली आय शुगर मिल्स को पूरी प्राप्त हो इसकी व्यवस्था हेतु कोई कदम उठाए गए हैं? क्या उक्त सम्बन्ध में उठाए गए कदमों के पश्चात् गत वर्षों की तुलना में आय की वृद्धि हुई? यदि हां, तो कितनी, तुलनात्मक विवरण माहवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उत्पादित शीरे का लेखा-जोखा केन्द्रीय आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में प्रतिदिन प्रतिपादित शीरे के कुल वजन के कुल योग के आधार पर रखा जाता है।

माह जनवरी, 2001 से माह दिसम्बर, 2001 तक उत्पादित शीरे का विवरण निम्नानुसार है :-

माह	शीरा (क्वि. में)
जनवरी, 2001	13209.96
फरवरी, 2001	10409.68
मार्च, 2001	514.58
अप्रैल से दिसम्बर, 2001	निल
कुल उत्पादन	**24134.22 क्वि.**

(2) जी नहीं। उत्पादित शीरे का भौतिक सत्यापन आबकारी विभाग तथा श्रीगंगानगर शुगर मिल्स के अधिकारियों/कर्मचारियों की समय-समय पर गठित कमेटी द्वारा किया जाता है। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(आबकारी मंत्री)

(3) जी नहीं। गत वर्ष माह नवम्बर, 2001 में शीरे की कोई अनियमितता उजागर नहीं हुई है।

(4) माह जून, 2001 में किए गए भौतिक सत्यापन में पाई गई क्षति एवं कमी के लिए प्रयोगशाला प्रभारी को निलम्बित किया जाकर आश्वनशाला रसायनिज्ञों एवं प्रभारी सहित 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर तद्नुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। शीरे के रख-रखाव एवं शोधित प्रासव हेतु नए टैंक लगाए जाकर शीरे के रिसाव की क्षति को रोका गया है। पूर्व में भूमिगत पिट में शीरे के भण्डारण की प्रणाली को समाप्त कर शोधित प्रासव हेतु नये फरमण्टेशन टैंक लगाये गये हैं तथा शोधित प्रासव पर पड़ने वाले प्रभावों को भी नियंत्रित किया गया है। गत वर्षों की तुलना में आय में वृद्धि का आकलन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही सुलभ कराया जा सकेगा।

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अनुसूचित जाति क्षेत्र में पूर्ण नशाबंदी

377. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार "अनुसूचित जाति क्षेत्र" में पूर्ण नशाबंदी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि शराब के कारण ही जनजातीय समुदायों में आर्थिक बदहाली है एवं कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है?

(3) प्रतापगढ़ उप खण्ड के किस-किस पुलिस थानों में शराब में नाना प्रकार के जुल्म दर्ज किए गए हैं? क्या पुलिस थानों के कर्मचारियों ने भी शराब में कईं अपराधिक कृत्य किये हैं?

उत्तर

(1) वर्तमान आबकारी नीति में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। यह भी एक कारण है।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना अनुसार प्रतापगढ़ उप खण्ड के थानों में पंजीकृत आबकारी अभियोगों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष 2001	वर्ष 2002 (माह फरवरी तक)
1.	प्रतापगढ़	16	2
2.	अरनोद	29	4
3.	सालमगढ़	23	8
4.	सुहागपुरा	5	1
5.	धमोतर	7	3
6.	रठांजना	13	4
7.	जाखम	7	3
योग		100	25

(आबकारी मंत्री)

जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना अनुसार उपरोक्त पुलिस थानों के कर्मचारियों द्वारा शराब पीकर कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया जाना सूचित किया गया है।

शराब की तस्करी पर रोक

378. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार देशी व अंग्रेजी शराब की तस्करी को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रति आइटम लेबल सहित कीमत निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्ष 2002-03 के लिए मदिरा समूहों की कुल आरक्षित राशि रुपये 866.49 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है।

वर्ष 2001-02 के लिए जो मदिरा समूह मूल आरक्षित राशि पर उठे थे उनकी मूल आरक्षित राशि में साढ़े बारह प्रतिशत जोड़कर तथा जो मदिरा समूह मूल आरक्षित राशि में कमी करने के पश्चात् उठे थे, उनकी प्राप्त राशि में साढ़े बारह प्रतिशत जोड़कर वर्ष 2002-03 की आरक्षित राशि निर्धारित करने का प्रावधान किया गया, परन्तु किसी भी समूह की वर्ष 2002-03 की आरक्षित राशि वर्ष 2001-02 की प्राप्त राशि से कम नहीं की गयी है। सूची परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

वर्ष 2002-03 के लिए जो ठेके अब तक स्वीकृत किये गये हैं उन समूहों के नाम ठेका राशि तथा व्यक्ति जिनको ठेके स्वीकृत किये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

दिनांक 13.3.2002 तक जिन मदिरा समूहों के ठेकों के लिए निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं उनका विवरण परिशिष्ट ''स'' में संलग्न है। जहां तक निविदाएं नहीं आने के कारणों का प्रश्न है- प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से व्यवसाय में भावी लाभदेयता एवं उसके पास उपलब्ध संसाधनों के आकलन के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करने अथवा नहीं करने का निर्णय करता है। किसी भी व्यक्ति को निविदा प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

मदिरा समूहों के ठेके एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के तहत दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत अनुज्ञाधारी अपने विवेकानुसार मदिरा का खुदरा मूल्य का निर्धारण करता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सहायक आबकारी अधिशासी के पदों पर पदोन्नति

379. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आबकारी विभाग के आदेश संख्या 307, 126, 394 व 674 क्रमशः दिनांक 12.6.1995, 6.2.1996, 16.7.1997 व 23.9.1998 के आधार पर वर्ष 1995-96 व 1997-98 में सहायक आबकारी अधिशासी के पदों पर पदोन्नति की गई? यदि हां, तो किन-किन की? जारी किए गए आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विभागीय आदेश प.1(सी)(1) संस्था/आब./2000/954 दिनांक 30.8.2000 के द्वारा पदोन्नतियां वर्ष 1989-90 की अपेक्षा 1993-94 से किये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 30.8.2000 को जारी आदेश के विपरीत कतिपय आबकारी निरीक्षक न्यायालयों की शरण में गये? यदि हां, तो कौन--कौन एवं कब-कब? विवरण मय प्रकरण की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बाबत न्यायालयों द्वारा निर्णय दिये जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा पदोन्नतियां नहीं दी गई? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को और क्यों? क्या किसी न्यायालय सम्बन्धी आदेश पर स्थगन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार निर्णीत प्रकरणों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना के कारण पदोन्नति समितियों का पुनर्विचार/पुनरावलोकन आवश्यक हो गया है? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि आबकारी विभाग से आदेश 1281, 1076 क्रमशः दिनांक 25.10.1989 व 17.9.1992 से विभाग द्वारा आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय से ग्रेड प्रथम के पदों पर रिक्ति वर्ष 1998-90 के आधार पर पदोन्नति दी गई थी? यदि रिक्ति वर्ष क्रमशः 1995, 96, 97 व 98 में जारी पदोन्नति आदेशों में भी ज्यों की त्यों कायम रखा गया और इसी रिक्ति वर्ष पर पदोन्नति के आधार पर वर्ष 1995-96 व 1997-98 व 1998-99 में निरीक्षकों को सहायक आबकारी अधिशासी पद पर पदोन्नत किया गया था? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी समस्त जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पदोन्नति आदेशों की प्रति परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(2) पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष आरक्षित पदों हेतु पात्रता जोन 6 गुणा तक बढ़ाये जाने के स्थान पर 3 गुणा तक ही सीमित रखने के कारण जितने आरक्षित पद बनते थे, आरक्षित संवर्ग के उतने व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इन व्यक्तियों का चयन वर्ष 1989-90 के स्थान पर 1993-94 में किया गया।

(3) जी हां। आदेश दिनांक 30.8.2000 के विरुद्ध निम्न आबकारी निरीक्षकों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है :-

1. श्री भंवरलाल मालाकार, अपील संख्या 3026/2000 दिनांक 28.10.2000
2. श्री घीसालाल मीणा, अपील संख्या 3027/2000 दिनांक 28.10.2000
3. श्री नाथूलाल वर्मा, अपील संख्या 3028/2000 दिनांक 28.10.2000
4. श्री कमलकृष्ण शर्मा, अपील संख्या 3021/2000 दिनांक 25.10.2000

वांछित विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार संलग्न है।

(4) जी नहीं। प्रश्न के खण्ड-3 के उत्तर में अंकित चार अपीलार्थियों में से एक अपीलार्थी श्री कमलकृष्ण शर्मा के सम्बन्ध में पारित निर्णय में श्री कमलकृष्ण की पदोन्नति वर्ष 1989-90 के स्थान पर 1993-94 से दिये जाने के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दिनांक 12.12.2001 प्रस्तुत की गई है। जी नहीं, न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। शेष सभी प्रकरणों से निर्णय होना बाकी है।

(5) जी हां। निर्णयोपरान्त नियमानुसार शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) जी हां। न्यायिक निर्णयों की पालना में पुनरावलोकन आवश्यक है।

(7) जी हां। जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति में अनियमितताएं

380. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.4(2) कार्मिक/क-2/अप्र/91 दिनांक 10.1.2002 जारी होने के बावजूद आबकारी विभाग के पदोन्नति आदेश दिनांक 7.2.2002 से अ.जा./ज.जा. के आबकारी निरीक्षकों की

(श्री ललित भाटी)

पदोन्नति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो किन-किन पर एवं क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 7.2.2002 द्वारा पूर्व चयनित व्यक्तियों को चयन से वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्यों एवं किन आधारों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 7.2.2002 के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में गये व्यक्तियों के पक्ष में न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात् भी उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो किन कारणों से? न्यायिक आदेश एवं पदोन्नति से वंचित रखे जाने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 7.2.2002 के विरुद्ध कतिपय प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार दिनांक 7.2.2002 के आदेश को निरस्त कर पूर्व स्थिति को बहाल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि आबकारी विभाग के आदेश क्रमांक प.1/सी/2/संस्था/आब./2002/77 दिनांक 21.2.2002 द्वारा कतिपय व्यक्तियों को वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 की पदोन्नति समिति द्वारा तदर्थ रूप से सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने को अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को एवं किन कारणों से?

(7) क्या यह भी सही है कि आदेश क्रमांक प.4(2)कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 10.1.2002 की अनुपालना में अजा/जजा के आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति सुनिश्चित कर ली गई है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों की एवं क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 10.1.2002 का आदेश नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं किये जाने के लिए है जबकि विभाग द्वारा पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति का पुनरावलोकन कार्मिक विभाग की सहमति से किया गया है।

(2) पूर्व में चयनित कतिपय कर्मियों के विभाग द्वारा संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार इनके नाम पात्रता सूची में नीचे आने के कारण कुछ व्यक्तियों का चयन नहीं हो सका।

(3) जी नहीं। न्यायिक आदेश तथा स्थिति बनाये रखने एवं पदावनत नहीं करने तक ही सीमित है।

(आबकारी मंत्री)

(4) जी हां। प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णयों के पुनरावलोकन की कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) पुनरावलोकन की कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) जी हां। आबकारी आयुक्त द्वारा निम्न व्यक्तियों को तदर्थ रूप से सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने को अधिकृत किया गया है:–

1. श्री नाथूलाल वर्मा
2. श्री घीसालाल मीणा
3. श्री कमलकृष्ण शर्मा
4. श्री भंवर लाल मालाकार
5. श्री झबेल सिंह
6. श्री भगवान सहाय शर्मा

(7) संदर्भित आदेश की पालना की जा रही है।

सहायक आबकारी अधिकारी के पदों के लिए गठित पदोन्नति समिति द्वारा जारी आदेश

381. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आबकारी विभाग के आदेश दिनांक 7.2.2002 द्वारा वर्ष 1997–98 में सहायक आबकारी अधिकारी के दो पद वर्ष 1998–99 में दो पद रिक्त बताये गये? यदि हां, तो रिक्त पदों में अन्तर रहने के क्या कारण रहे? कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरे गये पदों में व रिक्त पदों में अन्तर होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जारी दिनांक 7.2.2002 के दोषपूर्ण आदेश को सरकार निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 7.2.2002 के पदोन्नति आदेशों में सहायक आबकारी अधिशासी पद पर 34 पदों में मात्र एक अनुसूचित जाति व एक जनजाति के आबकारी निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई है, जबकि रिक्त पद होते हुए भी व अ.जा./ज.जा. के आशार्थी आबकारी निरीक्षकों द्वारा पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यता रखते हुए भी जानबूझकर उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया? क्या ऐसा किया जाना सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा क्रमांक प.4(2) कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 दिनांक 10.1.2002 से जारी परिपत्रादि का भी उल्लंघन हुआ है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या इसी आधार पर सरकार 7.2.2002 के दोषपूर्ण पदोन्नति आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है, ताकि अ.जा./ज.जा. के आशार्थी आबकारी निरीक्षकों के साथ न्यायपूर्ण व निष्पक्ष व्यवहार सम्भव हो सके? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्यवाही कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1997–98 में आयोजित डी.पी.सी. के समक्ष उपलब्ध 7 पदों का विवरण निम्नानुसार रहा है :–

1. वर्ष 1996–97 में नहीं भरे गये पद	–	3 पद
2. वर्ष 1997–98 में नवसृजित पद	–	2 पद
3. सेवानिवृत्ति से उपलब्ध पद	–	2 पद
कुल	–	**7 पद**

दिनांक 15.1.2002 को आयोजित पुनरावलोकन डी.पी.सी. में वर्ष 1996–97 के लिए उपलब्ध समस्त पदों के भरे जाने के कारण पूर्व में उपलब्ध 3 पदों का बेक लॉग समाप्त हो गया।

सेवानिवृत्ति के उपरांत जिला आबकारी अधिकारी के 2 पदों पर पदोन्नति नहीं हो पाने के परिणामस्वरूप सहायक आबकारी अधिकारी संवर्ग में भी उक्त सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप 2 पद उपलब्ध नहीं हो सके। अतः 2 नवसृजित पदों के लिए ही डी.पी.सी. का आयोजन किया गया था।

वर्ष 1998–99 के लिए पूर्व में 7 रिक्त पदों की गणना दिनांक 15.1.2002 को वर्ष 1996–97 का पुनरावलोकन डी.पी.सी. के आयोजन से पूर्व के आधार पर ही 7 पदों के लिए की गई थी।

दिनांक 15.1.2002 को आयोजित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति के समय पूर्ववर्ती 3 पदों का बेक लॉग समाप्त हो जाने के कारण व आदेश दिनांक 6.4.1998 को सहायक आबकारी अधिकारी के 2 पद जिला आबकारी अधिकारी के पद पर क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप सहायक आबकारी अधिकारी संवर्ग के पदों की संख्या–34 से घटाकर 32 रह जाने के कारण वर्ष 1998–99 में पदोन्नति हेतु केवल 2 रिक्त पद ही उपलब्ध रहे।

(2) प्रश्न संख्या–1 के लिए दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में पदों के अन्तर को स्पष्ट कर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 7.2.2002 दोषपूर्ण नहीं है।

(3) पुनरावलोकन पदोन्नति समिति के समक्ष वर्षवार रिक्तियों के अनुसार तैयार की गई पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों हेतु पात्रता जोन को 3 गुणा बढ़ाये जाने पर अनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों के उपलब्ध नहीं होने अथवा उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण ही उपलब्ध रिक्त पद पात्रताधारी सामान्य वर्ग के आशार्थियों से भरे गये थे।

अनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों के पात्रता सूची को 5 गुणा नहीं बढ़ाये जाने के कारण पूर्व में आयोजित डी.पी.सी. का पुनरावलोकन विचाराधीन है।

जिला नागौर के ग्रामों की स्वीकृत आपातकाल योजना

382. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम देवली कल्ला, तहसील नावां (नागौर) में पिछली गर्मियों के दौरान पानी की भारी किल्लत होने पर 1.80 लाख रुपये की आपातकाल योजना स्वीकृत की गई थी? क्या स्वीकृत राशि से कराए गए कार्य से अब तक कारगर उपाय नहीं हुए हैं? क्या उक्त राशि का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य करना प्रस्तावित था? उक्त में से क्या-क्या काम हो गया है व इस राशि के व्यय से वहां की जनता को कितना लाभ कब तक हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम काटिया, सोलाया, सावंतगढ़ में पीने का पानी ठीक समय पर ही नहीं जा रहा है व पानी भी अपर्याप्त है? उक्त व्यवस्था में कब तक सुधार हो जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के लोगों को मातासुखा योजना से पर्याप्त सप्लाई देने से उन्हें पानी मिल सकता है? क्या वहां ट्यूबवैल का निर्माण और करवाया जा सकता है? क्या उक्त सम्बन्ध में कभी जांच की गई है? यदि हां, तो क्या स्कीम बनाई गई है और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या ग्राम घाटवा व चितावा की पुनर्गठित पाइप्ड योजना काफी लम्बे अरसे से स्वीकृति के लिए लम्बित है? अब कब तक उक्त योजना स्वीकृत कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम देवलीकलां में 2 खुले कुएं स्थित है। पिछली गर्मियों में 1 खुला कुआं सूख गया था तथा दूसरे कुएं से मात्र 4 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल वितरण सम्भव हो पा रहा था। पिछली गर्मियों में पानी की समस्या को देखते हुए 1.81 लाख रुपये की आपातकालीन योजना स्रोत सम्वर्द्धन हेतु स्वीकृत की गई थी जिससे सूखे हुए कुएं में बेबीवैल का निर्माण तथा होरिजेंटल बोरिंग का कार्य प्रस्तावित किया गया था उक्त कार्य को पूर्ण कर दिया गया है एवं स्रोत में पानी की आवक भी बढ़ी है तथा जल वितरण स्तर जो कार्य करवाने से पूर्व 4 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था बढ़कर 13 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया है एवं वर्तमान में इसी स्रोत से योजना पर जल वितरण किया जा रहा है तथा दूसरा कुआं वर्तमान में सूख चुका है।

(2) जी नहीं। ग्राम सोलाया को स्थानीय स्रोत (कुआं) से जल वितरण किया जा रहा है एवं वर्तमान सर्विस लेवल 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लगभग है। गांव सावंतगढ़ में मातासुखा स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं यह

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजना का अन्तिम छोर का गांव है। विद्युत उपलब्धता में व्यवधान या कमी होने पर अन्तिम छोर का गांव होने से कभी–कभी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन साधारणतया 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल वितरित किया जा रहा है। ग्राम काटिया को स्थानीय स्रोत (खुला कुआं) से जल वितरण किया जाता है एवं पेयजल उपलब्धता 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक नहीं है स्रोत सम्वर्द्धन के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु तकनीकी परीक्षण में है।

(3) जी नहीं। ग्राम काटिया, सोलाया एवं सांवतगढ़, मातासुखा क्षेत्रीय योजना से पूर्व में ही जुड़े हुए हैं। किन्तु वर्तमान में इस योजना के तहत इन गांवों में केवल सांवतगढ़ को ही पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। क्योंकि मातासुखा क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा के कारण भू–जल स्तर गिरने के साथ पानी की गुणवत्ता में भी ह्रास हुआ है। वर्ष 2001 की वर्षा के मौसम के बाद मातासुखा स्रोत के रासायनिक परीक्षण करवाने पर क्लोराइड की मात्रा 1150 पी.पी.एम. एवं टी.डी.सी. की मात्रा 3260 पी.पी.एम. पाई गई है जो कि विभागीय मापदण्ड क्रमशः 1000 पी.पी.एम. तथा 3000 पी.पी.एम. से अधिक है। अतः मातासुखा स्रोत के रासायनिक परीक्षण से प्राप्त परिणामों के अनुसार मातासुखा में और नलकूप बनाना उचित नहीं है।

(4) ग्राम घाटवा व चितावा की पुनर्गठित जलयोजना तकनीकी परीक्षण में है। जिसकी स्वीकृति प्राथमिकता, उपलब्ध संसाधनों एवं बजट उपलब्धि के आधार पर सम्भव हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के पेयजल रहित ग्राम/ढाणियां

383. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पेयजल की कितनी योजना कार्यरत है और कितनी विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने राजस्व गांव एवं चयनित ढाणियां पेयजल से वंचित हैं? क्या उनके लिए अब तक ग्रामीण जल प्रदाय योजना नहीं बनाई गई? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्रामों एवं चयनित ढाणियों में ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनाकर कब तक पानी पहुंचाया जा सकेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कुल 143 राजस्व गांव तथा एक शहर धौलपुर शामिल है। सभी 143 राजस्व ग्रामों को

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

निम्न विवरण अनुसार विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है।

क्र. सं.	योजना का नाम	योजनाओं की सं.	लाभान्वित ग्राम
1.	पाइप्ड	6	6
2.	पी एण्ड टी	2	2
3.	क्षेत्रीय	5	25
4.	हैण्ड पम्प योजना	110	110
		कुल	143

शहरी धौलपुर को शहरी जल योजना धौलपुर के अन्तर्गत निजी घरेलु जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल वितरित किया जा रहा है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की कोई भी योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के कुल 143 राजस्व गांव है जो सभी प्रश्न नं.-1 के उत्तर में निहित विवरण अनुसार विभिन्न प्रकार की जल योजनाओं से लाभान्वित किये जा चुके हैं एवं चयनित सभी 139 ढाणियों को विभागीय नार्म्स अनुसार हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

(3) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या-2 के उत्तर में निहीत है।

पुष्कर नगर की सीवरेज लाइन

384. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर नगर में सीवरेज लाइन बिछा दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि पुष्कर नगर में गौतम आश्रम, लक्ष्मी वैंकटेश्वर आश्रम, वैदिक आश्रम, पुष्टि कैम्प के पास सीवरेज लाइन नहीं डाली गई है, जिससे उक्त धार्मिक स्थलों के पास गंदगी रहती है?

(3) क्या सरकार 200 मीटर सीवरेज लाइन शीघ्र डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पुष्कर नगर में समय समय पर विभिन्न चरणों में स्वीकृत हुई योजनाओं के अनुरूप सीवर लाइन बिछाई गई है।

(2) जी हां। पुष्कर नगर में गौतम आश्रम के साइड वाली गली, जिसमें लक्ष्मी वैंकटेश्वर आश्रम, वैदिक आश्रम एवं पुष्कर टूरिस्ट कैम्प नामक गैस्ट हाउस स्थित है, में सीवर लाइन नहीं है।

(3) वर्तमान में पुष्कर नगर में अतिरिक्त सीवर लाइन डाले जाने की कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। अतः उस क्षेत्र में सीवर लाइन डाला जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की स्वीकृत पेयजल योजना

385. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ग्रामीण जनता व नगरपालिका क्षेत्र में किस-किस योजनाओं के तहत पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है?

(2) वर्ष 1994 से फरवरी, 2002 तक कौन-कौनसी किस-किस क्षेत्र में पीने के पानी की विभिन्न योजनायें स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बांदीकुई में कुल कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं और कितने लगकर चालू हो गये हैं? वर्तमान में कितने चालू हालत में हैं, कितने खराब हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 2 शहर क्रमशः बसवा, बांदीकुई एवं 207 आबाद ग्राम सम्मिलित हैं। जिनमें से शहर बसवा एवं बांदीकुई में शहरी जलप्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत निजी घरेलु जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल वितरित किया जा रहा है तथा 207 ग्रामों में से 5 ग्रामों में पाइप्ड जल योजना, 12 ग्रामों में पम्प एवं टैंक जल योजना, 4 ग्रामों में क्षेत्रीय जल योजना एवं 185 ग्रामों में हैण्ड पम्प योजना से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक गांव की आबादी 20 से कम होने के कारण मानदण्डों के अनुरूप किसी भी प्रकार की योजना से लाभान्वित नहीं है।

(2) वर्ष 1994 से फरवरी, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के विभिन्न क्षेत्रों में पीने के पानी की स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल स्थापित 1288 हैण्ड पम्पों में से 1112 हैण्ड पम्प चालू है एवं 176 हैण्ड पम्प सूखे/अवरुद्ध हैं। शेष स्वीकृत 20 हैण्ड पम्पों में से 11 हैण्ड पम्प बिन्दुओं पर विवाद एवं रिग की पहुंच नहीं है एवं 9 हैण्ड पम्प जो कि इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुए हैं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्राम बस्सी एवं कसारवाड़ी (बांसवाड़ा) में पेयजल समस्या

386. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में जनता जल योजना में कौन-कौन से गांव का चयन हुआ

(श्री फतेह सिंह)

तथा किस-किस गांव में उक्त योजना चालू की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में बस्सी व कसारवाड़ी गांव में विभाग द्वारा जनता जल योजना चालू की गई थी?

(3) उक्त दोनों योजनाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त दोनों योजनाओं द्वारा गांव बस्सी व कसारवाड़ी के ग्रामीणों को पेयजल अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त दोनों ही योजनाओं की स्कीमें किन-किन अधिकारियों द्वारा तैयार की गई थी तथा उसमें हुई अनियमितताओं की जांच क्या सरकार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार बस्सी व कसारवाड़ी गांव के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल 19 गांवों में जनता जल योजनाएं चयनित हुई हैं। इन सभी योजनाओं का आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन पूर्ण हो चुका है। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में जल योजना बस्सी का क्रियान्वयन माह जनवरी, 2001 में पूर्ण हो गया था। योजना की स्वीकृति पूर्व पंचायत द्वारा प्रदत्त संकल्प पत्र के अनुसार जनता जल योजना के अन्तर्गत पंचायत को संधारण करना था। पंचायत को पत्र द्वारा सूचित करने के उपरान्त भी उनके द्वारा योजना चार्ज में नहीं ली गई। वर्तमान में यह पम्प एवं टैंक योजना बन्द है। गांव की 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी-2102 है तथा वर्तमान में 12 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। ग्राम कसारवाड़ी की योजना का क्रियान्वयन माह जनवरी, 2001 में पूर्ण हो गया था उसके पश्चात् योजना जनता जल योजना पेटर्न पर पंचायत द्वारा लगातार चलाई जा रही है। गांव में अतिरिक्त 12 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं।

(3) योजना बस्सी एवं कसारवाड़ी पर क्रमशः 17.53 लाख रुपये तथा 22.03 लाख रुपये व्यय किये गये।

(4) उत्तर प्रश्न 2 के उत्तर में निहित।

(5) उक्त दोनों योजनाएं विभागीय प्रक्रिया के अनुसार कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाने के बाद विभिन्न स्तरों पर तकनीकी जांच के बाद सक्षम स्तर पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वीकृत की गई। योजनाओं का क्रियान्वयन स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार किया गया तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।

(6) ग्राम बस्सी में जल योजना के संधारण का दायित्व ग्राम पंचायत द्वारा लेते ही योजना चालू हो सकेगी। शेष प्रश्न 2 के उत्तर में निहित।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डग में सहायक अभियन्ता कार्यालय का स्थानान्तरण

387. श्री मदन लाल वर्मा (डग): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र डग में सहायक अभियन्ता कार्यालय भवानी मण्डी में कार्यरत है और भवानी मण्डी-II के नाम से कार्यरत है? क्या भवानी मण्डी से डग की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है तथा उक्त कार्यालय का कार्य क्षेत्र भी डग है?

(2) क्या सरकार उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण डग में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भवानी मण्डी से डग की दूरी 60 किमी. है और उक्त कार्यालय (सहायक अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, उपखण्ड भवानी मण्डी-II) का कार्यक्षेत्र गंगधार तहसील है तथा डग भी इसी तहसील में आता है।

(2) जी नहीं।

जैसलमेर जिले की जल प्रदाय योजनाओं का विद्युतीकरण

388. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में जल प्रदाय योजनाएं डीजल इंजनों से चलायी जाती हैं? उक्त योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डीजल से चलने वाली जल प्रदाय योजनाओं में वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में कितना डीजल आमद व रख–रखाव पर व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डीजल से संचालित स्कीमों का विद्युतीकरण करने की क्या योजना है?

(4) क्या सरकार भविष्य में जो योजना स्वीकृत होती है उसका विद्युतीकरण भी साथ में कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में कुल 214 जलप्रदाय योजनाएं हैं जिसमें 48 योजनाएं डीजल जनरेटिंग सैट से चलाई जा रही हैं। विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त डीजल से चलने वाली जलप्रदाय की योजनाओं में वर्ष 2000-2001 में एवं वर्ष 2001-2002 (2/2002 तक) में डीजल ऑयल व्यय एवं रख-रखाव पर निम्नानुसार खर्चा किया गया :-

वर्ष	डीजल ऑयल व्यय (रुपये लाखों में)	रख-रखाव पर व्यय (रुपये लाखों में)
2000-2001	264.28	9.17
2001-2002 (2/2002 तक)	218.21	12.59

(3) उक्त डीजल संचालित योजनाओं में से 8 योजनाओं के विद्युतीकरण हेतु कुल रुपये 39.08 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिन्हें विद्युत विभाग में जमा करा दिया गया है। शेष स्कीमों के विद्युतीकरण बाबत आपेक्षिक व्यय (पूंजीगत तथा संधारण व्यय) व साइट फिजिबिलिटी सिद्धान्त पर अध्ययन कर धन उपलब्धि अनुसार कार्यवाही करना सतत् प्रक्रिया में है।

(4) योजनाओं की स्वीकृति के समय ही विद्युतीकरण हो इसका ध्यान रखा जाता है। जहां की पावर लाइन दूर हो एवं विद्युतीकरण का खर्च बहुत ही अधिक हो केवल ऐसे मामलों में योजनाओं में डीजल चालन स्वीकृत किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की कार्यरत जनता जल योजना

389. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में कहां-कहां पर टी.एस.एस./जनता जल योजना कार्यरत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार टी.एस.एस. योजना को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में कुल 23 टी.एस.एस. एवं 24 जनता जल योजना कार्यरत है। सूची परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' में संलग्न है।

(2) जी नहीं। टी.एस.एस. योजनाओं को जनता जलयोजना में बदलने का प्रावधान है जिसमें अनुदान राशि अधिक हो जाती है। भारतीय संविधान में हुए 73वें संशोधन के अनुसार पेयजल कार्य ग्राम पंचायत का कार्य है। अतः इस प्रकार की योजनाओं को विभाग द्वारा वापस लिया जाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

राज्य में पेय जल से लाभान्वित ग्राम

390. **श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में वर्तमान में पंचायत समितिवार कुल कितने गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है तथा कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पीने के पानी की सुविधा से लाभान्वित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार राजस्थान प्रांत में कुल गांवों की संख्या 37889 है। पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में परीवीक्षण जिलेवार किया जाता है। फरवरी, 2002 तक कुल 37613 ग्राम किसी न किसी प्रकार की पेयजल योजना से लाभान्वित किये जा चुके हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उपरोक्तानुसार 1991 की जनगणना के आधार पर प्रांत की लगभग 92.00 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित की जा चुकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

स्वीकृत योजनाओं के संचालन में मजदूरों की कमी

391. **श्री अमीन खान (शिव) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत 11 वर्षों से मजदूर लेने पर पाबन्दी है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में उक्त अवधि में योजनाएं 20 गुना बढ़ी हैं? यदि हां, तो क्या मजदूरों की कमी के कारण उक्त योजनाओं का सुचारू रूप से कार्य नहीं चलता है?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यों के कारण मजदूरों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) संदर्भित विषय में लेख है कि यह एक वास्तविकता है कि पिछले 10 वर्षों में काफी संख्या में नये गांव एवं ढाणियां पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित हुई हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार पुराने स्रोतों की स्थिति को देखकर लगभग सभी योजनाओं का संवर्धन भी हुआ है। इसके कारण पिछले 10 वर्षों में संधारण कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह भी वास्तविकता है कि पिछले कई वर्षों में संधारण के संदर्भ में नई भर्ती नहीं हुई है। अतः संधारण में दिक्कत आना अवश्यम्भावी है। इसको दृष्टिगत रखकर विभाग ने निम्न प्रकार अतिरिक्त व्यवस्था की है:-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(अ) वर्ष में मौसम के अनुसार पेयजल की मांग एवं तद्नुसार स्टाफ की आवश्यकता घटती बढ़ती रहती है। ग्रीष्मकाल में जब पेयजल की अत्यधिक मांग होती है उस समय स्टाफ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार संविदा श्रमिक रखने की स्वीकृति राजस्थान के सभी जिलों में दी जाती है। उदाहरणार्थ ग्रीष्म, 2001 में पूरे प्रांत में कार्यभार के अनुसार 2190 संविदा श्रमिकों को रखा गया। इसी प्रकार की स्वीकृति वर्ष 2002 हेतु भी जारी की जा चुकी है।

(ब) जहां पर नियमित स्टाफ कम संख्या में है वहां के लिए नीतिगत रूप से निर्णय लिया जा चुका है कि संधारण का कुछ कार्य आवश्यकतानुसार ठेके पर करवाया जावे ताकि पेयजल उत्पादन तथा वितरण समस्या नहीं रहे।

(स) इस दौरान तकनीकी क्षेत्र में हुए विकास का भी योजनाओं पर फायदा लिया जाता है। उदाहरणस्वरूप पहले यदि एक नलकूप 24 घंटे प्रतिदिन चलाना होता तो उसके संचालन के लिये 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। अब हुए तकनीकी विकास के अनुसार नलकूपों पर आटोमैटिक स्टार्टर लगा दिए जाते हैं जिससे एक क्षेत्र में स्थित कई सारे नलकूपों का रख-रखाव एवं संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सके। इस प्रकार तकनीकी विकास का उपयोग इस दृष्टि से भी किया गया है कि संधारण में कम व्यक्तियों की आवश्यकता रहे। इस प्रकार पूर्ण प्रयत्न किया गया कि मजदूरों की कमी के कारण योजना के संधारण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े।

(3) वर्तमान में नहीं। शेष प्रश्न 2 के उत्तर के अनुसार।

पंचायत समिति बालोतरा के ग्रामों के लिए स्वीकृत पेयजल योजना

392. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पंचायत समिति बालोतरा के ग्रामों के लिए इंदिरा गांधी नहर जोधपुर से पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है? यदि हां, तो कुल कितने ग्रामों को? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्दिरा गांधी नहर से पंचायत समिति बालोतरा में पीने के पानी देने की योजना में बाग श्री बाबल की ढाणी, डोला कला, सेना नाडा, डोली कला आदि को योजना में सम्मिलित किया गया है?

(श्री अमराराम चौधरी)

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है? यदि हां, तो योजना की क्रियान्विति कब तक हो जाएगी?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर से आरम्भ हुई राजीव गांधी लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण की रुपये 135.05 करोड़ राशि की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। उक्त स्वीकृति परियोजना में राजीव गांधी लिफ्ट नहर की क्षमता बढ़ाने, पम्पिंग स्टेशन आदि का कार्य प्रस्तावित है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से विभिन्न ग्रामों हेतु जल वितरण सम्बन्धी कार्य इस स्वीकृति में सम्मिलित नहीं है। स्वीकृत परियोजना में तहसील पचपदरा (पंचायत समिति बालोतरा) के 68 गांवों की पेयजल मांग सम्मिलित है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बिन्दु सं. 1 के उत्तर में वर्णित योजना की राजीव गांधी लिफ्ट नहर को स्रोत लेते हुए एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना उम्मेद सागर-कल्याणपुर, समदड़ी, खण्डप स्वीकृति बाबत सक्षम स्तर को भेजने के लिए तैयार की गई है, जिसमें तहसील पचपदरा (पंचायत समिति बालोतरा) के 25 ग्राम सम्मिलित हैं। ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। इस योजना में केवल एक ग्राम डोली कलां को सम्मिलित किया गया है। इसकी दोनों ढाणियां क्रमशः बाग श्रीबाबल की ढाणी (डोली कलां) व सेलानाडा (डोली कलां) चिन्हित ढाणियां नहीं हैं।

(3) बिन्दु सं. 2 के उत्तर में वर्णित योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

393. **श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में गत तीन वर्षों में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई और कितनी ढाणियों को पानी की स्कीम से जोड़ा व कितनी ढाणियां शेष रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला नागौर के मूण्डवा व कुचेरा तथा वाउसर की स्वीकृत योजना चालू हो गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या बासनी बहलीया के लिए कोई योजना बनी है? यदि हां, तो कब तक स्वीकृत हो जायेगी और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मूण्डवा में गत तीन वर्षों में कुल 97 योजनाएं स्वीकृत की गई। उक्त योजनाओं में शामिल 82 गांव व 39 ढाणियों में से 75 गांव व 24 ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिला नागौर की कुचेरा तथा ताउसर की स्वीकृत योजनाओं पर सारे कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं तथा वर्तमान सेवा स्तर लगभग 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है।

मूण्डवा योजना पर स्रोत रूण पर बिजली के डायरेक्ट फीडर के अतिरिक्त सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। बिजली का डायरेक्ट फीडर का कार्य मार्च, 2002 के द्वितीय सप्ताह में पूरा हो गया है तथा अब विद्युत उपलब्धि पूरी है। राइजिंगमैन, जो कि लगभग 16 किलोमीटर लम्बी है, का टैस्टिंग प्रगति में है। इसी ग्रीष्म ऋतु में मूण्डवा योजना को लाभान्वित किया जाना लक्षित है। उपरोक्त से वर्तमान सेवा स्तर 50 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो जावेगा तथा अधिक फ्लोराइड की समस्या का निदान हो जावेगा।

(3) जी हां। ग्राम बासनी बेलिमा के लिए एक सम्वर्द्धन योजना अनुमानित लागत 125.73 लाख का प्रारूप बनाया गया है। योजना वर्तमान में तकनीकी परीक्षण में है। योजना सही पाये जाने पर प्राथमिकता तथा धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति बाबत निर्णय सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

सवाईमाधोपुर के ग्रामों की स्वीकृत पेयजल योजना

394. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 1500 से 4000 की आबादी वाले गांवों में हैण्ड पम्प योजना से पी. एण्ड टी. योजना में स्वीकृत करने की नीति सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो क्या सवाईमाधोपुर के ग्राम जीवद, बागंडौली, गुजर बडौदा, बैरखण्डी, कटेल, बपुई, बैराड़ा एवं मामडौली गांवों की योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं? प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाएं कब एवं कितनी-कितनी राशि की प्रस्तावित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। अब इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1500 से 4000 की आबादी वाले गांवों में हैण्ड पम्प से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तन स्वीकृत किया जा सकता है। प्रश्न में वर्णित 8 गांवों में हैण्ड पम्प से पम्प एवं टैंक योजना परिवर्तन के प्रस्ताव

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

बनाने, स्वीकृति आदि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) योजनाएं कब एवं कितनी अनुमानित राशि की प्रस्तावित की गई, की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उक्त योजनाएं स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर प्राप्त होने पर तकनीकी रूप से सही पाये जाने पर, ग्रामवासियों की सहमति, प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

पूगल तहसील की ग्राम पंचायतों का बीकानेर तहसील में विलय

395. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूगल तहसील की ग्राम पंचायत कावनी, जैमलसर, जालवाली व कालासर के गांवों की दूरी बीकानेर तहसील व जिला मुख्यालय के मुकाबले कम है? यदि हां, तो तुलनात्मक दूरी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायतों को पुन: बीकानेर तहसील में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा राज्य सरकार से मांग की जा रही है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में अभी तक प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार उक्त ग्राम पंचायतों के गांवों को कब तक बीकानेर तहसील में सम्मिलित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पूगल तहसील की ग्राम पंचायत कावनी, जैमलसर, जालवाली व कालासर के गांवों की दूरी बीकानेर तहसील व जिला मुख्यालय के मुकाबले कम है। तुलनात्मक दूरी का विवरण निम्नानुसार है :–

ग्राम पंचायत का नाम	दूरी कि.मी.	
	पूगल	बीकानेर
1. कावनी	60 कि.मी.	35 कि.मी.
2. जैमलसर	65 कि.मी.	35 कि.मी.
3. जालवाली	46 कि.मी.	35 कि.मी.
4. कालासर	72 कि.मी.	55 कि.मी.

(2) जी हां। उक्त ग्राम पंचायतों को पुन: तहसील बीकानेर में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र के निवासियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है। प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

(3) इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाकर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम जनकसिंहपुरा तहसील बहरोड़ में भू-आबंटन

396. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जनकसिंहपुरा, तहसील बहरोड़ में अ. ख. नं. 35 व 37 में कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर दिनांक 26.7.1993 को श्रीमती अनारो देवी माता श्री सरदार सिंह के नाम से आबंटित किया गया था? क्या उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो आबंटन के कितने दिन बाद?

(2) क्या उक्त भूमि में से बेचान हो गया है? यदि हां, तो क्या भू-आबंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है? क्या उक्त बाबत सरकार ने आबंटन निरस्त करने बाबत कोई कार्यवाही की है?

(3) क्या यह सही है कि जनकसिंहपुरा, तहसील बहरोड़ में दिनांक 26.7.1993 में ग्राम महसरा, तहसील तिजारा में दिनांक 6.4.1995 को आबंटी एक ही है? यदि हां, तो फिर जनकसिंहपुरा में श्रीमती अनारो देवी माता श्री सरदार सिंह, निवासी खोहर तथा ग्राम महसरा में श्रीमती अनारोदेवी पत्नी श्री मातो सिंह, राजपूत निवासी खोहर को लिखा है?

उत्तर

(1) ग्राम जनकसिंहपुरा तहसील बहरोड़ में आ.ख.नं. 35 रकबा 2.38 हैक्टेयर एवं ख.नं. 37 मि. रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल 2.95 हैक्टेयर भूमि का आबंटन जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 28.7.1993 को अनारो देवी माता मृतक सैनिक सरदार सिंह राजपूत नि. खोहर तहसील बहरोड़ को किया गया था। यह आबंटित भूमि आबंटी के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी में दर्ज है। आबंटी द्वारा काश्त नहीं किये जाने के कारण आबंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त आबंटित भूमि में से बेचान नहीं हुआ है। आबंटी राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है।

(2) उक्त आबंटित भूमि में से बेचान नहीं हुआ है। आबंटी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है।

(3) यह सही है कि श्रीमती अनारो देवी को जिला कलक्टर अलवर द्वारा ग्राम जनकसिंहपुरा तहसील बहरोड़ में दिनांक 26.7.1993 को व ग्राम महेशरा, तहसील तिजारा में दिनांक 6.4.1995 को भूमि आबंटन की गई है। दोनों ही आबंटनों में आबंटी एक ही है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज. भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के तहत आबंटन का प्रावधान है, जिसके तहत अनारो देवी माता शहीद सैनिक स्व. सरदार सिंह को दिनांक 26.7.1993 को जनकसिंहपुरा में 2.95 हैक्टेयर एवं दिनांक 6.4.1995 को शेष 13 बीघा का आबंटन ग्राम महेशरा में किया गया।

जिला बांसवाड़ा के सड़क विहीन ग्राम

397. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिकाओं को छोड़ कर कितने गांव ऐसे हैं जिसकी आबादी एक हजार से अधिक है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा में एक हजार से कम व पांच सौ से अधिक की जनसंख्या वाले कितने गांव हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में ऐसे कितने गांव हैं जो सड़कों से जोड़े नहीं गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं को छोड़ कर वर्ष 1991 की जनगणनानुसार एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों की संख्या 11005 है। जिलेवार गांवों की संख्या की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–'अ')

(2) जिला बांसवाड़ा में 1000 से कम व 500 से अधिक जनसंख्या वाले 409 गांव हैं। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–'ब')

(3) जिला बांसवाड़ा में 835 गांव ऐसे हैं जो सड़कों से जोड़े नहीं गये हैं। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–स)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधायक के पास नियुक्त कर्मचारी का यात्रा भत्ता

398. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधायक के पास सरकारी कार्य निष्पादन हेतु नियुक्त कर्मचारी को एक माह में अधिकतम सात दिवस का यात्रा व दैनिक भत्ता दिए जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह भी सही है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभिलेख संधारण एवं प्राप्त जन–समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से कार्मिक को साथ रखा जाना आवश्यक होता है? क्या इसी प्रकार समय–समय पर कार्मिक को राजकार्य हेतु जिला सम्भाग तथा राज्य मुख्यालय पर भी भेजा जाना आवश्यक होता है? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में कार्मिक को देय यात्रा एवं दैनिक भत्ता भुगतान की अधिकतम सात दिवस की यात्रा अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए आवश्यकतानुसार राजकीय यात्रा करने की छूट प्रदान करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 4 (25) राज-1/2000 दिनांक 28.6.2001 के अनुसार माननीय विधायक के पास नियुक्त कर्मचारी को एक माह में अधिकतम 7 दिवस का यात्रा व दैनिक भत्ता सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त अन्तिम पदस्थापन स्थल से देय होगा। जहां वह माननीय विधायक के पास पदस्थापन से पूर्व पदस्थापित था। यात्रा व दैनिक भत्ते का भुगतान माननीय विधायक द्वारा सत्यापन किये जाने पर किया जायेगा। यात्रा व दैनिक भत्ता भुगतान की अधिकतम 7 दिवस की अवधि में शिथिलता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जिला बाड़मेर की ओरण भूमि पर अतिक्रमण

399. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में देवी देवताओं के नाम से चरागाह भूमि ओरण के रूप में संरक्षित रखने की परम्परा लम्बे समय से रही है? यदि हां, तो जिले में कितनी ओरणे हैं? विवरण मय रकबे के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारी अधिनियम या राजस्व कानूनों में ओरण को आज तक परिभाषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या इसके अभाव में ओरण भूमि पर अतिक्रमण और आबंटन हुये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ओरण संरक्षण की दशा में क्या कर रही है? क्या यह सही है कि संरक्षण के अभाव में ओरण उजडे हैं? यदि हां, तो उनका क्या आकलन किया गया है?

(4) ओरण भूमि पर कहां-कहां अतिक्रमण हुए? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त अतिक्रमण हटाने की क्या-क्या कार्यवाही की गई? अभियान के दौरान कितने अतिक्रमण हटे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बाड़मेर जिले में देवी-देवताओं के नाम से चरागाह भूमि ओरण के रूप में संरक्षित रखने की परम्परा लम्बे समय से रही है। इस जिले की विभिन्न तहसीलों में गै.मु. ओरण का रकबा निम्नानुसार है :-

(राजस्व मंत्री)

नाम तहसील	रकबा (बीघों में)
1. बाड़मेर	19285.39
2. शिव	137750.45
3. चौहटन	20796.42
4. रामसर	10033.36
5. गुढ़ामलानी	20279.32
6. बायतू	26162.97
7. पचपदरा	18896.50
8. सिवाना	30298.52
योग	**283522.93**

(2) जी हां। ओरण भूमि देवी देवताओं के नाम छोड़ा गया वन (बीड़) क्षेत्र है। अन्य भूमि की तरह से ओरण भूमि पर हुए अतिक्रमण एवं आबंटन का तहसीलवार विवरण निम्नप्रकार है :-

नाम तहसील	अतिक्रमण	आबंटन/आरक्षण
बाड़मेर	–	–
शिव	29	–
चौहटन	21	–
रामसर	2	2
गुढ़ामलानी	–	–
बायतू	16	–
पचपदरा	22	40
सिवाना	410	84
	500	126

(3) ओरण भूमि पर भी अतिक्रमण होने पर अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(4) ओरण भूमि पर अतिक्रमणों का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :-

तहसील	गांवों की संख्या	अतिक्रमण का विवरण		अतिक्रमण हटाने की सं.
		संख्या	रकबा	
बाड़मेर	–	–	–	–
शिव	7	29	47.06	10
चौहटन	4	21	127.17	21
रामसर	2	2	0.06	–
गुढ़ामलानी	–	–	–	–
बायतू	6	16	168.00	1
पचपदरा	8	22	13.02	–
सिवाना	19	410	192.27	–
योग	**46**	**500**	**547.58**	**32**

प्रशासन गांवों के संग के दौरान उदयपुर में प्राप्त प्रकरण

400. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा चलाये गये "प्रशासन गांवों के संग" विशेष अभियान

(श्री मांगीलाल गरासिया)

के दौरान जिला उदयपुर में कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के दौरान निपटाये गये प्रकरणों एवं अवशेष रहे प्रकरणों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चलाये गये "प्रशासन गांव के संग" विशेष अभियान के दौरान उदयपुर जिले में कुल 108470 प्रकरण प्राप्त हुए हैं।

(2) उक्त अभियान के दौरान निपटाये गये तथा शेष प्रकरणों की सूची तहसीलवार निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम तहसील	कुल प्रकरण	निस्तारण	शेष
1.	गिर्वा	24412	23055	1357
2.	गोगुन्दा	5728	5402	326
3.	झाड़ौल	3844	3348	496
4.	कोटड़ा	8199	7540	659
5.	सलूम्बर	10555	9340	1215
6.	खैरवाड़ा	24239	23950	289
7.	सराड़ा	8120	8032	88
8.	बल्लभनगर	8444	7276	1168
9.	धरियावद	5251	4688	563
10.	मावली	9678	9165	513
	योग	108470	101796	6674

बहरोड़ (अलवर) में लम्बित खातेदारी तकास्मा

401. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि एस.डी.ओ. बहरोड़ जिला अलवर के यहां खातेदारी तकास्मा (भाई बंटवारे) के कई प्रार्थना पत्र वर्षों से लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती सारली पत्नी स्वर्गीय श्री मनीराम ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड़ का प्रार्थना पत्र लगभग ढाई वर्ष से लम्बित होने के कारण उसकी कृषि भूमि पड़त पड़ी है? यदि नहीं, तो उक्त की ग्राम में स्थित समस्त खातेदारी की भूमि की उक्त अवधि की खसरा गिरदावरी की प्रति व उक्त द्वारा जिला कलक्टर/अन्य राजस्व अधिकारियों को उक्त बाबत अब तक प्रेषित प्रार्थना पत्रों की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपंग/वृद्ध व विधवाओं आदि के मामलों में भी मानवीय आधार पर उन्हें शीघ्र न्याय दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एस.डी.ओ. बहरोड़ जिला अलवर के यहां वर्ष 1996 के 2, वर्ष 1997 के 2, वर्ष 1998 के 5, वर्ष 1999 के 8, वर्ष 2000 के 6 तथा वर्ष 2001 के 5 कुल 28 प्रकरण विचाराधीन हैं। जिनमें 10 प्रकरण तलब में चल रहे हैं, 13 प्रकरणों में जवाब पेश नहीं हुआ है, 2 प्रकरणों में दस्तावेज पेश करने, 2 प्रकरण में बहस तथा 1 में आंशिक डिक्री जारी की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। श्रीमती सारली द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ से तकास्मा का प्रकरण दिनांक 16.8.1999 से विचाराधीन है। जिसमें आगामी सुनवाई तिथि 17.4.2002 है। उक्त अवधि में प्रार्थिनी ने अपनी मर्जी से कुछ ख.नं. पर फसल बोई है तथा कुछ ख.नं. पड़त है। न्यायालय द्वारा ख.नं. पर काश्त ना करने बाबत कोई आदेश नहीं दिये हैं। खसरा गिरदावरी की प्रति सदन की मेज पर रख दी है। जिला कलक्टर/अन्य राजस्व अधिकारियों को सीधे ही कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) राजस्व वादों के सभी मामलों को शीघ्र निस्तारण हेतु समय-समय पर राज्य स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत सायपुर पाखर (अलवर) में प्रशासन गांवों के संग में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण

402. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत सायपुर पाखर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में "प्रशासन गावों के संग" में किस-किस तिथि को अभियान लगा जिसमें किन-किन प्रकरणों के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभियान में श्री रामचरण पुत्र श्री मांगीलाल जाति कोली निवासी पोखर ने अपनी खातेदारी भूमि जैतपुर को नपवाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था? उक्त पर तहसीलदार/कलक्टर/अन्य अधिकारी ने क्या आदेश प्रदान किये थे? उसकी पालना में पटवारी अमीन ने क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति के उक्त खातेदार की भूमि को नपवाकर उसका भौतिक कब्जा दिलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार आदेश की पालना नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत सायपुर पाखर में ग्राम स्तरीय शिविर निम्नप्रकार लगे :-

ग्राम जैतारण में दिनांक 24.11.2001 को
ग्राम सायपुर में दिनांक 26.11.2001 को
ग्राम पाखर में दिनांक 27.11.2001 को

ग्राम पंचायत स्तर का शिविर दिनांक 27.11.2001 को आयोजित हुआ।

उक्त शिविर में प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को दिनांक 27.11.2001 को 24 व तहसीलदार को 4 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। उक्त प्रार्थना पत्र भूमि का कब्जा दिलाने, सीमाज्ञान, अतिक्रमण हटाने, सहमति विभाजन पत्र, नाम शुद्ध कराने, राजस्व ग्राम घोषित कराने, पासबुक दिलाने, आंगनबाड़ी सम्बन्धी, माडा योजना, बिजली, पानी आदि समस्याओं के हैं। विभिन्न प्रकरणों के प्राप्त उक्त प्रार्थना पत्रों की सूची, जो तहसीलदार से प्राप्त हुई है, संलग्न है।

(2) श्री रामचरण पुत्र मांगीलाल निवासी पाखर ने ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान में दिनांक 27.11.2001 को अपनी खातेदारी की जमीन को नपवाने हेतु कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया अपितु भूमि का कब्जा दिलाने हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के समक्ष पेश किया। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पटवारी हल्का को रिपोर्ट करने के लिये आदेश किये गये। पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक बिचगांवा ने अपनी रिपोर्ट में आ.ख.नं. 314/323 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम जैतपुर को मुताबिक रिकार्ड श्री रामचरण पुत्र मांगेलाल जाति कोली सा. पाखर की खातेदारी में दर्ज होना बताया एवं मौके पर खातेदार का कब्जा नहीं होना एवं आ.ख.नं. 314 समस्त पर वन विभाग द्वारा तारबन्दी की जाकर एवं वृक्षारोपण किया जाकर कब्जा किया जाना रिपोर्ट में अंकित किया।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत वाद दायर किया गया।

(3) अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री रामचरण पुत्र श्री मांगेलाल कोली की भूमि पर वन विभाग द्वारा तारबन्दी व वृक्षारोपण कर पूर्व से ही कब्जा किया हुआ है। न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के यहां वाद दायर कर प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है।

(4) प्रकरण में किसी कार्मिक द्वारा आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है। कोई भी कार्मिक दोषी नहीं है। प्रकरण में राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 की धारा 183 बी के तहत कार्यवाही जैरकार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) के जूना मन्दिर आमनाये दशा हुम्मड़ समाज की जमीन का विक्रय

403. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में जूना मन्दिर आमनाये दशा हुम्मड़ समाज की जमीन सम्वत् 2032 में खसरा नम्बर 322 एवं 323 पर क्रमश: एक बीघा बारह बिस्वा नौ बीघा अठारह बिस्वा खाते में दर्ज थी?

(2) क्या यह भी सही है कि मन्दिरों की जमीनों का विक्रय बिना देवस्थान विभाग की अनुमति से सम्भव नहीं थी? यदि हां, तो क्या विभाग ने उक्त जमीन के एक भाग की विक्रय राशि रुपया बारह हजार मन्दिर केश में अंकेक्षण के दौरान जमा पाई? यदि हां, तो जमा राशि से विक्रय की मन्दिर की भूमि को अवैध विक्रय करार कर सम्बन्धितों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

(3) क्या देवस्थानों की सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन एवं खुर्द-बुर्द न हो इसकी कोई व्यवस्था है?

उत्तर

(1) जमाबन्दी सम्वत 2029-2032 में खसरा नम्बर 322 की एक बीघा 12 बिस्वा श्री जूना मन्दिर आमनाये पंचान व खसरा नम्बर 323 में 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि श्री मन्दिर जूना मन्दिर दशा हुम्मड़ दिगम्बर जैन स्थान देह मुखिया श्री छगन लाल बोबड़ा के नाम अंकित थी।

(2) राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 31 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यास की सम्पदा 5000/- रुपये से अधिक की होने पर विक्रय करने की स्वीकृति सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग से प्राप्त करना आवश्यक है। श्री जूना मन्दिर आमनाये दशा हुम्मड़ समाज, प्रतापगढ़ पंजीकृत प्रन्यास है।

प्रन्यास के प्रन्यासियों ने इस पंजीकृत प्रन्यास की अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। सम्पदा के अवैध बेचान की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की धारा 38 के तहत सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर के यहां प्रकरण विचाराधीन है।

(3) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मन्दिरों की सम्पदा खुर्द-बुर्द न हो, इसके लिए विभागीय स्तर पर भौतिक सत्यापन किये जाने की व्यवस्था है।

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 में पंजीकृत प्रन्यासों की सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन एवं खुर्द-बुर्द न हो इसके प्रावधान किये गये हैं।

रघुनाथजी का मन्दिर गलता, जयपुर को निजी मन्दिर में सुपुर्दगी

404. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) देवस्थान विभाग द्वारा किन-किन मन्दिरों को सुपुर्दगी श्रेणी में लेकर सरकारी मन्दिर घोषित किए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन मन्दिरों को पुनः निजी मन्दिर घोषित किया गया? मूल प्रार्थना पत्र की प्रति देवस्थान विभाग आयुक्त की उक्त पर रिपोर्ट एवं उक्त पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति प्रत्येक मन्दिरवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रघुनाथजी का मन्दिर, गलता, जयपुर को निजी मन्दिर घोषित किया गया है? निजी घोषित करवाने बाबत मूल प्रार्थना पत्र की प्रति, आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा दी गई। इस मन्दिर बाबत लिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा जिन सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिरों का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 25 जून, 1981 में कराया गया, उसकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिर में से दो मन्दिर निजी स्वामित्व के तथा 6 मन्दिर सार्वजनिक प्रन्यास होने से सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिरों की राजपत्र में प्रकाशित सूची से हटाये गये हैं। मन्दिर श्री विजय गोपालजी, जयपुर की उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.5.1954 के अनुसार निजी स्वामित्व का मानते हुए सुपुर्दगी श्रेणी से हटाने के आदेश दिये गये हैं तथा मन्दिर श्री कुंज बिहारीजी, भूडारा, करौली का निर्माण पुजारी के पूर्वजों द्वारा कराया जाना पाये जाने से मन्दिर को निजी घोषित किया गया है। राजपत्र से प्रकाशित सूची से हटाये गये मन्दिरों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम मन्दिर	राज्य सरकार का आदेश क्रमांक/दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	मं. श्री विजय गोपालजी, जौहरी बाजार, जयपुर	प.9(1)देव/91 दिनांक 12.4.1991	राज. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 31.3.1954 के अनुसार निजी स्वामित्व का मानते हुए राजकीय सुपुर्दगी मन्दिरों की सूची से निरस्त किया गया।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

1	2	3	4
2.	मं. श्री कुंज बिहारीजी, भूडारा, करौली	प.9(8)देव/94 दिनांक 14.10.1997	मन्दिर वर्तमान पुजारी के पूर्वजों द्वारा निर्मित होना पाये जाने से निजी घोषित किया गया।
3.	मं. श्री सीतारामजी ठिकाना बालानन्द जी, जयपुर	प.5(23)देव/94 दिनांक 6.5.1996	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.4.1993 के परिप्रेक्ष्य में मन्दिर को राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिरों की सूची से हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं मन्दिर को सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत कराने के आदेश दिये।
4.	मन्दिर श्री ललित किशोरजी, चौड़ा रास्ता, जयपुर	प.9(8)देव/91 दिनांक 22.1.1996	मन्दिर राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व से पंजीकृत प्रन्यास होने से मन्दिर को सुपुर्दगी श्रेणी से हटाकर सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत कराने के आदेश दिये गये।
5.	मन्दिर श्री ब्रजेन्द्र बिहारीजी, सेवर, जिला, भरतपुर	प.10(12)देव/81 दिनांक 26.2.1997	माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 29.8.1996 के अनुसरण में मन्दिर को सुपुर्दगी श्रेणी से पृथक करते हुए मन्दिर को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत कराने के आदेश दिये।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

1	2	3	4
6.	मन्दिर श्री द्वारकाधीश जी, प्रयागदासजी का अस्थल, उदयपुर	प.9(18)देव/93 दिनांक 21.7.1994	महन्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मन्दिर को सुपुर्दगी श्रेणी से हटाकर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकरण करने की कार्यवाही करने के आदेश दिये।
7.	मन्दिर श्री सीतारामजी, वैर, जिला भरतपुर	प.9(3)देव/2000 दिनांक 9.10.2000	मन्दिर राजपत्र में सुपुर्दगी श्रेणी का प्रकाशित होने से पूर्व पंजीकृत प्रन्यास होने से मन्दिर को सुपुर्दगी श्रेणी से हटाया जाकर पंजीकृत प्रन्यास ही माना जाने के आदेश दिये गये।
8.	मन्दिर श्री रघुनाथजी, मोहनबाड़ी, गलता रोड, जयपुर	प.9(5)देव/90 दिनांक 17.7.2000	महन्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेखों के आधार पर मन्दिर को सुपुर्दगी श्रेणी से हटाकर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत करने की कार्यवाही करने के आदेश दिये।

उपरोक्त मन्दिरों के सम्बन्ध में मूल प्रार्थना पत्र की प्रति देवस्थान आयुक्त की उक्त रिपोर्ट पर एवं उक्त पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय (आदेश) की प्रति क्रमवार एवं मन्दिरवार परिशिष्ट "ख–1 से 8" संलग्न कर दी गई है। उक्त समस्त मन्दिरों को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत करने के निर्देश सम्बन्धित सहायक आयुक्तों को दिये जा चुके हैं।

(3) जी नहीं। श्री रघुनाथ मन्दिर (मोहन बाड़ी) गलता रोड, जयपुर को राज्य

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

सरकार द्वारा निजी मन्दिर घोषित नहीं किया गया है। उक्त मन्दिर को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.9(5)देव/90 दिनांक 17.7.2000 के द्वारा सुपुर्दगी श्रेणी से हटाया जाकर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत करने के आदेश प्रदान किये हैं। मन्दिर के महन्त/ पुजारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उस पर आयुक्त, देवस्थान विभाग की टिप्पणी तथा राज्य सरकार के आदेश की प्रति परिशिष्ट ''ख-8'' सदन के पटल पर रखने हेतु संलग्न कर दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत पाली जिले के चयनित व्यक्ति

405. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भारत सरकार की योजनानुसार अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2002 तक कितने व्यक्तियों का चयन पाली जिले में किया गया है? उक्त योजना में चयनित की संख्या पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से लाभान्वित चयनित व्यक्तियों की पंचायत समिति, रायपुर की प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा सोजत तहसील की रायपुर विधान सभा में सम्मिलित 12 ग्राम पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की योजनानुसार पाली जिले में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2002 तक 2301 व्यक्तियों का चयन किया गया है। पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, रायपुर की पंचायतवार तथा सोजत तहसील जिसकी केवल 11 पंचायतें ही हैं जो कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर में आती हैं, उनमें से 8 पंचायतों में लाभान्वित चयनित व्यक्तियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, शेष 3 पंचायतों में किसी का चयन नहीं हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत अजमेर जिले के चयनित परिवार

406. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या भारत सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना लागू की गई? यदि हां, तो कब से व योजना क्या है?

(श्री सांवर लाल)

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त योजना का क्रियान्वयन राज्य में चालू कर दिया है? यदि हां, तो कब से?

(3) जिला अजमेर में उक्त योजना से कितने परिवार लाभान्वित हुए? क्या उक्त योजना में बी.पी.एल. परिवारों के अलावा गरीब एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भी लाभान्वित किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त योजना में मिलने वाली अनाज की मात्रा समय के अनुसार क्या है? क्या उक्त योजना का लाभ समयानुसार ही प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना अप्रैल, 2000 से लागू की गई है। अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे वृद्ध नागरिक जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं लेकिन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को प्रतिमाह 10 किलोग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं या चावल) वितरित किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन अप्रैल, 2000 से चालू कर दिया है।

(3) जिला अजमेर में उक्त योजना से 4230 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त योजना में बी.पी.एल. परिवारों के अलावा योजना के मानदण्ड अनुसार गरीब एवं अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को भी लाभान्वित किया जा रहा है।

(4) उक्त योजना में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना का लाभ समयानुसार ही प्राप्त हो रहा है।

जयपुर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दर्ज प्रकरण

407. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) **:** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक किस-किस प्रकार की मिलावट सम्बन्धी कौन-कौन से प्रकरण सामने आये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिलावट के प्रकरणों के लिए कौन-कौन जिम्मेदार पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक बार मिलावट करते पकड़े गये दोषी उत्पादक/व्यापारी/व्यवसायी/डीलर पर कड़ी नजर नहीं रखने से वह पुनः मिलावटी गतिविधियों

(श्री कन्हैया लाल)

में लिप्त हो जाता है? यदि हां, तो क्यों? उक्त समस्या का सरकार ने क्या समाधान निकाला है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजधानी जयपुर मिलावटी खाद्य/अखाद्य पदार्थों में अव्वल दर्जे पर है? यदि हां, तो क्यों? सरकार ने इसकी रोकथाम के क्या उपाय किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर में वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक सामने आये मिलावट सम्बन्धी प्रकरणों की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त मिलावट के प्रकरणों के लिए 280 मिलावट करने वाले जिम्मेदार पाये गये, उनमें से 183 के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा 97 प्रकरण अनुसंधान, विभिन्न जांच एवं राज्य/स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(3) दोषी उत्पादक, व्यापारी, व्यवसायी तथा डीलर अपनी फर्म का नाम तथा स्थान बदल कर व्यवसाय करना प्रारम्भ कर देते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ऐसी सूचना मिलने पर उनके द्वारा पी.एफ.ए. एक्ट, 1954 के तहत कार्यवाही कर मिलावटियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये जाते हैं तथा पुलिस द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जाती है। उक्त समस्या के समाधान हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा अपने खाद्य निरीक्षकों को समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं।

(4) जयपुर का क्षेत्रफल आबादी, प्रतिष्ठान एवं व्यापारिक दृष्टि से काफी बड़ा है, फिर भी मिलावट करने वालों पर रोकथाम करने के लिए चिकित्सा विभाग समय-समय पर अभियान चलाकर नियमानुसार कार्यवाही करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

प्रदेश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों की मांगें

408. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की जायज मांगों का समाधान न होने से श्रमिकों में असंतोष है? यदि हां, तो सरकार ने श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की मांगों का समाधान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की

(श्रम मंत्री)

धारा 12 के अन्तर्गत उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार समझौता कार्यवाही द्वारा किया जाता है। श्रमिकों/यूनियनों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों पर श्रम विभाग द्वारा समझौता कराने का प्रयास किया जाता है एवं प्रयास विफल होने पर श्रमिक हित में विवादों को न्याय निर्णयार्थ श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किया जाता है तथा न्यायालयों द्वारा पारित अवार्डों की पालना कराई जाती है। पालना नहीं करने वाले पक्षकारों के विरुद्ध अभियोजना की कार्यवाही की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अभियन्ता

409. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) व उससे ऊपर के अधिकारियों (मुख्य अभियन्ता) तक के कितने पद विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त श्रेणी में वर्तमान में कितने-कितने अधिकारी सेवारत हैं? उक्त में से कितने-कितने विभाग में कार्यरत हैं तथा कितने-कितने विभाग से बाहर कौन-कौन से विभाग/निगम या अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं?

(3) क्या बिना विभागीय पदोन्नति समिति फेस किये हुए पदोन्नति पाये हुए सहायक अभियन्ता (सिविल) भी विभाग या अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन तथा कहां-कहां कार्यरत हैं?

(4) क्या विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति, कार्यरत अभियन्ताओं को विभाग वापस बुलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक क्रियान्वित करने का विचार है?

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) व उससे ऊपर के अधिकारियों के 1243 पद कुल स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विभाग में विभिन्न पदों पर कुल सेवारत सिविल अधिकारियों का पदवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर एवं विभाग में कार्यरत एवं विभाग के बाहर प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारियों की पदवार सूची प्रपत्र-'ब' पर संलग्न है।

(3) बिना विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के किसी की भी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नहीं की गई है।

(4) नियमों को ध्यान में रखते हुए पुनः विभाग में बुलाने की प्रक्रिया जारी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

भाखड़ा नहर प्रणाली की साउथ घग्गर केनाल का जलांक

410. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भाखड़ा नहर प्रणाली की साउथ घग्गर केनाल के जलांक के सम्बन्ध में उक्त नहर के काश्तकारों द्वारा गत छह महीने में मुख्य अभियन्ता उत्तर (हनुमानगढ़) को क्या कोई ज्ञापन दिए गए? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नहर के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता उत्तर (हनुमानगढ़) का क्या कोई राज्य सरकार से पत्राचार हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ को कृषकों द्वारा दिये गये विभिन्न ज्ञापनों की प्रतियां परिशिष्ट-"अ" (1 से 4) पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

(2) जी हां। मुख्य अभियन्ता हनुमानगढ़ द्वारा राज्य सरकार से पत्राचार हुआ है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के बांधों की मरम्मत

411. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के खारी व कंटालिया बांध की मरम्मत व नहरों हेतु वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 तक कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील क्षेत्र के खारी व कंटालिया बांध तथा उनकी नहरों की मरम्मत हेतु वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 तक अलग से कोई राशि का आबंटन नहीं किया गया है। अनुरक्षण एवं अकाल राहत मद में खर्च हुई राशि का विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(2) खारी बांध की नहर की आवश्यक मरम्मत का कार्य, खण्ड कार्यालय के अनुरक्षण मद में उपलब्ध बजट एवं अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों में कर लिया गया है। कंटालिया बांध की नहरों का निर्माण वर्ष 2000 में ही पूर्ण किया गया है, अत: वर्तमान में उनकी मरम्मत व सुधार की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

कण्ढाव माइनर में रेजिंग कार्य

412. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कण्ढाव माइनर में कमाण्ड ज्यादा होने से सिंचाई हेतु पूर्ण पानी काश्तकारों को उपलब्ध नहीं हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि कण्ढाव माइनर 0 से 10 किलोमीटर तक यदि रेजिंग कार्य करवा लिया जावे तो काश्तकारों को टेल तक भरपूर पानी मिल जावेगा?

(3) सरकार उक्त कार्य कब तक करवाने का विचार रखती है? क्या उक्त कार्य की निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। कण्ढाव माइनर के कमाण्ड क्षेत्र को निर्धारित पानी उपलब्ध हो रहा है।

(2) कण्ढाव माइनर को रेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि स्वीकृत अनुमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है एवं यह उपयुक्त भी नहीं है।

तहसील किशनगढ़ (अलवर) के बांधों की मरम्मत

413. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील किशनगढ़, जिला अलवर के ग्राम इन्छाका और बांघोर के दो बांध राजा महाराजाओं के समय से ही बंधे हुए हैं अब सिंचाई विभाग के अधीन हैं? यदि हां, तो बांधों को बंधवाने और इनकी मरम्मत नहीं करवाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या विभाग को "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के दौरान उक्त बांधों को बनवाने और इनकी मरम्मत कराने हेतु ग्राम पंचायत, गंज और उक्त ग्रामवासियों द्वारा आवेदन पत्र दिये थे? यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्रों पर अब क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों बांधों की पाल (सीमा) जगह-जगह कट जाने व इसकी ऊंचाई कम हो जाने के कारण बांधों में पानी आता है और बह कर चला जाता है और उक्त बांध में बिलकुल भी पानी नहीं भरता है क्या उक्त कारण इसके आसपास के 15-20 गांवों का जल स्तर काफी नीचा चला गया और कुएं सूख गये हैं? क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में बरसात शुरू होने से पूर्व कार्यवाही कर उक्त बांधों को बनवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील किशनगढ़, जिला अलवर के ग्राम इन्छाका व बाघोर के दोनों बांध सिंचाई विभाग के अधीन नहीं होकर पंचायत राज विभाग के अधीन हैं।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त बांध अभी इस विभाग के अधीन नहीं है परन्तु पूर्व में रहे थे, अत: इस विभाग की जानकारी के अनुसार दोनों बांध स्टेट समय के हैं एवं सुरक्षित हैं। गत कुछ वर्षों में वर्षा कम होने से उक्त बांध पूरे नहीं भरे हैं। उक्त बांध इस विभाग के अधीन नहीं है, अत: इन बांधों पर सिंचाई विभाग द्वारा विभागीय मद से आगामी वर्षा पूर्व कोई कार्य करना प्रस्तावित नहीं है।

चाकल बांध परियोजना (बून्दी) की विचाराधीन स्वीकृति

414. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी में स्थित "चाकल बांध परियोजना" की स्वीकृति के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के निर्माण के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना की लम्बी अवधि बीत जाने पर भी स्वीकृति जारी नहीं होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त योजना की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बून्दी जिले की चाकन बांध की स्वीकृति परियोजना केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना की डूब में आने वाली वन विभाग की 289.53 हैक्टेयर के हस्तान्तरण की सहमति देने की शर्त पर दिनांक 25.8.1995 को जारी हो गई थी परन्तु महानिरीक्षक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली ने दिनांक 12.10.2001 को राज्य सरकार को अवगत कराया है कि केन्द्रीय वन सलाहकार समिति ने उक्त प्रकरण की सहमति हेतु असमर्थता प्रकट की है। दिनांक 25.12.2001 को वन विभाग, राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय वन सलाहकार समिति को प्रकरण पर पुन: विचार करने हेतु निवेदन किया गया है।

(2) उक्त योजना पर केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन विभाग की अनापत्ति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) परियोजना पर पर्यावरण एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर ही इसकी स्वीकृति जारी करना सम्भव है।

तहसील नोहर एवं भादरा (हनुमानगढ़) में पशु संवर्द्धन हेतु उन्नत नस्ल के सांडों की खरीद

415. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला हनुमानगढ़ की तहसील नोहर और भादरा के 45 गांवों में पशु संवर्द्धन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु वर्ष 1999-2000 में यूरोपीय समुदाय से 25 लाख की राशि स्वीकृत की हुई थी?

(2) उक्त तहसीलों के पशु संवर्द्धन एवं नस्ल सुधार हेतु किस योजना के तहत सरकार ने क्या योजना तैयार की तथा उक्त योजना से कितने गांवों के और कितने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य नस्ल सुधार क्षेत्र हेतु राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन रखने हेतु कोई गैस जार खरीदे गए और उनमें तरल नाइट्रोजन रखा, गांव की इकाइयों को उपलब्ध कराया गया? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पशु नस्ल सुधार के लिए उन्नत नस्ल के 45 सांडों को खरीदने हेतु यूरोपीय समुदाय द्वारा आर्थिक सहायता की मंजूरी दी थी? यदि हां, तो इसके तहत कितने सांड कब-कब कितनी-कितनी राशि के खरीदे गए? क्या उक्त राशि का उपयोग नहीं हुआ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पशु संवर्द्धन एवं नस्ल सुधार हेतु 45 स्वयं सहायता समूहों का सृजन कर उन्हें चार माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उनके द्वारा पशुपालकों को प्रोत्साहित करने पर क्षेत्र की पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से 45 गांवों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया गया। उक्त योजनान्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान एवं नस्ल सुधार हेतु पृथक से कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(3) जी नहीं। निकटतम पशु चिकित्सा संस्थाओं में तरल नाइट्रोजन एवं हिमकृत वीर्य रखने हेतु क्रायोकेन जार पूर्व में ही उपलब्ध हैं।

(4) जी हां। सांड क्रय नहीं किये गये। अकाल के दौरान पशुपालकों की मांग नहीं होने के कारण सांड क्रय नहीं किये गये।

राज्य का पशुधन एवं पशु चिकित्सालय

416. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पंचायत समितिवार कुल कितना पशुधन है?

(श्री रामलाल जाट)

(2) उक्त में पंचायत समितिवार कुल कितने पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्र संचालित हैं?

उत्तर

(1) पशुगणना का कार्य राजस्व मण्डल द्वारा पशुपालन विभाग के निमित भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राजस्व गिरदावर हलकावार (इंसपैक्टर लेण्ड रिकार्ड) की जाती है, जिसकी जिलेवार सूची "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) विभाग के अधीन कार्यरत पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय व उप केन्द्रों की जिलेवार एवं पंचायत समितिवार सूची "ख" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में पशु चिकित्सा की प्रयोगशालाओं के आधुनिक उपकरणों का रखरखाव

417. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पशुधन चिकित्सा पर नाम मात्र का ही खर्च सरकार करती आ रही है? यदि हां, तो क्यों? गत तीन वर्षों में पशु चिकित्सा पर किये गये खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में पशुधन चिकित्सा के गिरते स्तर को देखते हुए सरकार इस हेतु बजट राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जिला जयपुर, भरतपुर, अजमेर की अधिकांश पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं में उपकरण टूटे होने के साथ खतरनाक जूनोसिस बीमारियों से बचाव के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रयोगशालाओं में पर्याप्त आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था एवं जूनोसिस बीमारियों से बचाव के लिए व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गत तीन वर्षों में पशु चिकित्सा औषधि पर किये गये खर्च का विवरण मय प्रति पशु व्यय निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय	प्रति पशु प्रति वर्ष व्यय
1998-1999	117.85 लाख रु.	0.22 रु.
1999-2000	107.42 लाख रु.	0.20 रु.
2000-2001	136.36 लाख रु.	0.25 रु.

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) जी हां। वर्ष 2002-03 हेतु पशुपालन विभाग द्वारा आयोजना एवं गैर आयोजना मद में औषधि हेतु कुल राशि रुपये 491.41 लाख प्रस्तावित की गई है।

(3) जिला जयपुर, भरतपुर व अजमेर की पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं में उपकरण चालू हालत में हैं। जूनोसिस रोग की जांच हेतु उपकरण जयपुर स्थित पशु रोग निदान प्रयोगशाला में उपलब्ध है।

(4) जी हां। राष्ट्रीय पशु माता उन्मूलन परियोजना अन्तर्गत 100% केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत उपकरण प्राप्त करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पुनरीक्षण

418. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर में छह लिफ्ट योजनाएं हैं? क्या उक्त में एक भी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत की कमी के कारण कई पम्पों को कनेक्शन नहीं मिला तथा पम्प व लाइन बेकार पड़ी है?

(3) क्या यह भी सही है कि यदि इन लिफ्टों को कृषि रेट से विद्युत उपलब्ध नहीं कराया गया तो सभी लिफ्ट योजनाएं बन्द हो जावेगी एवं व्यय की गई राशि व्यर्थ हो जावेगी?

(4) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सामान्य बहाव क्षेत्र उपलब्ध है तथा बढ़ाया जा सकता है? क्या लिफ्ट योजना बनाना अनार्थिक है?

(5) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पुनरीक्षण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में छह लिफ्ट योजनाएं हैं, जिसमें से एक लिफ्ट (बांगड़सर लिफ्ट) योजना पूर्ण हो चुकी है। शेष पांच लिफ्ट योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

(2) जी नहीं। जब-जब आवश्यकतानुसार विद्युत कनेक्शन की मांग विद्युत निगम से की गई है, निगम द्वारा कनेक्शन जारी किये गये हैं। अतः इस कारण से पम्प व लाइन बेकार नहीं पड़ी है।

(3) कृषि दर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रतिवेदन दिया जा चुका है।

(4) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में सामान्य प्रवाह से जो क्षेत्र

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

सिंचित होना है, को सम्मिलित किया गया है। पानी की उपलब्धता के अनुसार नया क्षेत्र बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। प्रवाह के अतिरिक्त स्वीकृत योजनानुसार प्रथम चरण की कंवरसैन लिफ्ट योजना तथा द्वितीय चरण की छह लिफ्ट योजनाओं द्वारा भी सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पेयजल व अकाल के स्थाई समाधान के मद्देनजर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है। पश्चिम क्षेत्र में 7 जिलों के 3461 गांवों व 29 कस्बों को करीब 1.80 करोड़ जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं। जून, 1996 में योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा पुनरावलोकन कर मार्च, 1998 में स्वीकृति दी है, अतः अब पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन द्वारा स्थापित लघु विद्युत परियोजनाएं

419. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर की वितरिकाओं में 7 फीट से अधिक कुल 71 फाल है जिनमें 18 फालों पर विद्युत उत्पादन हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लघु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करती है?

(3) क्या सरकार ने उक्त कारपोरेशन को बाकी बचे फालों पर लघु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव दिये हैं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर की शाखाओं एवं वितरिकाओं में 71 फाल है जिनमें से 18 फाल पर विद्युत उत्पादन हो रहा है।

(2) हां सही है, आदेश क्रमांक एफ.20(10) ऊर्जा/99 दिनांक 7.1.2000 के तहत राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन को नई 25 मेगावाट तक की लघु सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म पन विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु अधिकृत किया है।

(3) बाकी बचे हुए 53 फालों में से 6 पर अध्ययन किया गया किन्तु विद्युत उत्पादन क्षमता अत्यधिक कम होने एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाये जाने के कारण योजना को कार्यरूप नहीं दिया जा सकता।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के एस्केप्स में छोड़ा गया पानी

420. डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में मुख्य नहर एवं इसकी शाखाओं पर कौन-कौनसी आर.डी. पर एस्केप्स बने हुए हैं? मार्च, 1999 से फरवरी, 2002 तक किस-किस एस्केप से कितनी-कितनी मात्रा में पानी छोड़ा गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण से मुख्य नहर एवं इसकी शाखाओं पर निम्न बुर्जी पर स्केप बने हुए हैं।

क्र.सं.	नाम एस्केप मय आर.डी.
1.	आर.डी. 629 इन्दिरा गांधी नहर फीडर
2.	आर.डी. 165 इन्दिरा गांधी नहर फीडर
3.	आर.डी. 507 इन्दिरा गांधी नहर फीडर
4.	आर.डी. 186.5 सूरतगढ़ शाखा
5.	आर.डी. 96.400 (आर) पूगल शाखा
6.	बुर्जी 750 मुख्य नहर
7.	बुर्जी 1121.200 मुख्य नहर
8.	बुर्जी 1355 मुख्य नहर
9.	आर.डी. 47.650 सागरमल गोपा शाखा।

मार्च, 1999 से फरवरी, 2002 तक छोड़े गये पानी की मात्रा का माहवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) में जन सम्पर्क कार्यालय की स्थापना

421. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जन सम्पर्क कार्यालय स्थापित हैं?

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय आसीन्द पर भी जन सम्पर्क कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। समिति बजट प्रावधान के फलस्वरूप किसी भी तहसील मुख्यालय पर नये कार्यालय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

खादी बोर्ड द्वारा अनुदानित संस्थाओं की रोकी गई अनुदान सहायता

422. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में खादी बोर्ड के अन्तर्गत अनुदानित संस्थाएं कितनी कार्य कर रही हैं? विगत पांच वर्षों में इन संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया है?

(श्री सांवर लाल)

(2) क्या उक्त संस्थाओं में से किसी संस्था के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध?

(3) क्या उक्त में से किसी का अनुदान रोका है? यदि हां, तो किसका?

(4) क्या उक्त संस्थाओं में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार खादी बोर्ड से अनुदान प्राप्त कर रही है? यदि हां, तो कौन-कौन सी?

उत्तर

(1) राज्य में खादी बोर्ड के अन्तर्गत 95 अनुदानित संस्थायें कार्य कर रही हैं। विगत पांच वर्षों में इन संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया अनुदान निम्नानुसार है:–

वर्ष	अनुदान (राशि लाख रु. में)
1996-1997	2.22
1997-1998	शून्य
1998-1999	शून्य
1999-2000	शून्य
2000-2001	शून्य

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई से राज्य की प्रमाणित संस्था को ऋण अनुदान उपलब्ध कराने हेतु राशि प्राप्त होती है। गत 5 वर्षों में बजट अभाव में कोई ऋण अनुदान संस्थाओं को नहीं दिया गया है। संस्थाओं को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से सीधे कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

आयुर्वेदिक औषधि क्रय में लापरवाही बरतने वाले कर्मी

423. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 से 2001 तक औषधियां क्रय के लिए निर्धारित राशि का उपयोग न होने के कारण राशि लैप्स हुई है? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं? क्या उक्त कारण रोगियों को असुविधा हुई?

(2) क्या उक्त के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार है? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। औषध व जड़ी-बूटी क्रय मद में स्वीकृत बजट राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होने के मुख्य कारण निम्न प्रकार रहे हैं :–

1. व्यापारियों द्वारा नमूने के अनुसार माल सप्लाई नहीं करना।
2. राजस्थान हैण्डलूम कारपोरेशन, जयपुर द्वारा बैण्डेज की आपूर्ति न करना।
3. केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेना।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

जहां तक रोगियों को असुविधा का प्रश्न है, बजट लैप्स होने से औषधियों की आपूर्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जड़ी-बूटियां, कच्ची औषधियों व घटक द्रव्यों का क्रय, आगामी वर्षों की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए किया जाता है। विभाग द्वारा निर्मित औषधियां भी क्रय कर औषधालयों को सप्लाई की गई है।

(2) जी नहीं।

जिला नागौर में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद

424. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर के विभिन्न आयुर्वेदिक औषधालयों में कुल कितने चिकित्सा अधिकारियों/कम्पाउण्डरों के पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने वर्तमान में कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों एवं चिकित्सालयों में चिकित्सकों व नर्स/कम्पाउण्डरों के स्वीकृत पदों तथा वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित व रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार है :-

	आयुर्वेद चिकित्सक	नर्स/ कम्पाउण्डर
कुल स्वीकृत पद	159	143
पदस्थापित/कार्यरत	133	117
रिक्त पद	**26**	**26**

(2) जी हां। वित्त विभाग से रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योग्यताधारी आशार्थियों का चयन कर रिक्त पद भरना सम्भव हो सकेगा।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में वैद्य के रिक्त पद

425. श्री अमीन खान (शिव) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर में लगातार आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद रिक्त रहते हैं? यदि हां, तो क्या इसके लिए सरकार कोई विशेष प्रयास कर रही है?

उत्तर

जी हां। फरवरी/मार्च, 2002 में जो नवीन नियुक्तियां चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर पद पर दी गई हैं उनमें यह शर्त रखी गई है कि एक निश्चित अवधि तक नियुक्त किये गये कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यरत रहना होगा। इन नियुक्तियों में दूरस्थ स्थानों पर ही प्राथमिकता से नियुक्तियां दी गई हैं।

बामनपाड़ा (बांसवाड़ा) के मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति

426. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री फूलचन्द डामोर, आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर पद पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बामनपाड़ा जिला बांसवाड़ा में कार्यरत थे?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री फूलचन्द डामोर कम्पाउण्डर का स्वर्गवास दिनांक 25.2.1996 को हो गया था।

(3) क्या यह सही है कि मृतक आश्रित को अनुकम्पा नौकरी दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो स्वर्गीय श्री डामोर के परिवार में से अनुकम्पा नियुक्ति क्यों नहीं की गई है?

(4) क्या सरकार उक्त मृतक के परिवार को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। स्वर्गीय श्री डामोर के परिवार में से अनुकम्पा नियुक्ति, आश्रिता द्वारा नियमों में उल्लिखित समयावधि में आवेदन नहीं करने के कारण नहीं दी गई है।

(4) जी हां। कार्मिक विभाग की अवधि में शिथिलता देने हेतु पुन: प्रकरण भिजवाया जा रहा है। वहां से शिथिलता प्राप्त होने पर नियुक्ति देने हेतु विचार किया जायेगा।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

शंकरलाल श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री शंकरलाल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सांसद एवं विधायक श्री शंकरलाल का जन्म 7 अगस्त, 1923 को पाली जिले के ग्राम बिजोवा में हुआ। आपने एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री शंकरलाल दूसरी, चौथी, पांचवीं और छठी राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। पांचवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति तथा याचिका समिति के सभापति रहे। आप वर्ष 1988 में आठवीं लोक सभा के लिए हुए उप चुनाव में पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए।

श्री शंकरलाल पांच वर्ष तक जिला कांग्रेस कमेटी, पाली के अध्यक्ष रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप जिला परिषद्, पाली के उप प्रमुख, जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष तथा सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक, पाली के अध्यक्ष रहे। आप अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राजस्थान के भी सदस्य रहे।

श्री शंकरलाल का दिनांक 30 मार्च, 2002 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री शंकरलाल को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजति अर्पित की)

अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्षमा करें, अनुमति आप दे देना, लेकिन हमारा भी दर्द सुन लो। अनुमति या बाकी की प्रक्रिया के अनुसार जो काम होने वाले हैं सब होंगे, आप दो मिनट बाद करें या दो मिनट पहले करें। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस हाउस में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। यह लोकतंत्र की हत्या है। (व्यवधान) अब ऐसे आपके बोलने से नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) **:** यह तो कल्याण की बात है।

एक माननीय सदस्य : ज्ञानदेवजी पकड़े गये इसलिए हत्या हो गई क्या? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) **:** इसमें पत्रकारों के कल्याण का काम है। पहले भी गवर्नमेंट विज्ञापन देती थी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या लोकतंत्र की हत्या है? कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ज्ञानदेवजी पकड़े गये इसलिए हत्या हो गई क्या? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रेस पर कुठाराघात है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में हो रही है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : लोकतंत्र की हत्या तो केन्द्र सरकार कर रही है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : लोकतंत्र की हत्या तो दिल्ली में हो रही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप प्रेस को बजट देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : लोकतंत्र की हत्या तो गुजरात में हो रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्ञानदेवजी अलवर में पकड़े तो लोकतंत्र की हत्या हो गई क्या?

एक माननीय सदस्य : लोकतंत्र की हत्या कैसे है, आप बताओ तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप प्रेस को अपनी दया पर जिंदा रखना चाहते हैं क्या?

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : आप माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रैशराइज कर रहे हैं। (व्यवधान) आप आसन का अपमान कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत उद्वेलित हैं। आप कह रहे हैं व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। आप खुद आसन का अपमान कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पत्रकारों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है।

डा. चन्द्रभान : आप पीछे से लोगों को खड़ा करके कहते हैं, इससे लोकतंत्र बचेगा? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या मतलब है आपका?

एक माननीय सदस्य : किस बात से हत्या हो गई लोकतंत्र की?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या मतलब है आपका? यहां +++ मचवा कर सदन में यह कहना चाहे कि लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास है, प्रेस की आजादी में विश्वास है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : लोकतंत्र की हत्या आपने गुजरात में की है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : +++ (व्यवधान) यह कांग्रेस की देन है, आपकी देन नहीं है। आप लोकतंत्र की हत्या बता रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह काला कानून है। (व्यवधान) इमरजेंसी के वक्त भी प्रेस का गला घोंटा था। यह काले कानून से प्रेस का गला घोंटना चाहते हैं, उसकी आजादी पर अंकुश लगाना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आजादी पर आपको यकीन है? कानून में आप विश्वास नहीं करते हैं। चुनी हुई संस्था का आप अपमान करते हैं। (व्यवधान) आप संस्था का सम्मान नहीं करते हैं। आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। (व्यवधान) किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। (व्यवधान) 50 आदमी खड़े हो जाएंगे और जो चाहे सो करेंगे। (व्यवधान) आप माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था नहीं देने दे रहे। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेता होकर आपने आसन का अपमान किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रेस की आजादी पर विश्वास है।

डा. चन्द्रभान : आप अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देने के लिए...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस प्रेस की आजादी में विश्वास रखती है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

एक माननीय सदस्य : जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं वो बता रहे हैं। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, जिन्होंने गुजरात में लोकतंत्र की हत्या की है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप माननीय अध्यक्ष महोदय को बोलने नहीं देते। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : इन्होंने कभी कोई बात सुनी नहीं सरकार की। जनता ने... (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. चन्द्रभान : आप मजबूर नहीं कर सकते सदन को। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. चन्द्रभान : कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गयी और जिस पार्टी ने देश में लोकतंत्र कायम किया उस पार्टी को आप कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। आप माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था नहीं देने दे रहे। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने देश की तरक्की की, भाखड़ा डैम बनाया, चम्बल डैम बनाया, बिजली पैदा की कांग्रेस ने...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े होकर जो चाहे सो कार्यवाही में व्यवधान डाले और प्रतिपक्ष के नेता माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था नहीं देने दें इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य : लोकतंत्र का गला घोंटने वाले...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिस तरह की व्यवस्था की है। (व्यवधान) इस प्रेस ने भी मुख्य मंत्री और सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया तो उसका गला घोंट दिया जाएगा। मुख्य मंत्री की खिलाफत और सरकार...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गुजरात में हत्या करने वालों का सत्यानाश हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर हम प्रेस की आजादी के खिलाफ...(व्यवधान) प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : सदन नहीं चलेगा जब तक ये सदस्य अपनी सीटों पर नहीं बैठेंगे। यह सदन नहीं चल पाएगा। प्रतिपक्ष के नेता का जो इस तरह का रवैया है... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रेस की स्वतंत्रता पर यह पाबंदी है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय का जो रवैया है इस रवैये के चलते यह सदन नहीं चल सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज दिन तक नहीं चल रहा था क्या? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : प्रतिपक्ष के नेता महोदय आसन को डिक्टेट नहीं कर सकते। (व्यवधान) जब स्पीकर साहब बोलना चाह रहे थे तब आपने उनको रोका। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा काला कानून बना कर आप क्या करना चाहते हैं? (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय को डिक्टेट करना चाहते हैं। (व्यवधान) यह नहीं चल सकता। (व्यवधान) अपने माननीय सदस्यों को नियंत्रण में रखें। (व्यवधान) हर तरह के मुद्दे को उठाते रहते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

आप सदन को चलने नहीं देते हैं, आखिर क्या तरीका है? (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसको सरकार बन्द करना चाहती है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रतिपक्ष के नेता महोदय को निर्देश दे कि यह अपने सभी माननीय सदस्यों को हमेशा नियंत्रण में रखें। (व्यवधान) पर प्रतिपक्ष सहयोग नहीं करेगा तो कैसे चल पाएगा?

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस काले कानून को बना कर +++ (व्यवधान)

(12.13 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अनुपस्थिति-अनुमति

महेश जोशी डा. को 3 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2002 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिए अनुमति तो लेने दो।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि डा. महेश जोशी, सदस्य विधान सभा ने मलेशिया की विदेश यात्रा पर रहने के कारण दिनांक 3 अप्रैल, 2002 से 10 अप्रैल, 2002 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

माननीय सहकारिता मंत्रीजी। (व्यवधान)

यह आपके ही दल का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। किसानों के हित में है इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इनका किसानों से क्या रिश्ता है? ये किसानों के एक नम्बर दुश्मन हैं, इनका किसानों से कोई रिश्ता नहीं है। ये किसानों के हित की कोई बात नहीं सुनेंगे, जो किसानों के हित में होगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विज्ञापनों का उत्पादन एवं उनका वितरण राजस्थान का मुख्य मंत्री यह काम करेगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कल डिमाण्ड की कि यह स्टेटमेंट आना चाहिए, किसानों के हित में है। इनका स्टेटमेंट दिला रहे हैं आपके कहने से। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भाजपा वाले ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे। (व्यवधान) ये किसान विरोधी हैं, किसान विरोधी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप उनकी आजादी पर अंकुश डालना चाहते हो। वे ही जिन्दा रहेंगे जो सरकार की चाटुकारिता करेंगे, यह कौन-सी आजादी हुई? क्या सरकार की मर्जी पर निर्भर रहेंगे फिर? (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

कोई तलवार चलाने का प्रस्ताव दोगे? केन्द्र सरकार की तारीफ करोगे? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजफैड ने नैपेड की एजेंसी के रूप में समर्थन मूल्य पर जिंसों की खरीद की व्यवस्था कर रखी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये सुन ही नहीं रहे हैं तो क्या बोलने की जरूरत है। आप सुनना चाहते हो क्या इनको? (व्यवधान)

सदन की बैठक 1.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.17 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने समर्थन मूल्य पर खरीद का जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया था उस पर व्यवस्था दी थी कि आज इस पर...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो। मंत्रीजी ही नहीं हैं अभी तो, बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सम्मुख एक ऐसा विषय विचारार्थ था जिस विषय से लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ प्रभावित हो रहा है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। इस कानून के माध्यम से सरकार की यह मंशा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्वेश्चन आवर का था, क्वेश्चन आवर खतम हो गया तो अब क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारी प्रेस को अपने हिसाब से...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं, एक इस कानून से जो राजस्थान...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्वेश्चन आवर की बात थी, क्वेश्चन आवर खतम हो गया तो अब विषय थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : विषय तो इम्पोर्टेंट है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में कई इस तरह के विषय आ जाते हैं जो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनमाने तरीके से अगर कोई भी सदन में मसला उठाने की चेष्टा करेंगे तो यह किसी भी दृष्टि से राज्य के इस सर्वोच्च सदन का सार्थक उपयोग नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह विषय ऐसा विषय नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। यह राजस्थान...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राज्य सरकार सरसों की खरीद के मामले में अपना वक्तव्य देने जा रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बजट पर बोलना है, बोलना शुरू करो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है यह। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उसके बीच में इस तरीके के व्यवधान खड़ा करना जिसका राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा... (व्यवधान) यह सदन का कार्य निर्धारित किया हुआ है उसके अनुरूप सदन चलाने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : यह लोकतंत्र की हत्या, प्रेस की हत्या नहीं चलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कोई बात हुई? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गजट प्रकाशित किया गया है राजस्थान में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने पुराने सदस्य हैं, क्वेश्चन आवर का था, क्वेश्चन आवर खतम हो गया और अब आप...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ...आपने कल सदन को आश्वस्त किया था कि सरसों की खरीद पर राज्य सरकार आज अपना वक्तव्य देगी। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी...(व्यवधान) आपके आश्वासन के मुताबिक सदन की कार्यवाही चलाई जाए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : ...और उन सबके विज्ञापनों का विकेन्द्रीकरण करके जो काम एक प्राइवेट...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...यह विषय इतना गम्भीर है। (व्यवधान) अगर इसी व्यवस्था पर चली...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ...उन विषयों पर चर्चा हुई है। सरकार के...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : ...नियंत्रण करना चाहती है। (व्यवधान) प्रेस की आजादी पर हमला कर चुकी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अगर इस तरह की व्यवस्था माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा की जाती है...(व्यवधान) यह किसी भी दृष्टि से जनहित में नहीं है। यह तौर तरीका किसी भी प्रकार से...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : ...सरसों के बारे में आज सदन में वक्तव्य आ रहा है और किसानों का मुद्दा है यह सरसों का। सरसों किसानों का मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): आज प्रश्न के माध्यम से कोई मुद्दा उठाया है और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आप आधे घंटे की चर्चा मांग लें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसलिए सरसों के बारे में आज आना जरूरी है। (व्यवधान) हम किसान के बेटे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इन्होंने हिन्दुस्तान के किसान को तबाह किया है। (व्यवधान) किसान परेशान हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश का किसान परेशान है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उत्तर प्रदेश के अन्दर, कर्नाटक के अन्दर आज...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक 1.45 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.04 बजे 13.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.45 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको सांस लेने का ज्यादा मौका मत दो, एक साथ ही बोलने दो, कितना बोलते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय सदस्य, अभी जिस विषय पर यहां पर चर्चा हुई थी उसको लेकर कुछ माननीय सदस्यों को कुछ शंकाएं हैं। उन शंकाओं को दूर करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुला कर उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे और जो कुछ आपकी शंकाएं हैं, उनको दूर करने के बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। अब सदन की कार्यवाही चालू करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों के बाद तो आज पर्ची लगी और वह भी ऐसे में जिसमें...

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची तो गई आज। (व्यवधान) पर्ची वर्ची सब गईं अब तो। अब तो डिबेट है। कल लगा लेना आप वापस। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पांच-पांच मिनट में बात हो जाएगी, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : साहब, ढाई-ढाई बजे तक जीरो आवर चलता रहा है, इन्हीं पर्चियों को कल लगा देना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कल लगा देंगे। कम से कम समय में बोल करके बात कह देते।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो कर लो, साहब, इतना तो आश्वासन दे दो, कल इन्हीं पर्चियों को मान लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...कारण क्या है कि नर्सिंग वाले आज भी सड़क पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर बाद में बोल लेना, बिराजिए प्लीज। माननीय अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कारण क्या है ना कि सब लोग बोल भी पाएंगे और यह ऐसा विषय है जो...

श्री उपाध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य एक-एक घंटा बोलते हैं तो भी हम नहीं रोक रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी मेहरबानी है, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन, साहब, सहकारिता मंत्रीजी का स्टेटमेंट था खरीद मूल्य पर, वह आप पहले कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : वही करा रहे हैं। आप बिराजिए तो सही। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है, क्योंकि यह किसानों के जीने और मरने का सवाल है, सहकारिता मंत्रीजी, कितने केन्द्र खोले, क्या है, वह हो जाए, वह आप पहले करा दें। जो किसानों का मामला है, वह हवा में न चला जाए कहीं। यह हो जाए, सहकारिता मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : सहकारिता मंत्रीजी का स्टेटमेंट दिला दें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सहकारिता मंत्रीजी का स्टेटमेंट आना चाहिए, साहब, यह किसानों का मसला है। उसका आना बहुत आवश्यक है इसलिए माननीय सहकारिता मंत्रीजी को बोलने दीजिए। यह बहुत आवश्यक मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान) इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए आप।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : राजस्थान सरकार की तरफ से लगा रहे हैं 100 रुपये प्रति क्विंटल।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसके बाद में कोई शंकाएं होंगी तो आपको पूछने देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : मैं दो चीजें रख देता हूं, बाद में स्टेटमेंट में ही वह बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, बोलो।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में जिन भी फसलों की समर्थन मूल्य से नीचे बिक्री हो रही है, चाहे वह खरीफ की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद का सवाल था, चाहे एक साल पहले रबी की फसल का था, चाहे इस साल अभी रबी की फसल समर्थन मूल्य से नीचे बिकने वाली हो, राजस्थान के किसानों के साथ लूट का काम इस समर्थन मूल्य के माध्यम से किया गया है। चाहे पिछली फसल पर बाजरे के समर्थन मूल्य का सवाल हो, केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर राजस्थान के किसानों को तबाह करने का काम किया है। दोनों सरकारों ने मिलकर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर, इतिश्री मानकर, राजस्थान के किसानों को...

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री): कल शाम को तो टी.वी. पर आया, कल दिन में हमारे पास आया है, टेलीफोन पर यह सूचना मिली कि यह समर्थन मूल्य तय किया गया है। अब उससे पहले कितनी खरीद होगी, वह तो भारत सरकार ने तय किया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, आप तो टी.वी. सुनकर चिंतित हुए हो लेकिन राजस्थान के किसान बाजरे को लेकर सदन में और सदन के बाहर कितने चिंतित थे? एक लाख मीट्रिक टन की

(श्री अमराराम)

आपने यहां घोषणा की, आप इसमें बताइये कि उस समय कितनी खरीद की गई? किस तरह से किसानों को लज्जित किया गया बाजरे की खरीद के नाम पर, पूरे राजस्थान का किसान जानता है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब पुरानी बातों को छोड़िये, आइए इस सरसों पर।

श्री अमराराम (धोद) : अभी वाली बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि राजस्थान के किसान की सरसों आधी से ज्यादा बिक चुकी है, केवल एक शेखावाटी इलाका छोड़ दीजिए। कोटा डिवीजन, भरतपुर, अलवर, पूरे राजस्थान में आधे से ज्यादा किसानों की समर्थन मूल्य से नीचे, 1000 से नीचे, 1000-1050 में राजस्थान के किसानों की आधी से ज्यादा सरसों खरीद ली गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह घोषणा की गई है, किसानों की बात से लगातार यह आया है जब भी फसल रबी की बोई जाए...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रक्योरमेंट रेट कब तय हुई?

श्री अमराराम (धोद) : उस समय हिन्दुस्तान की सरकार को समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। लेकिन हालात क्या हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आज जो घोषणा की है, अभी सब फसल आने को है, कुछ आकर बाजार में चली गई, उस समय गेहूं का समर्थन मूल्य केवल दस रुपये बढ़ाकर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : केवल दस रुपये बढ़ाया है, साहब, बिलकुल ऊंट के मुंह में जीरा है।

श्री अमराराम (धोद) : जिस तरह से डीजल के, खाद के, बीज के बढ़े हैं... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाये हैं, केरोसीन तेल के दाम बढ़ाये हैं, ऐसे ही समर्थन मूल्य भी बढ़ाना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : दस रुपये बिलकुल अपर्याप्त हैं, ऊंट के मुंह में बिलकुल जीरा है। दस रुपये क्या बढ़ाये, कितनी बिजली बढ़ गई, कितना खाद बढ़ गया, कितना डीजल बढ़ गया?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं मांग करता हूं आपसे कि सौ रुपये बढ़ना चाहिए, कम से कम सौ रुपये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सारी चीजें बढ़ गईं और दस रुपये क्विंटल आप समर्थन मूल्य में गेहूं पर बढ़ा रहे हैं, क्या किसान को देना चाहते हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसान के साथ मजाक कर रहे हैं, आपको प्रोटेस्ट में चिट्ठी लिखनी चाहिए थी तुरन्त।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो आज भारत सरकार...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : यह दिल्ली सरकार का मसला है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : चौधरी अजीत सिंह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हां, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कर रही है यह, राजस्थान की सरकार तो तैयार बैठी है बढ़ाने के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। बिराजें।

श्री रामस्वरूप : दिल्ली की सरकार मना कर रही है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : ...विरोध करते हैं, गेहूं का मूल्य...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : तो दिल्ली वालों का क्यों नहीं नाम लेते हैं आप जिन्होंने डीजल के भाव बढ़ाये हैं, जिन्होंने मिट्टी के तेल के भाव बढ़ाये हैं, जिन्होंने केरोसीन के भाव बढ़ाये हैं?

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : खरीद-खरीद करके बोया है किसानों ने और उसको 610 रुपये मिल रहे हैं। समर्थन मूल्य दस रुपये बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान में सरसों की खरीद के लिए राजफैड... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सौ रुपये बढ़ाया जाए, प्रस्ताव ले लो। प्रस्ताव ले लो, बढ़ा दो सौ रुपये, हमको क्या दिक्कत आ रही है? बढ़वाइये दिल्ली सरकार से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह कह रहे हैं कि बढ़ाओ इसको सौ रुपये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बंशीवालजी, बिराजिए। बिराजिए, यह सदस्य बोल रहे हैं न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरा निवेदन है आपसे...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, आपका निवेदन नहीं, पहले यह बोलेंगे। अब बिराजिए आप। (व्यवधान) आप बिराजें पहले, वह बोल रहे हैं न।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके कहने से हम तो बिराज जाएंगे, हमें भी समय दोगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : एक बोल रहे हैं तो क्या फिर...

श्री यशवंत सिंह (रामू) : नहीं, इनके बाद समय दोगे ना आप?

श्री उपाध्यक्ष : सबको बुलायेंगे, आप कहोगे जो बुलायेंगे, बिराजो तो सही। उनको तो खतम करने दो।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सरसों को समर्थन मूल्य पर बहुत बड़ा खरीदा गया लेकिन आज जिस संस्था के माध्यम से राजस्थान की सरकार प्रक्योरमेंट करेगी, हमारे मंत्रीजी ने उससे पहले ही दे दिया कि राजस्थान के किसान की तमाम सरसों खरीदने की उसके पास व्यवस्था नहीं है। मंत्रीजी, आप अपने स्टेटमेंट में बताएं कि जितना राज्य का किसान सरसों बेचने के लिए आएगा उसको समर्थन मूल्य पर यह आपकी संस्था खरीद पाएगी, क्या उसके लिए पैसे का इंतजाम है? क्या उसके लिए स्टोर का इंतजाम है? राजस्थान की सरकार को इस मामले में चिंतित होना चाहिए था। आज भी चिंतित नहीं है। तय रूप से राज्य में जो तिलहन पैदावार है, सरसों की पैदावार है, पूरे हिन्दुस्तान के 45 प्रतिशत तिलहन का उत्पादन करता है। राजस्थान की कृषि को अगर आगे बढ़ाना है, किसान को अगर थोड़ा-बहुत भी समर्थन करना है तो चना और सरसों दोनों में समर्थन मूल्य में सौ रुपये और सब्सिडी देकर राजस्थान का किसान जो पिछले चार साल से लगातार अकाल में है, उसकी तमाम जितनी भी फसल होती है उसको खरीदने का इंतजाम राज्य सरकार करे, उसके पेमेंट का इंतजाम करे। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि यह एक लैंदी प्रोसेस है- आप खरीदने में उसकी छलाई करेंगे, उसके बाद में आप उसको चैक देंगे और चैक दस दिन तक चक्कर काटता रहेगा। मण्डी में अगर बेच कर जाएंगे तो उसी दिन पेमेन्ट हो जाएगा और आप अगर चैक देंगे तो वह दस दिन तक चक्कर काटता रहेगा। इसलिए इस प्रक्योरमेंट की प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए जिससे किसान उसे आराम से बेच सके। मैं समझता हूं कि गेहूं पर इस बात को लेकर किसान चिंतित हैं। जौ का समर्थन मूल्य तो बढ़ाया ही नहीं है, और गेहूं का भी दस रुपये मात्र बढ़ाया है। केन्द्र सरकार इस तीन महीने के लिए जो एफ.सी.आई. से गेहूं जारी करती है, उसकी जो कीमत गिराई है, तय रूप से बाजार में भाव इस समर्थन मूल्य से नीचे आएगा। उसके प्रक्योरमेंट के लिए केन्द्र सरकार ने क्या दिशा-निर्देश दिये हैं, और गेहूं और जौ के लिए राजस्थान की सरकार ने क्या व्यवस्था की है, वह मंत्रीजी बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष की भांति राजफैड ने नैफेड की एजेंसी के रूप में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की व्यवस्था की है। किसानों को सरसों का उचित मूल्य दिलाने के लिए गत दो वर्षों में राजफैड के द्वारा क्रमश: दो लाख मीट्रिक टन कीमतन 2 करोड़ 20 लाख रुपये एवं ढाई लाख मीट्रिक टन कीमतन 300 करोड़ रुपये की खरीद की गई थी। गत वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23.3.2001 को सरसों का समर्थन मूल्य 1200 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था जबकि इस वर्ष सरसों के समर्थन मूल्य की घोषणा 2.4.2002 को अर्थात् दस दिन बाद में की है। इस दौरान भारत सरकार द्वारा तिलहन और दलहन हेतु घोषित शीर्ष एजेंसी नैफेड ने पत्र दिनांक 30.3.2002 द्वारा राजफैड को निर्देश दिए कि गत वर्ष के समर्थन मूल्य पर 1.4.2002 से क्रय प्रारम्भ कर दिया जाए। इस निर्देश के अनुसार राजफैड ने तत्काल उसी रोज अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को गत वर्ष के समर्थन मूल्य पर 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गत वर्ष की भांति 1.4.2002 से खरीद शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए।

यही नहीं, राजफैड ने समर्थन मूल्य की योजना के तहत केवल मात्र किसानों से ही कृषि जिंसों की खरीद के लिए खरीद प्रणाली के बारे में एक विस्तृत मार्ग-निर्देशिका भी इस वर्ष जारी की है। इस वर्ष लगभग साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन सरसों की समर्थन मूल्य पर सम्भावित खरीद के लिए भण्डारण एवं बारदाने की व्यवस्था हेतु केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं नैफेड के साथ समन्वय बना रहे हैं। दिनांक 29.3.2002 को समर्थन मूल्य पर रबी सीजन में होने वाली तिलहन और दलहन की खरीद के बारे में अध्यक्ष, नैफेड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में हमारे सचिव ने समय रहते पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराये जाने तथा समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने वाली सरसों के शीघ्र भुगतान के लिए नैफेड के प्रबन्ध निदेशक से निवेदन किया था। इतना ही नहीं, मान्यवर, मैंने स्वयं ने दिनांक 1.4.2002 को माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री अजीत सिंहजी साहब की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सरसों की खरीद के लिए बारदाने की नैफेड के द्वारा प्राप्ति कराना और कृषकों को तत्काल भुगतान कराने के लिए हमें पैसा देने के लिए निवेदन किया था। मैंने यह भी निवेदन किया था कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को दस-दस लाख रुपये रिवाल्विंग फंड यदि आप दे दें तो उससे खरीद में आसानी रहेगी।

एक ओर तो नैफेड द्वारा गत वर्ष दर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

1200 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद के लिए 1.4.2002 को शुरू करने के आदेश तारीख 30.3.2002 को जारी किये गये, वहीं दूसरी ओर स्वयं माननीय कृषि मंत्री महोदय ने जयपुर में 1.4.2002 को समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की समीक्षा बैठक में यह कहा कि उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार सरसों पर समर्थन मूल्य लगभग आठ प्रतिशत बढ़ाएगी। तारीख 2.4.2002 को प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों में यह ख़बर प्रकाशित हुई जिसकी वजह से किसानों को 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर अपनी सरसों बेचने पर असमंजस हुआ। होली के अवकाश के कारण अधिकांश कृषि उपज मण्डियां बंद होने के बावजूद भी प्राप्त सूचना के अनुसार 2.2.2002 को छह क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारम्भ कर दी गई थी। अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक, नैफेड के द्वारा 2.4.2002 को मध्याह्न पश्चात् निदेशक, राजफैड को दूरभाष पर यह सूचित किया गया कि भारत सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 1300 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। समर्थन मूल्य की आधिकारिक घोषणा की प्रति की प्राप्ति के पश्चात् समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद पर गति आ जाएगी। आशा है कि केन्द्र सरकार, नैफेड, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम तथा केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम के सहयोग से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिक से अधिक सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी।

जहां तक समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर दिनांक 2.4.2002 तक कोई सूचना केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मैं स्वयं, सहकारिता विभाग के अधिकारीगण, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, जयपुर से निरन्तर सम्पर्क में हैं। जैसे ही गेहूं के समर्थन मूल्य की घोषणा हो जाएगी अब वो, हां, यह कल का स्टेटमेंट है, हो जाएगी।

(14.00 बजे)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 10 रुपये बढ़ाये हैं। उधर से बढ़कर आये हैं ये तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बहुत बड़ा एहसान कर दिया किसानों के ऊपर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और अब 620 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा। अभी तक भारत सरकार से इस बारे में हमारे पास में लिखित में या दूरभाष पर कोई इत्तला नहीं दी गई है। आया है लेकिन वो कन्फर्म तब होता है, हुजूर, जब सरकार की तरफ से लिखित में आदेश आ जाए हमारे पास।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं तो आपने तो 10 रुपये बढ़ा दिये न? दिल्ली से बढ़कर आ गये न 10 रुपये? 10 रुपये बढ़कर आये हैं दिल्ली से।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी मैं जो न्यूज दे रहा हूं वह आपके सामने आयी हुई न्यूज है। मैं भी यही कह रहा हूं कि टेलीविजन पर यह आया है कि 610 थे, अब उन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिये। 10 रुपये के बारे में आपने बड़ी चिन्ता जाहिर की। यह तो भारत सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार तो एजेंट है, राज्य सरकार को उसमें एक रुपया कमीशन मिलता है। हम तो कमीशन एजेंट हैं। हमारा इसमें सिर्फ खरीदना और स्टोरेज करना और उनको...

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान सरकार सब्सिडी तो दे सकती है। हरियाणा और पंजाब ने 50 रुपये प्रति क्विंटल दिये हैं तो आप भी दे सकते हैं। मनाही थोड़े ही है राजस्थान सरकार को?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ...(व्यवधान) उल्लेखनीय यह है कि जब यह तय हो जाएगा उसके पश्चात् खाद्य निगम 10 क्रय केन्द्र खोलेगा और...

श्री अमराराम (धोद) : दस?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दस, टैन और।

श्री अमराराम (धोद) : काहे के लिए?

श्री खेतसिंह राठौड़ : गेहूं के लिए। गेहूं के लिए अगर हमारे पास यह आएगी इत्तला तो 10 तो फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया और 24 केन्द्र खोलेंगे वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, राजस्थान और 66 केन्द्र खोलेंगे राजफैड। इस तरह से इन केन्द्रों पर गेहूं खरीदा जाएगा जब हमको परमीशन मिल जाएगी।

मान्यवर, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने दो–चार बातें यहां उठायी थीं, मेरा खयाल है कि सभी के क्वेश्चन आ जाएं उसके बाद ही जवाब दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टेटमेंट मैंने आपको सुना दिया, अब मेरा खयाल है कि ज्यादातर आप सैटिसफाइड हैं। कोई खास क्वेश्चन हो तो फरमा दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। सांवर लालजी। बिराजिए। आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सुराना साहब बिराजिए, वह बोल रहे हैं।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल हमने मांग की थी कि जो सरसों का समर्थन मूल्य है वो 1200 से 1300 किया जाए। कल आपने यह कह कर बैठा दिया था कि कल मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे, लेकिन यह कल पड़ा हुआ वक्तव्य आज दे रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ गये, डीजल के दाम बढ़ गये, खाद के दाम बढ़ गये। किसान तीन साल बाद भगवान के प्रकोप से बचा है, तीन साल बाद अच्छी फसल हुई है। आज की डेट तक आधे से ज्यादा सरसों, जो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों होती है वह आधे से ज्यादा सरसों मण्डी में जा चुकी है। न तो सैंट्रल गवर्नमेंट ने

(श्री यशवंत सिंह (रामू)

न राजस्थान गवर्नमेंट ने सरसों की खरीद के लिए, न गेहूं की खरीद के लिए कोई केन्द्र खोला है और न मुझे लगता है कि 10-15 दिन में व्यवस्था करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान जिसके ऊपर यह गवर्नमेंट चलती है, सारा व्यापार चलता है, अपना पसीना सींच-सींच कर, बच्चों का पेट काट-काट कर रात-दिन मेहनत करता है। ठण्ड में मर कर खेतों में पानी देता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1200 रुपये किलो गेहूं खरीदता है बीज के लिए, सरसों खरीदता है और जब उसकी बेचने की बारी आती है तो साहूकार खड़ा होता है। साढ़े तीन, सवा तीन, पौने चार करके एक, दो, तीन करके बेच देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी सरसों और गेहूं की खरीदने की व्यवस्था करावें। नहीं तो किसान का जो गेहूं और सरसों है वह आधे से ज्यादा तो मण्डी में जा चुका है और बाकी भी चला जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि 1200 से सरसों का समर्थन मूल्य 1300 किया जाए... (व्यवधान) 1400 किया जाए... (व्यवधान) अभी 1200 ही है। आज की डेट में 1200 ही है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अजित सिंहजी ने कर दिया 1300.

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. वाले कहते हैं कि 1300 हो गया, कल से घोषणा हो रही है 1300 हो गया। मैंने तो अखबार में पढ़ा, टेलीविजन में देखा, मुझे तो कहीं नजर आया नहीं। यह करते रहोगे लेकिन जब तक खरीद नहीं होगी और गेहूं की खरीद पर 10 रुपये की भीख देकर सैंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है कि आप 10 रुपये ज्यादा ले लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि गेहूं का समर्थन मूल्य सात सौ रुपये और सरसों का समर्थन मूल्य चौदह सौ रुपये होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या प्रश्न है आपका?

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से एक सवाल तो यह है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने की आपने कहा कि इजाजत देंगे। खाली सवाल, भाषण नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने ही फरमाया था।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल है हमारा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये पूछ रहे हैं अभी आप बिराजिए। सांवर लालजी पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंटेड सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : सभी पाइंटेड पूछते हैं, घोटाला मैं पूछता हूं।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, कृपया यह बताने की कृपा करें कि राजस्थान में इस वर्ष साढ़े तीन लाख टन सरसों... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं न।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकारा था।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछ लेना। आप बिराजिए न। आपको मना थोड़े ही किया है।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय मेरा निवेदन है कि इस वर्ष मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि राजस्थान में सरसों कितनी होने की सम्भावना है? नम्बर-2...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो कृषि मंत्री से पूछे।

श्री सांवर लाल : नहीं, कृषि मंत्री क्या, साढ़े तीन लाख टन का टारगेट इन्होंने निश्चित किया है। तो सरसों का उत्पादन कितना होगा? अगर 10 लाख टन होगी और साढ़े तीन लाख टन आप खरीदेंगे तो बाकी के किसान कहां जाएंगे, एक सवाल तो मेरा यह है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये तो प्रक्योरमेंट के धणी हैं, उत्पादन के धणी नहीं हैं। उत्पादन कितना हुआ यह एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछिए।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्योरमेंट वालों को बताना पड़ेगा। आंकड़े कृषि विभाग से लेने पड़ेंगे, अगर ये नहीं बता सकते हैं। पैसा भारत सरकार दे रही है, इनकी जेब से कुछ नहीं लगता है। दलाली का पैसा इनको मिलता है। तो केवल साढ़े तीन लाख टन इन्होंने फिक्स कैसे किया?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री सांवर लाल : इसलिए मेरा निवेदन है कि कुल उत्पादन कितना होने की सम्भावना है? दूसरा निवेदन है, आप कह रहे हैं कि निर्देश ज़ारी कर दिया है, आदेश दे दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरसों मण्डी में आ रही है, समर्थन मूल्य से काफी नीचे बिक रही है। आज जो किसान बेच देता है उसका नुकसान होता है। कब से इफैक्टिवली आप कितने केन्द्रों के ऊपर चालू कर देंगे? व्यावहारिक रूप से चालू नहीं हो तो मतलब क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हमें भी बुलवाओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी की तवज्जह चाहूंगा और मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो आप ये जो खरीद के केन्द्र स्थापित करेंगे, ये क्या आप जिलावाइज करेंगे या तहसीलवाइज करेंगे? आपने इसकी क्या व्यूह रचना बनायी है? ऐसा न हो कि काश्तकार को अपना खाद्यान्न लेकर बहुत दूर जाना पड़े। काफी असुविधा होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपनी रूपरेखा तो बताएं कि आप ये केन्द्र कब शुरू कर रहे हैं और किस स्तर पर कर रहे हैं? भरतपुर, अलवर और ये जो दूसरा एरिया है जहां सरसों बड़ी तादाद में पैदा होती है, उसमें आप केन्द्र कब से शुरू करेंगे और कहां-कहां करेंगे?

दूसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने गेहूं के लिए जो 610 रुपये किये हैं, केवल 10 रुपये बढ़ाये हैं, आप क्या इसको पर्याप्त मानते हो? इसमें आप राज्य सरकार की तरफ से भी किसान को कुछ सहायता राशि देकर उससे अधिक मूल्य पर खरीदने का विचार रखते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा सिंहजी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक मिनट मैं पूछ लूं?

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप पूछिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आपने गेहूं के लिए तो खरीद के लिए खरीद के केन्द्र बता दिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बुला देंगे। चर्चा खतम हो गयी क्या? इतनी जल्दी क्या है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...कि इतने नैफेड, इतने राजफैड के जरिये, इतने वेयरहाउसिंग के जरिये लेकिन सरसों के लिए कुल कितने केन्द्र होंगे, यह आपने नहीं बताया। इसलिए आप यह बताइये कि कितने केन्द्र होंगे और कहां-कहां, यह भी बताने का कष्ट करें?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन साल से राज्य अकाल से जूझ रहा है, उधर रामजी रूठे हुए हैं इधर राज रूठा हुआ है। उधर का राज रूठा हुआ है इधर का राज रूठा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : पूछना क्या चाहते हो आप, वह बोलें?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उन दोनों के बीच किसान पिस रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं किसानों के लिए

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

आप लोगों ने न तो कोई बजट में प्रावधान रखे, न कोई और व्यवस्था जो किसानों को राहत पहुंचाए। आज बिजली के दाम इतने बढ़ गये, तेल के दाम इतने बढ़ गये...(व्यवधान) उसके हिसाब से मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं। निवेदन मेरा यह है कि गेहूं के अन्दर जो 10 रुपये बढ़े, क्या आप उसको 620 रुपये की जगह सात सौ रुपये करने की मंशा रखते हैं? अगर रखते हैं तो वो सदन के अन्दर आप हमारे को जानकारी दें। जो अभी 1300 का भाव है उसको आप 1400 करें। (व्यवधान) 1300 हो गया वो बता रहे हैं, तो मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको 1400 रुपये करें।

(14.09 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पाइंटेड सवाल करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपने सरसों की खरीद का टारगेट तय कर दिया और आपने यह भी बता दिया कि सरसों के केन्द्र नहीं बताये पर गेहूं के केन्द्र खोलेंगे। क्या यह सही है कि अभी जो आप सरसों और गेहूं प्रक्योर करोगे उसकी भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था आपके पास नहीं है? जिस तरह पिछली बार बाजरे की भण्डार व्यवस्था नहीं होने के कारण आप बाजरा पूरा नहीं खरीद सके और फिर आपने दोष मंढ दिया केन्द्र सरकार पर। आपने जो साढ़े तीन लाख टन सरसों के क्रय करने की बात कही है क्या यह पर्याप्त है? क्या आपको कृषि विभाग ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार राजस्थान में कम से कम 18 और 20 लाख टन के बीच में सरसों पैदा होने की सम्भावना नहीं? इतनी ज्यादा सरसों पैदा होगी और उसमें से आप इतनी कम खरीद रहे हैं और भण्डारण के लिए आपने क्या व्यवस्था की है, इसके बारे में आप बता दें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से मेरा भी विनम्र निवेदन है कि यहां सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाए जो दिल्ली सरकार को भेजा जाए और उसमें यह मांग की जाए कि किसानों का जो सरसों का मूल्य है वह अब भी कम है, उसका मूल्य और 100 रुपये बढ़ाया जाए। इसके साथ ही गेहूं का मूल्य जो उन्होंने बढ़ाया है वह न के बराबर है, इसलिए उसका भी एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव हमारे यहां से बनकर दिल्ली सरकार को जाना चाहिए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। यह मेरा विनम्र निवेदन है क्योंकि देश का किसान आज मर रहा है। दिल्ली सरकार लगातार डीजल के भावों को बढ़ा रही है और राजस्थान सरकार को उन्होंने जो खरीद के लिए कहा है उसकी भी स्पष्ट व्यवस्था उन्होंने नहीं की है। वही बाजरे वाली बात उन्होंने फिर पैदा कर दी है। जिस प्रकार

(श्री रामस्वरूप)

बाजरे के भाव उन्होंने तय कर खरीद के लिए स्पष्ट निर्देश नहीं दिए, ऐसे ही पुन: सरसों के भाव तय कर दिए लेकिन खरीद के स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। न पूरे भण्डारण की किसी प्रकार की व्यवस्था की है दिल्ली सरकार ने। माननीय सभापति महोदय मेरा विनम्र निवेदन है क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान के दु:ख-दर्द को समझता हूं। हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम दिल्ली सरकार को अवगत कराएं कि दिल्ली सरकार के कारण हमारी सरकार को नुकसान होता हैं। स्पष्ट करें आप इस बात को कि यह जो खरीदने की ड्यूटी है यह दिल्ली सरकार की है न कि राजस्थान सरकार की। दिल्ली सरकार ने भण्डारण की व्यवस्था सही नहीं की है, न कोई पैसे की सही व्यवस्था की है। यही उन्होंने बाजरे में किया था। सारा दोष दिल्ली सरकार का है। माननीय मंत्री महोदय, यह बात स्पष्ट जानी चाहिए। अपन यह समझा नहीं पा रहे हैं उस बात का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। अपन पर यह थोप रहे हैं जबरदस्ती, जबकि यह काम दिल्ली सरकार का है। इसलिए आप इस बात को स्पष्ट करें कि आपकी मंशा तो बढ़ाने की है लेकिन दिल्ली सरकार नहीं बढ़ा रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां दिल्ली सरकार कहां आ गई?

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में वहां की सरकारें किसान को गेहूं पर 50-50 रुपये सब्सिडी देती हैं, राजस्थान की सरकार भी क्या पंजाब और हरियाणा की तरह से जो माननीय रामस्वरूपजी मीणा +++ कह रहे हैं, क्या राजस्थान की सरकार भी पंजाब और हरियाणा की तरह ऐसी मंशा रखती है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं +++ नहीं रहा हूं। राजस्थान के किसान की बात को यहां रख रहा हूं मन से। +++ रहे हैं, +++ तो आप हो। मैं तो किसान की बात को रख रहा हूं।

श्री सभापति : बोलने दीजिए आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : जौ की खरीद के बारे में अभी किसी ने नहीं कहा। राजस्थान की सरकार जौ की खरीद भी करना चाहती है या नहीं, उसके बारे में मंत्री महोदय बताएं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह विषय हर बार उलझ कर रह जाता है। आप तो केन्द्र कब शुरू कर रहे हो, वह बताएं? राजस्थान सरकार इन केन्द्रों को कब शुरू कर रही है और कहां-कहां कर रही है? विशेष रूप से अलवर और भरतपुर जो गेहूं और सरसों में नम्बर एक पर हैं, वहां पर तो आप आज ही शुरू कर दें और अभी शुरू कर दें, यह मेरा निवेदन है।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, अलवर और भरतपुर जिला जैसा कि आप सब जानते हैं, सरसों की भारी पैदावार करता है। सौभाग्य से मैं भी ऐसे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ से आता हूं जहां पर सरसों की इस बार परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। बहरोड़ में कृषि उपज मण्डी नहीं होने के कारण हमारी कृषि उपज मण्डी, खैरथल है जो कि बहुत दूर पड़ती है। बहरोड़ के किसान को अपनी सरसों बेचने के लिए मजबूरी में हरियाणा की नारनौल और अटेली मण्डी में जाना पड़ता है। पिछली बार बहुत कृपा करके माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने जौ की खरीद के लिए बहरोड़ को केन्द्र बनाया था, उसके लिए तो माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहरोड़ की जनता की तरफ से गुहार करना चाहता हूं और मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पूर्व की भांति इस बार भी आप बहरोड़ पर सरसों की और गेहूं की खरीद का केन्द्र खोलकर कृपा करेंगे? इस बारे में जवाब दें।

श्री सभापति : आपकी बात मान लेंगे।

डा. करण सिंह यादव : बहुत कृपा, साहब।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है वह एक तरह से किसान के साथ खिलवाड़ है। एक ओर डीजल के भाव, खाद के भाव और पेस्टीसाइड के भावों को देखें और किसान को जो बिजली मिल रही है इन सबको देखें तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए राजस्थान के किसानों का यह प्रश्न सभी दलों और व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। मेरा यह आग्रह है कि 10 के स्थान पर कम से कम 50 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं में बढ़ाने का एक प्रस्ताव...(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : 50 नहीं 100, 100. (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आपके यहां तो होते ही नहीं हैं, न सरसों होती है न गेहूं होते हैं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : यही हालत सरसों की है जो जौ की है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : 100 रुपये बढ़ने चाहिए, 100 रुपये। (व्यवधान) 100 रुपये की मांग करो केन्द्र सरकार से। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 50 नहीं 100 रुपये की मांग करो। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं दिया जा रहा है इसलिए विधान सभा की ओर से केन्द्र सरकार से मांग की जानी चाहिए कि जो रेटें आपने निर्धारित की हैं वह किसानों के साथ ज्यादती होगी शोषण होगा। इसके साथ ही जहां कृषि मण्डी नहीं है और जो मुख्यालय है वहां पर खरीद के केन्द्र भी स्थापित किये जाने चाहिए, यह मेरी आप से मांग है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके लिए तो खानों के केन्द्र स्थापित करने चाहिए। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आप इतनी जोर से कह रहे हो, भारत सरकार से कहो, हम तो सब तैयार हैं, बढ़ना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : +++ लगता क्या है?

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक बार बिराजिए, बिराजिए आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपंदरा) : माननीय सभापति महोदय, यह चिंता का विषय है कि काश्तकार की उपज होती है, उसके जो भाव मिलने चाहिए वे नहीं मिलते। जब पैदावार होती है उस समय भाव इतने नीचे गिरे रहते हैं और दो महीने बाद ही वे भाव बहुत चढ़ जाते हैं तो काश्तकार के पास तो माल रहता ही नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम जल्दी ही इसको खरीदेंगे। पश्चिमी राजस्थान में भी आप जल्दी से जल्दी केन्द्र स्थापित करें। सरसों, अरण्डी और जीरा तक भी आप गेहूं के अलावा खरीदें, क्योंकि जीरे की मण्डी ऊंझा में है और ऊंझा में लोग अपनी मोनोपोली चलाते हैं। इसके बारे में भी आप अपनी मार्केटिंग सोसायटी को आदेश दें कि जीरा जगह-जगह खरीदा जाए ताकि उन काश्तकारों को वाजिब भाव मिल सके यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जालौर जिले में सबसे ज्यादा सरसों, जीरा, ईसबगोल और अरण्डी होता है। इन सबका राजस्थान का 80 परसेंट उत्पादन जालौर जिले में होता है। अभी केन्द्र सरकार ने जो 1200 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये किये हैं वह उचित नहीं है क्योंकि किसान की पैदावार करने के लिए जितनी लागत आती है, बुआई से लेकर सब प्रकार की मजदूरी, बिजली का खर्चा, ट्रैक्टर चलाने का खर्चा, खुर्पी लगाने वगैरह का जितना खर्चा आता है उसके अनुपात में सरसों की 1400 रुपये की रेट बहुत कम तय हुई है। ईसबगोल पूरे इण्डिया का 80 परसेंट जालौर जिले में पैदा होता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : इस साल भयंकर अकाल की वजह से और जीरे में भयंकर बीमारी लगने की वजह से किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसलिए मैं माननीय खेतसिंह जी से निवेदन करूंगा कि सरसों की जो अनाज मण्डी है रानीवाड़ा... (व्यवधान) पहले आपने बाजरी खरीदने

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रतनाराम चौधरी)

का केन्द्र भीनमाल, सांसड़ा रखा था, कृपया रानीवाड़ा में ही...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह भाषण दे रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : केन्द्र रखा जाए रानीवाड़ा। (व्यवधान) सरसों की जो फसल हुई है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) **:** आप प्रश्न पूछने का समय दे रहे हैं या भाषण का समय दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : मेरी आपसे यही प्रार्थना है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहे हैं या भाषण करवा रहे हैं? जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भाषण करवाकर जो मूल बात है आप...(व्यवधान) सरकार क्या करने जा रही है, पहले इतना तो स्पष्ट कर दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय से जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी बात का जवाब आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) **:** भरतपुर और अलवर की ही बात नहीं है, पूरे राजस्थान के किसानों की बात है। (व्यवधान) राजस्थान का किसान हमेशा अकाल से जूझता हुआ आ रहा है। हर चीज पर भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान की दवाइयों पर भाव बढ़ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : खाद और बीज पर भाव बढ़ रहे हैं। (व्यवधान) बिजली पर भी भाव बढ़ रहे हैं। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय खुद किसान हैं, यह आपका जवाब अच्छा देंगे। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय किसान हैं, किसान की बात को ध्यान में रखेंगे। (व्यवधान) हम प्रस्ताव रखते हैं पूरी विधान सभा की तरफ से। (व्यवधान) हम प्रस्ताव रखते हैं कि गेहूं का समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाया जाए। (व्यवधान) सारे विधायक इस पक्ष में हैं। पूरे राजस्थान की जनता इस पक्ष में है कि किसानों को किसानों का हक मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : क्या किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सरसों का भाव...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए? (व्यवधान) दिल्ली सरकार को लिखा जाए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : बढ़ा नहीं रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : किसानों को उसका समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं। समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दिल्ली सरकार चुप बैठी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी झेंप क्यों मिटा रहे हो? (व्यवधान) अपनी झेंप को मत मिटाओ। (व्यवधान) राजस्थान सरकार के मंत्रीजी को बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने दिल्ली सरकार को लिखा क्या? राजस्थान में...(व्यवधान) समर्थन मूल्य 100 रुपये और बढ़ाया जाए। 1500 रुपये किया जाए, 1500 रुपये। (व्यवधान) यह दिल्ली सरकार को लिखा जाए स्पष्ट। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय बोल रहे हैं, उन्हें घोषित करना है। (व्यवधान) राजस्थान सरकार को घोषित करना है, केन्द्र सरकार कहां आ गई? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। आप बैठिए। (व्यवधान) आप बैठिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सब लोग चिंतित हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदयजी बहस का जवाब देंगे, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप गोलमोल जवाब मत देना, जो भी दें स्पष्ट देना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, घोषित करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : प्रस्ताव पारित किया जाए सर्वसम्मति से और दिल्ली सरकार को लिखा जाए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसमें दिल्ली सरकार का क्या है? (व्यवधान) मंत्रीजी घोषित कर रहे हैं राजस्थान की ओर से। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने एक बात रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान) मंत्री महोदय सुन रहे हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 से 70 प्रतिशत सरसों की फसल चौपट हो गई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : उसमें या तो राज्य समर्थन मूल्य के साथ-साथ मुआवजा दे। (व्यवधान) राज्य सरकार सब्सिडी दे या केन्द्र सरकार उसको ज्यादा बढ़ाए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगणों ने जो-जो प्रश्न पूछे हैं, एक-एक का मैं जवाब दे देता हूं।

श्री सभापति : बीच-बीच में कई माननीय सदस्य नहीं बोल पाये हैं, उनकी बात भी आप सुन रहे थे, उनका भी दे देना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनका भी इसी में आ जाएगा।

श्री सभापति : आ जाएगा, बहुत अच्छा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं डिटेल में सारी बात कहूंगा। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आपको क्या फिगर्स दिए कि टोटल कितनी सरसों अपने यहां इस साल हुई है। तो उन्होंने हमको 19.69 लाख मीट्रिक टन सरसों की उपज बताई है। उसमें से साढ़े तीन लाख के करीब हम खरीदेंगे। फिर आपने यह पूछा, साढ़े तीन लाख में भी आप यह कह रहे थे कि आपके पास में भण्डारण व्यवस्था है कि नहीं है, आप कैसे करेंगे। यह आपने सही बात कही, पिछली बार भी हमको इसमें काफी तकलीफ उठानी पड़ी थी। यहां हमारी भण्डारण व्यवस्था कम है। अजित सिंह जी यहां आये थे, हमने उनके सामने भी यह प्रश्न रखा था कि आप हमें भारत सरकार से फण्ड दिलवाएं ताकि हम और व्यवस्था कर सकें। उन्होंने कहा कि इस बार तो मुश्किल ही है। तो हमने प्राइवेट एजेंसियों से कुछ भण्डारण व्यवस्था की है और हमें कुछ ऐसे बड़े-बड़े अगर मिलेंगे तो उनके अन्दर भी हम भण्डारण का करेंगे। जो साढ़े तीन लाख का हमने कहा है उसकी व्यवस्था हमारे पास है, उतनी हम खरीदेंगे और उसका भण्डारण हम बराबर कर देंगे। केन्द्र 127 खोले... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 127 या 227? (व्यवधान) 127 या 227?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप चाहो तो आपको पूरी लिस्ट सुना दूं। 127, आप मेहरबानी करके सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) **:** एरियावाइज खोलिए सब जगह। (व्यवधान) जहां मण्डी है। पहले आपने बाजरे का मेरे किशनगढ़ में नहीं खोला, ब्यावर में खोला। (व्यवधान)

श्री सभापति : पहले आप सुनिए। आप सुनिए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप शांति से सुनेंगे तो आपको काफी सैटिस्फैक्शन हो जाएगा। उसके बावजूद भी आपको अगर कहीं पर मण्डी खुलवानी हो जहां सरसों होती है तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम को कंसीडर कर लीजिए, साहब, उसका नाम नहीं है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : टोंक जिले में टोंक, टोडारायसिंह, देवली, निवाई, मालपुरा, उनियारा। जयपुर जिले में चाकसू, चौमूं, शाहपुरा, पावटा, कोटपूतली, सांभर, बस्सी। दौसा में बांदीकुई, मंडावर, दौसा, लालसोट। सीकर में सीकर, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना, दांतारामगढ़। झुंझुनूं में डूंडलोद, सूरजगढ़, झुंझुनूं, उदयपुरवाटी, चिड़ावा। कोटा में कोटा, इटावा, सामोद, सुल्तानपुरा, रामगंजमण्डी। बारां में बारां, छीपाबड़ौद, अंता, अटरू, छबड़ा। बूंदी में बूंदी, कापरेन, सुमेलगंज, नैनवां। झालावाड़ में झालरापाटन, खानपुर। भरतपुर में नदबई, भरतपुर, बयाना, नगर, कुम्हेर, डीग, कामां। अलवर में खेरली मण्डी, अलवर, खैरथल, राजगढ़, बहरोड़। पाली में पाली, सुमेरपुर, सोजत, जैतारण... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामगढ़ और मुण्डावर दो स्थानों पर...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) **:** पाली में खारची तहसील में एक और किया जाए। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मेरी बात पूरी तो सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सुन रहे हैं, आप खारची का तो कर ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामगढ़ और मुण्डावर दो जगह का...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि पूरी लिस्ट सुन लें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुन ली। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके बाद आप फरमाएं, मैं उस पर ध्यान दूंगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय को पहले सुन लीजिए, उसके बाद भी कोई कमी रहेगी तो वह पूरी कर देंगे। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मुझे डराओ तो मैं मूंछों से डरने वाला नहीं हूं। कई मूंछें देखी हैं। (व्यवधान) पाली में सुमेरपुर, रानी, सोजत रोड, जैतारण। जोधपुर में मेरे खुद के यहां मण्डी नहीं खोली है। जोधपुर में मथानिया, बिलाड़ा, पीपाड़सिटी फलौदी।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हमारे लोग फलौदी में जाकर बेचेंगे। जालौर में भीनमाल, सांचौर, जालौर। बाड़मेर, बालोतरा...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : सबसे ज्यादा रानीवाड़ा में सरसों होती है। रानीवाड़ा में सबसे ज्यादा होती है और अनाज मण्डी भी है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप उसके बाद बता देना। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आप इस लिस्ट में रानीवाड़ा का जोड़ो। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सवाईमाधोपुर में सवाईमाधोपुर, हिण्डौन, गंगापुर, टोडाभीम, चौथ का बरवाड़ा, करौली। अजमेर में केकड़ी, विजयनगर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर। नागौर में मेड़ता, कुचामन, नागौर। उदयपुर में फतेहनगर। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी बेगूं, कपासन, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा में मांडलगढ़, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, शाहपुरा। बीकानेर में बैरियावाली, लूणकरणसर, नोखा, बीकानेर, दतेर, छतरगढ़। चूरू में चूरू, सुजानगढ़, सार्दुलपुर। गंगानगर में पदमपुर, केसरीसिंहपुर, करणपुर, घडसाना, रायसिंहनगर, सार्दुलशहर, गजसिंहपुर, विजयनगर, अनुपगढ़, रायला, रिड़मलसर, जैतासर, सूरतगढ़, रायसिंहपुर। हनुमानगढ़ में गोलूवाला, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जंक्शन, नोहर, रावतसर, सांगरिया, पीलीबंगा, भादरा, पीलीबंगा भण्डारण कुछ है। बस ये 127 हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू जिले का नाम ही नहीं है? पूरे चूरू जिले में नहीं है। चूरू जिले का तो नाम ही नहीं है इसमें। (व्यवधान) चूरू जिले में सरसों नहीं होती क्या? (व्यवधान) यह क्या कर रहे हैं, मंत्री महोदय? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हमारे रायपुर में कृषि मण्डी भी है, मार्केटिंग भी है, पाली जिले में रायपुर को नहीं जोड़ा आपने। यहां पर भारी उत्पादन है सरसों का... (व्यवधान) पूरे जिले में रायपुर... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरा जिला ही हटा दिया। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : 30 हजार बोरी सरसों हुआ है, गंगापुर में सरसों का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, बारां जिले में किशनगंज, शाहबाद में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, आपने भंवरगढ़ में केन्द्र नहीं खोला, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरे जिले में कहीं नहीं खोला आपने। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने ध्यान नहीं दिया, चूरू में है। चूरू, सुजानगढ़ और सार्दुलपुर।

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, गंगापुर, भीलवाड़ा में सरसों और गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय सभापति महोदय, किशनगंज, शाहबाद में केलवाड़ा या भंवरगढ़ में एक-एक केन्द्र खोलना चाहिए। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले में गंगापुर में सरसों और गेहूं का बहुत उत्पादन होता है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम में आपने केन्द्र खोल दिया उसके लिए धन्यवाद, माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आपको धन्यवाद है टोडाभीम में खोलने का, मंत्रीजी, आपको धन्यवाद है। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, वहां पर नहीं खोला है। कृषि उपज मण्डी भी है गंगापुर और भीलवाड़ा में। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, खारची विधान सभा क्षेत्र में खिवाड़ा मण्डी खाली पड़ी है और वहां गोदाम भी है... (व्यवधान) खिवाड़ा के अन्दर... (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : सभापति महोदय, बारां जिले में किशनगंज जिसमें भंवरगढ़ में या...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जितने भी विधान सभा क्षेत्र हैं उनमें एक-एक केन्द्र खोला जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : माननीय सभापति महोदय, धौलपुर में आपने नहीं खोला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप बिराजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हमारा कभी नम्बर ही नहीं आता है... (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, आप बिराजो। मंत्री महोदय ने सूची सुनायी है, उन्होंने उससे पहले ही कहा कि अगर और कहीं आवश्यकता हुई तो आप उन्हें बताएंगे वहां पर वे विचार कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : धौलपुर जिले का जिक्र ही नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : धौलपुर का नाम ही नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, खारची के अन्दर खिवाड़ा मण्डी है उसमें गोदाम भी खाली पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : मंत्री महोदय, पूरे राजस्थान में अकाल के समय धौलपुर ही ऐसा जिला था जहां आपने अकाल घोषित नहीं किया। (व्यवधान) 32 जिलों में धौलपुर जिला एक ऐसा था...(व्यवधान) सरसों धौलपुर की भूमि पर 80 प्रतिशत

(श्री जसवंत सिंह गुर्जर)

होती है, वहां आपने एक भी केन्द्र नहीं खोला है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप लिखकर दे देना, खुलवा देंगे। (व्यवधान) आप लिखकर दे देना, खुलवा देंगे। और बता देना खुलवा देंगे जहां-जहां चाहोगे वहां। (व्यवधान) और लिखकर दे देना, हां, खुलवा देंगे। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : धौलपुर में किस जगह चाहते हैं?

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : धौलपुर प्रापर और बाड़ी में...(व्यवधान) और राजाखेड़ा। (व्यवधान) मंत्रीजी, कृपया बताएं बाड़ी में और धौलपुर में आपके खोलने की मंशा है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, खारची के खिवाड़ा कृषि उपज मण्डी में केन्द्र खुलवाएं। (व्यवधान) वहां गोदाम खाली पड़े हैं और भण्डारण की व्यवस्था भी अच्छी है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, पाली जिले में खारची विधान सभा क्षेत्र की खिवाड़ा कृषि उपज मण्डी है... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य एक-एक करके बोलेंगे तो मंत्रीजी सुन भी सकते हैं। सब एक साथ बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। बिराजिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा में तीनों जगह केन्द्र खोला जाए, मेरा आपसे अनुरोध है, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए आप। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंगापुर जिला भीलवाड़ा में...(व्यवधान) वहां कृषि उपज मण्डी भी है और बहुत अच्छी सरसों की पैदावार हुई है। गेहूं पैदा हुआ है। कम से कम 20 हजार बोरी सरसों की हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, कृपया शांति रखें। कृपा करके बिराजिए। (व्यवधान) बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : गंगापुर, भीलवाड़ा में, माननीय सभापति महोदय, बहुत जरूरी है। (व्यवधान) अवश्य खोली जाए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सहकारिता मंत्रीजी, पाली जिले की जो लिस्ट सुनाई... (व्यवधान) बैठो ना आप, क्या कर रहे हो? (व्यवधान) पाली जिले की जो लिस्ट सुनाई, रायपुर तहसील मुख्यालय पर मार्केटिंग भी है, कृषि उपज मण्डी भी है और पैदावार भी बड़ी जबरदस्त है, उसको आपने कैसे छोड़ दिया है? (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, बात कर लेना उनसे। आप मिल लेना, आप मिल लेना। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : रायपुर, मिलना क्या होता है, कह रहा हूं ना मैं? (व्यवधान) हाउस को कह रहा हूं ना मैं।

श्री सभापति : तो यहां खुलेंगे क्या सेन्टर? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से हाउस में माननीय सहकारिता मंत्रीजी को याद दिला रहा हूं, कृपया रायपुर में भी व्यवस्था कीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां तो कह दिया, अब और क्या कहेंगे आप? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : लिख दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप एक-एक नाम बोलते जाओ। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मेरे क्षेत्र में भी मण्डावर है, अलवर में मण्डावर। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : रायपुर लिखिए, साहब।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्रीजी, धौलपुर में सबसे ज्यादा सरसों की आवक बसेड़ी में है। बसेड़ी में सरसों और गेहूं की आवक सबसे ज्यादा है इसलिए बसेड़ी में खोला जाए। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : सभापति महोदय, धौलपुर में भी खुलवाइये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, रामगढ़, अलवर में होती है सरसों। रामगढ़, अलवर...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मंत्री महोदय, पाली जिले में खारची...(व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : हमारे धौलपुर में केन्द्र स्थापित करवाइये। (व्यवधान)

श्री नगराज : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में धरियावद के काश्तकार कहां ले जाएंगे सरसों को? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : पाली जिले में खारची में एक केन्द्र खुलवाइये। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : सभापति महोदय, वहां किसान रहते हैं, खेती होती है, सरसों...(व्यवधान) धौलपुर का भी नाम जुड़वाइये...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : श्रीडूंगरगढ़ में भी व्यवस्था की जाए। (व्यवधान)

श्री नगराज : मंत्री महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है, उदयपुर जिले में धरियावद... (व्यवधान)...

श्री भरोसी लाल : माननीय सभापति महोदय, मेरे हिण्डौन में बहुत बड़ी कृषि उपज मण्डी है वहां 10 हजार बोरी रोज की आती है, वहां भी एक केन्द्र खोला जाए। (व्यवधान)

श्री नगराज : मंत्री महोदय, थोड़ा ध्यान दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। मंत्री महोदय सुन नहीं रहे हैं, बिराजिए।

श्री नगराज : मंत्री महोदय, उदयपुर जिले के धरियावद के काश्तकार कहां बेचेंगे सरसों को? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए, माननीय सदस्य, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नगराज : धरियावद में भी सरसों पैदा होती है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवराम सिंह कुशवाह : सभापति महोदय, अगर धौलपुर का नाम नहीं जोड़ते हैं तो मैं धरने पर बैठता हूं। (व्यवधान)

श्री नगराज : मैं तो धरियावद का पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री शिवराम सिंह कुशवाह द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए।

श्री नगराज : मंत्री महोदय से पूछने तो दो, साहब। बैठने के लिए आप फरमाते हो। (व्यवधान) हमारी समस्याएं तो हम रखेंगे, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री भरोसी लाल : माननीय सभापति महोदय, हिण्डौन में कृषि उपज मण्डी है और 10 हजार बोरी प्रतिदिन की सरसों की आवक है इसलिए हिण्डौन में भी एक केन्द्र खोला जाए। (व्यवधान) निवेदन है कि हिण्डौन में भी सरसों खरीद केन्द्र खोला जाए। (व्यवधान) जिसकी रोज की आवक है 10 हजार बोरी। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री शिवराम सिंह कुशवाह द्वारा सदन कूप में धरना समाप्त)

श्री नगराज : मंत्री महोदय, मेरी गुजारिश सुनिए। (व्यवधान) मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान) धरियावद का क्या होगा? (व्यवधान) धरियावद के किसान कहां बचेंगे, मंत्री महोदय, यह मैं पूछ रहा हूं? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए, आप बिराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, पाली जिले की खारची तहसील में कृषि मण्डी है उसमें एक केन्द्र खोला जाए। पूरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी एक भी केन्द्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राजस्थान के सारे विधान सभा क्षेत्रों में खोल दिया जाए, घोषणा कर दो। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : हां, 200 में ही खोले जाएं। ऐसी क्या बात है जो 127 खोल रहे हैं। दो सौ खोल दें। एक विधान सभा क्षेत्र में एक खोला जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। सुनिये तो सही आप। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : क्या सुनिये, साहब, हमारी तो 50 किलोमीटर के नजदीक कोई केन्द्र है ही नहीं। खारची, मारवाड़ क्षेत्र में खारची। (व्यवधान) खारची, मारवाड़ जंक्शन। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : घोषणा की जाती है, खोल दिये। घोषणा की जाती है, हां खोल दिये गये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : घोषणा करो साहब, आप, सौ रुपये वाली घोषणा करो आप तो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, मंत्री महोदय, बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : घोषणा कुछ नहीं है। आपने जो नाम दिये हैं वे नाम मैं डिपार्टमेंट को भेज रहा हूं। वाकई वहां पर गुंजाइश है, मण्डियां हैं और वहां पर व्यवस्था हो सकती है तो ये कुछ सेन्टर्स जोड़ दिये जाएंगे। आपने धौलपुर का लिखाया है। भंवरगढ़, रायपुर, रामगढ़, देवली, जहाजपुर, खारची, रेवदर, धरियावद का लिखाया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : श्री डूंगरगढ़। (व्यवधान) श्री डूंगरगढ़।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : धौलपुर में बसेड़ी। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्रीजी तो जा रहे हैं छोड़ कर। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मण्डावर। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : धौलपुर में राजाखेड़ा और बाड़ी। (व्यवधान) बाड़ी।

श्री सभापति : और लिखवा देना आप। आप मंत्री महोदय से मिल लेना। माननीय श्री डांगा, आप मंत्री महोदय से मिल लेना।

डा. रतन लाल जाट : गंगापुर, भीलवाड़ा का तो लिखिये, साहब। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, जवाब दिलवाएं हमारा। समर्थन मूल्य का जवाब दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गोविन्दगढ़ मण्डी भी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। बजट पर वाद-विवाद प्रारम्भ होता है, मैं माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास का नाम पुकारता हूं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापतिजी, वह समर्थन मूल्य का जवाब तो आया ही नहीं।

श्री सभापति : आप मंत्रीजी से मिल लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा दल हमारा है और आप हमें मौका नहीं दे रहे हैं! प्रतिपक्ष के हम हैं, हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जवाब तो आया ही नहीं मंत्रीजी का। (व्यवधान)

श्री नगराज : माननीय सभापति महोदय गेहूं का मूल्य कम से कम 100 रुपये बढ़ाया जाए। केन्द्र सरकार ने 10 रुपये बढ़ाये हैं उससे क्या होगा? केवल नाटक है। यह भाव तो पड़े न वह गेहूं। दस रुपये से क्या होता है किसान के? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा दल हमारा है और हमारी तरफ से पहले वक्ता बोले।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार से... (व्यवधान) जवाब तो दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जवाब तो दिलवाइये। एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा जाए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, जवाब तो दिलवाइये।

श्री सभापति : बैठिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, आप जवाब दिलवाइये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हम मंत्री महोदय को पूछना चाहते हैं कि समर्थन मूल्य का क्या हुआ, जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप हमारे को जवाब दिलवाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या हो रहा है, सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : क्या हो रहा है, बैठिए आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या तमाशा हो रहा है? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जवाब दिलवाइये आप हमारे को। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या तमाशा हो रहा है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जवाब दिलवाइये आप। सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह क्या हो रहा है, देखिए आप, बनिए की दुकान खोल रखी है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, सदन का अनुशासन बनाये रखा जाए। सदन में जो अनुशासन भंग किया जा रहा है उसको कायम किया जाए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय यह क्या कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप : सदन की गरिमा बनाये रखी जाए, किसानों का मामला है, बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सभापति महोदय, सदन चल रहा है और यह क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मंत्री महोदय यह क्या कर रहे हैं? सारा सदन चल रहा है और यह क्या कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप : किसानों का मामला है, बड़ा गम्भीर मसला है। सारा सदन आज केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव पारित करके भिजवाना चाह रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काहे का प्रस्ताव?

श्री रामस्वरूप : सरकार हमारे समर्थन मूल्य को बढ़ाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काहे का समर्थन मूल्य?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, हमने जो राजस्थान के मंत्री ने...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह दिल्ली सरकार को आज लिखा जाएगा, उसके लिए हम सबको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के मंत्रियों को...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि किसानों का मामला है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्री नगराज : माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने डीजल के भाव भी पहले से ही ड्योढ़े कर रखे हैं और डीजल के भाव बढ़े हुए हैं।

श्री रामस्वरूप : इसको गम्भीरता से लें। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : राजस्थान सरकार एजेंट बनकर...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सरसों का भाव 1500 रुपये तय किया जाए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री रामस्वरूप : और गेहूं के भाव भी 100 रुपये बढ़ाये जाएं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यूं...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, जवाब दिलवाइये। जवाब नहीं आया, क्या बात हो गई? हम धरने पर बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री नगराज : डीजल के भाव बढ़ने के कारण...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, जवाब दिलवाइये।

श्री रामस्वरूप : आज सारा सदन यह प्रस्ताव पारित करके भेजे दिल्ली सरकार को कि समर्थन मूल्य...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : 1500 रुपये किये जाएं। दिल्ली सरकार ने समर्थन मूल्य बहुत कम किया है। गेहूं के भाव भी बहुत कम बढ़ाये और सरसों के भाव भी दिल्ली सरकार ने कम बढ़ाये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जवाब दिलवाइये, साहब, नहीं तो मैं धरने पर बैठूंगा। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बैठ जाओ।

श्री रामस्वरूप : आप खरीद करने जा रहे हो, खरीद की व्यवस्था दिल्ली सरकार की सही नहीं है। बाजरे की जिस प्रकार की व्यवस्था उन लोगों ने की थी, ऐसे ही पुनः फिर सरसों की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री नगराज : केन्द्र की तो दोगली नीति है, माननीय सभापति महोदय।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : केन्द्र जो हम खोल रहे हैं, यहां पर किसानों को पूरा लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री नगराज : खाद के भाव बढ़ गये, डीजल के भाव बढ़ गये, सब चीजों के भाव बढ़ गये और किसान मारा–मारा फिर रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आज हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें कि केन्द्र की सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, वह दिल्ली की सरकार हमारा समर्थन मूल्य बढ़ाए। सरसों का 1500 रुपये करे और खरीद के लिए पूरी व्यवस्था करे। खरीदने के लिए उन्होंने अधिकार दिये हैं, वह बहुत कम पैसा उन्होंने दिया है। उन्होंने बहुत कम हमारी खरीद की व्यवस्था की है। दिल्ली सरकार को लिखा जाए कि किसान यहां पर बहुत परेशान हैं। दिल्ली सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसके ऊपर दिल्ली सरकार को लिखा जाए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप जवाब दिलवाइये।

श्री जीतमल खांट : राजस्थान सरकार तो एजेंट के रूप में काम कर रही है, मंत्रीजी कह रहे हैं। राजस्थान की सरकार कह रही है कि एजेंट के रूप में, एजेंट, बनकर काम कर रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, आप जवाब दिलवाइये।

श्री सभापति : क्या है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहे हैं कि हमारे समर्थन मूल्य की जो मांग की थी उसका क्या हुआ? इन्होंने तो वह +++ पकड़ा दी और कह दिया, बैठे-बैठे बांट रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, जो मेन मुद्दा है, किसानों की बात है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हम जा रहे हैं, सदन छोड़कर जा रहे हैं नहीं तो। बारबार पूछ रहे हैं हम। यह किसानों के हित की बात है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सरसों और गेहूं का समर्थन मूल्य 100–100 रुपये बढ़ाया जाए उसकी तो सदन में चर्चा हो ही नहीं और उन्होंने कह दिया कि केन्द्र वहां खोल दिये, वहां खोल दिये, वहां खोल दिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हम तो मंत्रीजी से जवाब मांगते हैं, माननीय सभापति महोदय, कि आप बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं? चाहते हो तो बढ़ा रहे हैं या नहीं? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिल्ली सरकार बढ़ाएगी, दिल्ली सरकार।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी उदारता का अनुचित फायदा उठा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उदारता नहीं, हम किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : दो-दो एक साथ क्यों बोल रहे हैं, एक-एक बोलें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : सभापति-सभापति, लेकिन आप कहो, समझ में ही नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो दोनों। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन की उदारता का फायदा उठा रहे हैं।

श्री सभापति : कोई समझ में ही नहीं पड़ता, क्या कहना चाहते हैं। माननीय सभापतिजी को तो भूल जाइये, आप अपनी बात कहिये कि क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी को पूछना नहीं, मंत्रीजी को क्या कहना चाहते हैं, वह बता दो। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जवाब दे दें वह। (व्यवधान)

श्री सभापति : पूछने की बात गई क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया। बार–बार कितनी दफे पूछेंगे आप? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** कहां जवाब दे दिया?

श्री सभापति : नहीं, नहीं। अब कोई पूछना नहीं होगा। आपसे अब कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** हाउस में बात होती है तो किसानों की बात होती है, आप क्या...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** हम कहते हैं कि हमने जो समर्थन मूल्य की मांग की थी उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री सभापति : सुन लीजिए इनको। माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं इनको सुन लीजिए, बात बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि भाव बहुत कम दिया गया है और दस रुपये जो गेहूं पर बढ़ाये गये हैं ये कोई मायने नहीं रखते, ज्यादा बढ़ने चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, ये मूल्य भारत सरकार तय करती है, हम तो खुद चाहते हैं कि किसानों को ज्यादा मूल्य मिले। क्या हम इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि उसके ट्रैक्टर का खर्च, डीजल का खर्च, खाद का खर्च... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** माननीय मंत्री महोदय, जैसे पंजाब और हरियाणा में व्यवस्था है कि प्रत्येक फार्म पर... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या फार्म आपके ही हैं, हमारे नहीं हैं? हम भी खेतिहर लोग हैं, हम तो सब जानते हैं।

श्री अमराराम (धोद) **:** आप बढ़ाना चाहते हो या नहीं? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिल्ली सरकार को भिजवा देंगे। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** आप इस बात को बताइये कि हरियाणा और पंजाब की तरह ही...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, हरियाणा और पंजाब...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम क्या कर सकते हैं? भाव तो तय करने वाली भारत सरकार है, हम क्या कर सकते हैं? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हरियाणा और पंजाब में किसानों को 50–50 रुपये क्विंटल की सब्सिडी दी जाती है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हरियाणा और पंजाब में 50–50 रुपये क्विंटल दिया जाता है। (व्यवधान) हरियाणा और पंजाब सरकार दे रही है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हरियाणा और पंजाब सरकार दे रही है। (व्यवधान) पंजाब में 50–50 रुपये सब्सिडी बढ़ाकर दी। हरियाणा और पंजाब में सब्सिडी वे सरकारें दे रही हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं?

श्री सांवर लाल : आप भी देने का विचार रखते हैं या नहीं, यह बताइये? क्या राजस्थान सरकार किसानों को किसी प्रकार का समर्थन मूल्य में सहयोग देना चाहती है या नहीं चाहती, यह बताइये आप? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जिस तरह से हरियाणा और पंजाब सरकारें दे रही हैं उसी तरह देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** माननीय सभापति महोदय, यहां पर हिन्दुस्तान की सरकार अपने खाद्यान्न का 15 परसेंट गेहूं जो बाहर से खरीदती हैं 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाहर से खरीदती है और हिन्दुस्तान के किसान को मात्र 620 रुपये देना चाहती है। यह देश के किसान... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 610 है।

श्री अमराराम (धोद) **:** 610 है उसको बढ़ाकर 620 कर दिया, सुमित्राजी।

श्री सभापति : धोद से आने वाले माननीय सदस्य यह बात आप बोल चुके हैं। एक बात को बारबार बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** यह मैंने नहीं बोला। यह मैंने कहां बोला?

श्री सभापति : आपको सबसे पहले आसन ने मौका दिया था, आप कह चुके हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** माननीय सभापति महोदय, किसानों की बात आती है, आप कहते हो बोल चुके हो और तोड़–मरोड़ कर यह जवाब देते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** मंत्रीजी ने कहा उसमें जो सवाल है वह पूछ रहा हूं। एक तो यह कि जो 610 रुपये को बढ़ाकर 620 रुपये किया है वह अपर्याप्त है। जहां हिन्दुस्तान की सरकार खाद्यान्न का 15 परसेंट...(व्यवधान)

श्री सभापति : यह मंत्रीजी खुद मानते हैं, आप क्या कहते हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** गेहूं और जौ जो कि मुख्य खाद्यान्न राजस्थान में इस रबी की फसल में होगा, जौ का एक रुपया भी प्रति क्विंटल नहीं बढ़ाया गया है, यह सबसे अफसोसजनक बात है। राजस्थान की सरकार केन्द्र सरकार से कितने मूल्य की मांग करती है और राजस्थान की सरकार सब्सिडी के रूप में कितना अनुदान देना चाहती है?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** अनुदान कितना देती है?

श्री अमराराम (धोद) : गेहूं, जौ, सरसों और चने के अन्दर, यह माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सबको पता है कि बजट पर बहस हो रही है, यही बात आप बजट के वक्त भी उठा सकते हैं। आप अपनी बहस करेंगे, आपको कौन रोकता है, बजट भाषण पर आप अपना कह देना। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अभी खरीद का सवाल है न।

श्री सभापति : हां, तो आप बजट के ऊपर बोलते समय बोल लेना, और बोल लेना। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल वंशीवाल : तीनों राज रूठ गये, तीनों राज रूठ गये। दिल्ली का राज रूठ गया, राजस्थान का राज रूठ गया और ऊपर से राम राज रूठ गया, तीनों राज ही रूठ गये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यूं, सभापति महोदय, अभी एक तारीख को कृषि मंत्री महोदयजी और खाद्य मंत्री महोदयजी, दोनों यहां थे। यहां पर अशोक प्रधान भी थे और अजीत सिंहजी चौधरी भी थे, उनके पास हमने बात कही है कि, साहब, इसके समर्थन मूल्य कम हैं और हमने यह भी कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप वह बताइये।

श्री अमराराम (धोद) : क्या कहा?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पैसे आप दोगे तभी जाकर यह खरीददारी होगी। हमारे राजफैड के पास में इतनी कोई अमानत नहीं है कि जिससे हम तीन लाख की सरसों खरीद लें। यह सारी बात उनके सामने हो चुकी है और उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया है कि...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कितने बढ़ाने की मांग की है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नैफेड आपको समय पर पैसा दे देगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राठौड़ साहब, आप तो यह बता दो कि अजीत सिंहजी से आपने कितना मूल्य बढ़ाने की मांग की?

श्री नारायण सिंह : 15 परसेंट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह हमने देखो, यह नहीं कहा। झूठ मैं कहता नहीं कि आप इतना बढ़ा दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आपने मांग तो की है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री अमराराम (धोद) : कितनी मांग की है, वह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : कितने की मांगी है आपने? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, आप उसकी... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह कह रहे हैं कि कितने रुपये बढ़ाने की मांग केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रीजी से राजस्थान के सहकारिता मंत्रीजी ने की है, यह बता दीजिए और राजस्थान की सरकार की राजस्थान के किसानों को मदद करने की क्या मंशा है या नहीं है, यह बता दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो पार्लियामेंट में आपके लीडर भी यही बात कहते हैं, हमारे लीडर भी यही बात कहते हैं... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके कहते नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कि किसानों को बेहद नुकसान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आप क्या कह रहे हैं, अभी सरकार में बैठे हैं, आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने क्या मांग की है, वह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने कहा है जब ही तो 1200 रुपये से 1300 रुपये उन्होंने किया। कंसीडर करके ये भाव तय किये हैं, नहीं तो 1200 रुपये पर ही अटके हुए थे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्री महोदय, आप बताएं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : गेहूं और जौ में बताइये न आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गेहूं की बात उस रोज नहीं हुई थी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपने की थी या नहीं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सिर्फ सरसों के लिए ही यह बैठक बुलाई गई थी, सरसों पर ही डिस्कशन हुआ था। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : तो राजस्थान की सरकार से गेहूं और जौ के लिए कुछ नहीं कहा और न कहना चाहती है, सभापति महोदय, इसका मतलब...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, कि सरसों का भाव जो 100 रुपये बढ़ाया भारत सरकार ने, आपने भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी को उसका धन्यवाद दिया या नहीं दिया? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान की सरकार किसानों के प्रति कितनी उदासीन है कि राजस्थान की सरकार ने गेहूं और जौ के लिए अभी तक कोई बात नहीं की।

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : कि 1200 की जगह 1300 कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : मानिक चन्दजी सुराना, बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से कि... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : (व्यवधान) बढ़ोतरी हुई उस पर धन्यवाद दिया? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय, यह धन्यवाद की बात करते हैं। (व्यवधान) यह धन्यवाद की बात करते हैं, सत्यानाश कर दिया आपने। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत पुराने एडवोकेट, कई बार आये हुए और कह रहे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हैं। यह मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं तो को-आपरेटिव का हूं। सिर्फ हमने राजफैड की मार्फत यह खरीदा है, अब यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछिये। (व्यवधान) हमारा क्या लेना-देना उसमें? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, किसानों का दोनों सरकारों ने सत्यानाश कर दिया। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आपकी सरकार एक रुपये क्विंटल तो बढ़ाए, एक रुपये क्विंटल बढ़ाने की आर्थिक स्थिति नहीं है और...(व्यवधान) धन्यवाद देने की स्थिति नहीं है। वाणी में कृपणता मत रखो, सहकारिता मंत्रीजी, कुछ उदार भी बनो। धन्यवाद की जगह धन्यवाद भी देओ। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बोलने नहीं देंगे इनको। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री अजीत सिंहजी जयपुर पधारे थे और उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता से भी बातचीत की थी, समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में उनकी बातचीत हुई। क्या प्रतिपक्ष के नेता ने समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में राज्य के अन्दर जो फसल उत्पादन हुआ है और कृषकों को समर्थन मूल्य उचित नहीं मिल रहा है, उसके सम्बन्ध में उन्होंने आश्वस्त किया था कि वह बढ़ाया जाएगा? क्या उन्होंने चर्चा की है उस पर प्रतिपक्ष के नेता से, केन्द्रीय कृषि मंत्री पधारे थे अभी।

श्री अमराराम (धोद) : आपकी सरकार ने क्या किया? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उनसे चर्चा हुई थी क्या? प्रतिपक्ष के नेता ने इस सम्बन्ध में बिन्दु उठाया क्या? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं कि चर्चा हुई कि नहीं, जहां पर मीटिंग हुई थी वहां प्रतिपक्ष के नेता आये ही नहीं थे। वहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : केन्द्रीय मंत्री उनसे घर जाकर मिले हैं। अखबार में आया है, साहब, आप पढ़ते नहीं हो क्या? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिले होंगे, वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। उनका दल मंत्रिमण्डल में है तो मिले ही होंगे। वह विपक्ष के नेता हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता ने उनको मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं कहा होगा? निश्चित रूप से कहा है और उसी का प्रतिफल हुआ है यह। 100 रुपये क्विंटल जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें उनका भी रोल है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाह रहा हूं कि वह बढ़ाने की मंशा रखते हैं कि नहीं, इसका जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : जो कृषि मंत्रीजी ने बैठक ली थी...(व्यवधान) सरसों का समर्थन मूल्य दो हजार करने के लिए पूरे... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : (व्यवधान) तो क्या दस रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की बात कही क्या? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : दस रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी को...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : क्या गेहूं का दस रुपये प्रति क्विंटल की बात हुई थी? समर्थन मूल्य दस रुपये क्विंटल बढ़ाने की बात हुई थी क्या? सरसों की बात कर दी और गेहूं के लिए दस रुपये की बात करके राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : कृषि मंत्रीजी ने इसे स्वीकार किया था कि वास्तव में दो हजार रुपये प्रति क्विंटल सरसों का मूल्य...(व्यवधान) कोई रास्ता... (व्यवधान) यह खुद ने किया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, कृषि मंत्रीजी बताएं केन्द्रीय कृषि मंत्री महोदय से...(व्यवधान)

श्री सभापति : इस विषय की चर्चा समाप्त हुई।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सभापति महोदय, यह चर्चा का विषय नहीं, किसानों के हित की बात है। हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए, बात तो यह है सदन की। यह राजस्थान की विधान सभा है, लोक सभा और राज्य सभा नहीं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपको क्या पता किसानों के बारे में? किसान के बेटे तो हम हैं। (व्यवधान) आपको किसानों के बारे में पता ही नहीं है और वैसे ही पुकार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पर राजस्थान विधान सभा में तो राजस्थान सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, बात यह है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, प्लीज बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि रूल्स में रिलैक्सेशन देकर यह प्रस्ताव पास करें सदन में कि राजस्थान की यह विधान सभा भारत सरकार की इस बात के लिए भर्त्सना करती है कि उन्होंने किसानों की जिंसों के मूल्य को नहीं बढ़ाया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर चर्चा की जाए और इसको पास किया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसी भर्त्सना कर रहे हैं? (व्यवधान)

(14.54 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अमराराम (धोद) **:** केन्द्र सरकार की तो कर दें लेकिन राज्य सरकार की भी साथ ही कर दो। (भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त एतराज है इस घोषणा...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बिलकुल सही कहा है आपने, केन्द्रीय सरकार ने किसानों... (व्यवधान) नहीं माना और न उन्होंने उचित मूल्य बढ़ाया। आज सारा सदन उसकी भर्त्सना करता है। बिलकुल सही है। आज सारा सदन इस बात की भर्त्सना करता है। केन्द्रीय सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको घोषणा करनी पड़ेगी। (व्यवधान) घोषणा करनी पड़ेगी आज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्रजी व्यास। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, भर्त्सना करने का एक...(व्यवधान) किया जाएगा। (व्यवधान) जिन शब्दों का उपयोग किया कि भारत सरकार की भर्त्सना की जाए...(व्यवधान) इसे डिलीट किया जाए। जिस भाषा का उपयोग माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने किया...(भारी व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : यह नहीं चलेगा। नहीं, माननीय नेता महोदय, यह नहीं चलेगा। यह नहीं चलेगा। यह क्या मतबल हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हफीज साहब, बिराजिए। आप बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : केन्द्र सरकार के खिलाफ भर्त्सना की जाए। (व्यवधान) दिल्ली सरकार के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** यह कह रहे हैं केन्द्र सरकार की आलोचना, राज्य सरकार की आलोचना भी साथ में कर दी जाए। गेहूं और जौ के लिए राजस्थान की सरकार ने क्या प्रयास किया है? इसका समर्थन मूल्य...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्रजी व्यास। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : (व्यवधान) उड़ीसा में जो घटनाएं हुई हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** नहीं, मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, सुन लो आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। दिल्ली सरकार ने अन्याय किया है किसानों के साथ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : क्या प्रयास किया, मंत्रीजी यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पहले घोषणा तो करो आप। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान से सारे रूठे हुए हैं, रामजी रूठे हुए हैं, दिल्ली का राज रूठ रहा है, यहां वाला राज भी रूठ रहा है। यह अन्याय है किसानों के साथ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप प्लीज। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बिराजिए आप। व्यासजी, आप शुरू करिये।

श्री रामस्वरूप : दिल्ली की किसान विरोधी सरकार को हटाया जाए। उसने अन्याय किया है किसानों के साथ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पण्डितजी, घोषणा तो करो आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, हो गया। बहुत हो गया प्लीज। आप बिराजें। मैं आपको प्लीज कह रहा हूं, बिराजिए। (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र व्यास।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार का यह चौथा बजट है और प्रद्युम्न सिंहजी का तीसरा बजट है। एक बजट अगले साल और पेश करेंगे और उस बजट के भाषण में निश्चित रूप से पूरा चुनाव का बजट होगा, चुनाव की उस पर छाया होगी, यह अपन अनुमान कर सकते हैं। स्टेट की इकोनोमी को रिट्रीव करने के लिए क्या प्रयास इस सरकार ने किये हैं, वह इस बजट से ज्ञात होता है। बजट की एक्सरसाइज फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। स्टेट इकोनोमी, सोशल इकोनोमी और पोलिटिकल इकोनोमी, तीन तरह से डील करके बजट बनाना पड़ता है। मैं कुछ तथ्य इस सदन के सामने रखकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि हमारे वित्त मंत्री तीनों कामों के ऊपर पूर्णतया असफल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, परसों माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया ने और कल माननीय माहिर आजादजी और माननीय मानिक चन्दजी ने बजट एट-ए-ग्लांस और बजट स्टडी के फिगर्स देकर इस बात को स्पष्ट किया था कि किस तरह से इस सरकार के शासनकाल में कर्जा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले घोषणा पत्र के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की भरपूर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आलोचना की गयी, भर्त्सना की गयी। वाजिब है। यह एक पोलिटिकल डाकुमेंट है और एक ऐसे नेता का डाकुमेंट है, फोटो इस पर अध्यक्ष महोदय की लगी हुई है। सी.एल.पी. के लीडर होने की वजह से फोटो जरूर लगी होगी, लेकिन वन मैन शो था। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान के अन्दर, कांग्रेस के संगठन के अन्दर, कांग्रेस को आगे लाने में वन मैन शो थे माननीय अशोकजी गहलोत। माननीय अशोकजी गहलोत चाहे केन्द्र में मंत्री रहे होंगे, पर उनको शासन का ज्ञान नहीं था, इतना शासन का अनुभव नहीं था। मर्जी आए सो अन्ट-शन्ट इसके अन्दर तमाम लिख दिया, कर्जे में डुबो दिया, दिवालिया हो गये हैं, यह हो गया, वह हो गया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह श्वेत पत्र एक आथेंटिक डाकुमेंट है। आपने सत्ता में आने के बाद पहला बजट जब प्रस्तुत किया उसके पहले निकाला है। आपने वह की वह तस्वीर इसके अन्दर पेंट की है। 1950 से लेकर तमाम इकोनोमी को इस व्हाइट पेपर के अन्दर डिपिक्ट किया है। मैं पुनरावृत्ति नहीं करता, लेकिन संक्षेप में, 6 हजार का कर्जा छोड़कर गयी कांग्रेस

(15.00 बजे)

और 23 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ कर गयी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें चार महीने का आपका शासन और एक साल का राष्ट्रपति शासन। उसके बाद आप छोड़ कर जाएंगे, नहीं जाएंगे, वापस आएंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन 50 हजार करोड़ का कर्जा इस स्टेट के ऊपर होगा। (व्यवधान) नहीं, नहीं मैं उस विवाद में नहीं आता। सवाल यह है कि आपके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से मैं यह कह सकता हूं, आपका व्यवहार ऐसा है कि you owe nothing to the posterity. आने वाले समय में क्या होगा राजस्थान का, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यतया एक बात कहना चाहता हूं, आप आंकड़े भी गलत देते हैं, बात भी गलत करते हैं। जो ग्रास बोरोइंग्स हैं वो आपके एस्टीमेट्स पूरे गलत बनते हैं। बजट क्या होता है फिर? बजट के एस्टीमेट में 1999-2000 में आपका एस्टीमेट था 7195 करोड़ 86 लाख रुपये ग्रास बोरोइंग्स का और एक्चुअल क्या हुआ? 12989.74 2000-2001 में 7025.58 करोड़...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : मैं करैक्ट कर दूं, आप नैट ब्रोरोइंग्स को देखिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, ग्रास बोरोइंग्स।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, मैं आपको एक मिनट समझा दूं अकाउंटिंग सिस्टम। मैं आपको रोकना भी नहीं चाहता था, मैं इसका जवाब...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आखिर में समझा देना, साहब, हमें कन्फ्यूज मत करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। I am open to logic. I am open to correction.

श्री प्रद्युम्न सिंह : I am not correction you, just indicating you. There is no question of correction you, I was just indicating to you that. नहीं नहीं, इसमें नैट भी दिया हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I know that. I will come to 'net' also. But the Hon'ble Minister must appreciate that the figures that you estimated for 'gross borrowings' exceed by nearly 5,000 crores at the end of the year. And it is a routine feature so far as the Budgets of the Congress Governments are concerned. Right from 1999-2000 when you had estimated gross borrowings to be nearly 7,195.86 crores, at the end of the year the actual borrowings were 12,989.75 crores. So is the case with 2000-01 - 7,025.58 crores, actual borrowings - 11,475.81 crores. 2001-2002, में 9299.7, संशोधित 13088. एक्चुअल तो अभी मालूम होगा नहीं, अभी आपने संशोधित पेश किया है। 2002-2003 के अन्दर, वित्त मंत्रीजी, आपने 10666 करोड़ का एस्टीमेट दिया है बोरोइंग के लिए, मैं इसको 16000 मान लूं? आपका जो ट्रेक रिकार्ड है उससे अगर 16000 मानता हूं तो क्या गलत मानता हूं? उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बारोइंग्स से कर क्या रहे हैं? इस बोरोइंग्स से रीपेमेंट कर रहे हैं लोन्स का। 2000-2001 में 11475 में से आपने 7341 रीपेमेंट में काम में लिया, 2001-2002 में 13000 में से 8236 री-पेमेंट में काम में लिया और अब आप 4994 एस्टीमेट कर रहे हैं लेकिन 16000 उधर जाएगा और इधर 8000 पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने संशोधित अनुमान और बजट अनुमान पेश किये हैं। आपके इस साल के बजट अनुमान हैं 14312 करोड़, 47 लाख रुपये राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय 18214 करोड़ 38 लाख रुपये, राजस्व खाते में घाटा है 3901 करोड़ 91 लाख रुपये। पूंजीगत प्राप्तियां 10773 करोड़ 32 लाख रुपये, पूंजीगत व्यय 8205 करोड़ 47 लाख रुपये, पूंजीगत खाते में अधिशेष 2567 करोड़ 58 लाख रुपये। 1334 करोड़ रुपये का आपने अपूरित घाटा जोड़ दिया। ये पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीगत प्राप्तियां बोरोंइग्स हैं, मेनली लोन्स हैं। आप लोन लेकर मुख्य मंत्रीजी की और आपकी तनखाह का पेमेंट कर रहे हो। आपके यह जो है, इसे तो राजस्व प्राप्तियों से तो मीट-आउट कर ही नहीं रहे हैं। जो अनप्रोडक्टिव खर्चा है स्टेट का और सैलेरीज का जो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है वह मीट आउट कर रहे हो आप पूंजीगत प्राप्तियों से।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

वित्त मंत्रीजी, आपको याद होगा कि आपने जब पहला बजट पेश किया था तो उस सदन में राजकोषीय घाटे की चर्चा हुई थी और सम्भवतया उस वक्त उसका समाधान नहीं निकल सका था। उस श्वेत पत्र में राजकोषीय घाटे का जो फार्मूला दिया गया था, उस वक्त बड़ा जबरदस्त कन्फ्यूजन था। मैं कंटेस्ट कर रहा था कि जो राजकोषीय घाटे का फार्मूला दिया गया है श्वेत पत्र में, वह गलत है। मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली उसमें जो फार्मूला आपने दिया वह आपने रिजैक्ट किया और जो सजेशन मैं कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के, रिजर्व बैंक के फार्मूले से, वह आपने एक्सैप्ट किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, आप भूल रहे हैं, आपने उसको सही माना था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, रुक जाओ। देखो, यों मत करो। बीच में जो इंटरप्शन की बात है, देखिए, यह एक डिस्कशन हो रहा है। It's a good discussion. इसलिए अब यह चीज इंटरप्शन से तय होने वाली नहीं है। डाक्टर साहब, जैसा मुझे ध्यान है, उस सदन की बात है जब अपन वहां बैठते थे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने फार्मूला कहा था, जो इसकी डेफिनेशन है, इसमें अलग, रिजर्व बैंक की अलग। अब लैंग्वेज का फर्क है, वह हमने कैलकुलेशन करवा कर भी दिखवाया बाद में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तीनों का एण्ड रिजल्ट वही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं है। यह मैंने उस वक्त भी बताया था। बिलकुल नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिसको मैं मानता हूं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जिसको मानते हैं, पार्लियामेंट के अन्दर जो पेश होता है। जो उनका कैलकुलेशन का तरीका है फिस्कल डैफिसिट का, मैं उसको फालो करता हूं। यही मैं आपको इस वक्त निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी, मैं विनम्रतापूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि मैं कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं इसलिए मैं कोई बहुत आथेंटिक क्लेम नहीं कर सकता कि क्या राजकोषीय घाटा होता है। मैंने तो रिजर्व बैंक का फार्मूला लेकर इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया था, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फार्मूला लाकर इस सदन में प्रस्तुत किया था और एक इस श्वेत पत्र का फार्मूला प्रस्तुत किया था। अगर मैंने इसको सही भी माना है तो यह तो सही न कि आपने इसको रिजैक्ट कर दिया और यह फार्मूला आपका हैं, वित्त मंत्रीजी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, एण्ड रिजल्ट वही है, भाषा का फर्क है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब आप कैलकुलेट करते हो, इसमें फर्क इतना है कि जो ब्याज का चुकारा होता है उस ब्याज के चुकारे का इसके अन्दर नहीं है। नैट आफ द बोरोइंग्स एक वर्ड है, इसके अन्दर उसका जिक्र नहीं है। इससे ही सारा कन्फ्यूजन था Any way, I do not want to distrub you. Please carry on. इसके ऊपर बाद में चर्चा कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इनको बोलने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक ऐसा एकेडेमिक सब्जैक्ट है वित्त मंत्रीजी, मुझे अच्छी तरह से याद है, इस सदन के सम्मानीय सदस्यों को भी याद होगा कि तब आपने दोनों, तीनों फार्मूला से एप्लाई किया तो अमाउंट डिफरेंट आया था। जो श्वेत पत्र के अन्दर फार्मूला था, उससे कतई वह अमाउंट नहीं बैठता था।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सुमित्राजी को भी याद है या नहीं, देख लो। जरा उधर देखो तो सही। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नींद नहीं आ रही है। फालतू की बात कर रहे हैं। मैं आंखें बंद किये बैठी हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, यह कोष के घाटे का मसला हुआ। अब संशोधित अनुमान, आपके बजट भाषण में आपने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य के अपने कर राजस्व व्यय में भी लगभग 405 करोड़ रुपये की कमी आने की सम्भावना है। यद्यपि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया है परन्तु कतिपय अपरिहार्य मदों जैसे राहत कार्य, सेवानिवृत्ति परिलाभ आदि में हुई वृद्धि के कारण चालू वर्ष का सकल घाटा बढ़कर नौ सौ करोड़ तिरासी लाख रुपये होना सम्भावित है। यह नौ सौ करोड़ रुपये का घाटा आपने अपूरित छोड़ दिया तो मैं इस नौ सौ करोड़ रुपये के घाटे को इसमें देखता रहा कि नौ सौ करोड़ का घाटा कहां गया, क्योंकि जितना-सा सामान्य ज्ञान मुझे है, उपाध्यक्ष महोदय, असेट्स और लायबिलिटीज कैरी फारवर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आइसोलेटेड अलग साल का बजट बन गया और पिछले साल के सारे अकाउंट्स साफ हो गये। वह नौ सौ करोड़ रुपये का हिसाब कहां है? तो मैंने कहा, हो सकता है अपन कोई बात सदन में उठाएं और गलती पर रहें। राजस्थान के योग्यतम वरिष्ठ वित्त मंत्री, आपके अग्रज, पूर्वज मुझे ठीक से हिन्दी का वर्ड याद नहीं है, जो पूर्ववर्ती वित्त मंत्रीजी थे उनका मैंने 1999 और 2000 का बजट पढ़ा तो बजटीय घाटा 974 करोड़, प्रारम्भिक घाटा 227 करोड़ और अन्तिम घाटा 1201 करोड़। यह प्रारम्भिक घाटा जो होता है पिछले साल का है। वित्त मंत्रीजी, आप बाईस सौ करोड़ का घाटा क्यों नहीं बोलते हैं सीधा? 1300 करोड़ का घाटा नहीं छोड़ा आपने अपूरित,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

2200 करोड़ का घाटा छोड़ा है। राजस्थान के अन्दर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के नाम से आपने क्या बनाया है? पचास करोड़। आप क्या करना चाहते हैं वित्त मंत्रीजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इस स्टेट की इकोनोमी की हालत जो आपने की है उसको मैंने बताया है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट–यह सब लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई कंटेस्ट करने की मेरे खयाल से कोई गुंजाइश नहीं है।

अब मोटे रूप में राज्य को इस वर्ष लगातार तीसरी बार अकाल की भयंकर मार का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत गतिविधियां चलाकर अकाल से प्रभावित जनता और पशुओं को राहत प्रदान की। मैं अकाल राहत कार्यों से जुड़े हुए समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अच्छे प्रबन्धन के लिए बधाई देता हूं। मंत्रीजी, आप तो बधाई दे सकते हैं लेकिन सी.ए.जी. बधाई नहीं देता।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप दे रहे हो या नहीं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हरिसिंहजी, यह महुवा की बात नहीं है, बात बड़ी गम्भीर है। थोड़ा समझिए। ऐसे बहुत अवसर आएंगे जब आप इस तरह का हस्तक्षेप कर सकते हैं। अभी अपेक्षित नहीं है आपसे।

उपाध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. क्या कहते हैं, वित्त मंत्रीजी, यह सुन लीजिए। यह है पेज नम्बर 65, पैरा तीन, सब पैरा दो, क्लाज पांच–मजदूरी। अकाल मजदूरों को मजदूरी का भुगतान मस्टररोल बन्द करने के बाद दस दिन में कर देना था। 48 कार्यकारी एजेंसियों, सात जिलों के सम्वत् 2055 और 2056 के 4346 मस्टररोलों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि कुल रुपये चार करोड़ पिच्यासी लाख की मजदूरी का भुगतान बारह से तीन सौ चौरानवे दिन के विलम्ब से किया गया जिसमें 80297 मजदूर प्रभावित हुए। यह टैस्ट है, पूरे फिगर्स नहीं हैं। सी.ए.जी. के यहां तो कुछ टैस्ट केसेज ही होते हैं। आपका अच्छा प्रबन्धन बोल रहा है।

अब आगे सुनिए आप कि इंस्ट्रक्शंस को कितना कम्प्लाइंस करती है आपकी नौकरशाही और आप क्या आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं। यह "क" है, अब "ख" लीजिए। चालू राहत कार्यों पर लगाये गये मजदूरों को 1 अप्रैल, 2000 से प्रति दिन रुपये 60/– की दर से भुगतान करना था। सहायता विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया, ये सहायता विभाग के निर्देश हैं, मंत्रीजी, कि न्यूनतम राहत मजूदरी प्रति दिन रुपये 25/– की दर से दी जानी थी चाहे काम की दर प्रति दिन रुपये 25/– से कम हो। तथापि 302 मस्टररोल रुपये दस लाख पच्चीस हजार की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को प्रतिदिन रुपये 3/, श्री रुपीज पर डे माननीय वित्त मंत्रीजी, रुपये 3 से

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

24 की काम की टास्क दर के बीच में किया गया क्योंकि कुछ मजदूरों द्वारा कम मात्रा में काम किया गया था। यह आपकी सरकार की हालत है। यह अकाल राहत कार्यों में पूरी डिटेल सुनाई आपको नमूने के तौर पर। और नमूने के तौर पर ही वह करते हैं। कुल मिलाकर फिगर्स कितनी बैठती है आप अन्दाजा कर सकते हैं। दीर्घकालीन अनुभव आपके खाते में हैं। वरिष्ठतम सदस्य और मंत्री हैं, आप खुद अनुमान कर सकते हैं।

आगे आप सुनिये, रुपये पांच करोड़ बाहर लाख के व्यय वाले 770 राहत कार्य ऐसे 630 गांवों में निष्पादित किये गये जिनको सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। कितना बढ़िया प्रबन्ध है। ये आपने पोलिटिकली काम खोल दिये। किसकी मेहरबानी से खोल दिये? और क्यों खोल दिये? सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित ही नहीं किया और आपने काम खोल दिये। सहायता विभाग के आदेशों के विपरीत 1109 राहत कार्य प्राक्कलन तैयार किये बिना रुपये नौ करोड़ छप्पन लाख की लागत से निष्पादित किये गये। उन सड़कों के निर्माण पर दो करोड़ अड़सठ लाख का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ जिन्हें केवल मिट्टी कार्य तक निष्पादित कर अपूर्ण छोड़ दिया था। सड़कों के निर्माण कार्य हेतु दो करोड़ पन्द्रह लाख की सामग्री की खरीद पर व्यय निष्फल सिद्ध हुआ। और भी कई बिन्दु हैं।

वित्त मंत्रीजी, जो टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन है उसके ऊपर आ जाइये। हो सकता है आपके लिए संतोषजनक हो। आपने संतोष अभिव्यक्त भी किया है कि आपके अधीन विभाग जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्य बड़ा संतोषजनक है। But my misfortune is that the C.A.G. does not share your opinion. And then again. सी.ए.जी. की रिपोर्ट आपके लिए बाइबिल है। सी.ए.जी की रिपोर्ट से आपने पार्लियामेंट स्टाल कर दी, माइंड यू, इसलिए आप सी.ए.जी. की रिपोर्ट को नकार नहीं सकते। सी.ए.ज़ी. की रिपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ी सैंक्टिटी रखती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सी.ए.जी. की रिपोर्ट के बाद Public Accounts Committee takes a final view. इसके अन्दर इनकी जो फाइंन्डिंग होती है, ultimately the Public Accounts Committee will examine the department and then the Public Accounts Committee will take a final view in this. यही प्रोसीजर है। सी.ए.जी की रिपोर्ट आयी है। चूंकि कम्प्यूटराइज हो गया है, एफीशिएंसी हो गयी है, अब जल्दी रिपोर्ट आने लगी है। आते ही मैंने भी इसको तुरन्त सदन के समक्ष प्रस्तुत किया कि सभी माननीय सदस्य इसका लाभ उठा सकें डिबेट के अन्दर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या मतलब हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी, मैं अधिकांश समय विधायक रहा हूं, मैं सात साल पी.ए.सी. में रहा हूं इसलिए मुझे सब पता है इस बात का, परन्तु यह बात आपने एम.पीज. को क्यों नहीं समझायी? सी.ए.जी. की रिपोर्ट के ऊपर तो हल्ला करके पार्लियामेंट स्टाल की है, वहां तो कैसे फाइनल हो गया यह?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे को पता नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको पता ही नहीं है, वाह-वाह। धन्य हो ताबूत काण्ड। लेकिन सी.ए.जी. की रिपोर्ट में सिर्फ सैल्स टैक्स आपके अधीन कार्य कर रहा है उस पर ही पढ़ लेता हूं, कोई ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पढ़ो ना आराम से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वैसे तो वह जाएगी पी.ए.सी. में और पी.ए.सी. उसको एग्जामिन करके रिकमंड करेगी। और, मंत्रीजी, आगे नहीं कहा आपने कि पी.ए.सी. की रिकमंडेशन को गवर्नमेंट माने या नहीं माने, वह भी गवर्नमेंट के अख्तियार में है। तो जब फिर आपके ही अख्तियार में है तो सब रिजैक्ट कर ही सकते हो आप। फिर तो मैं भाषण देता हूं उस भाषण को भी। आप भाषण तो निरस्त करोगे वैसे भी, क्योंकि यह सब संख्या का खेल है प्रजातंत्र में। संख्या है आपके पास इसलिए वह करोगे, लेकिन भाषण सुनो तो सही। आप तो बिना सुने ही निरस्त कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, निरस्त कहां कर रहा हूं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कर रहे हो ना, आप सी.ए.जी. की रिपोर्ट बिना सुने ही निरस्त कर रहे हो। तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट पी.ए.सी. में जाएगी, पी.ए.सी. की रिकमंड गवर्नमेंट में आएगी और गवर्नमेंट उसको रिजैक्ट करेगी। है आपको पार्वस, आपके उन अधिकारियों को मैं चुनौती देने का साहस नहीं कर रहा हूं, वित्त मंत्रीजी। अब यह सेल्स टैक्स है :-

"In the absence of suitable system of cross-verification between the Cenral Excise Depatment and the Sales Tax Department, loss of sales tax revenue to the tune of 15 crores 72 lacs was caused due to undervaluation of goods and evasion of excise duty besides an interest of 14.91 crores and penalty of Rs. 31.44 crores.

"Non-withdrawal of benefits on breach of conditions by 32 industrial units in 7 offices resulted in non-recovery of tax and interest of Rs. 16.23 crores. Incorrect grant of exemption in 15 cases on the sale of footwear resulted in non-levy of tax and interest of Rs. 5.60 crores.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

Excess exemption of tax of Rs. 1.21 crore was allowed to 8 small and medium scale industries. Excess exemption of tax of Rs. 53.18 lacs was allowed on the sale of cement in 5 cases. In 3 cases, due to less adjustment against exemption limit, short recovery of tax of 64.55 lacs was casued."

वित्त मंत्रीजी, बजट का भाषण आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभागों को समाहित करता है और सभी विभागों की आवश्यकतानुसार उनको डील करता है। मेरी चेष्टा यह थी कि मैं उन विभागों को टच नहीं करूं जिसके मंत्री इन्चार्ज माननीय धारीवाल जी जैसे सक्षम लोग हैं जो खुद जवाब दे सकते हैं। लेकिन चूंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है इसलिए उन कुछ डिपार्टमेंट्स को मैं टच करना चाहता हूं। और टच भी करना चाहता हूं किस मुद्दे पर? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक, आपने एक नयी बीमारी पाल दी, वर्ल्ड बैंक को भुगत कर अभी राजस्थान चुका नहीं है। पावर सैक्टर रिफार्म की हालत हमने देख ली है। उपाध्यक्ष महोदय, नितान्त फेल्योर पावर सैक्टर रिफार्म हुआ है। उस पर अलग से चर्चा की आवश्यकता है। डाक्टर चन्द्रभान जी, अभी अच्छा है, नहीं है, वरना अभी वह सब डिबेट को डाइवर्ट करके इस पर बहस कर लेते। अभी जवाब सुनो, दूसरी बात करनी ही नहीं। मेरे को अभी सुन लो आप, मैं बता देता हूं, आपको पता ही नहीं है। मैं उनसे बहस करने को तैयार हूं, उसमें कहीं कोई मुझे आपत्ति नहीं है, इसका अपन अलग से कोई दिन निश्चित कर सकते हैं। लेकिन आज यह अवसर इसलिए आया कि आपने हमारे मित्र के विभाग में एशियन डवलपमेंट बैंक को लगा दिया। एशियन डवलपमेंट बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो गयी है। आपको भी कभी इसका अनुभव होता होगा। एक पोलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टैंस उसकी इकोनोमिक पालिसी होती है जो उस पोलिटिकल पार्टी को डिस्टिंग्विश करती है। अब एक घिसा-पिटा आफ्ट रिपीटेड नारा जो है, अभी दस आदमी खड़े हो जाएंगे, साम्प्रदायिकता का लगाओ। वह बात अलग है लेकिन बिजन ब्लर हो गया। I hardly find any difference between Congress and B.J.P., इकोनोमिक पोलिसीज का जहां तक सवाल है। आप ठण्डे दिमाग से इस पर विचार कीजिए, माननीय सदस्य, जो पोलिसी पी.वी. नरसिंहराव के जमाने में लिबरलाइजेशन, मनमोहन सिंह का ब्रेन चाइल्ड लिबरलाइजेशन उसको रिलीजियसली फालो कर रही है बी.जे.पी.। यहां तक कि जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी थी, वे भी वैस्ट बंगाल में उसको फालो करते हैं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली है पूरा-इंटरनेशनल बैंक फार रीकंस्ट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक के पास कहां से कैपीटल आती है? मेजर कंपोनेंट इसका यू.एस.ए. है और यू.एस.ए. की इकोनोमी कंट्रोल करते हैं 58 कारपोरेट हाउसेज। वर्ल्ड बैंक का टोटल क्या तरीका है लोन देने का? यह लोन देने में इंटरेस्टेड क्यों है थर्ड वर्ल्ड को? कोई चैरिटी करना चाहता है? इनकी कंडीशनलिटी जो है वे कंडीशंस आपको मोहताज बनाने की हैं। शुरू से ही सबसे पहली तो सबसे अजीब किस्म की कंडीशनलिटी इनकी है वह है कि लैजिस्लेशन हम बनाएंगे। वे कंसलटैंट अपाइंट करते हैं और उस कंसलटैंट से आप लैजिस्लेशन बनवाते हैं।

दूसरी चीज पकड़ते हैं टैरिफ के ऊपर। आज तो एनर्जी मिनिस्टर पूरा दखल रखते हैं पांचों विद्युत कम्पनियों के लिए। मैं भी मानता हूं कि इनसे बिना पूछे पत्ता भी नहीं हिलता। पर उसका कारण इनकी योग्यता या क्षमता नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वहां पर सब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि मुख्य मंत्री द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, पदस्थापित किये जाते हैं। जब कम्प्लीट इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तब वह कभी-कभी कहते हैं, he is highly confused man. जब उनको कोई अपना असर्ट करना होता है तब कहते हैं हम यह करा देंगे उसमें। जब उनकी कोई गर्दन पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं, नहीं, यह तो पावर रैगुलेटरी कमीशन है, वह बड़ी इंडिपेंडेंट आटोनामस बाडी है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। वास्तविक स्थिति यही है, लीगल और स्टेट्यूटरी पोजीशन यही है कि जिस वक्त इसका प्राइवेटाइजेशन कम्प्लीट हो जाएगा और यह पावर रैगुलेटरी कमीशन होगा तो मंत्रीजी क्या मुख्य मंत्रीजी भी कुछ नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक का पहला काम क्या है कि टैरिफ बढ़ाओ और टैरिफ बढ़ाने के लिए टैरिफ के रैगुलेशन से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को और विधायिका को डीलिंक करो। यहां जो माननीय सदस्यगण बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुमत के आधार पर एक पावर सैक्टर रिफार्म बिल पास कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि आप कर क्या रहे हो। आज तो यह बिल पास कर दिया लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो न आपकी सरकार का कोई दखल इसमें रहेगा न आपका कोई दखल इसमें रहेगा।

और ग्बोंवल टेंडर। मैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब बीमारियां बीच में पैदा होने वाली हैं ए.डी.बी. के अन्दर। यहां पर, माननीय सदस्यगंण, आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो बिजली का टैरिफ बढ़ा है और वह पावर रैगुलेटरी कमीशन के आधार पर बढ़ा है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अगर ए.डी.बी. का लोन लिया तो उनकी कंडीशनलिटी यह है कि जो पेयजल है इसका टैरिफ भी रिवाइज किया जाए। उसका भी रैगुलेटरी कमीशन बनेगा। तेरह परसेंट के ऊपर आप लोन लोगे, दस से बाहर के बीच में लोन अवेलेबल है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने यह बात कही है। जब यहां पर यह चर्चा आयी कि जे.डी.ए. इतना पैसा खर्च कर रही है, इतना कर रही है, उन्होंने कहा, कोई कर्ज नहीं ले रहा है, हमारे पास पैसा है। जे.डी.ए. अपनी खुद की राशि से विकास का सब कार्य कर रही है। उल्लेखनीय कार्य आपने यहां पर किया उसका जो विवादास्पद पहलू है उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है जयपुर शहर के अन्दर और राजस्थान के अन्दर दीगर जगह, बहुत बड़ी तादाद में हुई है। भारी पैसा खर्च हुआ है। एण्ड वाई योअर ओन एडमिशन, वह पैसा आपने कहीं से लोन नहीं लिया। यह तो अब आया है सिलसिला ए.डी.बी. के लोन का। इसका मतलब जे.डी.ए. के पास पैसा है जे.डी.ए. कितनी आटोनोमस हो, उपाध्यक्ष महोदय, this is public money. उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बात का अनुभव किया होगा और सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि अभी जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चला था उस अभियान के दौरान छोटी-से-छोटी नगरपालिका के अन्दर लाखों रुपया इकट्ठा हुआ है। जहां पर अधिकारियों ने रुचि लेकर परिश्रम से काम किया है वहां अच्छा पैसा इकट्ठा हुआ है। तो हमको, उपाध्यक्ष महोदय, आत्म निरीक्षण करना पड़ेगा। आत्म निरीक्षण इस बात का करना पड़ेगा कि कुछ खराबी हमारी व्यवस्था में है। यह स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, हम सब जानते हैं कि नगरपालिकाओं की और ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। उनके पास तनखाह देने को पैसा नहीं होगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपने ए.डी.बी. के लोन का जिक्र किया है, आपने ए.डी.बी. के लोन के जिक्र के साथ साथ यह भी कहा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपकी तो डिमांड है, बहुत जवाब देने पड़ेंगे, इसमें काहे को उलझ रहे हो?

श्री शांति कुमार धारीवाल : एक मामूली बात है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा दिन लगेगा आपको जवाब देने में।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। मामूली बात है। उसमें आपने यह कहा कि उसमें भी रैगुलेटरी कमीशन...

श्री सुरेन्द्र व्यास : बनेगा। टर्म्स एण्ड कंडीशन रखो यहां पर। जबानी जमा खर्च नहीं मानता हूं मैं। टर्म्स एण्ड कंडीशन रखो टेबल पर।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं टर्म्स एण्ड कंडीशन आज शाम को ही हाउस खत्म होने के आधा घंटे बाद आपके पास पहुंचवा दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो देखो, वह आपकी कृपा है, उसकी बात छोड़ो। मैं एज ए मैम्बर चाहता हूं। If you want to contest it, place it on the Table of the House.

श्री शांति कुमार धारीवाल : बिलकुल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am always...

श्री शांति कुमार धारीवाल : प्रतिपक्ष के नेता...

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : I am not supporting him because he is my colleague. But what he says...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...You must support him and I am subject to correction.

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना-ना, It is...

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am subject to correction.

श्री प्रद्युम्न सिंह : Yes, please correct yourself.

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, प्रतिपक्ष के नेता चैम्बर में बैठे होंगे, टी.वी. पर यह सब सुन रहे होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जिस रोज उन्होंने मुझसे ये टर्म्स एण्ड कंडीशंस मंगायी, मैंने आधा घंटे के अन्दर अन्दर उनके घर पर सारी टर्म्स एण्ड कंडीशंस पहुंचा दीं। उस टर्म्स एण्ड कंडीशंस को उन्होंने थारोली स्टडी किया, स्टडी किसी भी बात पर आज तक कोई एतराज दायर नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक बात का जवाब देने से डिबेट खतम नहीं होती है, माननीय धारीवाल साहब। प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अगर आप पूछ करके...

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, नहीं, मैंने तो वैसे ही...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, इस सब्जैक्ट पर 12 तारीख को डिबेट होगी, डिमांड होगी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बोल ही नहीं रहा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा है। मैंने सिर्फ सरसरी तौर पर यह बताया था, क्योंकि इसमें एक मसला नहीं है, थर्टीन परसेंट इंटरेस्ट का भी मसला है।

एक पता नहीं, मैं आगे जब आ रहा हूं, जब मैं यह कह रहा हूं आपको, मुद्दा तो यहां चल रहा था, धारीवालजी को सोचने के बाद, आगे जाने के बाद याद आता है कि पीछे तो बात रह गयी।

बात चल रही थी यहां से कि प्रशासन शहरों के संग के अन्दर अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हुआ है। यहां तक पहुंच गये थे अपन। जब इनको ध्यान आया कि नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं, ए.डी.बी. के अन्दर, सुरेन्द्रजी ने कह दिया कि पानी की रेट बढ़ेंगी। पानी की रेट का इनको ध्यान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको व्यक्तिगत उन लोगों के नाम बता सकता हूं कि जिन लोगों से विद्युत मंत्री की बात हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, ब्यूरोक्रेसी रूल करती है उसको। मिनिस्टर को पता होता है क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हम आपको पढ़ा देंगे, आप टर्म्स एण्ड कंडीशन देना। हम वहां पढ़ देंगे, आपको कंविंस कर देंगे कि हम जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं, आपको गलत कहा गया है।

खैर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि कहीं व्यवस्था में खराबी है। जमीनें सब नगरपालिकाओं के अन्दर। मैं इस बात के लिये तो आपको निश्चित रूप से गलत मानता हूं कि प्रशासन शहरों के संग में आपने काम किया तब जाकर काम हुआ है। यह आपका नेगेटिव पाइंट है। पर यह नेगेटिव पाइंट आपका नहीं है, वह व्यवस्था का है। क्योंकि आज का तो है नहीं, नेगेटिव पाइंट तो शुरू का चला आ रहा है। उस हिसाब से मैं आपको इसके लिये बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं, मंत्रीजी, अब आपकी नजर में आ गया यह कि किस प्रकार से। मंत्रीजी, आप तो बहुत ज्यादा विवादों में घिरे पड़े हैं इसलिये यह नियमन वाली कार्यवाही, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, विवादों में नहीं जा रहा मैं। लेकिन यह एक निश्चित रूप से सही बात है, इसके दो पहलू हैं। नियमन करना एक लोक हित का काम भी है क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत अरसे से अपने खून-पसीने की कमाई से जमीनें खरीद रखी हैं, सोसायटी से खरीद रखी हैं। उसमें कुछ गलत असामाजिक तत्व फायदा भी उठाते हैं। उसमें कौन कहां इनवाल्व्ड है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि बेशकीमती जमीनें जयपुर से लेकर, सांगानेर से लेकर, मालपुरा से लेकर, महुवा से लेकर सब जगह हैं। छोटी-छोटी जगह पर भी इनका अतिक्रमण और नियमन। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी अनुभव होती है इसमें, लेकिन है यह वास्तविकता कि वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के चेयरमैन, सब मिलकर घोटाला करें। अफसर मिल कर करते हैं, फिर कहते हैं तनखाह बांटने को पैसा नहीं है। आप तो, मंत्रीजी, अपने आंकड़े इकट्ठे कर लो सब नगरपालिकाओं के। यह करों का तो एक्सैप्ट करना ही है। फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर मेरा यह कतई आग्रह नहीं है कि रिपोर्ट गलत है लेकिन आपकी व्यवस्था तो वहीं ठीक हो जाएगी। यह तो मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से अर्ज किया, दो-तीन पाइंट पर मैं आपकी अनुमति से और बोलना चाहता हूं।

बीकानेर विश्वविद्यालय, जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और धारीवालजी जा रहे हैं। यह क्या तमाशा है...

श्री शांति कुमार धारीवाल : कहां जा रहा हूं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहीं जा रहे हो, उससे नहीं। यह प्रद्युम्न सिंहजी...

श्री शांति कुमार धारीवाल : तो पानी, पेशाब करने भी नहीं जाएं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : Pradyuman Singh ji, you are a very senior man. आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेन्टेन नहीं कर सकते। आप मिनिस्ट्रियल डिसिप्लिन मेन्टेन नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हो, बताओ मुझे आप? आप पोलिटिकल डिसिप्लिन मेन्टेन नहीं कर सकते। आपका कुलीग सार्वजनिक रूप से नाराज होकर जा रहा है। धारीवालजी, आप इस चीफ मिनिस्टर को नहीं समझते, यह चीफ मिनिस्टर राजनीतिक रूप से बहुत चतुर है। ये बार बार पूर्वी राजस्थान चिल्ला रहे हैं, आप समझिये। मुख्य मंत्रीजी जानते हैं इस बात को। वह चाहे जयपुर हो चाहे कोटा, वह एक लहर थी। आप भी बैठे हो, महेश जोशी भी यहां बैठे हैं, बाकी यह बी.जे.पी. का गढ़ है। उनको सम्भालकर रखना है अपना जोधपुर। वरना वित्त मंत्रीजी, आपका तो...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : क्या व्यासजी, वित्त मंत्रीजी जब भाषण दें, तो कोई जा नहीं सकता?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह बात नहीं है। वह अलग बात है। पण्डितजी, बिराजो।

अब, वित्त मंत्रीजी, आपकी तो प्रतिबद्धता है नहीं, यह समझ नहीं रहे हैं। बात बात में धौलपुर। धौलपुर में आपकी प्रतिबद्धता बहुत सीमित है। बहुत कैलकुलेटेड है और बहुत स्ट्रेटेजिकल है, बहुत धरातल की वास्तविकता से जुड़ी हुई है। पहली प्रतिबद्धता है आपकी राजाखेड़ा, वहां से आओगे तब यहां बैठिये। दूसरी प्रतिबद्धता चीफ मिनिस्टर जो है, जो हो सकता है, कभी भी भूल कर भी हो सकता है उस हर आदमी से आपकी प्रतिबद्धता है-दूर दृष्टि। तीसरी प्रतिबद्धता जो है आपकी वह फिर आगरा से है। इमोशनल अटैचमेंट आएगा। आपकी एजुकेशन आगरा में हुई है। आपको क्या मतलब है भरतपुर और जयपुर से? वरना, वित्त मंत्रीजी, आप मुझे बताइये, आज आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मोहनसिंहजी मेहता के जमाने के अन्दर, मोहन लाल सुखाड़िया के जमाने के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी थी। इस हद तक उस यूनिवर्सिटी को ऊंचा ले गये थे मोहन सिंहजी मेहता सुखाड़ियाजी के सानिध्य में और आज इस यूनिवर्सिटी की क्या दशा हो गयी। मेरे मित्र मौजूद नहीं हैं सी.पी. जोशीजी, यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरे से तो उनका बहुत सदाचार का आचरण है, मैं उनका आभारी हूं। बाकी Arrogance, they name is C.P.Joshi. He is not open to logic and reason. मेरे अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं, तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे। तर्क तो उनके ऊपर ही नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताइये, क्या इसके अन्दर मौलिकता है? कितनी यूनिवर्सिटीज आपने खोल दीं? आज तक आप राजस्थान के अन्दर एक एफीलिएटेड यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी को रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके आप। इन बातों से कुछ नहीं धरा।

मैं, धारीवाल साहब, मजाक कर रहा था, इनसे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। यूनिवर्सिटी कहीं खोलो, मत खोलो, वोटर का कंसीडरेशन होता है अलग।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त करूं, आपने एक घंटी बजायी है, अब यह पर्याप्त है, This is a signal.

श्री उपाध्यक्ष : कितनी बजाऊं जब बन्द करोगे? कितनी घंटी पर बन्द करोगे आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : You don't have to press the bell again. उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूं कि बीकानेर यूनिवर्सिटी का तो इन्होंने प्रोवीजन बताया ही नहीं कि कितना पैसा आया है। जोधपुर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का कह दिया, एक करोड़ रुपये है। आपकी कितनी तो ई-इक्विप्ड यूनिवर्सिटी हैं, यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर मैं फिर आ जाऊंगा। आपने घंटी बजा दी, नहीं आऊंगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? उसके सुधार की तरफ आपने कोई कदम नहीं उठाया। न आपने कोई हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। अनाप-शनाप आप जो खोलते हो, उपाध्यक्ष महोदय, अन एम्प्लायमेंट के कारखाने हैं ये कालेज और यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपकी एजुकेशन का एम्प्लायमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ताल्लुक नहीं है सो नहीं है, आपकी सैकण्डरी एजुकेशन का भी ताल्लुक नहीं है। सैकण्डरी एजुकेशन के बाद आप वोकेशनल कोर्सेज करके चले जाते हैं, आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं वहां तक ठीक है। लेकिन मूल रूप से कभी आपने इस पर विचार नहीं किया। आप फिर कहेंगे शिक्षा का मुझे पता नहीं था, शिक्षा की डिमांड होगी तो उस पर आएंगे। लेकिन यह चूंकि मौलिक रूप से वित्त मंत्रीजी, आपकी जेब से पैसा निकलता है, आप इस पैसे की अनुमति कैसे देते हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछता हूं कि आप इसको एग्जामिन क्यों नहीं करते कि किस बात की यूनिवर्सिटी? जो यूनिवर्सिटी हैं उनके क्या हालात हैं? उनका स्टैण्डर्ड क्यों नहीं इम्प्रूव करते हो। यह लौजिक अलग-अलग जगह अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो एक्जिस्टिंग कालेजेज हैं या हास्टल हैं उनको पहले वैल इक्विप करना चाहिए तब नये खोलने की बात करनी चाहिए, मैं उस स्कूल आफ थाट को सब्सक्राइब करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर हम आ जाएं सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह थ्योरी आपने लगाई है, वैसे तो ठीक है। लेकिन मैं आज तक हैरत में हूं हरेन्द्र मिर्धा को तो सम्भवतया हो सकता है कोई ज्ञान है, नहीं है, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने तो राजस्थान बहुत घूमा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजस्थान से बहुत भली-भांति परिचित हैं। आज मिसिंग लिंक्स का क्या हिसाब है? मिसिंग लिंक्स के विषय में आपने एक पैसा प्रोवाइड नहीं किया। प्रद्युम्न सिंहजी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझें कि एक सड़क पीपलू से खटमाणा तक पहुंचती है 22 किलोमीटर, उधर जयपुर रोड से चलती है और अजमेरी तक पहुंचती है 18 किलोमीटर, कुल 40 किलोमीटर। बीच में 5 किलोमीटर का टुकड़ा रह जाता है वह आज का नहीं रहा हुआ है, वह रहा हुआ है। 10 साल का, 15 साल का। वह सड़क भी खराब हो गई, अनुपयोगी हो गई, आपका तमाम पैसा वेस्ट हो गया-करोड़ों रुपए। मेरे अकेले की कांस्टीट्यूएंसी में कम से कम 6 सड़कें ऐसी हैं जहां 4-4, 5-5 किलोमीटर की मिसिंग लिंक्स हैं। वित्त मंत्रीजी, यह स्थिति कमोबेश पूरे जिले के अन्दर है, पूरे राजस्थान की है। वित्त मंत्रीजी, आप उसको तो ठीक कराएं, क्यों नई सड़क बनाने की आप कहते हो, ढिढ़ोरा पीटते हो? वह तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है वह तो अपनी जगह अलग है। वहां कायदे से अपनी जेब से तो पैसा खर्च किया भी नहीं बजट में, सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स का पैसा है। या सड़कें जो आपने बनाई हैं वह नाबार्ड से लिया है। वैसे आपकी जेब में पैसा है भी नहीं, आप करें भी कहां से। यह आप नहीं कहते हैं। वित्त मंत्रीजी, यह पहला अवसर है, एक साल, दो साल तो गये, उसके बाद हमने आपकी जिला लेवल की कमेटी में जाना ही छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जरूर पधारते होंगे लेकिन यह अनुभव करते होंगे कि वहां न तो कोई बजटरी प्रोविजन होता है न कोई प्रस्ताव होता है। फिर काहे के लिए आपने मीटिंग बुलाई है? अफसरों के दर्शन करने के लिए तो हमारे पास टाइम है नहीं। यह जो, वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन सड़कों की ओर भी आप ध्यान दें।

अल्टीमेटली जो मैं आपसे कह रहा था, स्टेट इकोनोमी का मैंने आपको बता दिया कि आपने स्टेट इकोनोमी को रिट्रीव करने के लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया। आपने निरर्थक प्रयास भी नहीं किया कोई। अब सोशल इकोनोमी में भी आपका कोई कमिटमेंट सोसाइटी में रहा हो, स्टेट के लिए रहा हो, वह भी इसमें परिलक्षित नहीं होता है। ऐसा प्रयास कि जिसमें आपने कोई बहुत बड़ा विकास का काम कर दिया हो। जिससे यह कहा जा सकता है कि आपका बजट थोड़ा वैलकम बजट है। दूसरी पोलिटिकल इकोनोमी, वह भी वित्त मंत्रीजी, आपने कोई ढंग से हैंडल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं की कि आपने बजट से कांग्रेस को कोई विशेष लाभ होता हो। यह मुझे इस बजट में कहीं भी नजर नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के दो एप्रेजल होते हैं एक तो आब्जैक्टिव और एक सब्जैक्टिव, यह आब्जैक्टिव एप्रेजल था, जो मैंने अपने भाषण में दिया। अब सब्जैक्टिव एप्रेजल मेरा एक सेंटेंस का है, वह मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा। सब्जैक्टिव एप्रेजल आदमी का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में क्या किया, नहीं किया। तो, वित्त मंत्रीजी, I cannot be that ungrateful, आपने सोयला से डिग्गी और जयपुर से डिग्गी दो धार्मिक स्थान के नाम से सड़कों का पैसा दिया है, तो सब्जैक्टिवली आपका बजट बहुत अच्छा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे आपने दो सड़कें दी हैं। बाकी आब्जैक्टिवली जो आपका कहना था, मैंने आपसे निवेदन किया है। मैं समझता हूं, वित्त मंत्रीजी, कि तीन साल में तो कुछ किया नहीं, अगले साल आप जितना सत्यानाश करेंगे, और हम आगे आने वाले समय में भुगतेंगे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री हरिसिंह (महुवा) : टौंक बनाम टौंक।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो न। बोलें, आप बोलें।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2002-2003 का जो बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों में प्रस्तुत किया है, राज्य सरकार की जो वर्तमान में आर्थिक स्थिति रही है उसके हिसाब से मैं यह कह कर चलूंगा कि उन्होंने यह कोशिश की है कि राज्य की विकास की गति भी नहीं रुके और हम आर्थिक संकट से भी उबर कर चलें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने गत वर्ष भी इस बात को अपने बजट भाषण में कहा था, गत वर्ष का जो बजट था उसमें भी डेफीसिट आपने बतलाया था और इस वक्त भी आपने जो आंकड़े दिए हैं उसमें 13334 करोड़ का शुद्ध घाटा बताया है। लेकिन गत वर्ष अनुपूरक मांग में जो घाटा था वह 900 करोड़ उसमें और आ गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर और राज्य सरकार पर जो घाटा है वह बढ़ता चला जाएगा। माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि हम इस घाटे से कैसे उबरें, इसके लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी सामने आईं और इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सरकार की आखिर यह स्थिति क्यों बनी, इसके लिए जिम्मेदार

(15.47 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

कौन है। इसमें कोई शक नहीं कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे ऊपर कर्ज जो पूर्व सरकार छोड़ कर गयी, उसके बाद

(श्री दिग्विजय सिंह)

उससे उबरने की बात हम करने लगे। फिर भी कुछ देनदारियां और जो कर्ज बढ़ता चला गया, हम उस घाटे से नहीं उबर पाये। मैं विपक्ष के कई माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था, खास तौर से लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने उपलब्धि के रूप में एक बात का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में या उस काल में सूरतगढ़ की इकाई की शुरूआत हुई थी। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, याद दिलाऊंगा, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को कि उस समय आप और हम साथ ही थे, आप यह नहीं कह सकते कि वह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि थी। वह आपकी और हमारी उपलब्धि थी और उस इकाई का काम कांग्रेस शासन के टाइम में शुरू हो गया था। बिजली का उत्पादन उस समय में हुआ था, जो आप बता रहे हैं वह शुद्ध बी.जे.पी. के शासन में नहीं थी।

इसी के साथ-साथ आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बिजली उत्पादन के बारे में जो आप बात कह रहे हैं कि बी.जे.पी. का राज रहा तो आपने कितने एम.ओ.यू. साइन किये? आपने करीब 14 एम.ओ.यू. साइन किये, उसमें आप यह बतला दें कि कहीं एक मेगावाट भी बिजली उत्पादन कर पाये हों। 14 एम.ओ.यू. साइन होने के बाद आपके शासन काल में एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ जबकि आज साढ़े तीन वर्ष के शासनकाल में 750 मेगावाट सूरतगढ़ का हो गया। दूसरी इकाइयों का मिला लें तो कुल मिलाकर 1 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। यह एक उपलब्धि है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : आप भी तो थे, साहब, दल बदल कर उधर गये हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले आपने कुछ नहीं किया इसीलिये दल छोड़कर इधर आये हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय वित्त मंत्रीजी, आप बैठिये, पुरानी बात है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कोई व्यवधान नहीं करना चाहता। मैं कोई व्यवधान आपके भाषण में बीच में करूं, यह कोई सम्भव ही नहीं है। मैं सिर्फ रिकार्ड को स्ट्रेट रखने की दृष्टि से निवेदन करूंगा कि सूरतगढ़ की प्रथम इकाई का सिंक्रोनाइजेशन सितम्बर-अक्टूबर, 1998 में हुआ है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह कोई संयुक्त सरकार थी। संयुक्त सरकार में जब आप गृह मंत्री थे, वह 1990-1992 की बात है। उस वक्त निश्चित रूप से आप और हम साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वह उपलब्धि सूरतगढ़ की प्रथम इकाई की निश्चित रूप से माननीय विद्युत मंत्रीजी मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही उपलब्धि थी और उसी के साथ 250 मेगावाट और 150 के करीब कोटा का, 400 मेगावाट इकाई को वे खुद स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पैदा हुई।

श्री दिग्विजय सिंह : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्रीजी मान चुके हैं, मान गये हैं, उसको मैं चैलेंज करता हूं पर आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो 14 एम.ओ.यू. साइन हुए उसमें आपने एक मेगावाट बिजली का उत्पादन किया क्या? इसको भी रिकार्ड से पुट स्ट्रेट कि एक मेगावाट भी आपके एम.ओ.यू. से आपने नहीं किया। जबकि इन तीन-साढ़े-तीन सालों के शासनकाल में एक हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ और आगे भी होने जा रहा है, बल्कि अधिक ही होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह उत्पादन भी आपने किसी एम.ओ.यू. से नहीं किया है, यह सारा स्टेट का इंवैस्टमेंट है। उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य, यह सारा स्टेट का इंवैस्टमेंट है, निजीकरण नाम का है। सारा रुपया हमारे राज का लगा है। इसमें लिखा है, भारत सरकार ने फाइनेंस कारपोरेशन का उसमें 75 प्रतिशत रुपया हमको उधार मिला है।

श्री दिग्विजय सिंह : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यह सब आपके भारत सरकार का है तो आपकी भी उस वक्त उपलब्धि नहीं थी। आप भी इस बात को अपने आप सोच लें कि वह उपलब्धि आपकी नहीं थी। वह उपलब्धि उस वक्त कांग्रेस सरकार की थी जो दिल्ली में थी, 1995 में जिससे आपको मिले।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं बताना चाह रहा था कि हमको थोड़ा पीछे पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि किस वजह से यह सारी आर्थिक स्थिति, हमारे बजट की कमजोर रही है और अभी इससे उबरने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं? आपको मालूम है, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य वित्त मंत्री भी रहे हैं, प्लानिंग मिनिस्टर भी रहे हैं बजट भी दिये हैं, आपका एट्थ प्लान जब सब्मिट हुआ, उसमें आपने करीब 700 करोड़ बढ़ाया, 4215 करोड़ कर दिया। उस वक्त आपने प्लानिंग कमीशन को इस बात का एश्योरेंस दिया था कि आप कम से कम 250-300 करोड़ रुपये के संसाधन जुटा कर पूरा करेंगे। प्लान बनाने के हिसाब से आपने वह एश्योरेंस दे दिया परन्तु 1998-99 वह वर्ष आ गया चुनाव का, आप संसाधन जुटा नहीं सके और संसाधन नहीं जुटा सके तो वह गैप रहा। अगले वर्ष जब सरकार आपकी गयी और कांग्रेस की सरकार आ गयी, जब कांग्रेस ने प्लान प्रस्तुत किया उस वक्त प्लानिंग कमीशन ने हमको 500 करोड़ रुपये कम दिये और आपने जो किया था उसका खामियाजा, उसका दण्ड हमने भुगता। वह भी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी रही जिसकी वजह से आज यह स्थिति

(श्री दिग्विजय सिंह)

बनी रही। फिर पांचवां वेतन आयोग आ गया। इस प्रकार से हमारे प्रांत की जो आर्थिक स्थिति बनी उसके पीछे कई कारण हमारे सामने रहे हैं, वह मैं आपके माध्यम से, सभापतिजी, माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ यहां पर यह भी चर्चा की गयी कि स्कूलें खोल दी गयीं, खास तौर से राजीव गांधी पाठशालाएं और इनके अन्दर जो अध्यापक लगाये गये वे ठीक नहीं थे, और अभी भी खोली जा रही हैं। मैं समझता हूं कि राजीव गांधी पाठशाला, जो मैंने पहले भी कहा था कि निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम है। अच्छा कार्यक्रम इस दृष्टि से है कि दूरदराज के क्षेत्रों में जहां 250-300 की आबादी है, छोटा गांव है और चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता था, आज वहां अगर राजीव गांधी पाठशाला खुल गयी तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। रहा सवाल वहां टीचर्स का, टीचर्स के सम्बन्ध में जरूर सहमत हूं। वहां पर टीचर्स जो लगे हैं, इस प्रकार की शिक्षण योग्यता के लगे हैं कि वे वहां बच्चों को शिक्षा ठीक तरह से दें। उनकी पे स्केल भी अब तो आप मानेंगे इस बात को कि राज्य सरकार ने सुधारी है और उनकी पे स्केल ठीक है। इसलिए यह कार्यक्रम चल रहा है, यह भी एक उपलब्धि है राज्य सरकार की तरफ से।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो बजट कंसैप्ट है, फिस्कल सिस्टम है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, उसकी ओर भी ध्यान देन पड़ेगा। हमारा जो बजट सिस्टम है और बजट का जो ढांचा है, आज भी वही चला आ रहा है जो गंगासहायजी पुरोहित जिस वक्त फाइनेंस सैक्रेटरी थे तब था। उसमें कोई चेंज नहीं है। जब तक इसके आमूलचूल ढांचों को नहीं सुधारेंगे, आपके प्लान, नान प्लान एक्सपेंडीचर्स को इक्वलाइज नहीं करेंगे, आप कितनी ही कोशिश कर लें, आप कभी इस घाटे से उबर नहीं सकते। आज आपका नान प्लान एक्सपेंडीचर बढ़ता जा रहा है। नान प्लान एक्सपेंडीचर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप कभी भी संतुलित बजट नहीं ला सकते। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहूंगा, फाइनेंशल साइड में मेरा सुझाव है कि आप एक फाइनेंशल एडवाइजरी कमेटी बनाएं जिसमें फाइनेंशल एक्सपर्ट्स हों, इकोनोमिक्स के एक्सपर्ट्स हों, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, उस तरह के एक्सपर्ट्स हों जो फिस्कल सिस्टम को और आपके इस फाइनेंशल सिस्टम को समझ कर आपको राय दे।

सभापति महोदय, आज होता क्या है? आप भी इस बात को मानेंगे कि फाइनेंस सैक्रेटरी की जो पोस्ट है, आज मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाता, करीब हर साल भर बाद फाइनेंस सैक्रेटरी बदलता है या

(श्री दिग्विजय सिंह)

हर दो साल बाद में बदलता है। फाइनेंसेज पर कंट्रोल कर आदमी समझने लगता है प्रदेश के फाइनेंस को, इस बीच में वह बदल जाता है। तो वह ढांचा वही रहता है। इसलिए आप एक फाइनेंशल एडवाइजरी बाडी बना दें, जो आपके सारे स्टेट के फाइनेंसेज के बारे में और इसके साथ-साथ और फाइनेंस को भी हम किस तरह सुधारें, इस पर भी राय दे और उसके ऊपर आप चलते रहें। वैसे हमने एक कमीशन बनाया हुआ है, एक आयोग है जिसके देवपुराजी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कईं रिपोर्ट्स दी हैं, पर अब तक उन पर कितना अमल हुआ यह तो माननीय वित्त मंत्रीजी ही बताएंगे। मैं समझता हूं कि अगर इस फाइनेंशल साइड में हम एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाकर करेंगे तो हमारे लिये लाभदायक होगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडीचर हैं, इन दोनों को भी हमको देखना पड़ेगा। जहां से रेवेन्यू आनी चाहिये, रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वे सही तरीके से टैप नहीं हो पाते, इसकी वजह से हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स कम आती हैं और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर बढ़ता जाता है। इसलिये रेवेन्यू रिसीप्ट्स पर विशेष ध्यान दें और रेवेन्यू में किस तरह पिलफ्रेज होता है। उसको चैक करके आप सरकार की रेवेन्यू को बढ़ाने की बात करें।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कई अनरैमुनरेटिव बातें भी इस बजट के अन्दर दर्शायी हैं। आपने उद्योगों में जो रुग्ण इकाइयां हैं जो कि मृतप्राय: हो चुकी हैं, उनको आपने इंसेंटिव देने की बात की है और कहा है कि हम उनका पुराना सैल्स टैक्स वगैरह जो भी बकाया है वह माफ करेंगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए लोन भी देंगे। उसमें आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को मेरा निवेदन है कि मेरी राय में यह आप बिलकुल गलत करेंगे क्योंकि जो भी कोई आएगा, उन रुग्ण इकाइयों को चालू करने के लिए आपके सब लाभ ले लेगा और साल-दो साल बाद उन इकाइयों को छोड़कर फिर चला जाएगा और आपके ऊपर फिर वह लाइबिलिटी यों की यों बनी रह जाएगी। इसलिए यह इंसेंटिव या मोटिवेशन जो आप दे रहे हैं यह आपके लिए बिलकुल निरर्थक होगा, यह अव्यावहारिक है। जिस प्रकार की इकाइयां हैं, आपने आज जो एक्सपीरियंस कर लिया, दस साल तक जो अनरैमुनरेटिव हैं, जिनको आपने दिया है वो कुछ नहीं कर रही हैं, न उनका रिटर्न आया, न उनकी रियलाइजेशन हुई, न वे लोन चुका पाये, फिर उनको हम जीवित करने के लिए इंसेंटिव या मोटिवेशन देंगे तो आपको लाभ नहीं देंगे। इससे बेहतर तो यह है कि आप उनका पब्लिक आक्सन

(श्री दिग्विजय सिंह)

कर दें You do everything, ताकि आपके ऊपर आगे लाइबिलिटी कंटीन्यू न करे। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि जो आप इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं या रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर आप पुनर्विचार करेंगे तो आपके लिए और हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा।

सभापति महोदय, टैक्सेज प्रपोजल्स पर मैं बाद में आऊंगा, मैं थोड़ा इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि आपने कई योजनाओं के बारे में यहां घोषणाएं कीं, निश्चित रूप से अच्छी हैं। स्कूल्स के बारे में की हैं, चिकित्सा पर किया है, पशु चिकित्सा के बारे में कहा है। पर आज की परिस्थितियों को देखें तो गत वर्ष भी हमने स्कूल नहीं खोले न क्रमोन्नत किये, न नये खोले और आज भी आप केवल 200 की संख्या रख रहे हैं, 200 स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात की है सैकण्डरी तक और सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी तक। इनको बढ़ाकर आप कम से कम 400-400 करें।

दूसरी मद में मैं आपको बता सकता हूं जैसे वानिकी योजना है, वानिकी योजना में आपने 16 करोड़ का प्रावधान रखा है। आज वानिकी योजना आप लागू कर रहे हैं, आप पहले यही आंकड़े मंगाकर देख लें कि जो आपका आज एग्जिस्टिंग फारेस्ट है उसकी क्या दशा है। आज आपका जो आलरेडी एग्जिस्टिंग जंगलात है उसकी आप सुरक्षा नहीं कर सकते और आप इस वानिकी योजना के माध्यम से नये पेड़ लगाने जा रहे हैं। असल में तो ज्यादा पेड़ आप जूलीफ्लोरा के लगाते हैं, उसके सिवाय और कोई पेड़ नहीं लगाते। उसमें पैसे मिसयूज होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं होता। इसलिए ऐसी जो योजनाएं हैं इनका धन हम रैमुनरेटिव या जो आगे विकास की दर बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसके अन्दर हम खर्च करें, स्कूल ज्यादा खोलें, अस्पताल ज्यादा खोलें और दूसरी सुविधाएं ज्यादा दें तो हमारे प्रदेश के लिए ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदय, यहां यह भी कहा गया कि आपने 27 हजार करोड़ का कर्ज कर लिया जबकि हम तो इसमें और भी कम थे। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात के लिए मुझे करैक्ट करेंगे अगर मैं कुछ गलत कहूंगा। माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी, आपसे कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा होउंगा तो आप मुझे दुरुस्त करेंगे।

श्री सभापति : आप गलत कहते नहीं हो कभी।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर डैफिसिट फाइनेंसिंग है और डैफिसिट फाइनेंसिंग से प्रदेश की डवलपमेंट दर आगे बढ़ती है तो डैफिसिट फाइनेंसिंग कोई गलत नहीं है। डैफिसिट फाइनेंसिंग आप खुद जानते हैं, It is an ongoing process. इसलिए कोई डैफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से बहुत

(श्री दिग्विजय सिंह)

बड़ी हानि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वह तब हो सकती है जब हम कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लें। हमारे पास डैफिसिट फाइनेंसिंग है, पर हम विकास दर बढ़ा रहे हैं और विकास दर अगर बढ़ेगी तो उसका डैफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर विपरीत असर पड़ने वाला नहीं है। यह मेरा सोच है, कुछ गलत हो तो माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी मुझे सही कर देंगे।

मैं इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, निवेदन करना चाह रहा था माननीय वित्त मंत्रीजी को कि उन्होंने ट्यूरिज्म के ऊपर अब के वर्ष तो कहा भी है कि हमने इसको पर्यटन बजट के रूप में समर्पित किया है और करोड़ों रुपये का प्रावधान भी रखा है। बहुत अच्छी बात है, ट्यूरिज्म के ऊपर आपने यह प्रावधान कर दिया और उसके साथ-साथ जो आपकी मौजूदा इकाइयां हैं उनको आप बेचने की भी बात कर रहे हैं या आप उनको लीज पर देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी कईं इकाइयां ऐसी हैं या मिडवेज ऐसे हैं जो अनार्थिक हो रहे हैं। अब आप ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं हैरिटेज बनाना चाहते हैं, कहीं कुछ और करना चाहते हैं, उससे ट्यूरिज्म का कोई खास एट्रेक्शन होने वाला नहीं है। मेरा सुझाव है कि अगर आपको ट्यूरिज्म को महत्व देना है, ट्यूरिज्म जैसी इण्डस्ट्री में आज आपकी कोई देन नहीं है, आज ट्यूरिज्म इण्डस्ट्री खुद ही बढ़ती जा रही है। खास तौर से राजस्थान में तो आज ट्यूरिज्म दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भले ही आप कुछ करें या न करें, ट्यूरिस्ट यहां एट्रेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि बजाय इसके कि इस धन को डिपार्टमेंट को देकर बांटें, आप एक कमेटी बनाइए, माननीय वित्त मंत्रीजी, ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ-साथ उसके अन्दर एक पी.डब्ल्यू.डी. का चीफ इंजीनियर हो, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर हो और आर.एस.ई.बी. का हो। वे लोग राजस्थान के अन्दर भ्रमण करके ऐसे ट्यूरिस्ट स्पाट देखें जो ट्यूरिस्ट को एट्रेक्ट करें। आप वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिये और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके फिर उस प्रोजेक्ट का सेल आउट करिए। आप उसको बाहर सेल आउट करिए, बाहर वाले भी आ जाएंगे, हिन्दुस्तान के भी आ जाएंगे। वे ही उन प्रोजेक्ट्स को, उन स्थानों को डवलप करेंगे। इसके बाद आपकी ट्यूरिस्ट इण्डस्ट्री अपने आप डवलप हो जाएगी और आपका यह एक्सपेंडीचर बचेगा। मेरा कहना है कि आइडेंटिफिकेशन आफ ट्यूरिस्ट स्पाट्स आप कराइए, उसके बाद उसको आप सेल आउट करेंगे तो वह आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा बजाय इसके कि आप डिपार्टमेंट को पैसा दें। आप जब अगला बजट लाएंगे तो माफ करना, आप फिर कहेंगे कि हम इसको खर्च नहीं कर सके, यह पैसा लगा नहीं और इस वजह से काम नहीं हुआ। मेरा यह सुझाव है, सभापति महोदय, आशा है, माननीय वित्त मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे और इसको देखेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, 19-20 करोड़ रुपये का ट्यूरिज्म के लिए प्रावधान करके यह कह देना कि यह हमने डैडिकेट कर दिया और ट्यूरिज्म के विकास के लिए बड़ा भारी बजट ले आये। कभी गरीबों को भी तो कोई बजट डैडिकेट किया करो। कभी ट्यूरिज्म के लिए, कभी शिक्षा के लिए, राजस्थान के गरीबों के लिए बजट आप क्यों नहीं डैडिकेट करते कि हम इस साल पूरे राजस्थान में गरीबी उन्मूलन या गरीबों की संख्या को कम करने के लिए बजट लाये हैं? ट्यूरिज्म का प्रावधान 19-20 करोड़ का ही तो है, बजट तो 26 हजार करोड़ का है। 20 करोड़ रुपये का 26 हजार करोड़ में कहां अता-पता लगता है, आप जरा विचार करें।

श्री दिग्विजय सिंह : आप जो कह रहे हैं वह ठीक है। मेरा पाइंट दूसरा था जो आप शायद नहीं समझे। आप करें, पर इसी पैसे को आप चैनलाइज करके करेंगे तो वह आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। मेरा मतलब यह है कि इस पैसे को आप चैनलाइज करें और चैनलाइज करके अगर आप उपयोग करेंगे तो वह आपके लिए ज्यादा रैमुनरेटिव होगा। बाकी उस बात के लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं एक और माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी इतनी योजनाएं चल रही हैं, राज्य के अन्दर डी.पी.आई.पी., डी.पी.ए.पी. और नयी-नयी योजनाएं, इतने प्रकार की योजनाएं हैं, माननीय सभापति महोदय, आप भी शायद ही जानते हों, कई के नाम हम ही नहीं जानते। जब ज़िले में जाते हैं तब कहीं वो संस्थाओं वाले मिलते हैं, एन.जी.ओज. के मार्फत आज इतना काम हो रहा है। एन.जी.ओ. के मार्फत आज करोड़ों रुपये का काम हो रहा है, पर उसका कोई समन्वय राजस्थान स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, यह किसी को पता नहीं है। आप माननीय सदस्य जो भी बिराजमान हैं, हम भी हैं, जिला परिषद् की मीटिंग में चले जाएं, आप अपनी डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में चले जाएं, एन.जी.ओ. के मार्फत क्या पैसा खर्च हो रहा है, कौन-सी योजना के लिए पैसा खर्च हो रहा है इसका किसी को कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन एन.जी.ओ. को जो पैसा हमारे देश में आ रहा है, हमारे प्रांत में आ रहा है उसको भी कोआर्डिनेट करने के लिए आप कुछ न कुछ डाइरेक्शन दें। उसका पैसा इस बजट के अन्दर हम एडजस्ट करें या कुछ पैसा जो वे खर्च कर रहे हैं, कहीं डुप्लीकेसी नहीं हो रही हो। हैण्ड पम्प का मैं जानता हूं, वे भी हैण्ड पम्प खोद रहे हैं और हमारा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट भी खोद रहा है। कई काम हैं जो डुप्लीकेसी में हो रहे हैं, इसीलिए अगर दोनों का कोआर्डिनेशन हो जाए तो हमारा जो बजट है उसमें सेविंग हो सकती है और कोआर्डिनेशन होने के बाद एन.जी.ओज. मनमाने तरीके से जो कुछ करते हैं उस

(श्री दिग्विजय सिंह)

पर भी नियंत्रण रहेगा। इसके ऊपर कोई व्यवस्था आप करेंगे और इस बात को देखेंगे तो उचित होगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा; इन्होंने टैक्स प्रपोजल्स प्रस्तुत किये हैं और टैक्स प्रपोजल को प्रस्तुत करते हुए इन्होंने कहा है कि हमको इससे 50 करोड़ रुपये आमदनी का अनुमान है। माननीय वित्त मंत्रीजी आपका जो शुद्ध घाटा है वह 1334 करोड़ है और गत वर्ष का है 900 अब उसमें से आप 50 करोड़ रुपये टैक्सेशन से उम्मीद कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि 50 करोड़ टैक्सेशन का जो आप लगा रहे हो उसे आप कर पाओगे। आपका टैक्सेशन सैंच्युरेशन पाइंट पर पहुंच गया है, अब टैक्सेशन से आप समझो कि आपकी बहुत आमदनी आ जाएगी तो बिलकुल आने वाली नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आप पुनर्विचार करें। जिन-जिन के ऊपर आपने कर लगाये हैं कहीं 18 आता है उसको आपने 12 कर दिया, कहीं 4 था उसको 6 कर दिया, अन्दर आने वाले आटे मिल पर और 4 लगा दिया तो वह कोई नहीं है। वह गरीब पर जाएगा और उसके ऊपर राज्य को भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, न ही आपको उसमें आमदनी आने वाली है। इसलिए टैक्सेशन वाला आपने जो पाइंट लगाया है उसके ऊपर आप पुनर्विचार करें और इस टैक्सेशन पालिसी को आप दुबारा से देखें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और अन्त में निवेदन करना चाहूंगा, अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरों ने भी साम्प्रदायिक सद्भाव की बात बहुत जोर से कही थी और यह कहा था कि सद्भाव जितना उस वक्त बना रहा, आज सब बिगड़ गया। साम्प्रदायिक सद्भाव का बजट से कोई मतलब नहीं है। यह तो आपका और हमारे प्रशासन का किस प्रकार का व्यवहार रहता है उससे जाकर साम्प्रदायिक सद्भाव की सारी बात रहती है। आप यह तो स्वीकार करेंगे कि साम्प्रदायिक सद्भाव की बात आप भी कहोगे, हम भी मानते हैं सबका है, जो कोई सरकार में आये उसका दायित्व है। पर आज जो स्थिति गुजरात में चल रही है, अभी भी आप देख लो क्या हो रहा है। यह तो आप समझिये कि इधर गुजरात की सीमा से लगता हुआ राजस्थान है, उधर महाराष्ट्र है इसलिए आगे आग नहीं पहुंच रही है, नहीं तो न मालूम आगे तक क्या हो। इसलिए साम्प्रदायिक सद्भाव की जो दुहाई दी आपने, जरा आप अपने गिरेबान में देखें। पुष्कर से आने वाले सदस्य ने जो बहुत जोर-शोर से कहा कि माननीय भैरोंसिंहजी के समय में सद्भाव बना रहा। वह भूल गये कि उस समय में सद्भाव बना रहा तो उनके साथ कौन था। मैं इतना ही कहूंगा, आगे नहीं कहना चाहूंगा कि आप उसको याद रखेंगे। आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि जितना साम्प्रदायिक सद्भाव आज राजस्थान

(श्री दिग्विजय सिंह)

के अन्दर इस कांग्रेस सरकार में बना हुआ है उसके लिए अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार धन्यवाद और बधाई की पात्र है। उसके लिए आपको भी उनका आभारी होना चाहिए।

अभी समर्थन मूल्य की बहुत जोर शोर से बात कही, हम सब चाहते हैं। आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। किसानों के हित के लिए हम सब जगह जगह बात करते हैं, कहते हैं पर जब प्रस्ताव की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। आप लोग करो हिम्मत, आप ही प्रस्ताव रखते, हम सब समर्थन करते हैं कि केन्द्र को कहा जाए कि जो 1300 रुपये सरसों का मूल्य बढ़ाया है उसको और बढ़ाया जाए 1500 किया जाए। आप करो, हम तो करते हैं समर्थन। आप कहो तो सही, हिम्मत तो करो। पर आप यही बात नहीं करते हैं।

श्री रामस्वरूप : आप बोलिये, हमारे साथ-साथ रखा क्यों नहीं आपने प्रस्ताव? हमने रखा था, आप रखते उस समय।

श्री दिग्विजय सिंह : इसको भी राजनीतिकरण के हिसाब से देखना चाहें तो दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह करूंगा, इनको किसानों से बहुत प्रेम है, हमें भले ही कम हो सकता है, कि आप एक प्रस्ताव जरूर लाएं और सदन इस बात का प्रस्ताव पास करे कि जो समर्थन मूल्य आज घोषित किया है केन्द्र ने, वह बिलकुल अनुचित है और काश्तकारों की जिस प्रकार की फसल हुई है उनको देखते हुए यह समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिये तब तो आप और हम निश्चित रूप से काश्तकारों के लिए कुछ भलाई की बात कहेंगे। हालांकि यह कोई डाइरेक्टली बजट से सम्बन्धित नहीं है, पर मैंने इसलिए कहा कि चर्चा काफी हुई थी इस बात के ऊपर। इसके अन्दर अगर विपक्ष भी साथ देगा तो हम राजस्थान के काश्तकारों के बारे में जो भलाई की बात कर रहे हैं, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सारा सदन इस बात के लिए एक है।

मैं अन्त में एक बात माननीय वित्त मंत्रीजी को याद दिलाना चाहूंगा कि जयपुर की पेयजल योजना के लिए इन्होंने फिर इसमें रख दिया 11 करोड़ का और बीसलपुर से पानी लाने की बात कही। (व्यवधान) क्या है? नहीं, 11 सौ करोड़ तो आगे है, इसमें 11 करोड़ रखा है और कहा है कि मैचिंग कंट्रीब्यूशन आएगा तब। जबकि वास्तव में क्या है कि 1100 करोड़ रुपये अगर सरकार देगी, सरकार लगाएगी तो बीसलपुर से पानी जयपुर को आ सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को याद दिलाना चाहूंगा और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात की घोषणा की है कि जयपुर को 2002 में पानी पिला देंगे पर आज भी आपका

(श्री दिग्विजय सिंह)

बीसलपुर से जयपुर तक का सिस्टम तैयार नहीं है। सिस्टम तैयार नहीं है और वहां पानी पड़ा हुआ बेकार जा रहा है। हम इस बात के लिए माननीय वित्त मंत्री से भी कहेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करेंगे कि ये जो 11 करोड़ रुपये रखे हैं बीसलपुर से जयपुर के लिए, वे तो कम हैं ही, उनका कोई उपयोग भी नहीं होगा। इससे तो बेहतर है ईसरदा बांध जो जयपुर के केवल 90 किलोमीटर पड़ेगा जबकि बीसलपुर यहां से 163 किलोमीटर पड़ता है। उसकी लागत करीब 1100 करोड़ आएगी और इसकी लागत करीब 482 करोड़, आधी कास्ट के अन्दर काम होगा। जयपुर को पीने का पानी मैं ही नहीं कहता, सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, 1992 की जो एक रिपोर्ट थी वह 129 करोड़ की लागत की थी, आज अगर इसको बढ़ा लें तो साढ़े तीन सौ, चार सौ करोड़ की हो सकती है। तो अगर जयपुर के लिए पीने के पानी के सम्बन्ध में कोई विकल्प है, रिपोर्ट में भी कहा था कि 2051 तक की आबादी के लिए अगर जयपुर को पानी सुरक्षित रूप से मिल सकता है तो ईसरदा बांध से मिल सकता है। इसीलिए इस प्रोविजन को जो आपने इस वक्त रखा है बीसलपुर के लिए, इसको मेहरबानी करके आप ईसरदा बांध के लिए डाइवर्ट कर दें। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट को आपने अलाट किया है, यह फण्ड पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट भी कर नहीं सकता, 1100 करोड़ में वह पानी पिला नहीं सकता। उस फण्ड को अगर आप ईसरदा बांध निर्माण कराने में लगाएंगे और आज यह काम शुरू होता है तो मैं समझता हूं कि हम अगले वर्ष तक निश्चित रूप से काफर डैम बनाकर वहां पीने के पानी के लिए पाइप लाइन लगाकर जयपुर को पानी पिला देंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को यही ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री हफीज मोहम्मद : सभापति महोदय, इनके बाद मेरा नम्बर है?

श्री सभापति : नहीं, आपको भी बुलवाएंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह आपने कैसे कह दिया, कोई बोलने वाला ही नही हैं? हम बैठे हैं बोलने वाले। (व्यवधान) आपने कैसे कह दिया कोई बोलने वाला ही नहीं है, कांग्रेस में हम बैठे हैं बोलने वाले।

श्री सभापति : किसने कह दिया, नहीं बोलने वाले हैं?

श्री रामस्वरूप : आप कह रही हैं माननीय सदस्या, कि कोई बोलने वाला ही नहीं है। आप पीछे मुड़कर देखती ही नहीं हैं, आप तो सामने देखती है। हम बैठे हैं, आपके पीछे भी बैठे हैं।

श्री सभापति : आपको किसने कहा कि कोई बोलने वाला है ही नहीं? माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, जाती हुई सरकार का यह चौथा बजट है, इस बजट के बारे में सत्ता पक्ष कितना गम्भीर है यह इस बात से साबित होता है कि जब बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में बहस हो रही है तब ट्रैजरी बैंचेज के माननीय सदस्यों सहित पूरा मंत्रिमण्डल गायब है।

श्री रामस्वरूप : हम बैठे हैं। आप बैठने वालों को तो धन्यवाद दो। बुराई ही बुराई करते हैं, अच्छाई भी देखो। समाज कल्याण मंत्रीजी बैठे हैं, आयुर्वेद मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सब इसलिए है कि...

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, यह सवाल पहले भी आपने उठाया था।

श्री रामस्वरूप : बड़े-बड़े दिग्गज मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा है कुछ। खाली नजर आ रहा है।

श्री सभापति : बैठिये आप। मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य यहां मौजूद हैं। वित्त मंत्रीजी किसी काम से बाहर गये हैं और आसन से कह कर गये हैं। आप अपनी बात कहिये। यह बात परसों भी आ गयी थी, कल भी आ गयी थी, रोजाना का क्या मतलब है?

श्री रामस्वरूप : आपके 21 सपूत बाहर हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : राठौड़ साहब, कल भी आपने प्रश्न उठाया था, मुझे अफसोस है। आप भी राज्य मंत्री थे, मैं भी राज्य मंत्री हूं और बैठी हूं इसलिए मान्यता दें मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मानता हूं।

श्री सभापति : और भी बैठे हैं बहुत-से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने इस सरकार के द्वारा रखे गये चारों बजटों को पढ़ा और महामहिम राज्यपाल के मुख से जो बातें इस सरकार ने इस सदन में कहलवाई, उनका भी सबका अध्ययन किया। उस सबके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सरकार चारों बजटों में मात्र कपोल-कल्पित बातें ही करती रहीं, थोथी घोषणाएं इस सदन में होती रहीं और सत्ता के मद में चूर माननीय सदस्यों से मेज थपथपवाते रहे। पीछे मुड़कर देखा नहीं कि जो बजटीय घोषणा की गयी, जो राज्यपाल के मुख से घोषणा करवाई गयी उसका हश्र क्या हुआ। सभापति महोदय, जिस बजट के लिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि बजट सरकार का दर्पण होता है, उस दर्पण में सरकार की रीति-नीति, कार्यक्रम जिस आर्थिक नीति पर सरकार जनता को ले जाना चाहती है वो सारे परिलक्षित होते हैं, आज वे ही कहने लग गये कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस सरकार का बजटीय व्यवस्था पर पूरा विश्वास नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल बजट के महत्व को कम किया गया है बल्कि बजट की सैंक्टिटी को, बजट की पवित्रता को भी इस सरकार ने नष्ट किया है। आप साक्षी रहे हैं, सभापति महोदय, कि पिछली बार जब इसी सदन में बजट प्रस्तुत हो रहा था, इससे पहले कि सदन में बजट आए, धन्ना सेठों के पास बजट चला गया और 56 कर प्रस्तावों में से 46 कर प्रस्ताव लीक हो गये। यहां वित्त मंत्रीजी बिराजे नहीं हैं, इन्हीं वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि बजट लीक नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? जद्दोजहद के बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुई और आज वित्त विभाग के दो लों-पैड कर्मचारी जेल में बैठे हैं, आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस बार भी 22 तारीख को जब बजट प्रस्तुत हो रहा था उससे पहले वित्त मंत्रीजी ने पूरा बजट मंत्रिमण्डल के सम्मुख रखा। मुझे मालूम नहीं कि किस संवैधानिक अधिकार से रखा। यह तो समझ में आता है कि बजट प्रस्तुत होता है, अलग-अलग विभाग बजट फाइनेंस कमेटी के माध्यम से अपने प्रपोजल रखते हैं। परन्तु सारा का सारा बजट वित्त मंत्रीजी मंत्रिमण्डल के सम्मुख पढ़कर सुनाएं और उसका नतीजा क्या रहा? वित्त मंत्रीजी, आपके ही मंत्रिमण्डल के सदस्य ने आपको आकर हड़काया, धमकाया और उसके बाद सदन से उठकर चले गये। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के बारे में प्रावधान किया वह इस बजट के पृष्ठ संख्या-34 पर अंकित है, ये अपना भाषण पृष्ठ 34 तक ले जाते और उसके बाद स्वायत्त शासन मंत्रीजी नाराज होकर जाते तो मेरी समझ में आता।

श्री सभापति : एक मिनट। माननीय राठौड़ साहब, यह बात आप पहले भी कह चुके और मेरे खयाल से आप पार्टी के चीफ व्हिप हैं, थोड़ा स्तर ऊंचा रखिये तो अच्छा रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने स्तर की बात कही, मुझे पीड़ा है कि बजट की पवित्रता, बजट की सैंक्टिटी, बजट की गोपनीयता, तीनों इन वित्त मंत्रीजी ने भंग की हैं। वित्त मंत्रीजी, आपको याद होगा कि जिस श्वेत पत्र की चर्चा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने की, वह श्वेत पत्र जब जारी हुआ था तब तत्कालीन वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि हमारा नीति पत्र है, हमारे लिये यह नीति है जिस पर हम हमारी सरकार को चलाएंगे। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि श्वेत पत्र में जिन नीति बिन्दुओं का निर्धारण आपनें किया, उसके ठीक विपरीत आपने आचरण किया। वित्त मंत्रीजी, आपको याद होगा, पहले बजट में आपने कहा था, बजट भाषण में लिखा हुआ है कि राज्य की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ऋण लेने व राजकीय प्रतिभूतियां जारी करने की सीमा निर्धारित करेंगे। आपने कहा था कि हम प्रस्ताव, लेकर आएंगे सदन के सम्मुख। चौथा बजट पेश कर रहे हैं, किसने रोका आपको? क्यों नहीं प्रस्ताव लेकर आये? आपने लम्बी-चौड़ी बातें कह दीं श्वेत पत्र के माध्यम से, आपके मुख्य मंत्रीजी ने जनता के बीच में जाकर लम्बे-चौड़े बयान दे दिये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खजाना खाली करके चले गये, सारा राज्य आकंठ कर्जे में डूब हुआ है। आपने कहा था मैं उन आंकड़ों की तरफ नहीं जाना चाहता पर फिर भी निवेदन करना चाहूंगा कि 31 मार्च, 1990 को राज्य का कुल कर्जा 6127 करोड़ था वह बढ़कर 23840 हो गया। ऋण की अदायगी 437 से बढ़कर 2215 हो गयी। वित्त मंत्रीजी, आपको याद होगा, आपने 2000-2001 में जब बजट प्रस्तुत किया तब आपका बजट भाषण उद्धृत कर रहा हूं, आपने कहा था- कर्जा लेकर आयोजना का आकार बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। कर्जे लेने के दुष्परिणाम राज्य की वित्तीय स्थिति को लम्बे समय तक प्रभावित करते हैं इसलिए योजना का आकार बढ़ाना ठीक नहीं। यानि आप कहना क्या चाह रहे थे कि आप कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था के खिलाफ हैं परन्तु आपने कर क्या दिया? आपने भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगा दिया कि आपने 23 हजार का कर्जा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राज्य का कर्जा 2 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा था, परन्तु साढ़े तीन वर्षों के ये पूरे आंकड़े हैं, आपने 20516 का कर्जा लिया है इस साल को मिलाकर और आपका कुल कर्जा बढ़कर 44685 करोड़ हो गया। आप राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं, यह मेरी समझ के बाहर है। 31 मार्च, 1999 को आपने कहा था कि ऋण पर ब्याज की अदायगी 2217.25 करोड़ है, आज आपके इस बजट एस्टिमेट के साथ, वित्त मंत्रीजी, बढ़कर कितनी हो गयी, कैलकुलेट कर लेना। 4372 करोड़ हो गयी। यानि, सभापति महोदय, हरेक महीने में 333 करोड़ रुपये जिस सरकार को ब्याज का चुकाना पड़ता है, रोज का जिस सरकार पर प्रतिदिन ग्यारह-साढ़े-ग्यारह का ब्याज का भार है, मैं समझता हूं कि ये कहां ले जाना चाहते हैं राजस्थान को। लम्बी-चौड़ी बात,लफ्फाजी करने की बात दूसरी होती है परन्तु बात को अमली-जामा पहनाना आसान काम नहीं है।

वित्त मंत्रीजी, आपको मालूम होगा कि अभी राजस्थान के बारे में कई तरह के सर्वे प्रकाशित हुए हैं। राजस्थान में 30.99 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, राजस्थान के अन्दर 1.13 करोड़ परिवारों का आपने बी.पी.एल. के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर सलेक्शन कर रखा है, गरीबी की रेखा के नीचे चयनित परिवार हैं, और आप राजस्थान को कहां ले जा रहे हैं? आज किसी भी राज्य का प्रगति सूचक है उसकी प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी। आप क्या कर रहे हैं? आपने आंकड़े दोनों पेश किये इसमें 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर 1998-99 में जो आपकी प्रति व्यक्ति आय थी वह 8685 थी जो आज 2000-2001 में कम होकर 8559 रुपये हो गयी। यानि आज देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह है 10618 रुपये और उससे हम पीछे हैं 2059 रुपये।

आपने इस नीति पत्र में संकल्प लिया था कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, राज्य की माली हालत को ठीक करेंगे। आपने यह भी कहा था कि हम इस राजस्थान की जनता को राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी देकर उनको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अब आपने एक लम्बी-चौड़ी बात इस बजट भाषण में कही है, आपने कहा कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद इस बार 12.05 हो गया। 2.67 से बढ़कर 12.05 हो गया। इसमें वित्त मंत्रीजी, आपका क्या योगदान है? राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अन्दर सबसे बड़ा योगदान है तो राजस्थान के किसान का है जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है। आपको मालूम होगा कि यह 12.25 प्रतिशत जो बढ़ोतरी बतायी है इसका बेस वर्ष क्या रखा है आपने? आपने इसका बेस वर्ष 2000-2001 रखा है और 2000-2001 के अन्दर राजस्थान के अन्दर सूखा पड़ा था। उस समय जो हमारा खाद्यान्न उत्पन्न हुआ, सभापति महोदय, 2000-2001 का निवेदन कर रहा हूं, कुल खाद्यान्न उत्पादित हुआ 100.34 लाख टन और 2001-2002 में जब इन्द्रदेव की कृपा हुई तब खाद्यान्न उत्पादन हुआ 124 टन। अब बेस वर्ष इन्होंने वह रख दिया इसलिए इन्होंने कह दिया कि जी.डी.पी. बढ़ गया। जी.डी.पी. बढ़ गया, किन्तु आपने इसके साथ यह नहीं देखा, आपका इकोनोमिक सर्वे यह कहता है कि राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में उद्योग किस तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहे कितने ही सम्मेलन कर रहे हैं, आई.आर.सी. कर लें, और लोगों को बुला लें, जिनको बुलाते हैं, जो प्रवासी उद्योगपति आते हैं, वे कैसी कैसी बातें कहकर जाते हैं, वित्त मंत्रीजी, आपको एहसास हुआ होगा। मन में तो जरूर ग्लानि होती होगी चाहे वह लक्ष्मी मित्तल कहें चाहे राहुल बजाज कहें। उन्होंने कहा कि...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको पहले भी कहा था, उन्होंने इस मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं कहा जो अखबारों के अन्दर आया है। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं यहां सदन में, सदन की रिपोर्ट के हिसाब से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि जो मीटिंग बुलाई थी, माननीय सभापति महोदय, जिस किस्म की यहां बात आई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : अखबारों में आया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पता नहीं, कैसे आया है। मैं क्या बता सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, उन्होंने कुछ कहा है या नहीं कहा, इस बार जो रविवार को रविवारीय परिशिष्ट प्रकाशित हुआ है, उसके अन्दर फोटो लगी हुई है, उनकी, उनके सबके साक्षात्कार हैं। वह साक्षात्कार राजस्थान के जिस किसी जागरूक आदमी ने पढ़ा है, उसने लानत भेजी है सरकार को कि बार बार आमंत्रित करते हो और वह मुंह पर मारकर जाते हैं। आप भावनाओं से नहीं, आधारभूत संरचना पैदा कीजिये, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कीजिये, उद्योग तब लगेंगे। उसकी हालत क्या है, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है... (व्यवधान) यह अखबारों में साया हुआ है, फोटो के साथ साया हुआ है, माननीय सभापति महोदय।

आज किस तरह का औद्योगिक वातावरण बना हुआ है, 1998-99 में, मैं यह आपके इकोनोमिक सर्वे के आधार पर कह रहा हूं, उस समय हमारे राज्य का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक था 720.79 और 2001-2002 में वह गिरकर हो गया 619.81, यानी हमारा औद्योगिक उत्पादन कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ आपका कर्जा 44685 को छुता जा रहा है। आप ले जाना कहां चाहते हो? वित्त मंत्रीजी, आपने वार्षिक योजना बनाई 2002-2003 आपकी वार्षिक योजना है 5535 करोड़ की और आपका शुद्ध उधार जो बजट-एट-ग्लांस में है, वह है 5672 करोड़। सभापति महोदय, यानी वार्षिक योजना छोटी, कर्जा ज्यादा। आप कर्जा ले रहे हैं 5672 करोड़ का और इसमें आपको ब्याज पेटे चुकाना पड़ा 4372.93 करोड़। आपका प्लान असिस्टेंस कितना हुआ? सिर्फ 1299 करोड़।

आप फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्रीजी, आज राजस्थान के अन्दर हालात क्या हो गये? राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण भार के लिए आपने श्वेत पत्र में कहा था कि राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण भार भाजपा के समय में इतना बढ़ गया है और राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति कर्ज में आकंठ डूब गया है। आपने इसका जिक्र अपने घोषणा पत्र में भी किया है। 1997-98 में प्रति व्यक्ति ऋण भार था, सभापति महोदय, 4377 रुपये और 2001-2002 में यह बढ़कर हो गया 6937 रुपये। और 2002-2003 में, यह मैं, वित्त मंत्रीजी, 2001 की जनगणना के अनुसार निवेदन कर रहा हूं, 8027 रुपये, यानी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साढ़े तीन साल में आपने लगभग दुगना प्रति व्यक्ति, ऋण भार कर दिया है। अब किस तरफ आप अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया है।

वित्त मंत्रजी, आपको याद होगा, आपने 2000-2001 का जो बजट प्रस्तुत किया, आपने लम्बी-चौड़ी डींग हांकी थी। आपने बजट में यह कहा था कि यह वर्ष हमारे लिए फिस्कल डिसिप्लिन का वर्ष है, यह वर्ष हमारे लिए फिस्कल कंसोलिडेशन का वर्ष है। आपके पूर्ववर्ती चन्दन मलजी बैद ने 1999-2000 में कहा, आपने 2000-2001 में कहा। आपने क्या कहा कि आगामी तीन वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य में बदल देंगे और चन्दन मलजी ने क्या कहा कि बजटीय घाटे को आधिक्य में बदल देंगे। आज हो क्या रहा है? आपने देखा, आपका राजस्व घाटा सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहा है। 1997-98 में जब शासन भाजपा के पास था, तब राजस्व घाटा था 581 करोड़ रुपये, 1998-99 में, यह अब फिफ्थ पे-कमीशन की बात सामने आती है, 2966 करोड़, 1999-2000 में यह हो गया 3639 करोड़ और 2000-2001 में जरूर, निश्चित रूप से कहूंगा कि आपने कुछ कारीगरी की है। यह आंकड़ों से की है या वास्तव में कुछ हुआ है, कुछ कम हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो मानते हैं कि कारीगरी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु उसके बाद 2001-2002 में रिवाइज एस्टीमेट में यह हो गया 3510 करोड़ रुपये। इस वर्ष जो बजट एस्टीमेट आपने प्रस्तुत किये, वित्त मंत्रीजी, उसके अन्दर 3910.91 करोड़, मतलब आप राजस्व घाटे को शून्य की तरफ ला रहे हैं? क्यों बिना मतलब की बात करते हैं आप। जो आपके बस में बात नहीं है, वह कहकर आप एक बार मेज थपथपा लेंगे परन्तु असलियत छुपती थोड़े ही है। लगभग 900 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से आपका राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है।

अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बजटीय घाटे पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से, वित्त मंत्रीजी, बजट की एक सैंक्टिटी है, बजट का एक प्रिंसिपल भी है परन्तु आपने आंकड़ों का जाल फैलाकर अपनी सारी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहूंता हूं, इस पर आपकी वार्षिक योजना है 5536 करोड़ की और आपका बजट घाटा है 1334 करोड़ का, यानी 25 प्रतिशत बजट घाटा है। 1998-99 में जो संशोधित अनुमान पेश किये गये, अन्तिम घाटा जो अपूरित आपने छोड़ा, वह छोड़ा था 1201 करोड़ का और यह कह कर छोड़ा था कि केन्द्र सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नान प्लान डैफिसिट को कम करने के लिए कोई पैकेज आपको दे रही है। आपने एक एम.ओ.यू. किया था केन्द्र सरकार के साथ में और एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार आप वहां लिखकर दे आये हैं, सभापति महोदय कि हम बिजली की दरों को बढ़ाएंगे। आप यह लिख कर देकर आये थे कि हम पानी की दरों को युक्तिसंगत बनाएंगे। आप यह लिख कर देकर आये थे कि हम तीन प्रतिशत सरकारी पदों में कटौती करेंगे। वे सारे काम तो आपने कर दिये, परन्तु आपने यह नहीं बताया कि यह 1201 करोड़ रुपये का जो अनुपूरिक घाटा था, इसमें कितना आपको सैंट्रल असिस्टेंस मिला। शायद 900 कुछ करोड़ का मिला। आपको बताना चाहिए था। यह चीज छिपाने की नहीं, कम से कम सदन में आपको बताना चाहिए था। जो 1201 करोड़ का अनुपूरित घाटा छोड़ा था, जिसमें सैंट्रल गवर्नमेंट से हमें तीन नान प्लान डैफिसिट में पैसा मिलना था, आपको पैसा मिला है, आपको शार्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म लोन में परिवर्तित कर दिया। आपने एक तरह का और कर्जा ले लिया। अब 1999-2000 की बात करेंगे। आपका 1999-2000 में अन्तिम घाटा था 1903.13 करोड़ लेकिन, सभापति महोदय, 2001-2002 और 2002-2003, इसके बाद आपने अन्तिम घाटे का जिक्र करना ही बन्द कर दिया। वित्त मंत्रीजी, यह आपने क्यों किया? 2000-2001 में आपका बजटीय घाटा 699 करोड़ का था और 2001-2002 में आपने आंका था 283 करोड़ का। आप पहुंच गये 900.83 करोड़ पर और इस बार आपका 1334 करोड़ है ही। यह सारा घाटा जोड़ें। आपको मालूम है कि पहले हमेशा अंतिम घाटा निकाला जाता रहा है, परन्तु आपने इस आंकड़े को छिपाया। सारे घाटे को जोड़ें, सिर्फ तीन साल के जोड़ें तो 2803 करोड़ और सारा पिछला जोड़ें 1334 करोड़ का भी, इस साल का भी जोड़ें तो यह हो जाता है 4137 करोड़। वित्त मंत्रीजी, आप अपना उत्तर दें तब आप कृपया यह बताएं कि यह जो अपूरित घाटा छोड़ा, उसमें यह घाटा जोड़ कर, बजटीय घाटे को जोड़ कर अंतिम घाटा आज कितना है, जिसकी चर्चा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने की थी।

सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी चर्चा हुई राजकोषीय घाटा कम करने की। 2000-2001 में भी इन्होंने की ओर अपने इस नीति पत्र, श्वेत पत्र में भी की। आपको मालूम है, वित्त मंत्रीजी, कोई भी राज्य जिसकी राजस्व प्राप्तियां देनदारियां से 50 प्रतिशत से कम हों, वह हाई फिस्कल स्ट्रैस के राज्यों में आ जाता है। 2002-2003 के अन्दर जो आपकी बकाया देनदारियां हैं वे हैं 44685 करोड़ रुपये और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्व प्राप्तियां आपकी हैं 14312 करोड़, यानी यह हो गई 32 प्रतिशत। तो आप बताइये, 50 प्रतिशत से कम हो तो आज आपका राजस्थान खड़ा कहां है? क्या राजस्थान हाई फिस्कल स्ट्रैस के स्टेट्स में शामिल नहीं हो गया? आपने लम्बी-चौड़ी बात की थी। आपने कहा था कि राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पादन, इसके अनुपात को चार प्रतिशत तक ले आएंगे, ले आये क्या? वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से पूरे राजस्थान को जर्जर हालात में पहुंचा दिया और आपकी आर्थिक नीति आज राजस्थान को गर्त की तरफ ले जा रही है।

अब माननीय सभापति महोदय, थोड़ा-सा निवेदन एक विषय में करना चाहूंगा, आपने टैक्स रेवेन्यू की बात की। टैक्स रेवेन्यू मैं समझता हूं राज्य का सबसे बड़ा कम्पोनेंट है, नान-टैक्स रेवेन्यू तो कहां आती है, कहां जाती है, वह तो आपको खुद आकलन कर लेना चाहिए। नान टैक्स रेवेन्यू ऐसा नहीं है कि आती ही नहीं है। लम्बी-चौड़ी जमीनें बेची जा रही हैं, परन्तु नान टैक्स रेवेन्यू को आप ट्रैप पूरा कर नहीं पाये। आपका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, आज उसका 62.22 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज चुकाने में जा रहा है, 62.22 प्रतिशत। और इस बार जो राज्य का राजस्व कर है वह आपने इस बार अपने बजट एस्टीमेट में 7027.80 करोड़ का आंका है। मैं पूछना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने पिछले वर्ष बजट एस्टीमेट में राज्य में कुल कितना कर राजस्व आएगा, वह आंका था 6163 करोड़ और आप रिवाइज एस्टीमेट जब लेकर आये तो वह बढ़ा नहीं, कम हुआ है। वह हुआ है 5759 करोड़, यानि काफी कम हुआ है। परन्तु अब आप पहुंच गये 5759 से 7029 करोड़, यानि इस एक साल में 1268 करोड़ का इजाफा। टैक्स कहां से उगा लेंगे? क्या आपकी मंशा, वित्त मंत्रीजी, यह तो नहीं जैसी कि आपकी पुरानी आदत है कि आप पिछले दरवाजे से राजस्थान की जनता को करों से लादेंगे? ट्रैक रिकार्ड आपका यह कह रहा है। आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू पिछली बार जो आपका बजट एस्टीमेट था उससे कम हुआ है। आपका बजट एस्टीमेट था पिछली बार 6163 करोड़, कम होकर हो गया 5759 करोड़। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कैसे बढ़ेगा यह 1268 करोड़ का टैक्स, आप इसके बारे में भी जब आपका उत्तर दें तब आप कहें।

मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, लम्बी-चौड़ी चर्चाएं अब आप इधर बैठते थे तब किया करते थे। आपके वित्त विशेषज्ञ चन्दनमलजी वैद हमेशा यह बात कहा करते थे कि पूंजीगत प्राप्तियां आप ऋण लेकर बढ़ा लेते हैं और पूंजीगत खर्च आप कम करते हैं। पूंजीगत खाते के आधिक्य को आप राजस्व खाते की कमी से पाट देते हैं, इस तरह की यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रवृत्ति ठीक नहीं है। परन्तु आप कर क्या रहे हो? आपने बजट एस्टीमेट में जितनी कैपिटल रिसीट आंकी थी, आप रिवाइज एस्टीमेट में जब आये तब आपने उसको लगातार बढ़ाया है। आपका 2000-2001 में पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान था 7105 करोड़ रुपये और रिवाइज एस्टीमेट जब आपने पेश किया, वित्त मंत्रीजी, तो वह हो गया 11500 करोड़, 2001-02 में आपका बजट एस्टीमेट था 10088 करोड़ और आप रिवाइज एस्टीमेट पर आये तो वह था 13159 करोड़। और इस बार आपने वापस बजट एस्टीमेट दिया है, कैपिटल रिसीट का 10773, आप इसको कहां लेकर जाएंगे? मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, वित्त मंत्रीजी, आपका जो पिछला रिकार्ड रहा है...(व्यवधान) सभापति महोदय, बात पूरी हो गई आपकी, साहब?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हो गई। अब बोलिये आपको जो बोलना है। आप ही के बारे में विचार-विमर्श कर रही थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके सारगर्भित भाषण की चर्चा इन्होंने की थी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे भाषण पर तो आप नहीं करोगे, वित्त मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मैं कर रही थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था कि आपका पिछला रिकार्ड क्या कहता है। आपने कैपिटल रिसीट में जो बजट अनुमान लगाया उससे 25 प्रतिशत ज्यादा आप रिवाइज एस्टीमेट में आये तो आपने उस राशि को 25 प्रतिशत बढ़ाया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने कैपिटल रिसीट के अन्दर लगातार जो एस्टीमेट किया उससे ज्यादा आपने आंतरिक ऋण लिये, उससे ज्यादा ऋण लेकर इस खाते को आपने बढ़ाने का काम किया और पूंजीगत व्यय आप लगातार कम करते गये क्योंकि आपकी मंशा स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करने में कभी रही नहीं है। लम्बी-चौड़ी बात करना, पूर्ववर्ती 1952 से लेकर 1990 तक की चर्चा करना, आप तो, वित्त मंत्रीजी, कई माननीय मुख्य मंत्रियों के मंत्रिमण्डल में रहे हैं, मैं समझता हूं, घर जाकर जब आप विचार करते होंगे तो आपके मन में निश्चित तौर पर पीड़ा होती होगी कि इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का लचर प्रशासन और इस लचर प्रशासन में आप जैसे आदमी को बिठा दिया, फंसा दिया। आपके मन में पीड़ा तो होती होगी कि राजस्थान को विकास की दृष्टि से हम पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। 1998-1999 में आपने जो पूंजीगत व्यय किया उससे लेकर 2001-2002 तक लगातार आपका पूंजीगत व्यय कम होता गया क्योंकि आपको पूंजीगत खाते से राजस्व खाते को पाटना जो था 1998-1999 में जो आपने पूंजीगत व्यय किया वह था 1792 करोड़, 1999-2000 में आपने पूंजीगत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यय कम करके कर दिया 1517 करोड़ और 2000-2001 में फिर आपने कम किया 1384 करोड़ और 2001-2002 में आपने उसको कर दिया 895 करोड़। आप चाहते क्या हैं? दूसरी तरफ आपका गैर राजस्व घाटा लगातार बढ़ता गया। 1999-2000 में 11786 से लेकर अब आप खड़े हैं 15641 पर। मतलब आपका गैर-राजस्व व्यय बढ़ रहा है, आप पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण लेकर सरकार को ऋण में लादते जा रहे हो और ऋण लेने के पश्चात् आप पूंजीगत व्यय कम करते जा रहे हो।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी यहां सदन के अन्दर बड़ी चर्चा हुई नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। दसवीं पंचवर्षीय योजना बनाने का सौभाग्य, मंत्रीजी, आपको मिला है, और यह निश्चित तौर पर मानो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह रास्ता दोबारा कभी आपको मौका नहीं देगा। एक अंतिम बजट आप अगले वर्ष रखेंगे और उसके साथ ही आपकी सरकार का अंतिम समय पूरा हो जाएगा। आपने बनाई है दसवीं पंचवर्षीय योजना, वह बनाई आपने...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : सपने तो आप देख ही सकते हैं, साहब, सपने देखने की आजादी है। यह आप देखें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो राठौड़जी, ऐसा लगता है, मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, सामने दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। राजस्थान के अन्दर अभी यहां बिराज रहे हैं आप, और आप तो सौभाग्य से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से हैं जहां लोग लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र में रह रहे हैं,आपकी कोठी के राजतंत्र में, जिस दिन वे मुखर होकर बोलेंगे और जिस दिन आप गांव में जाकर उनको पूछेंगे न तब वह कहेंगे धीरे से, आपको तो नहीं कहेंगे पर पड़ौसी से कहेंगे कि इस बाबूजी से किस तरह पीछा छूटे।

आपने इस सदन के अन्दर यह कहा था कि आठवीं, नवीं पंचवर्षीय योजना अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी। मैं आप ही के उससे बोल रहा हूं, उसके पीछे राज्य सरकार का अपना आर्थिक आधार कम था। वस्तुतः धन की व्यवस्था सार्वजनिक ऋण, अल्प बचत और जन लेखा निधियों से की गई जो उचित नहीं। अब आपने क्या किया? आप जिस चीज को गलत कहते हैं, वित्त मंत्रीजी, उसी रास्ते पर आप जाते हैं। आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना, ये दो पंचवर्षीय योजना बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया। सातवीं से आठवीं पंचवर्षीय योजना बनी, सभापति महोदय, आप साक्षी रहे हैं, पांच गुना बढ़ी। 11500 करोड़ की आठवीं पंचवर्षीय योजना थी और आठवीं से नवीं पंचवर्षीय योजना बनी 27650 करोड़ की, लगभग ढाई गुना और अब आपने योजना बनाई है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : राठौड़ साहब, वैसे तो मैं कल जवाब दूंगा। अगर आपके पास फिगर हैं, आपकी एट्‌थ प्लान का लोन कम्पोनेंट आप बता दें मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस का?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आठवीं पंचवर्षीय योजना जो बनाई थी, माननीय सभापति महोदय, उसमें कितना लोन कम्पोनेंट था? आप क्या बात कर रहे हो यहां पर। मैं कल जवाब दूंगा, इसके ऊपर विस्तार से जवाब दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, चलिये, आठवीं पंचवर्षीय योजना का लोन कम्पोनेंट तो मैं बता दूंगा पर दसवीं योजना जो आपने बनाई है, जो 31831 करोड़ की बनाई है इसके बारे में जरा मुझे बता दें आप...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि आप लोन कम्पोनेंट के आधार पर योजनाएं बना रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जिस एट्‌थ प्लान की आप बात करते हैं, एट्‌थ प्लान में लोन कम्पोनेंट कितना था? 135 प्रतिशत लोन कम्पोनेंट था एट्‌थ प्लान के अन्दर। क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, लोन कम्पोनेंट और ऋण लेने में मैं समझता हूं, राजस्थान के अन्दर जो रिकार्ड आपने बनाया है, जो रिकार्ड ऋण आपने लिया है, उतना कभी नहीं हुआ होगा। आप तो आठवीं और नवीं दोनों बता देना। मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, 31831 करोड़ की दसवीं पंचवर्षीय योजना बनाकर इन्होंने राजस्थान के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। इस योजना की बढ़ोतरी है मात्र 15.74 प्रतिशत। सभापति महोदय, इन्होंने जो नवीं पंचवर्षीय योजना अनुमोदित की उसमें चालू योजना में 1890 करोड़ की कमी की है आपने, यह 1890 करोड़ की कमी करके आपने राजस्थान के विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया है। इतना पहले कभी नहीं हुआ। आपने 1998-99 में योजना में कटौती करके, जो अनुमोदित योजना थी उससे 468 करोड़ रुपये कम खर्च किये। 1999-2000 में आपने 1422 करोड़ रुपये कम खर्च किये। मेरी समझ में नहीं आया कि आप राजस्थान को ले जाना कहां चाहते हैं। अब आप लगातार जब कभी कोई बात होती है तो कहते हैं, केन्द्रीय करों में हिस्सा और केन्द्रीय करों में सहायतार्थ अनुदान कम हुआ है। आपने जो हमें एक पुस्तिका दी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पांच बजने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने तो अभी तो बोलना चालू किया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आज ही बोलना चालू किया है, यह तो मुझे ही पता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बैठ जाऊं?

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आज ही बोलना चालू किया है, यह तो ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैंने अभी प्रारम्भ ही किया है। सभापति महोदय, जब कभी भी इनको योजना में कटौती करनी होती है, जब कभी भी इनको विकास का मार्ग अवरुद्ध करना होता है, हमेशा एक बात कहते हैं, यह आदत पड़ गयी है वित्त मंत्रीजी की कि केन्द्रीय सरकार से जो करों में हिस्सा मिलना चाहिए था, आर्थिक मंदी के कारण, औद्योगिक मंदी के कारण हमें कम मिला। सहायतार्थ अनुदान कम मिला। और ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से जो सहायता मिलनी चाहिए थी राजस्थान को वह सहायता कम हुई। अब मैं लेखा प्रतिवेदन (सिविल) 2000-2001 पेज-6 संघीय करों व शुल्कों में राज्य का, हिस्सा निवेदन करना चाहता हूं। 1998-1999 में था 1964 करोड़, 1999-2000 में बढ़कर हुआ 2185 करोड़, 2000-2001 में बढ़कर हुआ 2837 करोड़ और 2001-2002 में बढ़कर हुआ 2882, यह बढ़ोतरी कम जरूर है, पर 2002-2003 में आपने अनुमान लगाया 3342 करोड़, कहां कमी हुई? जब आप अनुदान की बात कर लें, 1998-1999 में आपको अनुदान मिला सहायतार्थ अनुदान 1322 करोड़, 1999-2000 में आपको मिला 1500 करोड़, 2000-2001 में मिला आपको 2577 करोड़ और 2001-2002 में मिला आपको 2457 करोड़, कम हुआ है। यह कम इसलिए हुआ कि आपका बजट अनुमान था 1976 करोड़, आपको बढ़कर हालांकि 2457 करोड़ मिला और 2002-2003 में आपने 2232 करोड़ आंका है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस आधार पर आप केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाते हैं? यह निश्चित तौर पर एक फार्मूला बना हुआ है एक सिद्धान्त बना हुआ है, वह सारे हिन्दुस्तान के राज्यों को मिलता है। अब आप यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि आपको केन्द्रीय करों में हिस्सा कम, केन्द्रीय अनुदान की राशि कम मिली। अब आपने...

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये तो देखिये जो एस्टीमेट थे वह कुछ मैंने कहा। लास्ट ईयर में पांच सौ करोड़ रुपये इलेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर हर राज्य का हिस्सा उन्होंने इंडीकेट किया कि आपको इस परसेंटेज से इतना पैसा मिलेगा। जब लास्ट ईयर में वह कम हुआ वह मैंने एंटीसिपेट किया था। जो रिसीट्स आती हैं हर महीने आती हैं, उसमें घटा कर हमने हिसाब लगा कर बता दिया। अब अपने यूनियन बजट के अन्दर जो उन्होंने इंडीकेट किया है कि स्टेट को क्या ट्रांसफर होगा, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लगाया कि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह हमको मिलेगा। सभापति महोदय, मैं कल बताऊंगा, मुझे शॉक है कि जो उन्होंने इंडीकेट किया उसके अनुरूप जो अप्रैल में पहली किस्त आयी है उसमें भी कमी आ गयी। मतलब कहते हैं, आने वाले वक्त का जो इंडीकेशन मिल रहा है वह और भी खतरनाक इंडीकेशन मिल रहा है।

श्री सभापति : ज्यादा पोल खुलने वाली है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि एक घंटा बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

एक घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जिस ग्यारहवें वित्त आयोग की चर्चा अभी वित्त मंत्रीजी कर रहे थे, इस वित्त आयोग में कुछ पैसा हमें मिलता है। गाडगिल और मुखर्जी फार्मूले के आधार पर।

प्रो. खुसरो के नेतृत्व में बने इस 11वें वित्त आयोग की सिफारिशें आ गयीं और इन सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रीजी, आप यह कह रहे हो कि इसमें राजस्थान को हिस्सा कम मिलेगा दसवें वित्त आयोग से। आज राजस्थान...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, बात को ट्विस्ट... रियलिटी इज रियलिटी। जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको आप ट्विस्ट करें। इसमें न आपका दोष है और न मैं आपको दोष देता हूं। यह तो सारे हिन्दुस्तान की स्थिति बनी है। हमको भी कम मिला है क्योंकि इकानामिक स्लो डाउन हुआ है। भारत सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स में गिरावट आयी है। जब गिरावट आएगी तो निश्चित रूप से राज्यों का हिस्सा कम होगा, इसमें आप Don't try to defend the Government of India. मैंने तो हकीकत बयान की है अपने बजट स्पीच के अन्दर। आप उसको ट्विस्ट करते कि नहीं, भारत सरकार ने तो यह किया, जो हकीकत है उस हकीकत से मुंह कहां मोड़ेंगे आप? उसको मैंने कोई छिपाने की चेष्टा नहीं की है क्योंकि छिपा भी नहीं सकते। ए.जी. के आडिटेड फ़िगर्स हैं सारे के सारे, ए.जी. एक्चुअल आएंगे, अब 31 मार्च खतम हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, बिलकुल, बिलकुल।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ए.जी. एक्चुअल्स आएंगे, कोई इसको छिपा कर तो आप रख नहीं सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, बिलकुल। बिलकुल, सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी बिलकुल ठीक कह रहे हैं। पर, वित्त मंत्रीजी, मेरा आपसे पाइंटेड सवाल है, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर करों में हिस्सा, सहायतार्थ अनुदान या सी.आर.एफ. में पंचायती राज संस्थाओं को गैर-योजना में घाटे में सब में हमें अनुदान मिला, उससे हमें 11वें वित्त आयोग में राशि बढ़ी है कि नहीं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल, आप सही कह रहे हैं, नाइंथ से टैंथ में बढ़ी, 8वीं से 9वीं में बढ़ी, हर वित्त आयोग में बढ़ती है, क्योंकि एक्सपेंडिंग इकानामी के अन्दर गवर्नमेंट आफ इण्डिया की रिसीट्स बढ़ती हैं उसको एंटीसिपेट कर वो उस हिसाब से देते हैं। आप इसी को क्यों कहते हैं टैंथ और इलेवंथ का? आप जब से फाइनेंस कमीशन बनने शुरू हुए हैं तब से ले लीजिए, हर फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन के संग स्टेट्स का डिवोल्यूशन बढ़ा है। और जो गाडगिल फार्मूले की बात करते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गाडगिल और मुखर्जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वो है प्लान की असिस्टेंस के लिए। वो प्लान के ऊपर लागू होता है न कि इसके ऊपर। The Finance Commission is an independent body, संविधान के तहत जिसका गठन होता है। मैं कल विस्तार से बताऊंगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं इस मामले के अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी यह बता दें इलेवंथ फाइनेंस कमीशन में इन रिकमंडेशन में हमारा जो परसेंटेज था टोटल टैक्स रेवेन्यू, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने एडमिट किया है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : है न तो फिर आप इस बहाने से कि कभी केन्द्रीय करों में हिस्सा कम हो गया, कभी केन्द्रीय अनुदान कम हो गया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजेन्द्र जी, उस चीज को छिपाने की कोशिश मत करें। आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बढ़ा है, जितना मिलना चाहिए, जो बढ़ा कर दर्शाया वो नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने बताया कि आपको सौ रुपये मिलेंगे, उन सौ रुपयों की जगह मुझे 80 रुपये मिल रहे हैं। वो मैं कह रहा हूं, आप उस बात को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय वित्त मंत्रीजी, आप जो कह रहे हैं वो सही है। प्रश्न यह है कि किटी में जो फार्मूला बना है, उनका खुद का जो फार्मूला बना है वो एस्टीमेशन जहां गलत चला गया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं सिद्धान्त: बात कर रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आर्थिक मंदी के दौर में यदि भारत सरकार की टोटल रेवेन्यू में कमी होगी तो उस कमी का परसेंटेज हमें भी भुगतना पड़ेगा और उसमें...

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुराना साहब, मैं भी तो वही बात कह रहा हूं। मैं कौनसी उलटी बात कह रहा हूं? मैं उलटी बात नहीं कह रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप जो कह रहे हैं उसको उसी संदर्भ में समझ रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप उस चीज को एक नये रूप में राजनीतिक मुलम्मा चढ़ा कर कहने की बात कर रहे हैं। मिसलीड करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मेरा एतराज है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, न मिसलीड आप करें न इधर से किया जाएगा। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसमें कोई मिसलीड होने का प्रश्न नहीं है। टोटल किटी में यदि आमदनी भारत सरकार की कम हो गयी तो हमको जो मिला वो सही फार्मूले में मिला है, चाहे वो कम मिला है। पर वो फार्मूला जो तय किया है इलेवंथ फाइनेंस कमीशन ने, उस फार्मूले से मिला है। चूंकि वहां उनकी आमदनी घट गयी तो हमारी भी घट गयी, सिम्पल बात यह है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो खुद स्वीकार कर रहा हूं, सुराना साहब, इस बात को। मैंने तो इस बात से इन्कार नहीं किया है। मैंने यही कहा है, मैं जो अपने एस्टीमेट्स पेश करता हूं। They are all estimates. आप फाइनेंस मिनिस्टर खुद रहे हैं, साल के एस्टीमेट्स पेश करता हूं कि This is my anticipated income and this is going to be anticipated expenditure. यह मिला कर विभिन्न सोर्सों से मेरी आमदनी यह होने वाली है, यह मैं पेश करता हूं। जो एंटीसिपेट आज अप्रैल में करके मैं करके चल रहा हूं अभी इस साल के लिए, अगर उनके अन्दर मेरे डिवोल्यूशन में कमी आएगी, जिस सोर्स से कमी आएगी। मेरे अपने सोर्स से आएगी, भारत सरकार के सोर्स से आएगी, जो कानूनन हिस्सा हमारा है तो वो कहना तो पड़ेगा। अब वह कहने से आपको बुरा लगता है तो फिर वो मेरे हाथ में नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसके साथ आप यह क्यों नहीं कहते, वित्त मंत्रीजी? आपने ठीक कहा कि सिद्धान्त रूप से दसवें वित्त आयोग से 11वें वित्त आयोग में हमें ज्यादा राशि मिलने का प्रावधान है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो हर वित्त आयोग में बढ़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बढ़ा है। ठीक है, ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप यह क्यों कहते हो, यह तो हर वित्त आयोग में बढ़ा है पैसा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु, वित्त मंत्रीजी...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : इसमें झगड़ा काहे का है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : झगड़ा इस बात का है, वित्त मंत्रीजी, आपने...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : झगड़ा काहे का है? इसमें झगड़ा ही नहीं है कोई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इसके साथ यह क्यों नहीं कहते कि आपके खुद के टोटल टैक्स रेवेन्यू में भी कमी हो रही है, आपकी सरकार की आमदनी भी कम हो रही है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ये अपने हिसाब से कहेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसको बजट में कहा है मैंने।

श्री जुगल काबरा : आपने यह भी तो कहा है। ये कहां मना कर रहे हैं, मंत्रीजी कि हमारी टैक्स रेवेन्यू भी घटी है? यह वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण में कहा है... (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : यह विवाद का विषय ही नहीं है, यों ही विवाद कर रहे हैं।

श्री जुगल काबरा : यह तो इलेवंथ फाइनेंस कमीशन ने जो इंडीकेशन दिया है उसमें कमी आयी है, वह वित्त मंत्रीजी ने आपको बताया है।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, ये अपने हिसाब से कहेंगे, आप अपने हिसाब से कहे जाइये। आप कहो न अपनी बात। आप तो कहे जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो खुद कांच के घर में रहते हैं दूसरों पर उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।

श्री सभापति : आप कहो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस रास्ते पर वित्त मंत्रीजी राजस्थान को ले जा रहे हैं, सभापति महोदय, इतिहास इस बात को लिखेगा। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा जिस रास्ते पर ये राजस्थान को ले जाना चाहते हैं।

श्री सभापति : ठीक बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी...

श्री सभापति : यह आपने अपनी बात कह दी, ठीक है।

(17.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आपके हालात क्या हैं? आपने ''बजट एट ग्लांस'' में एक चित्र दिया है रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है। आपका योजनागत व्यय मात्र 15 प्रतिशत है, आपका गैर योजनागत व्यय जिसको लगातार कम करने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की बात आपने हर जगह कही है, वह 43 प्रतिशत है और आपके आन्तरिक व केन्द्रीय ऋण और ऋण पर ब्याज की अदायगी मिलाकर 38 प्रतिशत होती है। यह सारी चीज बताती है कि राजस्थान की क्या हालत है। वित्त मंत्रीजी, आपने बड़ा ऋण लिया। कुछ ऋण आपने कुछ परियोजनाओं के लिए लिया। विश्व बैंक से आपने ऋण लिया, एशियन डवलपमेंट बैंक से आपने ऋण लिया, आपने सिंचाई प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए 734 करोड़ रुपये के ऋण लेने का जिक्र किया। गरीबी उन्मूलन के लिए 410 करोड़ का ऋण, पर यह ऋण किन शर्तों पर लिया इसके लिए मैं दो मिनट में दो छोटी-सी बात निवेदन करना चाहता हूं।

आपने राजस्थान ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के अनुसार विश्व बैंक से 2450 करोड़ रुपये ऋण लेने का करार किया। प्रथम चरण में आपको 850 करोड़ रुपये मिलने थे, उसमें मिले हैं 70 करोड़। सभापति महोदय, आप भी गांव से पधारते हैं, इन पैसों को लेने के लिए एक एम.ओ.यू. हुआ है और उसके पश्चात् फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चिरग प्लान बना है जिसका अनुमोदन राजस्थान की सरकार ने किया। विद्युत कम्पनियों ने बनाकर प्रस्तुत किया। उसमें आपने करार किया है कि आप आगामी चार वर्षों में, यह वित्त मंत्रीजी, लिखा हुआ है, इससे आप बच नहीं सकते, आगामी चार वर्षों में 2001-2004 तक विभिन्न श्रेणियों में विद्युत दरों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी करेंगे, कृषि उपभोक्ता की विद्युत दरों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे। आपने यह भी करार किया है कि 2001 के पश्चात् किसान को जो भी कृषि कनेक्शन दिये जाएंगे उनका पूरा खर्चा वसूल होगा। सभापति महोदय, आप गांव जाओगे, आपको कांग्रेस के नेता से पहले किसान अपना हमदर्द और हमराही समझता है, आप जब गांवों में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा जब इसके फालआउट आएंगे। सभापति महोदय, इन्होंने लिखित में करार दिया है कि 2001 के पश्चात् किसान को जो भी कृषि कनेक्शन दिये जाएंगे, उनका पूरा खर्चा जिसमें पोल, ट्रांसफार्मर, अन्य सामान शामिल है, सारा का सारा किसान से वसूल किया जाएगा। सभापति महोदय, यही कारण है कि 21 मार्च, 2001 के पश्चात् एक भी नया डिमाण्ड नोटिस कृषि कनेक्शन के लिए नहीं निकला। इन्होंने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दीं कि 25 हजार कुओं का ऊर्जीकरण करेंगे। सभापति महोदय, दो साल पहले के जिन लोगों ने डिमाण्ड नोटिस जमा करा दिया ये वे पैसे हैं। आज ऊर्जा, मंत्रीजी, आप सरकार की छवि सुधारने के लिए प्राइवेट कम्पनियों को कितना ही पैसा दे दें, आपने करार किया ग्रे वर्ल्ड कम्पनी से, 2 लाख रुपये तो ऊर्जा विभाग से और 2 लाख रुपये उद्योग विभाग से कि आपकी तस्वीर छापेंगे मुस्कुराते हुए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान का आदमी अब आपकी तस्वीर देखकर ऊब चुका है। आप छवि सुधारने के लिए सरकार के खजाने से कितना ही धन खर्च कर दें, पर नतीजा नहीं निकलेगा। अब दीवार पर लिखा हुआ सामने नजर आ रहा है, समय और राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व बैंक में जो कंट्री डाइरेक्टर है उसने कह दिया कि आपको जो समय दिया था उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया और अब तो वह ऋण के लिए भी कहते हैं कि आप आई.एफ.सी.आई. के पास जाओ, वित्त निगम के पास जाओ। इसी तरह आपने सिंचाई प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया है। पूरा पैसा आपको अभी नहीं मिला है उससे पहले आपने सिंचाई शुल्क को दुगना कर दिया। ए.डी.बी. की चर्चा अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, वित्त मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एम.ओ.यू. दोनों के बीच में हुआ है उस एम.ओ.यू. में आपने लिखा है कि 2001 से पेयजल में निरन्तर वृद्धि कर इसे युक्तिसंगत बनाएंगे। सभापति महोदय, यह ए.डी.बी. का लोन इन शर्तों पर मिला है, इनसे आप बच नहीं पाएंगे वरना एक किस्त मिलने के बाद ए.डी.बी. लोन नहीं देगी। उसमें लिखा है, नये कर के रूप में सीवरेज टैक्स और रोशनी कर लगाएंगे, गृह व भूमि कर को बढ़ाएंगे। अब आप चाहे शिक्षा उन्नयन के लिए कर्जा ले लें, शिक्षा उन्नयन के कर्ज के नाम पर आपने बच्चों की फीस को तो दुगना, तीगुना कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने घंटी बजाई इसलिए मैं लम्बा समय नहीं लूंगा परन्तु मैं एक निवेदन करूंगा। वित्त मंत्रीजी, आपने राजस्थान में करों को लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने राजस्थान में इस बजट सहित कुल 2921 करोड़ के नये कर लगाये हैं। आप कहें तो मैं आपके बता दूं। 1999-2000 में आपने 382 करोड़ के कर लगाये। मेरे पास पूरा चिट्ठा है, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं किस-किस पर आपने लगाये हैं।

श्री सभापति : नहीं, वह तो इनको भी पता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रवेश कर में आप पुनः 10 परसेंट से 20 परसेंट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव लेकर आये हैं, +++ मैजोरिटी है, पास भी हो जाएगा। आपने पिछले वर्ष विदेशी मदिरा, अफीम, लाटरी के टिकटों पर लगाया। अब के आपने एयर कंडिशनर, फोटो कापीयर्स, कम्प्यूटर्स, सीमेंट, ग्वार,

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पैट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में एक परसेंट से चार परसेंट लगा दिया। आप यह क्यों नहीं कहना चाहते कि आप प्रवेश कर के रूप में पिछले दरवाजे से चुंगी लगा रहे हैं? आप साफ-साफ क्यों नहीं कहते? आप तथ्यों को छिपाना क्यों चाहते हैं?

सभापति महोदय, जो मैंने पहले कहा, यह सरकार मात्र घोषणाओं में विश्वास करती है, सरकार का कर्म में विश्वास ही नहीं है। सड़क और पेयजल में इन्होंने पिछले चारों बजटों में जो घोषणाएं कीं, वह मैं लिखकर लाया हूं। 1999-2000 में इन्होंने घोषणा की, 1350 किलोमीटर सड़क का निर्माण, 265 ग्राम पंचायतें जोड़ेंगे। 1999-2000 में कहते हैं, 2000 किलोमीटर नई सड़क बना देंगे। कृषि उपज मण्डी से और 6225 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण कर देंगे। 2000-2001 में इन्होंने कहा, 1798 किलोमीटर सड़क का रख-रखाव करेंगे, 588 किलोमीटर नई सड़क बना देंगे और 876 किलोमीटर राजकीय उच्च मार्ग का सुदृढ़ीकरण करेंगे। 2001-2002 में मुख्य मंत्रीजी से लेकर कोई मंत्री ऐसा नहीं है, किसी गांव में जाते हैं, जाकर यह कहते हैं कि 24000 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण करेंगे, उस पर हम 600 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और 953 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री रोजगार योजना में करेंगे। इसके लिए तो भारत सरकार को इनको धन्यवाद देना चाहिए। इसी तरह इस बार इन्होंने 3000 किलोमीटर से अधिक सड़का का निर्माण तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में करा दिया और 2005 किलोमीटर जिला मुख्य सड़कों के नवीनीकरण की बात कर दी। सभापति महोदय, इन सबको मैंने जोड़कर देखा था, तीन सालों में इनके अनुसार राजस्थान में 4891 किलोमीटर तो नई सड़क बननी चाहिए थी, 3460 करोड़ रुपये उन पर खर्च हो जाने चाहिए थे और 32023 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण हो जाना चाहिए था। आज आप कहीं भी पधारते हैं, आप गुढ़ा पधारते हैं तो सड़कों की क्या हालत देखते हैं? सभापति महोदय, मैंने पिछले तीन वर्ष के ये आंकड़े रखे हैं, पिछले तीन वर्षों में 32023 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण हो जाएगा और 4891 किलोमीटर नई सड़क और उस पर 3460 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस राजस्थान की जनता को कब तक धोखा देते रहेंगे? इसी तरह पेयजल में इन्होंने जो घोषणाएं कीं वे सारी घोषणाएं कपोल कल्पित साबित हुईं। वित्त मंत्रीजी, मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप एक बजट और रखें क्योंकि आप इसी तरह का बजट रखते रहेंगे, इसी तरह बजटीय घोषणाएं आप की होती रहेंगी और इसी तरह बजटीय घोषणाओं पर क्रियान्वयन आप करते रहेंगे तो आप हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बजट को मैं बजट ही नहीं मानता। इस सरकार का बजटीय व्यवस्था पर कोई विश्वास ही नहीं है इसलिए मैं इस बजट के प्रस्तावों का पूरा विरोध करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : आपका मार्ग वापस नहीं आने के लिए प्रशस्त करेंगे।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री हफीज मोहम्मद।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के 2002-2003 के बजट प्रस्तावों पर अपनी सहमति के विचार रखना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी ने देश और प्रदेश की वित्तीय स्थितियों की गिरावट के बावजूद भी राजस्थान को सभी तरह से विकास की ओर बढ़ाने के लिए जो बजट पेश किया है हम उसका स्वागत करते हैं। हम ही स्वागत नहीं करते, राजस्थान की चार करोड़ जनता ने इस बजट के प्रस्तुत करने के बाद एक भी जगह, एक भी अखबार में इस बजट का विरोध नहीं किया है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य तीन दिन से लगातार इस बजट की खामियों के बारे में बराबर अपनी बात कह रहे हैं लेकिन उनको यह बात नजर नहीं आ रही है कि पिछले तीन सालों से हमारी सरकार ने माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में प्रगति की है, तरक्की की है। राजस्थान के इतिहास में हम यह कह सकते हैं कि पिछले तीन सालों में इस सरकार ने आर्थिक कमी के बावजूद जो विकास और तरक्की की है, वह अद्भुत तरक्की है। राजस्थान में पिछले तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा था, उस अकाल में हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार ने 17 लाख लोगों को रोजगार देकर उनके जीवन-यापन में पूरा सहयोग दिया। राजस्थान के करीब 20 लाख पशुओं को सब्सिडी देकर उनको जिंदा रखने के लिए घास मुहैया कराई और जगह-जगह पर पीने के पानी के साधन दिये। ट्यूबवैल और योजनाओं के माध्यम से पानी दिया। जहां पर पानी नहीं था या फ्लोराइड था वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी पिलाया। राजस्थान में आजादी के बाद यह अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ काम था, जिसको आज सारे राजस्थान की जनता सराह रही है।

मुझे दुःख है कि आज तक के तीन सालों के कामों के बारे में एक भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने यह बात नहीं कही कि अमुक काम तो आपने अच्छा किया। मैं समझता हूं कि जितने भी काम इस सरकार द्वारा किये गये हैं वे इनको इसलिए नहीं भा रहे हैं कि वे इनके लिए खतरा बने हुए हैं। आज जिस संख्या में ये मौजूद हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता की सेवा

(श्री हफीज मोहम्मद)

करने का निर्णय किया है चाहे वह प्रशासन गांवों के संग हो, चाहे प्रशासन शहरों के संग हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाकर किया हो, बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाकर किया हो, चाहे गरीब के, किसान के हित में योजनाएं देकर किया हो। सारी योजनाएं आज इनके लिए खतरा बनी हुई हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य हमारे बजट की तारीफ करने वाले नहीं हैं। इनको इस बात का खतरा है कि अगर हम तारीफ करेंगे तो राजस्थान की जनता हमें क्या कहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान की बहुत बात करते हैं, मजदूर की बहुत बात करते हैं, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि इस सरकार ने आने के बाद गरीब को जो मजदूरी भत्ता 40 रुपये मिलता था वह 60 रुपये बढ़ाया। क्या यह गरीब मजदूर के लिए हित की बात नहीं है? (व्यवधान) टास्ट वर्क पर था जितना काम किया। 50, 55, 60 भी मिले, लेकिन किसी ने काम नहीं किया हो वह मैं नहीं कह सकता।

इसी तरह से राजस्थान के किसान को बिजली देने के लिए, मुझे आज कहते हुए गर्व है कि हमने करीब 1200 मेगावाट बिजली पिछले तीन सालों में पैदा की है। जिस बात की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम किसान को दिन में 8 घंटे लगातार बिजली देंगे, राजस्थान का किसान इस बात के लिए बिलकुल सही कह रहा है कि उसको 8 घंटे बिजली मिल रही है। तीन साल से लगातार किसान को बिजली मिल रही है। सबसे अधिक पांच हजार करोड़ रुपये बिजली के उत्पादन में खर्च करके नये 500 सब स्टेशन और स्टेशन बिजली की ट्रिप को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बनाये। क्या यह किसान के हित की बात नहीं है?

राजस्थान कैनाल को पक्की बनाकर राजस्थान के किसान के खेतों में पानी पहुंचाने की बात अगर कांग्रेस सरकार करती है तो वह भी आपको अच्छी नहीं लगती। चम्बल के पानी को किसान के खेत में ले जाने के लिए हम पक्की नहर की बात करते हैं, वह भी आपको अच्छी नहीं लगती। आपने कभी सड़क की बात नहीं की, किसान को पानी मिल रहा है आपने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया।

समाज कल्याण के माध्यम से गरीब लोगों को सहायता के बारे में पिछले तीन साल में जो-जो घोषणा मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट में की हैं, उनको पूरा करने का बराबर प्रयास किया गया। माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन का दो तिहाई हिस्सा

(श्री हफीज मोहम्मद)

आपके बजट के समर्थन में यहां पर बैठा है। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान में अधिक टैक्स नहीं लगाये। राजस्थान का किसान और मजदूर पिछले तीन साल से अकाल की मार से बहुत दुःखी हो चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है, आपने उसका ध्यान रखते हुए किसान पर कोई नाजायत टैक्स नहीं लगाया और किसान को राहत देने की बात की, हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।

हमने पिछले वर्षों में राजस्थान को सड़कों से जोड़ने के लिए, राजस्थान की खस्ता हाल सड़कों को ठीक करने के लिए 11,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया, यह अपने आप में एक रिकार्ड है। इस साल आपने 13,000 किलोमीटर नई सड़कों का प्रावधान किया, यह भी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इसके अलावा आपने राजस्थान की जनता की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए राजस्थान के करीब 10 से अधिक जिलों को धार्मिक स्थानों से जोड़कर करीब ढाई हजार किलोमीटर सड़कें उन स्थानों पर सुगम तरीके से पहुंचने के लिए कीं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान में सड़कों का जाल बिछ रहा है और राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर है।

बिजली में भी इसी तरह से हमारा लक्ष्य है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार जनता से कहा है कि हम 5 वर्षों में साढ़े सत्रह हजार मेगावाट बिजली पैदा करके राजस्थान को स्वावलम्बी कर देंगे, राजस्थान बिजली के मामले में किसी का मोहताज नहीं रहेगा। यह अपने आप में एक उपलब्धि है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 8 साल में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, फिर आप 23,000 रुपये का कर्जा किस पर छोड़कर गए? आपने एक बांध नहीं बनाया। आपने कोई एक सड़क का निर्माण नहीं किया। आपने स्कूल नहीं खोले। आपने लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, फिर आप इतना बड़ा कर्जा छोड़कर गये। हमने तीन साल के अकाल में करोड़ों रुपये राजस्थान की गरीब जनता को जिंदा रखने के लिए खर्च करने के बावजूद भी राजस्थान के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले तीन सालों में करीब 600 सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल राजस्थान में क्रमोन्नत किये हैं। करीब 2000 मिडल स्कूल क्रमोन्नत किये हैं। 6 नये कालेज खोले हैं। राजस्थान में 5 नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। यह बहुत स्वागत

(श्री हफीज मोहम्मद)

और धन्यवाद के लायक है। वित्त मंत्रीजी, आपने सभी सम्भागों में विश्वविद्यालय दिये हैं, मेरा निवेदन है कि कोटा सम्भाग में भी हमारे साथियों की भावनाओं को देखते हुए अगर आप उनको भी एक विश्वविद्यालय देंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। हमारा निवेदन है कि आप अपने भाषण में जरूर उनको विश्वविद्यालय देने की घोषणा करेंगे।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इन परिस्थितियों में भी राजस्थान के बालक-बालिकाओं को पढ़ने के लिए 200 सैकण्डरी स्कूल और 200 हायर सैकण्डरी नये स्कूल देने की बात की है। माननीय वित्त मंत्रीजी, यह कम है। मेरा निवेदन है कि 400 सैकण्डरी स्कूल और 400 हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दें तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज राजस्थान जो पीछे है वह आगे आने में अग्रसर होगा। आपने राजस्थान में करीब 17000 राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर गरीब के बच्चों को और कमजोर तबकों के बच्चों को उनके गांव और ढाणी में पढ़ने का सुअवसर दिया, यह राजस्थान की कल्याणकारी योजना नहीं है तो क्या है? 17000 नये स्कूल खोलकर आपने 23000 नौजवानों को रोजगार दिया, जो निराश होकर बैठे थे कि शायद इस जिंदगी में हमको नौकरी नहीं मिलेगी। उनको आज इस बात का एहसास हो गया है कि हम पांच साल बाद पक्के तौर पर अध्यापक बन जाएंगे और राजस्थान सरकार हमारी सेवाओं की कद्र करेगी। इसलिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या 17000 प्राइमरी स्कूल खुलना, क्या 2000 मिडल स्कूल खुलना, 200 सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खुलना, 6 कालेज और 5 विश्वविद्यालय खुलना राजस्थान को शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाना नहीं? फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह क्या है? लेकिन मैं जानता हूं कि आप नकारात्मक दृष्टि से अपनी बात कहेंगे।

इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने गरीबों की चिकित्सा और स्वास्थ्य के नाम पर जो सेवाएं की हैं, देश में अपने आप में पहला उदाहरण है। मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री सहायता कोष की स्थापना करके 10 करोड़ रुपये की सहायता देकर उस गरीब को जिसके पास दवाई के लिए रुपया नहीं है, इलाज कराने के लिए वह समर्थ नहीं है, उसको बी.पी.एल. कार्ड के माध्यम से सारी सुविधाएं मुफ्त में दी हैं। गरीबों को एक लाख रुपये से डेढ़ लाख तक बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज कराने के लिए सरकार दे रही है। क्या यह गरीब के हित की बात नहीं है? क्या आपने 8 साल में कभी इस तरह की योजना राजस्थान की जनता के लिए चलायी थी? मैं समझता हूं कि आपने नहीं चलाई होगी। (व्यवधान) नहीं चली, हमने तो नहीं देखी। कुछ अपने लोगों के लिए चलाई होगी।

(श्री हफीज मोहम्मद)

इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जगह-जगह पर सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। 200 सब सेन्टर्स को अपग्रेड करके सेन्टर खोलने के लिए जो आपने कहा है, इसके लिए, वित्त मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह मेरी भावना ही नहीं है, सदन के सभी सदस्यों की भावना है कि मेहरबानी करके इसको 400 कर दें तो एक-एक विधायक को दो-दो सेन्टर, अप सेन्टर मिल जाएंगे और राजस्थान की गरीब जनता को चिकित्सा के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। मुझे कहते हुए खुशी है कि आपने चिकित्सा, स्वास्थ्य में काफी बड़ी राशि आगामी वर्ष के लिए देकर राजस्थान को सेवा का जो अवसर दिया है, आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं। सिंचाई के लिए राजस्थान कैनाल और पशुपालन में करीब 200 नवीन पशु विकास चिकित्सालय, सब सेन्टर्स को अपग्रेड करने की जो आपने बात कही है, खोलने की बात की है यह भी बहुत स्वागत की बात है। इसी तरह से आपने खेती में भी किसान को सौ फीसदी सब्सिडी देकर बूंद-बूंद पानी और फव्वारा सैट देने की बात की, उसके लिए भी राजस्थान का गरीब किसान आपको बहुत बधाई देता है।

(17.20 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पिछले 3 सालों में करीब 600 राजकीय छात्रावास खुले हैं। छात्रावास ही नहीं खुले, करीब 25227 छात्र, जिनको मात्र 450 रुपया महीने की खुराक मिलती थी, हमारी इस लोक कल्याणकारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 675 रुपये किया है, जो करीब 50 प्रतिशत ज्यादा है। इसी तरह से आदिवासियों के लिए आपने अनेक छात्रावास करके उनके विकास के लिए योजनाएं दीं। पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए करीब 1600 करोड़ रुपये...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : पूरे 3 सालों के अन्दर एक भी समाज कल्याण छात्रावास नहीं खुला है। 3 सालों के दरमियान में एक भी समाज कल्याण छात्रावास नहीं खुला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलना। बोलना चाहेंगे कि नहीं बोलना चाहेंगे? फिर बीच में मत बोलो।

श्री हफीज मोहम्मद : इसी तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आपने 1999-2000 में अनुसूचित जातियों के एक लाख 60 हजार परिवारों को लाभान्वित किया है, आपने उनको लाभ देने के लिए आर्थिक सहायता को बढ़ाया है। हत्या के मामले में 10 हजार रुपये बढ़ा कर एक लाख रुपये की सहायता की है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। इसी प्रकार से आपने शारीरिक क्षति पर 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये, बलात्कार की शिकार महिलाओं को 5 हजार रुपये के

(श्री हफीज मोहम्मद)

स्थान पर एक लाख रुपये, अस्थायी शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए जो आपने किया, उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से आपने 2 हजार में वृद्धि करके 10 हजार रुपये किये, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही जिन गरीबों को पिछली सरकार सौ रुपया मासिक विधवा और गरीब पेंशन देती थी, इस सरकार ने आते ही उस पेंशन को बढ़ाकर 200 रुपया प्रतिमाह किया और आज उसकी संख्या करीब 20 लाख तक पहुंच गयी है। राजस्थान के 20 लाख गरीबों, विधवाओं को 200 रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलना उनके लिये एक संतोष की बात हैं। यह भी मैं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं। लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने इस उपलब्धि को गिनाने की जहमत नहीं की, कोशिश नहीं की। शायद इसको भी वे छिपाकर रखना चाहते हैं।

अब मैं आपको गर्व से कह सकता हूं, कल मेरे एक साथी कह रहे थे कि 'प्रशासन गांव के संग' से फायदा नहीं हुआ। मैं समझता हूं वह या तो उन कैम्पों में गये नहीं और गये हैं तो फिर असत्य बात करके सदन को गुमराह करने की बात कर रहे थे। हमने लगातार 3 महीने तक सारे कैम्प अटैण्ड किये हैं। आप जाकर आज राजस्थान के गांव-गांव में देखिये, कांग्रेस शासन की वाहवाही हो रही है। क्योंकि जिन गरीबों के मामले उलझे हुए थे बरसों से, जो पेशियों पर बारबार लगातार जा रहे थे, उनको खातेदारी राइट मिल गये। उनकी जमीनों का नामांकन हो गया। उनके नाजायज कब्जों को रैगुलराइज कर दिया गया। उनके कनेक्शन के मामले थे उनको कर दिया। गांव में सफाई, गांव के एन्क्रोचमेंट को ठीक किया। गांव में जो हैण्ड पम्प खराब पड़े थे, बिजली के तार खराब थे या बिजली नहीं आ रही थी, ये सारी चीजें हमने पिछले 3 महीनों में 'प्रशासन गांवों के संग' में करके जो राजस्थान के गरीब को राहत दी है, राजस्थान का किसान, राजस्थान की जनता कभी भी नहीं भूल सकती है। राजस्थान की जनता ने उसका इनाम हमको अजमेर की सीट लाकर दिया है। 'प्रशासन गांवों के संग' और 'प्रशासन शहरों के संग' में जो काम हुआ, लोगों में कांग्रेस के प्रति, अशोक गहलोत के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ, अजमेर की जीत उसका प्रमाण है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बजट का कितना भी विरोध करें, राजस्थान की जनता इसका स्वागत कर रही है, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हम आपको यकीनन कह सकते हैं।

अभी आप खुद इस बात को महसूस कर रहे थे कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने से राजस्थान को इसके हिस्से का रुपया कम मिलता है। जब देशभर में मंदी है, देश की सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसमें आप राजस्थान को भी अलग करके नहीं चल

(श्री हफीज मोहम्मद)

सकते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार हर साल होटलें बेच रही है, देश के बड़े-बड़े यूनिट्स थे, जैसे बाल्को को उन्होंने बेच दिया। उन्होंने हिन्दुस्तान जिंक को बेच दिया, उन्होंने लक्ष्मी निवास होटल को बेच दिया। आज भारत सरकार की यह हालत है कि वह सारे बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को बेचकर अपना रोज का काम चला रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सरकार को और माननीय वित्त मंत्रीजी को। आज पड़ोसी राज्यों की हालत क्या है? यू.पी. में आपकी सरकार थी, भारत सरकार ने यू.पी. में आपकी सरकार को बचाये रखने के लिए हजारों रुपयों की सहायता दी। हमारे साथ उन्होंने हमेशा बेईमानी की। अकाल में हमारी बराबर मदद नहीं की। आज हमारी बराबर मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको दूसरी बार भी आना था इसलिए इतनी मदद की। लेकिन यू.पी. की जनता ने आपकी इन योजनाओं को स्वीकार नहीं किया। भारत सरकार की नीतियों को स्वीकार नहीं किया। उत्तरांचल में क्या हुआ? यू.पी. में क्या हुआ? गुजरात में जो कुछ हो रहा है वह हार की पुनरावृत्ति है, इसलिए आप कर रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश में सरकारें आती-जाती रहेंगी, किसी की कोई गारण्टी नहीं है। अगर कांग्रेस चाहती तो यह तय कर सकती थी कि देश में हमेशा कांग्रेस की सरकार रहेगी क्योंकि आन्दोलन से कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई थी। लेकिन हमने कहा, यह प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में लोगों की इच्छाओं के अनुसार सरकारें बनें, सरकारें आएं। सरकार आना-जाना बड़ी बात नहीं है। सरकारें आती हैं और जाती हैं। लेकिन देश का जो भाईचारा है, देश का आपसी प्रेम है, हिन्दू-मुस्लिम की जो एकता है इस देश में, दुनिया के लिए एक उदाहरण है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर इतनी जातियां और बिरादरियां एक साथ, एक झण्डे के नीचे एक देश को अपना देश और इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानकर, मां मानकर चल रही हैं। यह हमारे लिये बहुत खुशी की बात है। इस देश की आजादी के लिए हिन्दू और मुसलमान साथ लड़ा। इस देश के विकास के लिए इस देश का हिन्दू और मुसलमान साथ लड़ा। इस देश में जब-जब भी पाकिस्तान ने आक्रमण किया, इस देश का हिन्दू-मुसलमान साथ साथ बार्डर पर लड़ा और देश की रक्षा की। आज भी, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश का कोई भी मुसलमान इस देश के खिलाफ गद्दारी करता है तो आप उसको गोली से उड़ा दीजिए, कोई मुसलमान आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन गरीबों के मकान लूटने से, गरीबों के घर जलाने से, गरीबों को मारने से

(श्री हफीज मोहम्मद)

देश की एकता नहीं बनी रह सकती है। आपकी पार्टी इससे नहीं आ सकती है। इस तरह का करने से आज सारे देश में और दुनिया में आपकी पार्टी की क्या हालत हो रही है। वर्मा कमीशन ने आपकी पार्टी के बारे में क्या रिपोर्ट की है वहां पर जाकर। आप अपनी सरकार को नहीं देखते कि आपकी सरकारें किन कारणों से गयी हैं, किस तरह के भ्रष्टाचार के कारणों से गयी हैं, जिन्होंने 5-5 साल में कोई विकास नहीं किया। यू.पी. की हालत यह थी कि एक-एक हफ्ते तक वहां पर बिजली नहीं आया करती थी, सारी सड़कें टूट गयीं थीं। यू.पी. का किसान, मजदूर अपने गन्ने के पैसे के लिए हमेशा लड़ता था, लेकिन आपने उसका कोई भुगतान नहीं किया और उसी का कारण था कि वहां पर आपको हार का मुंह देखना पड़ा। जो बी.एस.पी. आपको गालियां निकालकर वहां जीतकर आयी, आप उसकी झोली में जाकर बैठना चाहते हैं कि, मायाजी, आप मुख्य मंत्री बन जाइये, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये आपके सिद्धान्त हैं, इन सिद्धान्तों से आप देश को चलाना चाहते हैं। आज देश में 18 पार्टियां हैं जिनके अलग-अलग विचार हैं, जो अलग-अलग विचारों से एकमत नहीं हैं। आज वे किस तरह से देश को चला रही हैं, देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। दिल्ली के चुनावों ने इस बात का प्रमाण दे दिया। जहां ये 80 थे वहां 8 रह गये। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इसका बजट से क्या ताल्लुक है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है, उपाध्यक्ष महोदय? यह बजट पर बोल रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : आपको तकलीफ हो सकती है मेरी बात से। मेरे विचारों से आपको तकलीफ हो सकती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बजट में लिखा है क्या? (व्यवधान) ये बजट भाषण है क्या? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप मेहरबानी करके सुनने की कोशिश करिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आप सुनने की कोशिश करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह देश की एकता और अखण्डता की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : छोटी चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : यह देश की एकता और अखण्डता की बात है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ऐसा लग रहा है कि यह तो बड़ी चौपड़ पर भाषण हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए, आप।

श्री हफीज मोहम्मद : यह कोई छोटी चौपड़ नहीं, यह राजस्थान की विधान सभा में कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : आपको क्यों तकलीफ हो रही है? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : आपके एक माननीय सदस्य ने कहा था कि भैरोंसिंहजी के जमाने में अल्पसंख्यक बहुत सुखी थे बहुत आराम से थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी अल्पसंख्यक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय राठौड़ साहब। माननीय सदस्य... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल जब बोल रहे थे तब हम भी तो सुन रहे थे।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : इस बजट में कहां है? यू.पी. की सरकार कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : आप परेशान मत होइये। मेरी बात कृपया सुन लीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जब बोलें, मौका मिले तब मुझसे भी कुछ कह देना, मैं सुन लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, एक मिनट, माननीय सदस्य, कल रमजान खानजी ने क्या बोला? (व्यवधान) आप सुनने की क्षमता रखो फिर।

श्री हफीज मोहम्मद : जब कल यह बोल रहे थे तो ताली बजा रहे थे, आज जब मैं बोल रहा हूं तो इनका पेट दुःख रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनने की क्षमता रखो फिर...(व्यवधान) नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो एक रिमार्क, वह तो...(व्यवधान) उन्होंने तो एक रिमार्क किया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टोरे मार लिये। बजट से कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बजट था क्या? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार नहीं, देश की पूरी सरकार, देश की पूरी जनता इस बात को जानती है कि माइनोरिटी की वफादार पार्टी और सरकार कौनसी है। मैं नहीं कह रहा हूं, बी.जे.पी. में, भारत सरकार में जो मिनिस्टर हैं शाहनवाज खान, उसने कहा है कि मुझे मुसलमानों में जाकर कहते हुए शर्म आती है कि वाजपेयी की सरकार कैसी है। इसे टीवी ने कहा, अखबारों ने कहा। अगर असत्य है तो कह दें कि नहीं कहा। उनके जनरल सैक्रेटरी मिस्टर नकवी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में मुखौटा साफ हो गया है। मैं कहता हूं तो बुरा लगता है और वह कहते हैं तो बुरा नहीं लगता। नकवी कहे वह अच्छा है, शाहनवाज कहे वह अच्छा है, लेकिन

(श्री हफीज मोहम्मद)

हफीज कहे वह इसलिए खराब क्योंकि मैं कांग्रेस का हूं? इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में सरकारें आएंगी-जाएंगी, प्रदेश की सरकारें आएंगी-जाएंगी, लेकिन आप और हम इस धरती पर रहेंगे, इस राजस्थान में रहेंगे, इसी में जीएंगे और इसी में मरेंगे और इसी देश के लिए मरेंगे। कभी भी किसी तरह की बात हो, हम सरकार से कभी सिफारिश करने की बात नहीं करते। लेकिन आप देश की एकता को, धर्मनिरपेक्षता को बिगाड़ने के लिए लोगों को क्यों उकसाते हैं कि सड़क पर बैठकर यज्ञ करने लग जाओ ताकि उनका रास्ता रुक जाए? कल आप सरकार में आएंगे तो क्या होगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो आप सीखेंगे वही कल आपको बताएंगे, इसलिए मैं इन बातों के लिए आपको... (व्यवधान)...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह आएंगे क्या सरकार में? मैं आपसे पूछ रही हूं।

श्री हफीज मोहम्मद : नहीं, आएं तो प्रजातंत्र है, कुछ भी हो सकता है। मैं यह नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी है। मैंने यह नहीं कहा आएंगे या नहीं आएंगे, पर मैं यह कहता हूं कि इस हिसाब से नहीं आएंगे। पहले थोड़ी-बहुत उम्मीद थी लेकिन दिल्ली की जनता जो देश की राजधानी में रहती है, जहां पर आपका गढ़ माना जाता था, जहां पर पिछले चुनावों में सात पार्लियामेंट की सीटें आपने जीतीं, जहां पर आपने निगम की 80 सीटें जीतीं, आप आठ पर आकर रह गये। फिर कैसे आओगे? आप तो जाने में हो इसलिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री हफीज मोहम्मद : इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलालजी पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 22 मार्च को माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह बजट संतुलित बजट है, सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाला है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। लगातार तीन साल से अकाल पड़ने के बावजूद, आय के स्रोत कम होने के बावजूद हमारे वित्त मंत्रीजी ने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। पिछले बजट पेश किये गये, लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की, खिलाफत भी की लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की है और लगातार ले जा रहे हैं, चाहे किसी क्षेत्र को देख लीजिए।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

आप सड़क के क्षेत्र को देख लीजिए, सड़कों की हालत बड़ी खराब थी, जगह-जगह गड्ढ़े पड़ गये थे। गहलोत सरकार ने बगैर किसी भेदभाव बरते चाहे वह कांग्रेस का एम.एल.ए. हो, चाहे वह निर्दलीय एम.एल.ए. हो, चाहे जनता दल का एम.एल.ए. हो, चाहे बी.जे.पी. का एम.एल.ए. हो, सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए हर विधान सभा क्षेत्र में तीन करोड़ रुपये दिये हैं। 120 करोड़ सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए...(व्यवधान) मैं तो यह कहता हूं, आज बी.जे.पी. के सदस्यों को अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सड़कों के विकास के लिए उनके क्षेत्र में भी कुछ पैसा दिया। राजस्थान सरकार की...(व्यवधान) यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक पैसा मुख्य मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : यह कोई मेहरबानी थोड़े ही की है, माननीय सदस्य? यह तो हमारा हक है, यह तो उनको तो देना ही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बेवजह क्यों टाइम खराब कर रहे हो?

श्री नन्दलाल पूनिया : देना नहीं, वह सिर्फ अपने हिसाब से 10-10, सारे एम.एल.ए. को नहीं देकर...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : पिछले आठ सालों में आपने ऐसा कभी नहीं किया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालालजी।

श्री हीरालाल विश्नोई : तभी आपकी यह हालत बनी है। यह मेहरबानी पहले भी थी, हम पहले भी चुनकर आये थे और वहां हमारे साथ में इस तरह का भेदभाव बरता जा रहा था। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : डेढ़ साल बाद दुबारा बम्बई पहुंच जाओगे आप। डेढ़ साल बाद बम्बई जाओगे आप सभी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने माननीय सदस्य को बोलने देना चाहते हो तो डिस्टर्ब मत करो।

एक माननीय सदस्य : आप और बचे हैं अभी।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं बोल रहे हैं, यह वहीं मिलेंगे फिर।

श्री नन्दलाल पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सड़कों की हालत कुछ जगह पर और भी खराब है, मैं हमारे वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन सड़कों पर भी ध्यान दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह ठीक है, यह बोलो।

श्री नन्दलाल पूनिया : इसके अलावा धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों की अच्छी हालत करने के लिए कभी पांच-दस धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ने की योजना इस बजट में प्रस्तुत की है

(श्री नन्दलाल पूनिया)

माननीय वित्त मंत्रीजी ने, यह बहुत अच्छी बात है। धार्मिक स्थलों पर लोग काफी दूर से आते हैं और वहां की सड़कों की हालत अच्छी नहीं हो तो लोग क्या सोचकर जाते हैं और तकलीफ उठाते हैं। यह हमारे वित्त मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का एक बहुत अच्छा सोच है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में मेरे तहसील में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है गोगा ददरेवा, जहां पर गोगापीर का जन्म स्थान हुआ था और जिनका समाधि स्थल गोगामेड़ी है। वहां पर करीब 15 लाख से 20 लाख यात्री हर साल आते हैं ज्यादातर यू.पी. से आते हैं। बीकानेर से दिल्ली के बीच में वह ददरेवा स्थित है, वहां की सड़क की हालत बहुत खराब है। उस धार्मिक स्थल को भी मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में जोड़कर उसको भी लाभान्वित करें। एक बहुत बड़ा पवित्र क्षेत्र है, मैं पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक पैकेज बनाकर वहां पर्यटन क्षेत्र विकसित करें ताकि लोग उस जगह पर आने के बाद में अच्छा महसूस करें, तकलीफ नहीं उठाएं। जितनी सुविधा राज्य सरकार देना चाहती है वह उनको देनी चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी कीर्तिमान लक्ष्य स्थापित किये हैं इस सरकार ने। हर तीसरे दिन एक जी.एस.एस. का उद्घाटन हो रहा है जिससे काफी छीजत की बचत होती है और बिजली का प्रोडक्शन भी बढ़ाया है। काश्तकारों को अपनी इच्छानुसार जो इन्होंने घोषणा की थी सात घंटे बिजली देने की, वह दी है। लेकिन मेरा तो अनुरोध राज्य सरकार से यह है कि सात घंटे बिजली से कुछ नहीं होता। काश्तकार को कम से कम दस घंटे बिजली मिलनी चाहिए। उसके अलावा घरेलू में शाम को बिजली देने का जहां तक प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कम गांवों में शाम को 6 से 10 बजे तक दी जाती है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि शाम को हर गांव में ऐसी व्यवस्था बिजली की होनी चाहिए ताकि सब लोगों को 6 से 10 बजे तक बिजली मिल सके और पढ़ाई वाले बच्चों को उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो।

बिजली के क्षेत्र में काफी सुधार किये हैं हमारे ऊर्जावान विद्युत मंत्रीजी ने और वह इस प्रयास में हैं कि यह जो बिगड़ा हुआ तंत्र था, इसको कैसे सुधारा जाए। ठीक है कि कुछ लोगों को उनकी कार्यशैली पर अंगुली उठाने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस बिगड़े हुए तंत्र को सुधारने के लिए कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। जिस प्रकार एक बीमारी को, जैसे मलेरिया है उसको मिटाने के लिए कुनैन का सहारा, खारी दवाई का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार ऐसे तंत्र को जो काफी दिनों से बिगड़ा हुआ था, उसको

(श्री नन्दलाल पूनिया)

सुधारने के लिए, उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट भविष्य में अच्छा आएगा, मैं यह उम्मीद करता हूं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख नहर के लिए इन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि यह पूरी होगी और इसका लोगों को फायदा मिलेगा 90 हजार हैक्टेयर में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख नहर परियोजना में मेरी तहसील के 14 गांव सम्मिलित थे, पहले वे काट दिये गये थे, उसके बाद में वे पुनः जोड़ दिये गये लेकिन उन 14 गांवों का कहीं जिक्र तक नहीं है। मेरा माननीय वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आर्थिक संसाधन जुटाकर उन 14 गांवों को भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि यह सिंचाई उनको मिल जाए। एक काश्तकार के लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न होता है और विकास पानी से जुड़ा हुआ होता है। मेरा यह निवेदन है कि आर्थिक संसाधन चाहे कर्जा लेकर जुटाने पड़े तो भी इन गांवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में 200 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने का प्रोविजन रखा है। मेरा मानना है कि पशु चिकित्सा उप केन्द्र के बजाय पशु चिकित्सा केन्द्र खोलें या फिर 400 पशु चिकित्सा केन्द्र खोलें तो लोगों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। ग्रामवासियों की आज स्थिति यह है कि पशु चिकित्सालय 25-25, 30-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अपने बीमार पशुओं को काफी दूर ले जाना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोले जाएं। मैं मांग करता हूं कि इनकी संख्या डबल होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए।

इसी प्रकार आज ग्रामीण क्षेत्र में काफी योजनाएं चल रही हैं, कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिनका स्पष्ट लाभ गरीब लोगों को मिलता है। हमारे सारे राजस्थान में और सारे हिन्दुस्तान में इन्दिरा आवास योजना चलती है, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण योजना है। गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराकर उनको सौंपना एक बहुत अच्छी स्कीम है। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमारा पक्का मकान होगा। तो इसमें यदि टारगेट और बढ़ाया जाए तो बहुत बढ़िया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आज जैसाकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, 17 हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलीं और सब लोगों को शिक्षा से जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया। "शिक्षा आपके द्वार" जो कार्यक्रम लागू किया राज्य

(श्री नन्दलाल पूनिया)

सरकार ने, वह सराहनीय कार्य है, सब लोग उसका फायदा उठाएं। अब इसी भावना से यदि सरकार चलती रही तो निकट भविष्य में राजस्थान की साक्षरता की दर सबसे ज्यादा रहेगी।

मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में 200 सैकण्डरी, 200 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने का इस बजट में जो प्रावधान रखा है, यह तो बहुत कम है। इनकी संख्या बढ़ाई जाएं, इनकी संख्या 400-400 की जाएं। हम सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल तो खोल देंगे लेकिन मिडल स्कूल की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर नीचे वाला चैनल टूट जाएगा। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से...(व्यवधान) 400 नहीं, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल हमने एक हजार मिडल स्कूलें खोली थीं तो इस साल भी कम से कम एक हजार मिडल स्कूलें खुलनी चाहिए। छोटी बात नहीं है। देहाती क्षेत्र में यदि यह सरकार वाकई में शिक्षा देना चाहती है तो प्राइमरी से मिडल स्कूल को क्रमोन्नत करने में क्या दिक्कत आती है? एक हैडमास्टर ही अलग देना पड़ता है, बाकी तो स्टाफ सारा यूं का यूं रहता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए न उनको।

श्री नन्दलाल पूनिया : मुझे तो मिलेगा, साहब, आपका पता नहीं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। लेकिन आज...(व्यवधान) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठीक है जहां खाली होने की बात है बनने चाहिए लेकिन फर्स्ट एड पोस्ट और सब सेन्टर की यदि संख्या बढ़ायी जाए या खोलने की स्वीकृति दी जाए तो मैं उसकी मांग करता हूं।

पेयजल के लिए काफी बजट रखा है, लेकिन पेयजल वाली समस्या एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान करना बहुत जरूरी है। मेरे राजगढ़ क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है। जितने भी गांव जिन योजनाओं से जुड़े हुए हैं उनमें नियमित रूप से पानी नहीं पहुंचता है। हमारे यहां जो "अपनी योजना" है, "अपनी योजना" में हमारी तहसील के करीब-करीब सारे गांव सैकण्ड चरण में सम्मिलित हैं, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि "अपनी योजना" जो जर्मन सरकार के सहयोग से चल रही है, उसका द्वितीय चरण अतिशीघ्र चालू किया जाए ताकि हमारी तहसील के जिन लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, उन्हें पानी मिले। हमारे पास में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में पानी की सुविधा है। हमारे क्षेत्र के लोग भी हरियाणा से पानी लाते हैं। ऐसी स्थिति है हमारे क्षेत्र की। मैं उपाध्यक्ष महोदय...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : बोलने दो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप रह जाओगे, मुझे क्या तकलीफ है? टाइम बढ़ायेंगे तो भी रह जाओगे।

श्री नन्दलाल पूनिया : जिन गरीब लोगों को कभी सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे असाध्य रोग का इलाज भी होगा, उनके लिए मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष स्थापित करके इस सरकार ने एक महत्वपूर्ण, साहसिक कार्य किया है। इसमें राजस्थान अग्रणी रहेगा, हिन्दुस्तान में सबसे ऊपर इस क्षेत्र में राजस्थान रहेगा। इसमें आई.आर.डी.पी. के जो गरीब परिवार हैं, उनको तो मिलता ही है फायदा, उसके अलावा यदि कोई गरीब परिवार रह गया और वह असाध्य रोग से पीड़ित है तो इस राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उनको भी आंशिक रूप से सहायता देने का एक कार्यक्रम चला रखा है और सहायता दी जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और मेरे क्षेत्र की रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में कृषि कुएं हैं, लगातार उनका जल स्तर नीचे जा रहा है। चार गांवों की तो स्थिति यह हो गयी कि बिलकुल सूख गये, कुएं ड्राई हो गये। लोगों ने कनेक्शन कटवा लिये। आज उनके सामने पीने के पानी की समस्या है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि कोई कार्यकारी योजना बनाकर उस पर कार्य किया जाए ताकि उन लोगों को दुबारा पीने के लिए पानी मिल जाए। यदि इस पर नहीं सोचा गया तो सभी क्षेत्रों में यह समस्या आने वाली है। भूमिगत जल स्तर सबका नीचे जा रहा है। जल स्तर नीचे जाने से पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थानीय विधायक कोष का जो कोटा है 60 लाख रुपये, वह बहुत कम है। आज 60 लाख में क्या होता है? 60 लाख में 40 कमरे बनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम हो गया, टाइम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री नन्दलाल पूनिया : 60 लाख में 40 कमरे बनते हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, 165 गांव हैं और 30 वार्ड हैं, उसमें क्या पांती आता है? (व्यवधान) मैं तो यह समझता हूं कि राज्य सरकार को या तो यह राशि वापस ले लेनी चाहिये और वापस नहीं ले तो कम से कम दो करोड़ रुपये यह राशि होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : कांग्रेस को ही मिलते हैं क्या 60 लाख रुपये? सभी को मिलते हैं। सारे विधायकों को मिलते हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीये वित्त मंत्रीजी ने इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया, वैसे मुझे लगता नहीं कि इस बजट से प्रदेश का कोई विकास होगा या जनता को कोई फायदा पहुंच पाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, बोलने दीजिये इनको।

श्री ज्ञानचन्द पारख : एक जो आम बजट पेश करने की औपचारिकता पूरी करनी थी, कर दिया उन्होंने। इन्होंने उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। जो बीमारू उद्योग हैं, जो बन्द उद्योग हैं उनके बारे में बजट में बहुत प्रावधान रखा है इन्होंने, लेकिन जो चालू उद्योग हैं उनको बन्द करने का बंदोबस्त भी इस बजट में इन्होंने किया है। पता नहीं बीमारू उद्योग या बन्द उद्योग चालू होंगे या नहीं लेकिन जो चालू उद्योग हैं उनको बन्द जरूर करा देंगे वित्त मंत्रीजी, ऐसा प्रावधान इन्होंने इस बजट में किया है।

पश्चिमी राजस्थान में जो सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई है टैक्सटाइल उद्योग, वह पहले से ही आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रही है और आपने टैक्सटाइल उद्योग में जो रंग-रसायन काम में आता है, जो रा-मैटीरियल काम में आता है, जो केमिकल काम में आता है, जो डाइस काम में आती हैं उसमें चार परसेंट प्रवेश कर और लगा दिया। गुजरात से काम्पीटीशन था, वह माल गुजरात से आता है। टैक्सटाइल की सबसे बड़ी मण्डी गुजरात है और उसके बाद राजस्थान का नम्बर आता है। गुजरात में कोई भी प्रवेश कर नहीं है इस प्रतिस्पर्धा में आपने चार परसेंट प्रवेश कर लगा कर इस उद्योग को खतम करने की जो योजना बनायी है, यह प्रदेश के लिए बहुत घातक होगी। डाइस पर, कलर केमिकल पर पहले से ही प्रवेश में चार परसेंट सैल्स टैक्स लागू है, चुंगी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

की एवज में सरचार्ज लागू है उसके बाद में इस टैक्स की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वित्त मंत्रीजी की मर्जी है। यों तो आप उद्योगपतियों को बुलाते हैं कि राजस्थान में उद्योग लगाओ, पर हालत यह हो गयी है कि जो उद्योगपति यहां पर बैठे हैं, वे सब भी धीरे-धीरे राजस्थान छोड़ कर भाग जाएंगे। राजस्थान की फैक्ट्रियां बन्द हो रही हैं। बढ़ नहीं रही हैं बन्द हो रही हैं और आप और मैं इस बात के गवाह हैं।

सड़कों के बारे में बहुत ज्यादा ढिंढ़ोरा पीटते हैं कि हमने 200 विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक एम.एल.ए. को साठ-साठ किलोमीटर सड़क दी है, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया एक वर्ष में दिया है जिससे सड़कों का नवीनीकरण होगा, सुदृढ़ीकरण होगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिनके डब्ल्यू.बी.एम. बने वर्षों बीत गये, उनके ऊपर दो-दो लेयर गिट्टी की कभी की हो गयी, आठ-आठ साल हो गये, पांच-पांच साल हो गये, तीन-तीन साल हो गये। आपने अकाल राहत में भी कुछ काम ऐसे करवाये। डब्ल्यू.बी.एम. सड़क पर यदि दो-तीन साल में डामर नहीं हो तो उसकी वह हालत होती है कि कोई वाहन उसके ऊपर से नहीं गुजर सकता, बल्कि आदमी का आना जाना भी उसमें मुश्किल हो जाता है। उसके लिए वित्त मंत्रीजी ने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। आप नयी सड़कें बनाओ, बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद भी देंगे कि आपने कुछ काम किया तो है। लेकिन जो ज्यादा आवश्यकता है, जहां आपने गिट्टी बिछा दी, जहां डब्ल्यू.बी.एम. बन चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले नहीं हैं, कोई बहुत लम्बी राशि नहीं लगेगी उसमें। इसमें यदि कुछ प्रावधान कर दें तो काफी गांव सुधर जाएंगे।

वित्त मंत्रीजी बी.ओ.टी. की बात करते हैं कि बी.ओ.टी. में हम काम करवाएंगे। बी.ओ.टी. में तो बहुत कम काम हुए हैं। इस सरकार में तो नहीं के बराबर हुए हैं। बी.ओ.टी. में कोई सरकार का पैसा जाता नहीं है, फोकट में काम हो जाता है और सरकार को वाहवाही मिलती है। उसमें भी कंजूसी करते हैं। मेरा बी.ओ.टी. का पाली का प्रस्ताव है, तीन साल से पड़ा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब पाली आये थे तब निवेदन किया था। जोधपुर से सुमेरपुर बाइपास निकलता है, उसका प्रपोजल तैयार पड़ा है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गयीं लेकिन उसका कोई प्रावधान नहीं किया। बी.ओ.टी. पर आपका पैसा लगता नहीं है, जमीन एक्वायर से निर्माण तक का काम कम्पनी खुद करती है। ऐसी योजना में आपको मात्र दिमाग लगाने की या मेहनत करने की जरूरत होती है। उन कामों की ओर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया। वित्त मंत्रीजी बैठे नहीं हैं, मैं तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उनसे आग्रह करता हूं कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई चिन्ता वाली बात नहीं है, इस बी.ओ.टी. में काम करवा दें, कुछ तो काम राजस्थान में हो जाएंगे।

शिक्षा के बारे में है कि 200 उच्च प्राथमिक स्कूलें माध्यमिक कर देंगे, 200 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक कर देंगे। इस सरकार की एक ही भावना है कि दसवीं से ज्यादा आगे कोई पढ़े नहीं या बारहवीं कर ले। यदि ज्यादा आगे पढ़ गया तो उसको नौकरी देनी पड़ेगी। उच्च शिक्षा के बारे में इस सरकार की ओर से तीन सालों में कोई चिन्ता नहीं की गयी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र को तो बिलकुल पीछे छोड़ दिया, अछूता छोड़ दिया और विशेष तौर से जो महिला की उच्च शिक्षा है उसमें पिछने तीन सालों में कुछ नहीं किया गया। राजस्थान के किसी भी गर्ल्स कालेज में पिछले तीन सालों में एक भी नया सब्जैक्ट नहीं खोला गया। एक भी महिला कालेज में कोई नया सब्जैक्ट नहीं खोला गया। अगर बालिका पढ़ना चाहती है, ऊंची शिक्षा लेना चाहती है तो कक्षाएं भी नहीं बढ़ायी गयीं हैं। उतनी ही कक्षाएं हैं, और उतने ही विषय हैं। आप तो चाहते हैं साक्षर बन जाए, सिर्फ दस्तखत करना सीख जाए। उससे प्रदेश का भला नहीं होगा। जब तक आपने उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया और विशेष तौर से महिला शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया तो यह प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत पीछे रह जाएगा। हम आंकड़े पेश कर दें कि हमने साक्षरता की दर इतनी बढ़ा दी, लेकिन हम उच्च शिक्षा की दर को धीरे-धीरे घटाते जा रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन रहेगा कि उच्च शिक्षा में और महिला की उच्च शिक्षा में बजट में प्रावधान रखे जाएं और जो प्रस्ताव आपके पास आये हुए हैं नये विषय खोलने के, जहां आपकी इच्छा हो वहां दो, कोई गम नहीं हमें। हमें आपसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है पर जहां आवश्यकता है वहां दे दीजिये ताकि हमारी बहनें पढ़ सकें और ऊंची और अच्छी पढ़ाई कर सकें।

मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में बजट देखा होगा, आपने मात्र आठ-दस जगह एम्बुलेंस दे दीं। आठ-दस एम्बुलेंस दी हैं, उसका बड़ा-बड़ा छापा है। आपने 200 सब सेन्टर्स को अपग्रेड कर दिया, वहां ए.एन.एम. की जगह जी.एन.एम. लग जाएंगी, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो विशिष्ट चिकित्सा मिलनी चाहिए उस पर आपने बजट में कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा जो पड़ोसी प्रदेश गुजरात है, उसकी तुलना में हम कितना पीछे हैं। वहां आप एक टीम भिजवा दें तो ऐसा लगेगा कि हम वहां से चिकित्सा के क्षेत्र में 50 साल पीछे चल रहे हैं। जो विशिष्ट चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए राजस्थान की जनता को, वह उसको राजस्थान में नहीं मिल रही

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

है, उसको बाहर जाकर लेनी पड़ रही है। चाहे गुर्दा प्रत्यारोपण हो, आपने कुछ छोटे-मोटे प्रयास किये होंगे लेकिन राजस्थान में उसको सफलता नहीं मिली। हृदय शल्य चिकित्सा हो तो यहां 6-6 महीने नम्बर नहीं आता। मरीज आपरेशन कराना चाहे तो उसका 6-6 महीने, 8-8 महीने नम्बर नहीं आता और नम्बर आ भी जाए तो आपके पास उपकरण मौजूद नहीं। आपने इतना बड़ा हास्पिटल बना दिया, पर गुर्दा प्रत्यारोपण में, हृदय रोग में, न्यूरोलोजी में जितने मरीज राजस्थान में हैं उस संख्या की 10 परसेंट शैय्याएं भी आपके पास आज की तारीख में मौजूद नहीं हैं और जिन-जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उसके आधे उपकरण भी आपके पास मौजूद नहीं हैं। यदि आप वाकई ही चाहते हैं कि हम गरीब जनता की भलाई करें, उसकी सही चिकित्सा करें, आप मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से पैसा दे रहे हो, मुख्य मंत्री सहायता कोष से पैसा दे रहे हो, आपका पैसा बहुत बड़ी मात्रा में जा रहा है वहां, लेकिन पैसा जाने के बाद भी उसको अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। यहां जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वे हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप तो बहुत दयालु हैं, मुझे पता है। मेरा आप से दो-तीन बार काम भी पड़ा था, आपके मन में बहुत दया की भावना है। आपके मन में वाकई ही गरीब के प्रति और मरीज के प्रति पीड़ा है तो आप विशिष्ट चिकित्सा में भी कुछ प्रावधान रखें।

मान्यवर, एम.आर.आई. आज बहुत आवश्यक जांच हो गयी है। छोटी बीमारी हो, कमर दुखती हो तो भी डाक्टर एम.आर.आई. लिखते हैं। राजस्थान के किसी भी चिकित्सालय में एम.आर.आई. मौजूद नहीं है। एस.एम.एस. इतना बड़ा हास्पिटल है, पर एम.आर.आई. करानी है तो बाहर पांच हजार रुपये देकर मरीज को करानी पड़ती है। गरीब मरीज यह करवा नहीं सकता। यह बहुत छोटी मशीन है, कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है और आपके पास इतना बड़ा बजट है। यदि ईको कार्डियोग्राफी करानी है तो ढाई-तीन महीने लगते हैं। वित्त मंत्रीजी, मरीज का ढाई-तीन महीने में नम्बर आता है। तब तक मरीज पता नहीं जिन्दा रहेगा या मर जाएगा। हार्ट का मरीज है, ढाई महीने बाद नम्बर आएगा उसका। तो आप विशिष्ट चिकित्सा में भी कुछ प्रावधान रखें। ये सब सेन्टर खोलने से ठीक है, आपने भला किया होगा गांव में जनता का। ए.एन.एम. का काम मुझे भी पता है, मैं इस क्षेत्र से बहुत जुड़ा हुआ हूं। मरीज को मात्र आयरन की गोली दे दे या छोटी-मोटी गोली दे दे या उसको गांव से उठा कर शहर ले आए, इतनी हैल्प कर देती है बाकी इससे ज्यादा काम नहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

करती वो। यदि आप वाकई में ही चाहते हैं कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाएं तो आप थोड़ा ध्यान इस विशिष्ट चिकित्सा की ओर भी दें ताकि हम वाकई ही गरीबों का भला कर सकें। मुख्य मंत्री सहायता कोष से, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से जो पैसा जाता है उसका पूरा उपयोग वहां हो सके। वरना उसका पूरा उपयोग हो नहीं पा रहा है।

(18.00 बजे)

मान्यवर, सिंचाई के मामले में भी जो प्रावधान रखे हैं वे बहुत ही अपर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं हैं। हमारे जिले में तो मुझे पता है कि जितनी भी सिंचाई की नहरें बनी हुई हैं पूरी टूट चुकी हैं। कोई पचास साल पहले बनी है, कोई साठ साल पहले बनी है। पचास-साठ सालों में उनकी मेंटीनेंस के नाम पर नहीं के बराबर राशि आयी है। पानी बांधों में आता है लेकिन कच्ची नहरें हैं, क्षतिग्रस्त नहरें हैं। तो राजस्थान में जो भी सिंचाई की नहरें हैं, चाहे कोई छोटा बांध ही क्यों न हो, उन नहरों को पक्की कराने का प्रावधान आप रखें ताकि जनता को वाकई सिंचाई का फायदा पहुंच सके और काश्तकारों को जब बरसात होती है और उसका पानी जब बांधों में आता है तो उसका फायदा पहुंच सके।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी यही काम कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। ये छोटे-छोटे काम बताये हैं इनको भी अगर कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर मीणा।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 22 मार्च, 2002 को वित्त मंत्रीजी ने जो बजट भाषण पढ़ा उस पर मैं अपने आपको सम्मिलित करता हुआ अपने विचार रखना चाहूंगा। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब ने अपने भाषण में कहा था कि कोई भी बजट किसी सरकार की दिशा और दशा को दर्शाता है। बिलकुल सत्य बात कही थी। हमारा भी यह मानना है। इस सरकार ने जब शासन सम्भाला उसके पूर्व पूर्ववर्ती सरकार की दिशा और दशा दोनों गलत थी, उस दिशा और दशा को इस सरकार ने सुधारा और यह बजट इस स्थिति को और सुधारेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। किसी अर्थशास्त्री ने यह भी कहा है कि अच्छा बजट लोकप्रिय नहीं हो सकता और लोकप्रिय बजट अच्छा भी नहीं हो सकता, परन्तु वित्त मंत्रीजी ने ये दोनों बातें संतुलित की हैं इसके लिए मैं निश्चित तौर पर मेरी तरफ से बधाई देना चाहूंगा। चूंकि अभी तो मैं बजट के पक्ष में हूं इसलिए मधुर बातें ही कहना ज्यादा उचित समझूंगा, मेरे मन का दर्द बाद में कहूंगा।

(श्री रघुवीर सिंह)

इस बजट से राजस्थान की जनता को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बहुत सारा भार पड़ गया। एक वक्ता पूर्व में कह रहे थे कि पुष्प के ऊपर से मधुमक्खी थोड़ा-थोड़ा रस इकट्ठा करके शहद बनाती है उसी तरह से इस बजट को बनाया है। महोदय, यह सर्वविदित है, और कई वक्ताओं ने कहा भी कि पहले तीन साल पहले, जब से इस सरकार के हाथ में शासन आया उसके पूर्व भयंकर अकाल था और ऐसा अकाल था कि सरकार ही नहीं प्रदेश की जनता भी डर रही थी, सभी राजनीतिज्ञ डर रहे थे कि आखिर में सरकार इसकी व्यवस्था करेगी तो कहां से करेगी। सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकती है, इसके अलावा पानी कहां से पैदा करेगी, घास कहां से लाएगी मवेशी के लिए? परन्तु इस सरकार ने तीन साल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुशल प्रबन्धन करके बहुत ही अच्छे तरीके से अकाल का मुकाबला किया और सब कुछ समय पर निपटा दिया। केन्द्र की सरकार में एक उदाहरण देना चाहता हूं, कि बजट प्रस्तुत किया उसमें राजस्व संग्रहण में जिस तरह से कमी की, 29956 करोड़ की कमी की वजह से 500 करोड़ राजस्थान को कम मिलेंगे। यह एक उदाहरण, इस तरह से कइयों में बहुत पैसा आने वाला जो था वह नहीं मिल पाने की वजह से हमें बड़ी दिक्कत पैदा होगी आने वाले समय में परन्तु हमें उम्मीद है कि सरकार अपनी इच्छाशक्ति से इन सारी परिस्थितियों से निपटेगी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना 31831 करोड़ की अनुमानित की गयी, यह सब जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए ऊर्जा, सड़क परिवहन एवं सिंचाई के क्षेत्र में समुचित व्यवस्था, समुचित प्रबन्धन आवश्यक होता है और इस बजट में इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां तक सड़कों का मामला है, सड़कें, चाहे कांग्रेस के सदस्य हों, चाहे बी.जे.पी. के सदस्य हों, चाहे जनता दल के सदस्य हों और चाहे निर्दलीय हों, सभी को समान रूप से बजट आबंटित करके 120-120 किलोमीटर की सड़कें दो साल में रिन्यू होंगी। यह एक कीर्तिमान है। आज की स्थिति में जो पूरे प्रदेश में सड़कों की रिपेयरिंग की गयी है, यह सरकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस तरह से नवीनीकरण के तहत चौबीस हजार किलोमीटर सड़कें पूरे प्रदेश में ठीक होंगी और इसका लाभ पूरी तरह से प्रदेश की जनता ले पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार ने जो मंशा व्यक्त की है इसके पीछे बहुत ही अच्छी सोच है। हमारे प्रतिपक्ष के सभी सदस्य धर्म के नाम से नेतागिरी अवश्य करते हैं, उत्पात अवश्य मचाते हैं परन्तु इस ओर किया कुछ नहीं। हमारी सरकार की नीयत बहुत ही उत्तम है और सही है, इसी वजह से यह सारा हो पाया है।

(श्री रघुवीर सिंह)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चालू वर्ष में 535 गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु दो किलोमीटर से भी अधिक लम्बाई की सड़कों का कार्य प्रगति पर है। आगामी वर्ष में 1725 गांवों में तीन हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में होगा। मैं इस सम्बन्ध में विशेषकर ट्राइबल एरिये में सड़क सम्बन्धी ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहूंगा कि सड़कों के निर्माण में वहां सिर्फ गांव के कोने तक ले जाकर सड़क छोड़ दी जाती है। गांव की शुरूआत से गांव का एण्ड कहीं छह किलोमीटर, दस किलोमीटर, चार किलोमीटर रह जाने की वजह से उस योजना का फायदा उन गांवों के लोग नहीं उठा पाते हैं। वैसे भी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उदयपुर सम्भाग बहुत ही पहाड़ी और बिखरा हुआ होने की वजह से उसका लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए इस योजना में परिवर्तन के लिए और विचार करने की आवश्यकता है। सबको लाभ मिले इस तरह से योजना बने।

विद्युत के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक 1750 मेगावाट बिजली पैदा करने का जो लक्ष्य है यह एक कीर्तिमान है। पचास साल के इतिहास में जैसाकि सब जानते हैं, 3350 मेगावाट बिजली पैदा हुई और अब इतनी बिजली अतिरिक्त पैदा करना एक नया कीर्तिमान होगा और यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। चाहे उद्योग का क्षेत्र हों, चाहे विकास के अन्य क्षेत्र हो, हमारी प्रगति होगी और आगे हमें इसका लाभ मिल पाएगा।

हमारी सरकार उद्योग के बारे में वैसे तो सोच रही है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में किस तरह से छोटे-मोटे उद्योग लगें। लघु उद्योग हों, चाहे मध्यम उद्योग हों, लगें, ताकि हमारी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करें। केन्द्र की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, जो हमारे उद्योग मुनाफे में हैं, उनको कौड़ियों के भाव में बेंचकर जिस तरह से वे देश का नुकसान कर रहे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं, यह सर्वविदित है। हिन्दुस्तान जिंक जैसा प्रोजेक्ट जिसका करीब दो सौ पचास करोड़ रुपये का टर्न ओवर था, इसके अलावा उसकी परिसम्पत्ति कितनी होगी, कितनी मशीनरी थी, कितने साधन थे उसके, 450 करोड़ में बेचकर यह दिखा दिया कि सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। होटल लक्ष्मी बिलास उदयपुर को साढ़े सात करोड़ में बेच दिया। जिसकी बाईस एकड़ तो सिर्फ जमीन है। मेरे खयाल से साठ-सत्तर करोड़ की तो उसकी जमीन होगी, पर मात्र साढ़े सात करोड़ में बेच दिया, जबकि यह व्यवसाय फायदे में था। इस तरह से कई उद्योग

(श्री रघुवीर सिंह)

हैं। हमारे बजट में एक प्रावधान किया है छोटे दुकानदारों एवं उद्यमियों के लिए सुगम क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड का यह व्यवस्था होने से छोटे-मोटे उद्यमी और दुकानदार पचास हज़ार रुपये तक का लोन लेकर अपना व्यवसाय चला सकेंगे। यह निश्चित तौर पर अच्छा काम है, अच्छी शुरूआत है।

पशुपालन के लिए 200 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की जो घोषणा की है सरकार ने, बहुत ही सराहनीय है। परन्तु, हम जानते हैं कि हमारी अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, इसलिए पशुपालन के प्रति हमें विशेष ध्यान देना होगा। और जब ध्यान देना होगा तो इसके लिए एक एक विधान सभा क्षेत्र में एक एक पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने से काम नहीं चलेगा। इस पर पुनर्विचार करके ज्यादा पशु चिकित्सालय खोलें और डाक्टर लगाएं ताकि हमारे पशुओं की व्यवस्था हो सके।

शिक्षा के लिए जिस तरह से आज का वातावरण है, पूर्ववर्ती सरकार ने भी प्रयास किये, यह बात मानूंगा मैं। हमारी सरकार ने प्रयास करके जिस तरह से साक्षरता की दर 61 प्रतिशत की है, यह बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए हम सब जानते हैं कि 18,173 राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं और प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सीनियर माध्यमिक विद्यालय कितने खोले, यह हम सब जातने हैं। सरकार की नीयत साफ थी उसी वजह से इतना सारा कुछ हो पाया है। आगामी वित्त वर्ष में 200 अपर प्राइमरी से सैकण्डरी और 200 सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी क्रमोन्नत करने की जो घोषणा की है उस पर मेरा थोड़ा सब्मिशन यह है कि मिडल स्कूलों का प्रावधान भी होना चाहिए। सैकण्डरी स्कूल 200 के बजाय 400 होने चाहिए। सीनियर सैकण्डरी चाहे 200 रखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह होनी ही चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं ट्राइबल सब प्लान एरिये से, और कई माननीय सदस्य हैं जहां ऐसी स्थिति है, जहां शिक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता है। ट्राइबल सब प्लान एरिये का मतलब ही है कि हर विकास के काम का वहां अलग से पैकेज दिया जाए। अब जयपुर के विधायक भी एक सीनियर सैकण्डरी ले रहे हैं और सराड़ा के भी एक सीनियर सैकण्डरी ले रहे हैं, तो यह समानता नहीं हुई। हम यह मानते हैं। आप वित्त मंत्रीजी क्या महसूस करते हैं, पर हमारा यह मानना है।

शिक्षा में एक और सुझाव यह है कि जैसे प्राइमरी स्कूलों में और मिडल

(श्री रघुवीर सिंह)

स्कूलों में घूघरी दी जाती है, मिडल स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक के बच्चे तो घूघरी खाएंगे और छठी से आठवीं वाले देखते रहेंगे। गांवों में यह सम्भव नहीं हो सकता है कि छठी से आठवीं वाले बच्चों को रोके रखो और पांचवीं वालों को लाइन में बिठा दो कि लीजिए घूघरी खाइये। इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। घूघरी के बारे में तो कई बातें यहां आयी हैं परन्तु मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादा हैं, अध्यापक दो हैं। एक घूघरी बनाने में लग जाएगा तो पढ़ाने में भी दिक्कत है। परन्तु यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अच्छा पोषाहार देने की एक व्यवस्था है इसलिए मैं इसके बारे में विरोध तो नहीं करूंगा, परन्तु यह जरूर कहूंगा कि इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से क्या कर सकें। अपर प्राइमरी स्कूल

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में मान्यवर, मुझे अभी मुश्किल से तेरह मिनट भी नहीं हुए होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट हो गये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : घंटा-घंटा भर बोल जाते हैं और हम फालतू बात तो बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अपर प्राइमरी स्कूल में...

श्री उपाध्यक्ष : स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। आप सबसे ज्यादा बोल रहे हो।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहां कहीं 300-350-400 बच्चे होते हैं, एक हैडमास्टर और छह या सात टीचर जो भी हों, परन्तु फोर्थ क्लास नहीं होने से या पानी पिलाने वाला नहीं होने से उस स्कूल की क्या स्थिति बनती होगी। कौन तो घंटी बजाए, कौन पानी लाकर स्कूल में पिलाए? कहीं-कहीं तो ऐसी स्थिति होती है कि जहां एक चपरासी की जरूरत होती है, दस चपरासी काम कर रहे हैं। हमारे जनजाति कार्यालय में देखो। कई कार्यालय ऐसे हैं जहां आवश्यकता से ज्यादा फोर्थ क्लास हैं। पर यह बात हम नहीं सोच रहे हैं। एक फोर्थ क्लास कोई अफसर तो है ही नहीं। एक मिडल स्कूल में फोर्थ क्लास नहीं होना चाहिए? फोर्थ क्लास की कमी की वजह से कितनी प्राब्लम आती होगी, अपने को यह सोचने की आवश्यकता है और इस ओर बिलकुल हमें व्यवस्था करनी चाहिए।

उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है, निश्चित तौर पर खोलें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु हमारा यह मानना है कि एक

(श्री रघुवीर सिंह)

शहर को राजी करने के लिए आप यूनिवर्सिटी खोल दो, जबकि कई एरिये ऐसे हैं जहां एक कालेज खुल जाए तो बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होगा। आपकी एक यूनिवर्सिटी के बजाय तो दस कालेज खुल सकते हैं। आज जैसे उदयपुर सम्भाग का हमारा एरिया है, डूंगरपुर कालेज है, बांसवाड़ा कालेज है और सलूम्बर कालेज है और यहां उदयपुर है। इतना लम्बा-चौड़ा एरिया है, जैसे हमारे बीच में खैरवाड़ा है, सराड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, यहां पर अगर कालेज खुल जाएं तो वहां के आदिवासी बच्चे जो आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में नहीं रह सकते हैं, उनको ऐसा वातावरण नहीं मिलता है तो वे कम से कम घर आना-जाना करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमें विचार करने की आवश्यकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में आपने जिस तरह से मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की है, इससे सैकड़ों लोगों को फायदा हुआ है। 23 जनवरी, 2002 तक 562 लोगों को 310 से भी अधिक लाख की सहायता मिली है। गांव के लोग, बी.पी.एल. फैमिली के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम हमारी गम्भीर बीमारी का इलाज करा सकेंगे, परन्तु मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से यह बेनीफिट मिल रहा है, सरकार बधाई की पात्र है। इसको हमें आगे भी जारी रखना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

चिकित्सा के बारे में मेरा एक सुझाव यह है कि आपने 200 सब सेन्टर से एड पोस्ट प्रमोट करने की जो बात कही है, ट्राइबल सब प्लान एरिये में 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर डिस्टैंस में कहीं पर भी पी.एच.सी. नहीं होती है तो ऐसी जगह पर कम से कम पी.एच.सी. खोलें। इसके लिए तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। एड पोस्ट पर आपके कम्पाउण्डर होता है इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है और सब सेन्टर पर एक ए.एन.एम. होती है। ए.एन.एम. क्या काम करती है कि नहीं करती है, हम खुद जानते हैं। पी.एच.सी. कहीं है वहां भी ऐसी स्थिति है। जैसे उदाहरण के लिए सराड़ा में एक गांव है चावण, उसका नाम तो है महिला प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र लेकिन वहां न तो कोई वार्ड, न कोई प्रसूति के लिए व्यवस्था, न डाक्टरों के बैठने की व्यवस्था, न अलग से कोई थियेटर। ऐसी जगह पर हमें ध्यान देकर थोड़ा-सा करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है वित्त मंत्रीजी इस ओर ध्यान देकर निश्चित तौर पर अलग से बजट देने की कोशिश करेंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में टोकर करके एक बड़ी पंचायत है, करीब आठ-दस

(श्री रघुवीर सिंह)

हजार पापुलेशन की पंचायत है, उसके आसपास की पंचायतों का नाम गिनाऊं, गांवों का नहीं, बोराली, गोड़ासर, इटाली, इटालीपाल, बड़ावली, रठोड़ा इतनी पंचायतें हैं जहां पर कोई पी.एच.सी. नहीं है। इधर टोकर से कल्याणपुर जाते हैं 12 किलोमीटर दूर, उधर से उधर सलूम्बर जाते हैं तो 22 किलोमीटर, टोकर से इधर सेमारी की तरफ जाते हैं तो 18 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पी. एच.सी. नहीं है, मात्र सब-सेन्टर है। तो सब सेन्टर से कोई इलाज हो जाएगा क्या?

समाज कल्याण के माध्यम से सरकार हमारे बच्चों को बेनिफिट दिला रही है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। एस.टी., एस.सी. के छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ 93 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। एस.टी., एस.सी., बी.पी.एल. के छात्र-छात्राओं की अध्ययन सुविधा के लिये 800 से बढ़ाकर 1100 स्टूडेंट किया प्रतिष्ठित विद्यालयों ने, यह सराहनीय कार्य है।

'प्रशासन शहरों के संग' एवं 'प्रशासन गांवों के संग' में एक लाख लोग जो पेंशन योग्य पाये गये, उनमें अस्सी हजार को तो पेंशन स्वीकृत कर दी और बाकी को कर देंगे, यह कम बड़ा काम नहीं है। अगर एक गांव का व्यक्ति कोई इस व्यवस्था में लाभ पाता है तो उसके लिये बहुत बड़ी बात है। आज हम यहां बैठकर विपक्ष में कुछ भी कह दें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया,परन्तु हमारी नियत खोटी है। हमने पीछे कुछ किया नहीं, आज हम यहां पहले आंकड़ों के जाल में उलझ रहे हैं और फिर 33 के जाल में भी उलझ जाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अच्छी बात के लिये तो हमेशा तारीफ करनी चाहिये और बुरी बात के लिये आलोचना करनी चाहिये।

समाज कल्याण छात्रावासों में ढाई सौ अधीक्षकों की कमी है, चतुर्थ श्रेणी की कमी है, रसोइयों की कमी है, तो हम ये जो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, यह कैसे सम्भव हो पाएगा? इसलिये, ये व्यवस्थाएं सुधारने के लिये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर ध्यान देंगे। अब, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) **:** अंतिम क्षणों में हूं मैं।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह जनजाति बहुल क्षेत्र है, ट्राइबल सब प्लान एरिया जो शिड्यूल एरिया है-पांच जिलों का, तेईस पंचायत समितियों का जुड़ा हुआ सब प्लान एरिया है। जहां पर कई सुविधाएं तो हैं, परन्तु हम पिछले 9 साल से महाराष्ट्र पैटर्न के नाम से सरकार से बराबर आग्रह कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली सरकार ने तो जैसे-तैसे टालमटोल करके महाराष्ट्र भेजे हैं, गुजरात

(श्री रघुवीर सिंह)

भेजे हैं, आंध्र भेजे हैं, ये करके आये हैं अध्ययन, वह करके आये हैं, प्रारूप बनाया और सब कुछ किया, परन्तु उनकी नीयत में खोट था तो लागू नहीं किया। हमारी सरकार आयी और हमारी सरकार आने के बाद लागू किया। तीन बजट भाषण हुए हैं और महामहिम तीन बार यह पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर दिया गया। गये साल बजट प्रावधान नहीं होने की वजह से हमने रिक्वैस्ट की मुख्य मंत्री महोदय से। महाराष्ट्र पैटर्न में वार्षिक योजना का आठ प्रतिशत पैसा दे देना था वह 112 करोड़ रुपये के करीब बनता था, परन्तु मुख्य मंत्री महोदय ने और वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा कि अकाल की वजह से पूरी व्यवस्था नहीं कर पाये, आने वाले बजट सत्र में पूरा कर देंगे। यह मुख्य मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में यहां कहा था, वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा था। इस साल महामहिम ने अपने भाषण में यह कहा कि वर्ष 2002-2003 से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने से राज्य आयोजना मद की आठ प्रतिशत राशि जनजाति विकास विभाग द्वारा खर्च की जाएगी। महोदय, हमारा आग्रह यह है कि आठ प्रतिशत राशि महाराष्ट्र पैटर्न में देने से हमारे प्रदेश का कोई नुकसान होना नहीं है, कुछ नहीं। महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के नाम से हमारे एरिये में अधिकारी कहने लग गये कि आनगोइंग स्कीम जो हैं, महाराष्ट्र पैटर्न से पूरी कराओ। वे भी बंद कर रखी हैं। हमारा यह अधिकार है, हम इसलिए दबाव डालकर यह बात कह रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कांच के बंगले में बैठकर, ए.सी. में बैठकर ट्राइबल के लिये प्लान बनाकर भेज देता है और उससे हम सोचते हैं कि सारे ट्राइबल्स का उद्धार हो जाएगा। हम यह कहते हैं कि ट्राइबल खुद की योजना खुद बनाए कि मैं कैसे उठ सकता हूं। इसके लिए हम यह मांग रहे हैं और उसके लिए जरूरी है जेब में पैसा होना चाहिए। जब आठ परसेंट आप दे देंगे तो उसके हिसाब से उसकी जेब में पैसा हो जाएगा, निश्चित तौर पर वह अपनी योजना खुद बना सकेगा। हमारा निवेदन पहले था 12.44 परसेंट का, आपने माना है 8 परसेंट। हम कह रहे हैं आठ परसेंट ही सही, शुरूआत तो करें। आज आपने चालीस करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, हमारा सवाल है क्यों? 170 करोड़ रुपये बनता है, 170 करोड़ रुपये आप दे दीजिए। यह हमारी हम्बल रिक्वैस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वैस्ट कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि शांतिधारीवाल अकेला बाहर निकला, परन्तु हमें ऐसा मजबूर मत करिये। शांति धारीवाल सदन से बाहर निकलेंगे और बहुत बड़ा विरोध जागेगा। हम कह रहे

(श्री रघुवीर सिंह)

हैं कि अगर यह व्यवस्था नहीं हुई तो हमारे जनजाति मंत्री इनसे कहेंगे इस्तीफा दीजिए, किस बात के मंत्री हो आप। इसलिए हमारा निवेदन है। हम और किसके आगे जाकर निवेदन करें? उससे बढ़िया है आप स्वयं इसकी व्यवस्था कर देवें ताकि हमारा कुछ तो भला हो सके। हमारा यह आग्रह है, पीड़ा है। हमारे क्षेत्र की पीड़ा है। हम आपसे कह रहे हैं कि राजस्थान में 24 जनजाति के सदस्य हैं उसमें से दो उधर बैठते हैं, बाकी सब इधर बैठते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसीलिये आपत्ति है आपकी।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) **:** और ट्राइबल सब प्लान एरिये में 18 हैं। 18 में से 14 इधर बैठते हैं, उधर सिर्फ एक है। तीन जनता दल वाले हैं। अगर यह रुपये दे दिया तो यह भी ठीक कर देंगे। रुपया दे दोगे तो यह भी ठीक कर देंगे। इसलिए हम यह कह रहे हैं, राजनीति के घाटे-मुनाफे के हिसाब से भी हमें सोचना पड़ेगा। बजट भी ऐसा बनाना पड़ेगा और इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि आठ परसेंट के हिसाब से जितना पैसा हमारा बनता है, निश्चित तौर से देंगे, कल आपके भाषण में यह प्रावधान पूरा करके हमें संतुष्ट करेंगे और जनजातियों में एक अच्छा संदेश भेजेंगे। सरकार की नीयत का संदेश सब तरफ भेजेंगे।

एक अंतिम बात मैं और कहना चाहूंगा। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मांग संख्या-30 यहां डिबेट तो होनी नहीं है, यह मुखबन्द में पारित होनी है। पहले से जो स्कीम्स चल रही हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2001-2002 में ढाई सौ परिवारों को लाभान्वित करने हेतु, यह "कुटीर ज्योति" योजना की बात कर रहा हूं मैं, 18.72 लाख का प्रावधान किया गया है, इसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2001 तक .075 लाख देकर 81 कुटीर ज्योति कनेक्शन दिये गये। जहां 250 का लक्ष्य है 81 को दिया है, इस तरह काम करने वालों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। सरकार व्यवस्था कर देती है परन्तु काम करने वालों की नीयत ठीक नहीं है इस वजह से काम नहीं हो पाता है। स्वयंपाठी जनजाति छात्र-छात्राओं की परीक्षा फीस का पुनर्भरण योजना-2001 में निर्धारित लक्ष्य 2234 के विरुद्ध 2052 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित कर रुपये 1.85 लाख का पुनर्भरण किया गया। वर्ष 2001-2002 में योजना बंद कर दी गयी, क्यों? हमारा सवाल है, क्यों? एकल खेल छात्रावास का संचालन में 2001-2002 में रुपये 18.67 लाख का प्रावधान है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2001 तक 11.48 लाख व्यय किये गये, सौ छात्रों ने प्रवेश लिया। हमारा निवेदन यह है कि सौ छात्र पढ़ते हैं, पढ़ते हैं खेल के लिए और

(श्री रघुवीर सिंह)

यह छात्रावास है बांसवाड़ा में। वहां खेलने के लिए कोई साधन नहीं है और यह छात्रावास इसलिए हैं कि तीर धनुष सिखाना है इनको। तीर चलाना सिखाते हैं और तीर धनुष किसको दे रहे हैं? उदयपुर खेल परिषद् को दे रखे हैं। छात्रावासों में विशेष कोचिंग व्यवस्था, मान्यवर, 2000-2001 में 80 आश्रम छात्रावासों के विद्यार्थियों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया है जिस हेतु 7.98 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2001-2002 में यह योजना क्यों बन्द कर दी गयी, यह हमारा सवाल है?

श्री उपाध्यक्ष : आपको आधा घंटा हो गया।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : एक मिनट, मैं फालतू बात नहीं बोल रहा हूं। पूरे जनजाति क्षेत्र में से एकमात्र को मौका दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : सभी यह कह रहे हैं। सुबह तक बोलें, मुझे क्या तकलीफ है?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : पशुधन सहायक प्रशिक्षण जनजाति के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 30 जनजाति युवकों को लाभान्वित किया जा रहा है जिस पर दिसम्बर, 2001 तक 7.76 लाख रुपये व्यय हुए। इस वर्ष नवीन सत्र से यह प्रशिक्षण क्यों बंद किया जा रहा है? इस तरह से ये कुछ उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे हैं। हमारी सबकी मंशा यह रहती है और कहते भी हैं, भाषण भी देते हैं, पूरे देश में जो भी नेता भाषण देते हैं वे कहते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें यह करना चाहिए, ये योजनाएं बनानी हैं, यह लाभ उनको देना है, उनको आगे रखें। परन्तु हमारी जो योजनाएं हैं उनसे भी हमें वंचित किया जा रहा है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा कि कैसे हम उनको उठा सकते हैं। उसके लिए हमें वार्षिक योजना का आठ परसेंट पैसा चाहिए, उसे आप हमें दे दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं पूरी उम्मीद और आशा के साथ यह निवेदन कर रहा हूं कि आप कल के अपने भाषण में आठ परसेंट के हिसाब से हमारा जितना रुपया बनता है, उतना देने का प्रावधान रखेंगे। विधायक कोटा भी एक करोड़ कर दें तो बहुत-बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अगर आठ परसेंट कर दें तो वहां 18 में से आप 18 ला सकते हैं, इतना हम आश्वासन दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में वार्षिक योजना का जो आकार रखा है उससे मैं पूर्णतः असंतुष्ट

(श्री जीतमल खांट)

हूं। हम राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर से चुनकर आते हैं, इस पूरे उदयपुर सम्भाग से हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो चुनाव से पूर्व हम गरीब आदिवासी जनता के कल्याण और विकास की लोकप्रिय घोषणा करके उनके वोटों को हथिया लेते हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के बाद जब हम चुनकर यहां राजस्थान के इस पवित्र सदन में आ जाते हैं तो गरीब और भोली-भाली जनता को लुभावने नारे देकर जो अमूल्य वोट हमने लिया है उनको भूल जाते हैं। मैं इस तर्ज पर कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत ने जब सत्ता सम्भाली थी, अपना एक श्वेत पत्र जारी किया था और उसमें लिखा था कुशासन का अंत और सुशासन का प्रारम्भ। तब हमारे दिमाग में एक बात उपजी थी कि युवा मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के अन्दर एक नई हलचल पैदा करेंगे, कुछ लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेंगे जिससे इस प्रदेश के युवाओं को बेकारी से निजात मिलेगी, गरीब, अनाथ और आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू होंगी। हम लोगों ने मन में एक बहुत बड़ा सपना संजोया था। लेकिन इन तीन सालों के बाद में, यह तीसरा सत्र निकल गया, चौथा बजट सत्र हमारे सामने है, वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में, इस पूरी बाइबिल में कहीं किसी भी जगह आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या योजना होनी चाहिए, आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए क्या योजना होनी चाहिए, उस क्षेत्र के गरीब नौजवान जो बी.ए., एम.ए. पढ़ लिखकर रोड पर आ रहे हैं उनके लिए क्या योजना होनी चाहिए, आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर जो घरों पर बैठे हुए हैं, जो अपनी एज को पार कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, जो सी.पी.एड. और बी.पी.एड. की ट्रेनिंग करके रोड पर बैठे हुए हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम होना चाहिए, सरकार ने अपनी बाइबिल में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है।

मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, जैसा कि सम्मानीय सदस्य रघुवीर जी अपने भाषण में उल्लेख कर रहे थे, महाराष्ट्र पैटर्न, भूरिया कमेटी की सिफारिशों को इसलिए लागू किया गया था कि उस इलाके का आदिवासी देश आजाद होने के 42 साल बाद भी वही लकड़ी की गठरी उठाकर बाजार में 7-10 किलोमीटर जाता है और उसे बेचकर अपने और अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। हिन्दुस्तान के तकरीबन 20 विशेषज्ञों ने रिपोर्ट बनाई थी, दिलीप सिंह जी भूरिया इसके चेयरमैन थे। इस तरीके से कमेटी ने भारत सरकार को सुझाव दिये। भारत सरकार ने इसे लागू करना इसलिए आवश्यक समझा कि इसके लागू होने से जनजाति क्षेत्र में रहने वाले

(श्री जीतमल खांट)

आदिवासियों के जीवन में कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू होंगी और उनसे उनके जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होंगे। उसके जस्ट बाद में हमें महाराष्ट्र पैटर्न का स्वप्न दिखाया गया। पूर्व की सरकार ने महाराष्ट्र पैटर्न पर अध्ययन करते-करते अपना समय पूरा कर लिया। उसके पश्चात् हमारे गहलोतजी की सरकार आई, उसने महाराष्ट्र पैटर्न को प्रदेश में हमारे उदयपुर सम्भाग में जब लागू किया तो हमारे मन में एक नई कल्पना जागी कि उधर से भूरिया कमेटी लागू हो गई है, इधर से महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो गया है, अब निश्चित रूप से आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन स्तर में कहीं न कहीं निश्चित रूप से सुधार आएगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमारे कानून और नियम-कायदे इस बाइबिल में बन्द हो गये। जब हम व्यावहारिकता के नाम पर जाकर देखते हैं तो हमें शून्य नजर आता है। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने तीन नारे दिये थे- पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन के और इसमें सारे का सारा तंत्र समाहित है। आज हमें यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने, कम से कम महाराष्ट्र पैटर्न का उल्लेख तो आप करते, पूरे सम्भाग से आने वाले 24 एम.एल.एज. का खुला अपमान किया है। मैं चाहूंगा कि हमारी वार्षिक योजना का आठ प्रतिशत जो हमारा हक बनता है, वह मिले। आप अपने आप में बड़े विद्वान हैं, लेकिन चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकार हो, अगर यही हालत हम लोगों के साथ में होती रही तो हमें कहीं उदयपुर सम्भाग को मिनी स्टेट बनाने के लिए नहीं सोचना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीब आदिवासियों के साथ में 55 साल हो गये हैं, बेईमानी, अत्याचार और भेदभाव की नीति अपनाई गई है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम लोगों के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ नहीं किया जाए, हम लोगों के साथ में न्याय किया जाए ताकि हम अपने साथ आने वाली नयी पीढ़ी को कुछ नयी दशा और दिशा दे सकें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है। मेरे मन में एक-दो बातें थीं, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको समय रहते हुए इस ओर सोचना है, अन्यथा अभी तो हम राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़कर काम कर रहे हैं, कहीं हम लोगों के बीच में कोई इस तरीके के लोग नहीं लग जाएं जो लोगों को आप और हम सबसे अलग-थलग कर दें। मैं आपके माध्यम से आशा करूंगा कि वित्त मंत्रीजी और इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्रीजी निश्चित रूप से हमारी बातों पर गौर करेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जयहिन्द, जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीरामजी।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बजट के आंकड़ों के जाल में नहीं जाऊंगा लेकिन इस बात में अपने को शरीक करते हुए अपने विचार रखूंगा। बजट राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर वर्ष हर विभाग के लिए बजट आबंटित होता है। देश आजाद होने के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से और विभिन्न विभागों के बजट के माध्यम से राजस्थान के विकास के लिए काफी प्रयत्न किये गये, लेकिन जो अपेक्षित उन्नति होनी चाहिए थी हमारे राज्य की, वह नहीं हो सकी। लाखों-करोड़ों-अरबों रुपये इस राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बजट के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से जाते हैं, हमारा उसके ऊपर विशेष रूप से सुपरविजन होना चाहिए कि निर्धारित समय में बजट का उपयोग हो और उसका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। लेकिन होता क्या है कि बजट आबंटित होने के बाद में हमारे अधिकारी विशेषकर सुख की नींद लेते हैं कि बजट प्राप्त हो गया है। धीमे-धीमे खर्च करते रहेंगे, टेंडर काल करते रहेंगे। हमारी सरकार की तरफ से भी उनकी तरफ कोई वैसा नहीं होता है कि हमने बजट आबंटित कर दिया है। होता यह है कि होली के बाद में जो टेंडर काल करते हैं, पुल बनाने के लिए या जो भी विकास के काम करते हैं, ठेकेदारों को देते हैं और बरसात आने के समय थोड़ा बहुत काम होता है। जब बरसात आती है या अधिक पानी आता है, बाढ़ आती है तो नदियों के पुल बह जाते हैं और वह बजट उसी में चला जाता है। उसके लिये हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, समीक्षा करने की आवश्यकता होती है कि बजट दिया है उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। मूल्यांकन और समीक्षा के अभाव में हमारे किसान भाइयों का या राज्य का जो विकास होना चाहिए, उस बजट के माध्यम से वह नहीं होता है।

समीक्षा की बात के लिए हम देखें, तो 1999 के अन्दर हमारा जो बजट यहां रखा गया था उसके अन्दर 50 यूनानी दवाखाने और 100 आयुर्वेदिक दवाखाने खोलने का प्रावधान था। अब कितना खर्च हुआ कि नहीं हुआ, किस की गलती हुई, पर बजट प्रावधान हो गया फिर भी यूनानी दवाखाने या आयुर्वेदिक दवाखाने हमारे नहीं खुले। इस बार हमारे वित्त मंत्री महोदय को कहना पड़ा कि जो समीक्षा के अभाव में रह गये थे, बजट के प्रावधान के बावजूद भी रह गये थे वे 50 यूनानी दवाखाने और 100 आयुर्वेदिक दवाखाने खोल दिए जाएंगे।

शिक्षा की बात कहूं, 1999-2000 में 1000 मिडल स्कूल खोले गये, 400 सैकण्डरी विद्यालय खोले गये और 200

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले गये। 2000-2001 के अन्दर 1000 मिडल स्कूल खोले गये, 200 माध्यमिक विद्यालय खोले गये, 200 सीनियर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। 2000 मिडल स्कूल खोले गये। 2000 के लिए बजट आबंटित हो गया। स्कूल खोलने का मतलब बजट आबंटित तो होना ही था, स्कूल खोलने ही थे, पर 2000 सीनियर टीचर्स वहां नहीं लगाये गये। 2000 पोस्ट खाली रहीं। पहले की खाली हैं वे तो हैं ही हैं, लेकिन जो 2000 मिडल स्कूल खोले वहां पर सैकण्ड ग्रेड का एक प्रधानाध्यापक होता है, विदआउट सैकण्ड ग्रेड के प्रधानाध्यापक वे 2000 मिडल स्कूल कैसे चले होंगे? 200 सैकण्डरी विद्यालय 1999-2000 के और 200 ही 2000-2001 के, 400 सैकण्डरी विद्यालय खोले गये। मिडल स्कूल से सैकण्डरी विद्यालय बनता है, वहां पर पाठ्यक्रम बिलकुल चेंज हो जाता है। वहां पर अंग्रेजी अध्यापक की आवश्यकता होती है, बोर्ड की कक्षाएं होती हैं, विज्ञान के अध्यापक की आवश्यकता होती है और गणित के अध्यापक की आवश्यकता होती है, जब तीनों ही अध्यापक सैकण्डरी विद्यालय में नहीं हैं तो वे सैकण्डरी विद्यालय कैसे चले होंगे?

हमने राजीव गांधी विद्यालय खोलकर 1200 रुपये देकर आठवीं और नवीं पास बच्चों को लगा दिया। लेकिन वे विद्यालय जब आपने क्रमोन्नत कर दिये और बोर्ड की कक्षाएं हैं, नवीं और दसवीं की कक्षाओं में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के अध्यापक नहीं हैं, तो उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा? 400 सैकण्डरी विद्यालयों में 1200 अध्यापक चाहिए। उन 1200 अध्यापकों को बजट प्रावधान होने के बावजूद भी अपाइंट नहीं किया गया। हम हमारे बच्चों को जहां सुविधा होती है, पब्लिक स्कूलों के अन्दर भेजते हैं, लेकिन जहां पर आपने सैकण्डरी विद्यालय खोले हैं, वहां किसान के बच्चे का क्या हाल हुआ होगा? वह अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहां गया होगा? गणित पढ़ने के लिए कहां गया होगा? विज्ञान पढ़ने के लिए कहां गया होगा? उसने बोर्ड का इम्तिहान कैसे दिया होगा?

सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों का हाल देखिये, आपने सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले। हमारे जालौर कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर तो यह हाल हुआ है कि जहां पर भी सीनियर सैकण्डरी विद्यालय थे, इन तीन सालों के दरमियान न तो फिजिक्स का लैक्चरर लगा, न कैमिस्ट्री का लगा, न मैथेमेटिक्स का लगा। हायर सैकण्डरी की जितनी भी फैकल्टी थीं, फेल हो गयीं। सारे सैकण्डरी विद्यालय भी जहां साइन्स के विषय थे, वे खतम हो गये अध्यापकों के और लैक्चरर्स के नहीं लगाने से। बच्चों ने जो विषय लिये

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

थे वे सब छोड़-छोड़ कर आर्ट्स में चले गये। आहोर, बागरा, सियाना, रामसिन जहां भी फैकल्टी थी विज्ञान की, वह खतम हो गयी। (व्यवधान) वह तो होनी ही थी। जहां पर लैक्चरर नहीं होंगे, फिजिक्स को कौन पढ़ाएगा, कैमिस्ट्री को कौन पढ़ाएगा, मैथेमेटिक्स कौन पढ़ाएगा? यह हाल है हमारे सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों का। हमने मिडल स्कूल तो क्रमोन्नत कर दिये, बहुत अच्छी बात है। गांवों के विकास के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आवश्यक हैं। लेकिन स्कूलें खोलने के बाद भी हम पोस्टिंग नहीं करेंगे? क्या राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने से सैकण्डरी विद्यालयों में लैक्चरर लग जाएगा? काम हो गया क्या? वरिष्ठ अध्यापक उसमें नहीं लगा। आपने राजीव गांधी विद्यालय खोल दिये, राजीव गांधी विद्यालय खोलने से क्या आठवीं पास बच्चा नवीं और दसवीं को पढ़ाने जाएगा? दुःख की बात तो यह भी है कि गत दो वर्षों के अन्दर पैराटीचर्स को राजीव गांधी विद्यालय के अन्दर लगाया। एक अशिक्षित मजदूर होता है वह भी 60 रुपये लेता है। किसान भाई ने अपने बच्चे को पढ़ाकर एम.ए., बी.एड. कराया, एम.ए. बी.एड. कराने के बाद उसको पैराटीचर्स लगाया और 40 रुपये में वह 20-20 किलोमीटर जा रहा है, 30-30 किलोमीटर पढ़ाने जा रहा है राजीव गांधी विद्यालय के अन्दर। पहले तो फर्स्ट टाइम में आठवीं पास और नौवीं पास ही लगाये थे, दुबारा जब हाई कोर्ट के अन्दर रिट कर दी, उन्होंने यह कह दिया कि अध्यापक की जो योग्यता होनी चाहिए वह होनी चाहिए। एम.ए., बी.एड. पास उस किसान भाई ने कराया। 60-70 हजार लगते हैं तो बी.एड. करते हैं, उसके बाद में एम.ए. किया होगा। उसमें कितना लगा होगा? समान समय, समान योग्यता, एक तो आठ हजार रुपये लेता है, एक 1200 रुपये लेता है। उसको आठ घंटे वहां रहना पड़ता है। 10 से 5 तक वह भी रहता है, 10 से 5 तक वे भी रहते हैं। क्यों जाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे वो? यह हाल है।

एक बात और भी इस शिक्षा के बारे में। शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं, लोक सेवा आयोग के अन्दर सैकण्डरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता नौवीं और दसवीं का पांच साल का अनुभव मांगते हैं, वही इम्तिहान दे सकता है। आठवीं में रहते हुए अध्यापक पांच साल या 10 साल सर्विस करता है, वह हैडमास्टर सैकण्डरी विद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकता है। उसने क्या बिगाड़ा है? मेरा सुझाव है कि आठवीं के अन्दर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें भी उस परीक्षा में बिठाने की अनुमति दी जाए ताकि वे भी सैकण्डरी विद्यालय का प्रधानाध्यापक बन सकें।

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी बात है, 'मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष' के अन्दर गरीब को लाख-डेढ़ लाख का मुआवजा मिलकर वह अपना इलाज करा सकता है। पहली बात तो वह बहुत गरीब होता है। पहले तो वह जनरल अस्पताल के अन्दर आता है, पांच दिन या छह दिन वहां रहता है, 150-200 किलोमीटर दूर के अस्पताल में वह रहता है। अस्पताल में रहने के बाद जब डाक्टर कहता है कि यहां तो इलाज नहीं होगा, आप आगे जाओ तो वह आगे जोधपुर जाएगा। हमारे जालौर से वह सीधा जोधपुर जाएगा और जोधपुर में 5-10 दिन रहेगा, फिर जयपुर जाएगा। वो कहेंगे वहां जाओ तो यह...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गणेशीराम मेघवाल : दो-तीन हजार तो उसका वैसे खर्च होता है। बाद में यह मालूम पड़ता है...

श्री उपाध्यक्ष : पण्डितजी को बुलाना है, वे सुबह से शाम तक बैठे हैं।

श्री गणेशीराम मेघवाल : उसके बाद में यह मालूम पड़ता है कि उसको यह इलाज करना पड़ेगा और लाख-दो लाख रुपया देना पड़ेगा। प्रारम्भिक अवस्था के अन्दर खर्च चलाने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि उसके पहले उसकी व्यवस्था की जाए। वह तो 15-20 दिन के बाद में मालूम पड़ेगा कि उसके यह बीमारी है, उसके लिए गवर्नमेंट उसको सैंक्शन देगी। उसके पहले 15-20 रोज की जो दवाई होती है या उसको रहना पड़ता है उसकी व्यवस्था नहीं होगी तब तक वह छोड़ कर चला जाता है। कई लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं।

समाज कल्याण में जो बजट दिया जाता है, बजट तो सभी छात्रावासों के लिए होता है। हमारे जालौर के अन्दर तो एक ही सुपरिंटेंडेंट तीन-तीन, चार-चार छात्रावासों को सम्भालना है। वहां पर कोई सुपरिंटेंडेंट की व्यवस्था नहीं है। आज तीन साल हुए किसी तरह का कोई सुपरिंटेंडेंट वहां नहीं है। एक सुपरिंटेंडेंट 3-4 को चलाता है।

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो एस.सी. और एस.टी. के होस्टल हैं वहां पर सुपरिंटेंडेंट लगाये जाएं। नहीं तो जो भी सामग्री आती है उसका कोई भरोसा नहीं है कि कौन कितना खाता है, कौन कितना लेता है, कितना निकालता है। कौन खाकर चला जाता है, कोई पता नहीं पड़ रहा है। बिना सुपरिंटेंडेंट के, बिना मास्टर के वहां पर कोई व्यवस्था बच्चों की बराबर नहीं होती है। 1998-99 में जालौर जिले के अन्दर दो छात्रावास हमारी सरकार के द्वारा सैंक्शन हुए थे, एक आहोर के अन्दर एस.सी. का छात्रावास और एक जसवन्तपुरा के अन्दर एस.टी. का छात्रावास। उनके लिए एक-एक लाख रुपया हमारी गवर्नमेंट से स्वीकृत भी हो गया था और एक-एक लाख की सामग्री भी उन दोनों छात्रावासों के लिए आ गयी थी। साल दो साल तो वह सामग्री वैसे ही पड़ी रही, सड़ती रही, खराब होती रही। इस बार हमारी सरकार के अन्दर वन राज्य मंत्री माननीय भगराज जी चौधरी के द्वारा उद्घाटन कराकर उस छात्रावास को तो शुरू कर दिया। लेकिन जसवन्तपुरा का छात्रावास जो एस.टी. का था जहां पर भील भाइयों का बाहुल्य है, वहां पर 60 गांव हैं, एस.टी. के भील भाइयों की बस्ती बहुत अधिक है, वहां का छात्रावास इस साल हमारी सरकार अन्यत्र ले गयी। वहां पर सुंदा पर्वत की तलहटी के अन्दर जो हमारे भील भाई रहते हैं उनके लिए एक ही एस.टी. का छात्रावास था, उसको वहां से हटाकर और जगह कर दिया। वहां एक लाख रुपये की सामग्री लायें थे, वो भी अन्यत्र चली गई। मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है जसवंतपुरा समिति के अन्दर एक भी छात्रावास नहीं है, वहां भील भाइयों का बाहुल्य है, वहां पर एस.टी. का छात्रावास पुनः स्थापित किया जाए ताकि वहां से गरीब लोगों को वहां पर रहकर पढ़ाई करने का मौका मिल सके। आज से 30 वर्ष पहले वहां पर हमारे भील भाई अलग-अलग घूमते थे, कभी चोरी भी करते थे। तो हमारे माननीय भीखा भाईजी जो उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको बढ़ाने के लिए 20-30 रूम बनाकर दिये थे कि आप यहां शांति से रहो, प्रेम से रहो और चोरी मत करो, आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। आज भी 30-40 कमरे वहां बने हुए मौजूद हैं, उसमें वो रहते हैं। लेकिन वहां का छात्रावास हटाकर दूसरी जगह दे दिया, यह बहुत बड़े दुःख की बात है।

इस सरकार के सत्ता में आने पर पटवारी और ग्राम सेवकों की परीक्षा हुई थी। पटवारियों की परीक्षा के बाद पटवारियों का चयन हुआ, 914 या 927 पटवारियों का चयन किया गया। ग्राम सेवकों की परीक्षा हुई, और करीब 1168

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

ग्राम सेवक चयनित किये गये। सत्ता में आने के बाद न तो पटवारी को ट्रेनिंग में भेजा और न ग्राम सेवकों को ग्राम सेवक बनाया। पटवारी हो या ग्राम सेवक हो, उनको 1200 रुपये के अन्दर ग्राम सेवक के रूप में काम करने के लिए लगा दिया। हमारे मुख्य मंत्री ने अभी घोषणा की है कि तीन साल के अन्दर उनको नियमित किया जाएगा। अच्छी बात है कर लें तो। तीन महीने के अन्दर चयनित करने के लिए कह दिया है कि हम उनको वेतन श्रृंखला दे देंगे-ग्राम सेवकों को और पटवारी जिनका उस समय परीक्षा में चयन हुआ था, उनको पटवारी के प्रशिक्षण में भेज देंगे। बहुत अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, दो हजार बच्चे, युवा हैं, जो परीक्षा में पास हो चुके हैं। सरकार के प्रावधान और आदेश से उनका चयन हुआ था।

(19.00 बजे)

आज वे 1200 के अन्दर इधर-उधर घूम रहे हैं, कई घर बैठे हैं। कुछ ने तो ग्राम सेवक के रूप में 1200 रुपये लेना स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो नहीं गये, वे घर बैठे हुए हैं। उनमें जो पटवारी की परीक्षा में पास हुए हैं और घर बैठे हैं, उन्हें पटवारी की ट्रेनिंग में भेजा जाए और ग्राम सेवकों की ट्रेनिंग में जो पास हैं उन्हें नियमित वेतन श्रृंखला देकर रैगुलराइज किया जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पण्डित जी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): मैं बोलूं?

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए ही टाइम बढ़ाया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शान्तम् सुशान्तम् शततम नमामिः। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2002-2003 का आय-व्ययक पत्रक इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में चर्चाएं इस सदन में चालू हैं, उन चर्चाओं में मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। "सत्यम् वद और धर्मम् चर" यह शास्त्र-विधि सम्मत बात है। आज हम जिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं और जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें यह बात आ गयी कि सत्यम् ब्रुयात् प्रियम ब्रुयात् और आगे लिख दिया "असत्यम् अप्रियम् ब्रुयः," सत्य तो बोलो लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। मैं दोनों को साथ लेकर समन्वय की दृष्टि से अपने विचार यहां प्रकट करूंगा। मैं श्री राजस्थान ऋषिकुल आश्रम, रतनगढ़ का स्नातक हूं इसलिए मैं क्या कहूंगा, यह आप समझ गये होंगे।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

गत वर्ष राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और इस वर्ष आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित होने के प्रस्ताव हैं। ये दोनों ही विभाग महिला मंत्रियों के पास हैं। इन दोनों ने ही अथक परिश्रम करके अपने विभाग में प्रगति की है और राजस्थान को एक बहुत बड़ी देन दी है। दोनों ही महिलाओं को मेरी शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। लेकिन, माननीय वित्त मंत्रीजी, दोनों ही विभागों में कोई भी संस्कृत की स्कूल जिसमें प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री और, आयुर्वेद मंत्राणीजी, आपके विभाग में भी कोई औषधालय स्थापित करने का इस बजट में कहीं भी प्रावधान नहीं है, यह आय-व्ययक पत्रक दोनों के लिए सर्वथा मौन है। मेरे जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति के लिए, वित्त मंत्रीजी, यह चिन्ता का विषय है। आपके पास पैसा हो तो जैसे सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के लिए आपने पैसा दिया है, वो तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करेंगे और मैं जिनके लिए पैसा मांग रहा हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सैल फोन लेकर हाउस में आ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी किसी की जेब में होगा। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं जिन संस्कृत और आयुर्वेद के विषय में निवेदन कर रहा हूं, वह प्राचीन भारतीय सभ्यता का द्योतक है। बिना संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता को नहीं जान सकता। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसको कोई भी दवाई फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती। जिसको आप अंग्रेजी में रिएक्शन कहते हैं, आयुर्वेद पद्धति से बनाई हुई औषधि वह रिएक्शन कभी नहीं करेगी। (व्यवधान) भाई, च्यवनप्राश की आपको जरूरत थोड़े ही है, च्यवनप्राश की तो मेरे जैसे लोगों को जरूरत है। लेकिन च्यवनप्राश वे लोग न खाएं जिनके डायबिटीज है, जिनके मधुमेह की शिकायत है। वे मुफ्त का च्यवनप्राश यहां से ले जाकर कभी न खाएं, वह नुकसानदेह है क्योंकि उसमें चीनी है। च्यवनप्राश आजकल दो तरह के बनने लगे गये, मूल में च्यवनप्राश है उसमें आंवले का समाविष्ट है, आंवला प्रमुख है। और आजकल जो बाजार में बिक रहे हैं वे शक्करकन्दी के बन रहे हैं। तो आपने विश्वविद्यालय के लिए तो मंजूरी ले ली, इन्दिरा जी मायाराम, और आपने राजस्थान में एक अपना इतिहास भी बना लिया। आयुर्वेद पद्धति से आजीविका चलाने वाले लोग आपकी सर्वत्र प्रशंसा कर रहे हैं, यह आपकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। अब जो कुछ आपने आय-व्ययक पत्रक के

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

अन्दर लिख दिया है उसको मैं नहीं गिनाऊंगा क्योंकि माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये, बजट पर पौन घंटा बोल भी गये और फिर यह कहते हैं कि मैं इसको बजट मानता ही नहीं। बजट नहीं मानते हो तो हमारा समय बरबाद क्यों किया? इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, सत्यम् वद्। यह सत्य नहीं है जो उन्होंने कहा, वह सर्वक्षा असत्य है। उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति आय-व्ययक पत्रक जिसको आप बजट कहते हैं, उसी पर प्रकट की थी और सारी अभिव्यक्ति को उन्होंने अपने ही कथन से असत्य साबित कर दिया। वित्त मंत्रीजी, आप तो विशेष रूप से उन पर मेहरबान हैं। विशेष रूप से मेहरबान हैं आप। मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आपके आय-व्ययक पत्रक में है कि उनकी कांस्टीट्यूएंसी को आपने दो करोड़ और दस या पन्द्रह लाख रुपये दिये हैं पोलीटैक्निक के लिए। इतना ही नहीं, बिसाऊ से चूरू की जो पेयजल योजना है उसमें भी आपने करोड़ों रुपये दिये हैं। मेरा विरोध नहीं है। मैं इस बात का आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन अड़ावा में बरसग्या। अड़ावा में क्यों बरस्या? आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी।

श्री रामस्वरूप : अड़ावा का अर्थ समझाओ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अड़ावा का मतलब ये समझे नहीं। अड़ावा का मतलब ऊसर भूमि है, उसमें कितना भी पानी पड़े कुछ पैदा नहीं होता। यही कृपा यदि आपने मेरे पर की होती तो मैं जिन्दगी भर आपके ढोल पीटता। लेकिन फिर भी आपका कुलमिलाकर यह बजट, लोगों में इसके प्रति कोई हा-हाकार नहीं है। मैं वास्तविक विवेचन आपके सामने कर रहा हूं। जैसे पिछली बार बजट आया था, आपको बहुत कम समय मिला, उस वक्त में आप उसको पूरा देख भी नहीं सके और आपको वह पेश करना पड़ा। यह आपका तीसरा बजट है। चौथा भी आप ही पेश करोगे। इसमें मेरी भावना जो निहित है उसको समझ लीजिये। मैं आपसे कोई रियायत नहीं मागूंगा, मैं रियायत नहीं मागूंगा, मैं भिक्षा उसी से मागूंगा जिस घर से मुझे भिक्षा मिलने की आशा हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भिक्षा का प्रश्न नहीं है। आप सम्मानीय सदस्य हैं, आपके आग्रह और आदेश के ऊपर मैं निश्चित रूप से अगले साल विचार करूंगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं संतुष्ट हूं। मेरे कोई लालसा नहीं है, न मेरी कोई इच्छा है। मैं यह चाहता हूं कि अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में जो आपकी टीम है, अच्छा काम करे, जनहित के काम करे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। यही मेरी इच्छा है और

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि राज स्थिर नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है। क्यों कि यह संसार ही परिवर्तनशील है। इन तीन सालों में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वह यह कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले असाध्य रोग के परिवार को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की भावना मुख्य मंत्रीजी के अंतरस्थल में आई, उससे मुझे मालूम हुआ कि यह व्यक्ति कुछ करना चाहता है। वह बैठा हुआ, सोता हुआ, खाता हुआ, बोलता हुआ, श्वास लेता हुआ, हर वक्त उसके दिमाग में यह है कि मैं राजस्थान को अग्रणी प्रान्तों में स्थापित करूं। वह इस तत्व को जानने वाला एक योगी है। इस सम्बन्ध में श्लोक तो एक याद है-

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्
पश्यन्शृण्वन्स्पृशंजिघ्रन्न श्रनाच्छन्स्वपंश्वसन
प्रलपन्विसृजन्गृहणन्नुन्मिषन्नि मिषन्नपि
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, गत तीन वर्षों से लगातार अकाल पड़ा और इस मुख्य मंत्री ने अकाल को विकास में बदला है। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री परम् आदरणीय वाजपेयी साहब ने अकाल के कार्यों की प्रशंसा की और उसके साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है उसके लिए भारत सरकार ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को दिल्ली में सम्मानित किया। जैसे चूरू से पधारने वाले मेरे परम स्नेही सदस्य हर कागज को उठाकर इधर रखते हैं तो कहते हैं, मेरे यह समझ में नहीं आती। फिर कहते हैं कि इससे क्या होगा, मेरे समझ में नहीं आती। कोई भी बात समझ में आने के लिए सत्य चिन्तन करना जरूरी है। मैं यह बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार जिसके प्रधानमंत्री मेरे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की ही पार्टी के हैं, वह तो राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत को धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्रीजी, हमारे शिक्षा मंत्रीजी को सम्मानित करते हैं और यह यहां बजट को बजट ही नहीं मानते। अब वित्त मंत्रीजी पधार गये तो उनकी जगह कोई भी तीन-चार...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (आयुर्वेद राज्य मंत्री) : मैं लिख रही हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अच्छा, आप लिख रही हैं क्या? तो अब आप लिखिये कि मेरे क्षेत्र का तीन-चौथाई भाग खारे पानी से ग्रसित है। लगातार अकाल पड़ने के कारण पानी का स्तर नीचे चला गया और कतिपय गांवों के कुओं में तो पानी सर्वथा समाप्त ही हो गया है, सूख गया है। बार-बार बोरिंग करवाते हैं, पैसा लगता है, पानी निकलता नहीं। वित्त

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

मंत्रीजी, बिसाऊ से चूरू तो आप पानी ला रहे हो, तो रतनगढ़-सुजानगढ़ के खारे इलाके को भी आप इन्दिरा गांधी नहर से पानी पिलाओ तो लोग आपको याद रखेंगे। पानी तो वहां आएगा क्योंकि आपकी जमीन का पानी जब समाप्त हो रहा है, भू-जल समाप्त हो रहा है तो अन्ततोगत्वा आपको मीठा पानी इन्दिरा गांधी नहर से लाना पड़ेगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि उस अमृत को मैं भी पीऊं। इस शब्द के कहने के गर्भ में क्या है कि आप देरी मत करना लाने में। कृपा करके जो आपने राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत रुपया दिया है, उसमें से इसको आप जोड़े।

एक इस बजट में आपने कई धर्म स्थानों के लिए लिखा है पर्यटन के दृष्टिकोण से। मैंने सारा बजट पढ़ा तो उस पर्यटन के आपके बिन्दु में सालासर धाम का नाम ही नहीं आया। सालासर धाम में तो प्रति दिन हजारों आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मेरी समझ में भूल से रह गया है, इसमें आपकी कोई बदनीयती नहीं है। वित्त मंत्रीजी, आपकी कोई बदनीयती नहीं है, वह भूल से रह गया है। लाखों लोग आसाम, बंगाल महाराष्ट्र से और गंगानगर, हिसार, सबसे ज्यादा लोग वहां आते हैं। चैत्र में जब मेला लगता है पूर्णिमा को तो लाखों लोग आते हैं। कम से कम 60-70 तो वहां आलीशान धर्मशालाएं हैं। उस सालासर धाम को आप कैसे भूल गये, वह तो आप जाने। भूल सुधार अब भी हो सकती है, करना चाहे तो कर लीजिए। हालांकि मेरे क्षेत्र का नहीं है वह।

सुजानगढ़ क्षेत्र में एक छापर कस्बा है जहां काले हिरण हैं। हिन्दुस्तान ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी काले हिरणों की वह सैंक्चुरी है, अभ्यारण्य है। वह वहां है तो उसको सड़क से जोड़ना जरूरी है। आप रतनगढ़ से सरदारशहर और सरदारशहर से रावतसर-हनुमानगढ़ जा रहे हैं सड़क का नवीनीकरण करने के लिए, उस सड़क का नाम हनुमानगढ़-छापर रखना चाहिए। इन लोगों ने छापर-हनुमानगढ़ रोड ही उसका नाम दिया था, इन्होंने दे दिया तो यह जरूरी थोड़े ही है कि अच्छा काम भी हम बदल दें। आपके पर्यटन स्थल में छापर नहीं होने पर भी बहुत लोग जाते हैं हिरण देखने के लिए और जब आपके नक्शे में आएगा तो लोग और भी ज्यादा आएंगे। मैं एक बात जो महत्वपूर्ण है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पण्डितजी, तीन मिनट और हैं। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : एक बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अच्छा

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान सरकार सम्मानित कर रही है। करना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भ्रष्ट हैं उनको दण्डित भी किया जाना चाहिए। एक काम अच्छा करें तो दूसरा और भी करो। मैंने तो अभी लोगों से लिये हुए रुपये अधिकारियों से वापस दिलाये हैं इसलिए यह मत कहना कि सबूत पेश करो। सबूत पेश कर दिया, रुपये वापस दे दिये, मिल गये। इस भ्रष्टाचार से लड़ो, बहुत जरूरी है। आपकी बहुत सारी योजनाएं जो फेल होती हैं, उसका एक मात्र कारण यही है कि क्रियान्विति में सक्रियता नहीं है, सजगता नहीं है। इसलिए कार्य में क्रियान्विति के अन्दर सजगता होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए और जो उसमें गड़बड़ करते हैं, उसको दण्डित किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज यह पहला अवसर है कि आपने कृपा करके यह समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.29 बजे, गुरुवार; दिनांक 4 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था

218. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा के किस–किस गांव व ढाणियों में पेयजल की समस्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों व ढाणियों में हैण्ड पम्प व नये कुएं खदवाकर पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पुरानी बावड़ियों व पुराने कुओं को खुदवाकर पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) उक्त जिले में कुल कितने हैण्ड पम्प अब तक खोदे गये हैं? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि खोदे गये हैण्ड पम्प में से आधे से अधिक बन्द हैं? यदि हां, तो कितने? पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार बंद हैण्ड पम्प के बजाय दूसरे नये हैण्ड पम्प खोदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 1991 की जनगणना के अनुसार 1431 आबाद ग्राम हैं। ये सभी ग्राम विभिन्न प्रकार की पेयजल योजना से लाभान्वित हैं। योजनाओं का प्रकार निम्नानुसार है :–

पाइप्ड योजना	22 ग्राम
पम्प व टैंक योजना (ज.ज.यो.)	19 ग्राम
क्षेत्रीय योजना	35 ग्राम
हैण्ड पम्प योजना	1320 ग्राम
टी.एस.एस.	35 ग्राम
योग	**1431 ग्राम**

योजनाओं का प्राथमिक सर्वेक्षण कर सम्भावित समस्या का आकलन कर 1193 नये हैण्ड पम्पों की स्वीकृति सम्भावित समस्या के ग्रामों/ढाणियों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जारी की गई। सन्दर्भित गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार 1193 नए हैण्ड पम्पों की स्वीकृति जारी की गई। उपरोक्त में से 840 हैण्ड पम्प खुदवाकर चालू कर दिए गए हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। योजनाओं पर पेयजल की आवश्यकता, वर्तमान स्थिति, बनाये जा रहे नये हैण्ड पम्प, गांवों की जनसंख्या तथा विभागीय नीति के अनुसार नये कुएं बनाये जाते हैं।

(3) राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत पारम्परिक स्रोतों के पुनःरूद्धार का कार्य डी.आर.डी.ए. के मार्फत ग्राम पंचायतों से करवाया जा रहा है। कुल 335 स्रोतों की 91.17 लाख रुपये की स्वीकृति के सन्दर्भ में 285 स्रोत पर कार्य प्रारम्भ करवाकर 203 स्रोतों का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। इस कार्यक्रम पर रुपये 40.75 लाख खर्च हो चुका है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष कार्य प्रगति पर है।

(4) बांसवाड़ा जिले में अब तक कुल स्थापित 10282 हैण्ड पम्प हैं। जिनका पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

(5) जी नहीं। बांसवाड़ा जिले में अब तक कुल स्थापित 10282 हैण्ड पम्पों में से 254 हैण्ड पम्प नकारा हैं। जिनके स्थान पर 254 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जा चुके हैं एवं इनके विरुद्ध 168 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं तथा शेष का कार्य प्रगति पर है। 1 मार्च, 2002 से 28वां हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 22.3.2002 तक 277 हैण्ड पम्प खराब पाये गये हैं जिनमें से 233 ठीक किये जा चुके हैं। इस अभियान के दौरान सभी मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को ठीक करना एक सतत् प्रक्रिया है, खराब हैण्ड पम्पों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(6) बांसवाड़ा जिले में 254 बन्द हैण्ड पम्पों के स्थान पर 168 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं शेष का कार्य प्रगति पर है। ग्रीष्म 2002 में शेष कार्य पूरा करवाना प्रस्तावित है। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर अस्थाई चिकित्सकों की नियुक्ति

219. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पशु चिकित्सालयों एवं डेयरियों में कितने डाक्टरों के पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों पर सरकार ने अस्थाई तौर पर दैनिक वेतन आधार पर डाक्टरों की नियुक्ति कर

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

रखी है? यदि हां, तो कितने डाक्टरों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त अस्थाई डाक्टरों को हटाने का निर्णय ले चुकी हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग में 424 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 130 वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। डेयरी फैडरेशन एवं सम्बन्धित जिला दुग्ध संघों में पशुचिकित्सों का कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण हेतु सिंचाई सुविधा

220. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का वाटर एलाउंस 5.23 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ से कम कर 3.5 क्यूसेक्स करने का निर्णय सरकार ने लिया है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार अपने निर्णय का क्रियान्वयन नहीं कर सकी है?

(3) क्या उक्त निर्णय की क्रियान्विति न करने के कारण द्वितीय चरण क्षेत्र जिला जैसलमेर के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल रही है?

(4) क्या यह सही है कि सिंचाई सुविधा न मिलने से उपनिवेशन विभाग कृषि भूमि आबंटन नहीं कर पायी जिससे राजकीय आय में कमी आयी है?

(5) क्या सरकार अब अपने उक्त निर्णय की क्रियान्विति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आंशिक रूप से सही है। इन्दिरा गांधी नहर की प्रथम चरण के प्रथम फेज (आर.डी. 0 से 243) में वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ से कम कर 3.50 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ किया गया। इन्दिरा गांधी नहर के स्टेज प्रथम फेज द्वितीय (आर.डी. 243 से 620) में वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक प्रति हजार

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

एकड़ से कम कर 3.00 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ किया गया।

(2) जी नहीं। निर्णय के क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के समस्त नहरों को आयुक्त क्षेत्रीय विकास इंगानप, बीकानेर की अध्यक्षता में बनी जल वितरण एवं जल प्रबन्ध समिति द्वारा उपलब्ध जल एक चक्रीय प्रणाली द्वारा वितरण किया जा रहा है। जैसलमेर जिले के काश्तकारों को भी सिंचाई सुविधा मिल रही है।

(4) जी नहीं। सिंचाई सुविधा योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में उपलब्ध करवाई जा रही है। काश्तकारों द्वारा भूमि आबंटन कराने में रूचि नहीं लेने के कारण लक्ष्य अनुसार भूमि आबंटन नहीं हो पाया है।

(5) इस निर्णय की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जिला नागौर में प्रस्तावित आयुर्वेदिक औषधालय

221. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय/उप केन्द्र कार्यरत हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में वर्ष 2002-2003 के दौरान कितने नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में गत वर्ष 2001-2002 के दौरान कोई भी आयुर्वेदिक औषधालय नया नहीं खोला गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में कुल 154 विभागीय आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं, इनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है। जिले में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का कोई उप केन्द्र कार्यरत नहीं है।

(2) वर्ष 2002-2003 में नागौर जिले में कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के विभागीय बजट में नवीन औषधालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं था।

परिशिष्ट "क"

जिला नागौर में संचालित आयुर्वेद औषधालय एवं चिकित्सालयों की सूची
(दिनांक 1.3.2002 की स्थिति)

क्र. सं.	स्थान औषधालय/चिकित्सालय	नगरपालिका/पंचायत समिति
1	2	3
चिकित्सालय (शैय्यावाले)		
1.	लाडनूं	लाडनूं
2.	मेड़तासिटी	मेड़ता
3.	कुचामनसिटी	कुचामन
4.	नागौर	नागौर
5.	लादड़िया	डीडवाना
6.	सांजू	डेगाना
औषधालय		
1.	नावां	नावां
2.	मकराना	मकराना
3.	परबतसर	परबतसर
4.	मींडासरी	लाडनूं
5.	निम्बीजोधा	लाडनूं
6.	ओडिट	लाडनूं
7.	रायधना	लाडनूं
8.	रोडू	लाडनूं
9.	सिलनवाद	लाडनूं
10.	कुसुम्बी	लाडनूं
11.	आजवा	डीडवाना
12.	चौलूखां	डीडवाना
13.	दयालपुरा	डीडवाना

1	2	3
14.	पालोट	डीडवाना
15.	छोटीबेरी	डीडवाना
16.	भदलिया	डीडवाना
17.	डाबडा	डीडवाना
18.	दौलतपुरा	डीडवाना
19.	केराप	डीडवाना
20.	कयामसर	डीडवाना
21.	खरेश	डीडवाना
22.	छोटीखाटू	डीडवाना
23.	खुनखुना	डीडवाना
24.	कोलिया	डीडवाना
25.	मोलासर	डीडवाना
26.	बेडवा	डीडवाना
27.	निम्बोद	डीडवाना
28.	पायली	डीडवाना
29.	तोसीणा	डीडवाना
30.	बोडवा	जायल
31.	डेह	जायल
32.	गोराऊ	जायल
33.	गोठमांगलोद	जायल
34.	जायल	जायल
35.	खिंयाला	जायल
36.	रोहिणा	जायल
37.	रोल	जायल
38.	रोटू	जायल
39.	सोमणा (सोगडा)	जायल
40.	सुरपालिया	जायल
41.	तरनाऊ	जायल

1	2	3
42.	छीलो	नागौर
43.	भुन्डेल	नागौर
44.	अलाय	नागौर
45.	देऊ	नागौर
46.	करणू	नागौर
47.	मकोड़ी	नागौर
48.	श्रीबालाजी	नागौर
49.	टांकला	नागौर
50.	चूंटीसरा	नागौर
51.	बरणगांव	नागौर
52.	जोधियासी	नागौर
53.	साडोकण	नागौर
54.	बलाया	मूण्डवा
55.	भदौरा	मूण्डवा
56.	खजवाना	मूण्डवा
57.	संखवास	मूण्डवा
58.	रूण	मूण्डवा
59.	फिडोद	मूण्डवा
60.	चावण्डिया	मूण्डवा
61.	पांचला सिद्धा, विश्नोईयों की ढाणी	मूण्डवा
62.	खींवसर	मूण्डवा
63.	नाखा खुर्द	मूण्डवा
64.	पांचला सिद्धा	मूण्डवा
65.	आंकला	मूण्डवा
66.	डांगावास	मेड़ता
67.	गगराना	मेड़ता
68.	लाम्बा जाटान	मेड़ता

1	2	3
69.	पून्दलू	मेड़ता
70.	रेण	मेड़ता
71.	ढाबा	मेड़ता
72.	मेड़ता रोड	मेड़ता
73.	हरसोलाव	मेड़ता
74.	नोखा चान्दावता	मेड़ता
75.	ओलादान	मेड़ता
76.	सिहू	मेड़ता
77.	डेगाना ग्राम	डेगाना
78.	हरसोर	डेगाना
79.	जाखेड़ा	डेगाना
80.	जालसू खुर्द	डेगाना
81.	चम्पा खेड़ी	डेगाना
82.	किरोदा	डेगाना
83.	निम्बडी कलां	डेगाना
84.	पालडी कलां	डेगाना
85.	डेगाना जंक्शन	डेगाना
86.	राजलौता	डेगाना
87.	बग्गड़	रियां
88.	बडायली	रियां
89.	दासावास	रियां
90.	जसनगर	रियां
91.	मोरेरा	रियां
92.	रियां बड़ी	रियां

1	2	3
93.	रोहिसा	रियां
94.	अलनियावास	रियां
95.	भैरून्दा	रियां
96.	डोडियाना	रियां
97.	सथानाकलां	रियां
98.	टेहला	रियां
99.	थांवला	रियां
100.	अलतवा	मकराना
101.	भैयाकलां	मकराना
102.	मोरेड	मकराना
103.	बरवाला	मकराना
104.	आसरवा	मकराना
105.	बोरावड़	मकराना
106.	बुडसू	मकराना
107.	बांडी	मकराना
108.	धानणवा	मकराना
109.	मनाणा	मकराना
110.	रामसिया	मकराना
111.	सबलपुर	मकराना
112.	बागोट	परबतसर
113.	बवाल	परबतसर
114.	बस्सी	परबतसर
115.	बीठवालिया	परबतसर
116.	बिदियाद	परबतसर

1	2	3
117.	चारणवास	परबतसर
118.	हरनावा	परबतसर
119.	जावला	परबतसर
120.	खिरंदपुरा	परबतसर
121.	कुराड़ा	परबतसर
122.	मंगलाना	परबतसर
123.	नेणिया	परबतसर
124.	पीलवा	परबतसर
125.	पीपलाद	परबतसर
126.	रिड	परबतसर
127.	रोहिण्ड़ी	परबतसर
128.	अडकसर	कुचामन
129.	चितावा	कुचामन
130.	चौसला	कुचामन
131.	दैपुर	कुचामन
132.	घाटवा	कुचामन
133.	जीजोट	कुचामन
134.	खारड़िया	कुचामन
135.	लालास	कुचामन
136.	लिचाणा	कुचामन
137.	लूणवा	कुचामन
138.	मारोठ	कुचामन
139.	मीण्डा	कुचामन
140.	नागवाड़ा	कुचामन

1	2	3
141.	पांचोता	कुचामन
142.	शिव	कुचामन
143.	श्यामगढ़	कुचामन
144.	हुडील	कुचामन
145.	शिवदानपुरा	कुचामन
146.	जिलिया	कुचामन
147.	रूपपुरा टोरडा	कुचामन
148.	तंवरा	लाडनूं

तहसील टोडाभीम (करौली) का भवन निर्माण

222. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या टोडाभीम का तहसील भवन बना हुआ है? यदि हां, तो कब बना तथा उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भवन जर्जर हो चुका है? क्या उक्त भवन के गिरने की घटना हो चुकी है? यदि हां, तो उसकी मरम्मत के लिए कितनी राशि व्यय की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भवन के गिरने की सम्भावना को देखते हुये नवीन भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील टोडाभीम का तहसील भवन बना हुआ है, यह भवन प्राचीन है तथा जीर्ण अवस्था में है। इसको बनाने में खर्च राशि का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। उक्त भवन बिलकुल जर्जर हो चुका है, वर्ष 1972 में भवन का एक हिस्सा गिर चुका है। जिसकी मरम्मत पर वर्ष 1979-80 में 19,190.66 रुपये व्यय किये जाकर नवीन कमरा निर्माण कराया गया। वर्ष 1986 से 2000 तक भवन मरम्मत पर 85,000/- रुपये खर्च किये गये।

(3) चालू वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 में तहसील भवनों के निर्माण हेतु आयोजना मद में कोई राशि स्वीकृत नहीं होने से तहसील भवन बनाया जाना सम्भव नहीं है।

बाल श्रमिकों से कार्य लेने वालों से जुर्माना वसूली

223. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में खतरनाक व जोखिम के कार्यों में कार्यरत बाल श्रमिकों का सर्वे किया है? यदि हां, तो राज्य के किस जिले में कितने-कितने बाल श्रमिक वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक पाये गये?

(2) क्या यह सही है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेना प्रतिबंधित है? यदि हां, तो राज्य में खतरनाक व जोखिम भरे कार्यों पर लगे बाल श्रमिकों को कितनी एवं किस तरह की राहत दिलवाई गई?

(3) क्या बाल श्रमिकों को काम पर रखने वाली संस्थाओं से जुर्माना वसूल किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक कितनी राशि जुर्माना स्वरूप वसूल की गई?

(4) क्या यह सही है कि जुर्माना जमा कराने के बाद भी बाल श्रमिक जोखिम भरे कार्यों में वापस लगाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो संस्थानों से वसूले गये जुर्मानों के बाद लगाये गये श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001-2002 में जनवरी, 2002 से सर्वेक्षण आरम्भ किया गया, जिसकी जिलेवार सूचना निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	चिन्हित बाल श्रमिक
1.	अजमेर	10
2.	अलवर	15
3.	बारां	6
4.	बाड़मेर	17
5.	भीलवाड़ा	7
6.	बून्दी	5
7.	चित्तौड़गढ़	5
8.	डूंगरपुर	4
9.	हनुमानगढ़	7
10.	जयपुर	14
11.	जालौर	1
12.	जोधपुर	5
13.	कोटा	15
14.	पाली	3
15.	राजसमन्द	7
16.	सवाईमाधोपुर	5
17.	सिरोही	1
18.	टोंक	32
	कुल	159

(2) जोखिमपूर्ण कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से काम लेना प्रतिबन्धित है। वर्ष 1997 के बाल श्रमिक

(श्रम मंत्री)

सर्वे में चिन्हित बाल श्रमिकों में से 2070 बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ा गया। जनवरी, 2002 से आरम्भ सर्वे में चिन्हित बाल श्रमिकों को भी शिक्षा से जोड़ा गया।

(3) जी हां। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के विपरीत बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने का प्रावधान है, न्यायालय ही दण्डित करते हैं एवं जुर्माना वसूल करते हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	जुर्माना राशि रुपये में
1998-1999	83850.00
1999-2000	55625.00
2000-2001	37532.00
2001-2002 (फरवरी तक)	53450.00
योग	**230457.00**

(4) जी नहीं। ऐसे कोई मामले नहीं पाये गये हैं।

आबकारी नीति में परिवर्तन

224. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 की अवधि में शराब बिक्री से कितनी आय का अनुमान बजट प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया गया था तथा फरवरी, 2002 तक कितनी आय प्राप्त हुई?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा अनेक स्थानों के ठेके नहीं लेने तथा ठेके खाली रहने के कारण कम आय प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करने का विचार रखती है।

(3) क्या सरकार बजट प्रावधान 2002-2003 में आबकारी नीति में परिवर्तन कर समय पर ठेके आबंटित हो जाएं इसके लिए समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) बजट प्रावधान के अनुसार वर्ष 2000-2001 में शराब बिक्री से 1002.42 करोड़ रुपये की आय का प्रावधान व वर्ष 2001-2002 के लिए 932.35 करोड़ रुपये की आय का संशोधित बजट प्रावधान किया गया है। माह फरवरी, 2002 तक विभाग द्वारा 834.92 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2001-2002 के लिए मदिरा समूहों के सभी ठेके 31.3.2001 से पूर्व ही उठ गये थे।

(3) जी हां। दिनांक 31.3.2002 तक सभी 29 मदिरा समूहों तथा सभी 39 भांग डोडा पोस्त समूहों का बंदोबस्त पूर्ण हो चुका है।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांच

225. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में कितने अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं एवं शिकायतों के आधार पर जांच करवाई गई? दोषी अधिकारी का नाम, जांचकर्ता अधिकारी का नाम व जांच परिणाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में 1 जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध नियम 16 सी.सी.ए., 6 जिला रसद अधिकारियों के विरुद्ध नियम 17 सी.सी.ए. में अनियमितताओं एवं शिकायतों के आधार पर जांच की गई तथा 1 जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध भ्र.नि. ब्यूरो द्वारा ट्रेप प्रकरण में जांच की गई। वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग 1 की सूची में कालम संख्या 5 में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	जांचकर्ता अधिकारी/ स्पष्टीकरण प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम	परिणाम जो रहे
1	2	3	4	5
सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत				
1.	श्री ललित कुमार जैन जिला रसद अधिकारी	जिला रसद अधिकारी, दौसा के पद पर रहते हुए उचित मूल्य की नवीन दुकानों के आबंटन में गम्भीर अनियमितताएं/नोटिस जारी दिनांक 28.6.2000	प्रकरण कार्मिक विभाग में चल रहा है।	
सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत				
1.	श्री मदनलाल शर्मा, जिला रसद अधिकारी	श्री शर्मा को सरपंच, नयावास, पंचायत समिति, बानसूर जिला अलवर की दी गई जांच लगभग 7–8 माह बाद तक नहीं कर स्थानान्तरण होने पर समस्त पत्रादि बिना जांच के लौटा कर उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की।	अतिरिक्त आयुक्त एवं पदेन शासन उप सचिव	विभागीय आदेश दि. 16.5.2000 से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

1	2	3	4	5
2.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, जिला रसद अधिकारी	बिना अवकाश स्वीकृत कराये कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण।	अतिरिक्त आयुक्त एवं पदेन शासन उप सचिव	विभागीय आदेश दि. 22.2.2000 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।
3.	श्री घनश्याम पारीक, जिला रसद अधिकारी	माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.12.2001 को व्यक्तिशः दिये गये निर्देश की पालना में केरोसीन का रोस्टर नहीं भिजवाने बाबत।	,, ,,	जिला कलक्टर पाली को केरोसीन शाखा द्वारा अ.शा. पत्र भेजा गया।
4.	श्री घनश्याम पारीक, जिला रसद अधिकारी	मै. सारस्वत ट्रेडिंग कं. डूंगरगढ़ को निविदाओं में मिलीभगत कर खाद्यान्न का थोक विक्रेता नियुक्त करने बाबत।	,, ,,	
5.	श्री नवनीत कृष्ण पुरोहित, जिला रसद अधिकारी	मै. सारस्वत ट्रेडिंग कं. को उपभोक्ता संघ की भारी राशि बकाया होने के बावजूद भी फर्म को गेहूं के थोक व्यापारी के रूप में अधिकृत करने बाबत।	,, ,,	
6.	श्री ओंकार सिंह कविया जिला रसद अधिकारी	अन्नपूर्णा अन्न योजना के अन्तर्गत माह 4/2000 से 9/2000 तक आबंटित राशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने बाबत।	,, ,,	लिखित अ- आवेदन अप्राप्त है।

1	2	3	4	5
7.	श्री घनश्याम उपाध्याय जिला रसद अधिकारी	मै. कनेश कुमार पुत्र छोगालाल निवासी दानपुर, जिला बांसवाड़ा के जब्त माल की मूल राशि का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण 119190/– ब्याज राशि का भुगतान करना पड़ा।	,, ,,	रिकार्ड देखने की स्वीकृति चाही गई।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ट्रेप				
1.	श्री घनश्याम सिंह राजोरिया जिला रसद अधिकारी	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा द्वारा दो हजार रुपये रिश्वत लेने के कारण ट्रेप किया गया।	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर द्वारा अंतिम प्रतिवेदन (जब्त सबूत में) निर्णय पाये जाने के फलस्वरूप निलम्बन से बहाल किया गया।

जिला भरतपुर की अपूर्ण पेयजल योजनाएं

226. मोहम्मद माहिद आजाद (नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में स्वीकृत विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य चल रहा है? यदि हां, तो किन-किन पर और इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(2) क्या भटपुरा व मूण्डिया पेयजल योजनाएं कार्य सम्पूर्ण अवधि की सीमा पार कर चुकने के बाद भी अपूर्ण हैं? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है? अब उक्त योजनाओं को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(3) चालू वित्तीय वर्ष में भरतपुर में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगाये गये और कितने उच्च जलाशय कहां-कहां बनाये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आगामी वित्तीय वर्ष में भरतपुर में पेयजल की कौन-कौनसी योजनाएं कहां-कहां प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) कस्बा नगर, सीकरी, गोपालगढ़ व पहाड़ी में वर्तमान में किस-किस स्रोत से प्रति व्यक्ति कितना जल सप्लाई किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला भरतपुर में स्वीकृत 65 जलप्रदाय योजनाओं का विवरण (स्वीकृत राशि 17222.73 लाख रुपये) जिन पर कार्य चल रहा है, मय पूर्ण किये जाने का समय परिशिष्ट 'अ' के अनुसार संलग्न है। इन योजनाओं में एक दूरगामी योजना चम्बल धौलपुर, भरतपुर है जिसकी स्वीकृत लागत 16650.00 लाख रुपये है। शेष 64 योजनाएं जिनकी लागत 572.73 लाख रुपये है पर भी कार्य प्रगति में है।

(2) जी नहीं। भट्टपुरा योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इसके अन्तर्गत पेयजल वितरण किया जा रहा है। मूण्डिया योजना के लगभग सभी कार्य पूर्ण है केवल मात्र रेलवे क्रासिंग पर पाइप लाइन डालने का कार्य शेष है जिनकी अनुमति रेलवे विभाग से प्राप्त होने पर पूर्ण किया जा सकेगा। रेलवे विभाग द्वारा अनुमति जारी किया जाना सतत् प्रक्रिया में है। मण्डल रेल प्रबन्धक जयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृति प्रस्ताव महाप्रबन्धक पश्चिमी रेलवे सुरक्षा आयुक्त पश्चिम परिमण्डल चर्च गेट मुम्बई को 8 फरवरी, 2002 को भेज दिया गया है। दिनांक 1.4.2002 को प्राप्त फैक्स मैसेज के अनुसार कार्य अब स्वीकृत हो गया है। कार्य हेतु डिमाण्ड नोट के 90,000 रुपये शीघ्र जमा कर ग्रीष्म, 2002 में योजना चालू कर लाभ देना लक्षित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जिला भरतपुर में चालू वित्तीय वर्ष में कुल 319 हैण्ड पम्पों का एवं 2 उच्च जलाशयों का निर्माण कराया गया है जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार संलग्न है।

(4) जिला भरतपुर में आगामी वित्तीय वर्ष में 12 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट 'स' के अनुसार संलग्न है।

(5) कस्बा नगर, सीकरी, गोपालगढ़ व पहाड़ी में विभिन्न जल स्रोतों से प्रति व्यक्ति वितरण किये जा रहे जल का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) के ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध डेयरियां

227. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में शासन सचिव पशुपालन एवं डेयरी ने ग्राम पंचायत मुख्यालय चित्ताड़, खोडिया तथा कोट किराणा में अधिकारियों को निर्देशित किया कि रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र की उक्त ग्राम पंचायतों के अलावा कानूजा, सेंदडा, बर, रायपुर, कालब कलां, गिरी, बूंटीवास नानणा को पाली डेयरी योजना से जोड़ कर डेयरी केन्द्र संचालित किये जायें? उक्त निर्देश के अनुसार अब तक किस-किस स्थान पर डेयरी केन्द्र प्रारम्भ किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में अधिकारियों ने स्थानीय गांव के सरपंचों व अन्य जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया है? क्या उक्त सम्बन्ध में डेयरी योजना को लागू करने के लिए किसी अधिकारी ने प्रयास किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या डेयरी विभाग का कोई अधिकारी उक्त सम्बन्ध में पंचायत समिति की बैठक में उपस्थित होता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि रायपुर तहसील की ग्राम पंचायतें कोट किराणा, बगड़ी तथा कलालिया को अजमेर जिले से नजदीक होने के कारण अजमेर डेयरी से जोड़ने की सचिव महोदय ने कोट किराणा कैम्प में निर्देश दिये थे? उक्त की पालना में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या शासन सचिव ने चित्ताड़ के प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में जाखराना नस्ल के 15 बकरे रायपुर के विधायक को बकरियों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अलवर से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे? अब तक निर्देशों की पालना नहीं करने में कौन जिम्मेदार बनते हैं और अब कब तक बकरे उपलब्ध करा दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त निर्देशानुसार पाली डेयरी ने रायपुर तहसील के कोटा किराना, कालब कलां, रायराकलां, खोडिया, गुडाबीजा, देवली, हुल्ला, उचियाड़ा, आकेली, बागियाड़ा, लीलाम्बा, एकलियों की ढाणी, सांगवास, भीला, आसन जीलेलाव, बगड़ी एवं पंचानपुरा ग्राम में दुग्ध संकलन केन्द्र आरम्भ किये गये हैं। परन्तु दुग्ध संकलन की मात्रा पर्याप्त नहीं होने से स्थानीय सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों की सलाह पर भीला आसन, जीलेलाव, बगड़ी, कोटकिराना, कलानियां, पंचानपुरा, कानूजा गांवों के दुग्ध संकलन केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं।

(2) जी हां। उक्त ग्रामों में दुग्ध संकलन प्रारम्भ करने से पूर्व एवं पश्चात् ग्राम के सरपंच व जनप्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क किया जाता रहा है। दुग्ध संघ के पदाधिकारी द्वारा लगातार लम्बे समय तक ग्राम में ही रह कर डेयरी योजना को उक्त गांवों में लागू करने हेतु अथक प्रयास किये गये व उनके द्वारा दुग्ध संकलन किया गया।

(3) जी हां। पंचायत समिति से सूचना मिलने पर डेयरी अधिकारी बैठक में उपस्थित होते हैं।

(4) कोट किराणा कैम्प में उक्त गांवों को अजमेर दुग्ध संघ से जोड़ने हेतु कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये थे।

(5) 'प्रशासन गांव के संग' अभियान के दौरान शासन सचिव, पशुपालन विभाग ने जाखराना नस्ल के 15 बकरे उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उप निदेशक से चर्चा की थी। उनका यह मत था कि पाली क्षेत्र में सिरोही नस्ल के बकरों से ही प्रजनन किया जाना तकनीकी रूप से उचित है। इसलिए अब तक जाखराना नस्ल के बकरे उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

माही के बाईं मुख्य नहर की खुदाई

228. श्री भाणजी (दानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में माही के बायीं मुख्य नहर से छीछ वितरिका से पाटन माइनर की खुदाई करवा ली गई थी? क्या उक्त में से 16 गांवों को पानी मिलता, लेकिन स्वीकृत नहर आधी लम्बाई तक खुदाई करवाकर अपूर्ण कार्य है? क्या अब तक न तो बाकी माइनर की खुदाई करायी गयी व न नहर को पानी दिया गया? क्या सरकार अब उक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत नहर खुदाई विभाग द्वारा दर्शायी गयी है और अभी तक नहीं खोदी गई? क्या उक्त प्रकरण में सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। माही की बायीं मुख्य नहर को छोड़ वितरिका (अरथुना वितरिका) की पाटन माइनर की खुदाई का कार्य वर्ष 1981–82 में नहीं कराया गया था परन्तु वर्ष 1987–88 में केन्द्रीय सरकार की बोडोगामा जलोत्थान स्कीम में अकाल सम्भावित सहायता रोजगार योजना (डी.आर.ए.जी.पी.) के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। इस योजना की क्रियान्विति में राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रख–रखाव संचालन एवं वित्तीय भार की जिम्मेदारी लाभान्वित काश्तकारों की गठित समिति द्वारा किया जाना निर्धारित था, लेकिन लाभान्वित काश्तकारों द्वारा समिति का गठन नहीं किया गया, अत: उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण रहा है। स्वीकृत माही परियोजना में उक्त कार्य का प्रावधान उपलब्ध नहीं है अत: उक्त शेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त कार्य का प्रावधान स्वीकृत माही परियोजना में नहीं है अत: इसे माही परियोजना मद से पूर्ण कराना प्रस्तावित नहीं है, परन्तु इस योजना से लाभान्वित काश्तकारों द्वारा अपनी निजी स्रोत से जलोत्थान विधि से माही बांध के पानी से सिंचाई सुविधाएं निरन्तर प्राप्त की जा रही है।

पंचायत समिति तिजारा के स्टोन क्रेशरों पर बकाया राशि

229. श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति तिजारा में स्थित स्टोन क्रेशरों पर कितना–कितना सैल टैक्स कौन–कौन से वर्ष में निर्धारित किया गया? अब तक किस–किस स्टोन क्रेशर ने कितनी–कितनी राशि जमा करायी है तथा किस–किस की तरफ कितनी–कितनी राशि बकाया है और सरकार वसूली के क्या प्रयास कर रही है? गत 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 2 वर्ष पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खान विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने उक्त स्टोन क्रेशरों पर रेड की थी? यदि हां, तो रेड में क्या कैश बना और रेड में किस क्रेशर पर कितनी राशि का कर निर्धारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जो कर निर्धारण उक्त स्टोन क्रेशरों पर हुआ उसकी सूचना आय कर विभाग को भेजी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति तिजारा में स्थित स्टोन क्रेशरों द्वारा गत पांच वर्षों में निर्धारित बिक्री कर, स्टोन क्रेशरों द्वारा

(वित्त मंत्री)

जमा कराई गई राशि व बकाया राशि का विवरण अनुलग्नक ''अ'' के अनुसार संलग्न है, विभाग द्वारा बकाया बिक्री कर की वसूली हेतु सक्रिय प्रयास जारी है।

(2) जी हां। उक्त रेड के उपरान्त जिन क्रेशरों पर कर अपवंचना का केस बना उनका विवरण एवं किस क्रेशर पर कितनी मांग कायम की गई उसका विवरण परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार है।

(3) जी नहीं। क्योंकि आयकर विभाग को किसी भी व्यावसायिक फर्म के बारे में सूचना आयकर विभाग के मांगने पर ही उपलब्ध कराई जाती है।

खाद्य वस्तुओं की काला बाजारी पर रोक

230. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले केरोसीन तेल के वितरण के लिए जिलों में कोई रोस्टर प्रणाली है? यदि हां, तो उक्त प्रणाली सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रोस्टर प्रणाली की समीक्षा के लिए मुख्यालय एवं जिला स्तर पर क्या व्यवस्था है?

(3) क्या मुख्यालय पर केरोसीन की कालाबाजारी एवं डीलरों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के संदर्भ में परीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार ने केरोसीन वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं? क्या उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में मुख्यालय स्तर पर समीक्षा हेतु कोई व्यवस्था है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त प्रणाली के अन्तर्गत विभाग द्वारा जिलों को केरोसीन तेल का आबंटन जारी किये जाने के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा थोक विक्रेताओं को उप आबंटन जारी किया जाता है। थोक विक्रेता द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों एवं खुदरा विक्रेताओं को क्रमवार निर्धारित मात्रा व अवधि में डिपो से केरोसीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया ही रोस्टर प्रणाली है।

(2) उक्त रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा केरोसीन वितरण आदेश जारी किये जाते हैं। खाद्य विभाग (मु.) पर सतर्कता शाखा का गठन किया हुआ है तथा किसी भी जिले से केरोसीन रोस्टर प्रणाली अथवा वितरण बाबत यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उस पर तत्परता से जांच कराकर अपेक्षित कार्यवाही करता है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) मुख्यालय स्तर पर नियंत्रित केरोसीन की कालाबाजारी एवं डीलरों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं की निगरानी हेतु सतर्कता शाखा का गठन किया हुआ है तथा आवश्यकतानुसार खाद्य विभाग (मु.) से जांच दल गठित कर अनियमितता की जांच कराकर अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

(4) हां, शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार मुख्यालय से जांच कराई जाती है।

जिला डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नल योजना

231. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला डूंगरपुर के कितने ग्रामों में नल योजना चालू है? क्या उक्त ग्रामों में बराबर पानी दिया जा रहा है तथा पानी के स्रोत क्या-क्या हैं?

(2) क्या उक्त ग्रामों में पानी के स्रोतों में गत वर्ष सूखे के कारण पानी की समस्या आई थी? यदि हां, तो उसके निराकरण के लिए क्या योजना है?

(3) उक्त जिले के कितने ग्राम आगामी वर्ष में नल योजना के लिए प्रस्तावित हैं? सूची मय जनसंख्या के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 846 ग्राम हैं जो सभी किसी न किसी प्रकार की पेयजल योजना से लाभान्वित हैं। योजनाओं का प्रकार निम्न है :–

(अ)	पाइप्ड योजना	69 गांव	इनमें 28 गांव वे भी शामिल हैं जहां पाइप्ड योजना पंचायत/जल समितियों द्वारा संधारित है।
(ब)	पम्प व टैंक योजना	13 गांव	
(स)	क्षेत्रीय योजना	60 गांव	इसमें 12 गांव शामिल हैं जो क्षेत्रीय योजना से लाभान्वित हैं एवं जहां पाइप्ड स्कीम है।
(द)	हैण्ड पम्प योजना	693 गांव	
(क)	टी.एस.एस. योजना	11 गांव	ग्राम पंचायत द्वारा संधारित
	योग	846 गांव	

उपरोक्त योजनाओं का सेवा स्तर पानी का स्रोत आदि विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। लगातार अल्पवृष्टि के कारण गत वर्ष समस्या आई थी। उसके निराकरण के लिए गत वर्ष निम्न कार्य करवाये गये थे :–

(अ) 14 सफल नलकूप व 3 खुले कुएं बनवाकर चालू किये।

(ब) 6875 मीटर पाइप लाइन डालकर चालू की।

(स) 1 इनफिल्टरेशन गैलेरी, 13 कुओं में हौरिजन्टल बोरिंग व 29 कुओं में डीपनिंग/डीसिल्टिंग का कार्य करवाया गया।

(द) 341 नये हैण्ड पम्प बनाये।

(क) प्रथम राउण्ड (दिसम्बर, 2000 से मार्च, 2001) में 4634 हैण्ड पम्प मरम्मत किये एवं द्वितीय राउण्ड (अप्रैल, 2001 से जुलाई, 2001) में 6527 हैण्ड पम्प मरम्मत किये गये।

वर्ष 2002 की गर्मी व पेयजल के सम्बन्ध में निम्न कार्य प्रारम्भ करवाये :–

(अ) जल योजना वसीपाल, पुनाली, चीतरी, गलियाकोट, पीठ, टामटिया, वरदा, गामडी, अहाडा, गलन्दरपाल, एवं सिमलवाड़ा के ग्रीष्म संवर्द्धन प्रस्ताव अनुमानित राशि रु. 14.30 लाख के माह फरवरी/मार्च, 2002 में स्वीकृत किये गये हैं।

(ब) नये स्वीकृत 250 हैण्ड पम्पों का कार्य प्रारम्भ करवा कर 150 हैण्ड पम्प चालू किये। शेष कार्य प्रगति में है।

(स) प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम में जिले में 610 हैण्ड पम्प मरम्मत किये।

(द) 1.3.2002 से चालू हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान में खराब पाये गये 477 हैण्ड पम्पों में से 377 हैण्ड पम्प मरम्मत किये जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति में है।

(3) विभागीय नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक की आबादी वाले गांवों को हैण्ड पम्प योजना से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित करने का प्रावधान है। डूंगरपुर जिले में 1500 से अधिक आबादी के 14 ग्रामों को विभागीय मानदण्डों के अनुरूप हैण्ड पम्प योजना से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित किया जाना नीति के अनुसार है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। इन ग्रामों की हैण्ड पम्प योजनाओं का पम्प एवं टैंक जल योजनाओं में परिवर्तन ग्रामवासियों की संधारण हेतु सहमति, प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गडरा रोड शाखा का अपूर्ण निर्माण कार्य

232. श्री अमीन खान (शिव) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर गडरा रोड शाखा का कार्य नहीं चल रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के द्वितीय फैज में लिफ्ट कैनाल ज्यादा बनाई है जिससे मूल नहर का कार्य नहीं हो रहा है?

(3) क्या सरकार सीमा सुरक्षा के हित में गडरा ब्रांच को पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड उप शाखा पर निर्माण कार्य चल रहे हैं।

(2) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय फैज में लिफ्ट कैनाल के बनाये जाने से गडरा रोड उप शाखा का निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हुआ है।

(3) जी हां। गडरा रोड उप शाखा का कार्य इन्दिरा गांधी नहर, परियोजना के द्वितीय चरण के अनुमोदित प्राक्कलन में सम्मिलित है एवं बजट की उपलब्धतानुसार कार्य पूर्ण करवाया जावेगा।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय गुसाईसर बड़ा (चूरू) के वैद्य का स्थानान्तरण

233. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गुसाईसर बड़ा तहसील श्री डूंगरगढ़ (चूरू) में कार्यरत वैद्य का स्थानान्तरण किन कारणों से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वैद्य को स्थानान्तरण के बाद पुनः इसी स्थान पर पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से? स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के पीछे क्या कारण थे?

(3) क्या उक्त वैद्य लम्बे समय से उक्त स्थान पर पदस्थापित है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, गुसाईसर बड़ा तहसील श्री डूंगरगढ़ में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक श्री प्रभुदयाल का स्थानान्तरण राज्यादेश दिनांक 23.11.2000 द्वारा आयुर्वेद औषधालय, मन्सूरी (बीकानेर) में प्रशासनिक कारणों से किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

सब डिवीजनल कार्यालय करौली का अन्यत्र स्थानान्तरण

234. श्री जनार्दन गहलोत (करौली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय करौली में सिंचाई विभाग का सब डिवीजन वर्ष 1956 से कार्यरत था? क्या सरकार ने इसे बदल कर अन्यत्र ले जाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त मुख्यालय को करौली में ही रखने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। करौली मुख्यालय पर वर्तमान में भी एक सिंचाई उपखण्ड पूर्ववत कायम है तथा एक सिंचाई खण्ड कार्यालय भी कायम है।

(2) करौली में सिंचाई उपखण्ड करौली कार्यालय पूर्ववत कायम है। वर्तमान में करौली में उपलब्ध सिंचाई खण्ड एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत उपखण्ड का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

सिंचाई खण्ड करौली मुख्यालय करौली के अन्तर्गत सिंचाई उप खण्ड का विवरण

1. सिंचाई उप खण्ड करौली	पांचना बांध एवं करौली तहसील के सिंचाई कार्य
2. सिंचाई उप खण्ड हिण्डौन	हिण्डौन तथा टोडाभीम तहसीलों के सिंचाई कार्य
3. सिंचाई उप खण्ड श्रीमहावीरजी	पांचना नहर प्रणाली एवम् नादोती तहसील के सिंचाई कार्य
4. सिंचाई उप खण्ड सपोटरा	सपोटरा तहसील के समस्त सिंचाई कार्य

आबकारी ठेका समूहों में बकाया राशि

235. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2001-2002 के लिए किन-किन मदिरा समूहों को किस-किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए देशी व भारत निर्मित विदेशी शराब के ठेके दिये गये थे तथा प्रत्येक समूह के लिए कितनी-कितनी आरक्षित राशि निर्धारित थी?

(2) उक्त समूहों ने कितनी-कितनी धरोहर राशि कब-कब किस रूप में जमा करवाई तथा जमा करवाने की निर्धारित तारीखें कौन-कौनसी थीं?

(3) क्या कोई छूट आरक्षित राशि में शराब के उठाव के आधार पर या अन्य किसी रूप में उक्त समूहों को दी गई? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(4) क्या उक्त समूहों में से किसी के विरुद्ध पुराना बकाया भी चल रहा था? यदि हां, तो किसके विरुद्ध कितनी राशि किस अवधि की?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 के लिए देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के लिए 29 समूहों का गठन किया गया था जिनके नाम, उनका भौगोलिक क्षेत्र (राजस्व जिला) तथा उनकी निर्धारित आरक्षित राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) उक्त समूहों के अनुज्ञाधारियों द्वारा धरोहर राशि जमा करवाने की निर्धारित दिनांक तथा उनके द्वारा धरोहर राशि जमा कराने का विवरण परिशिष्ट ''ब'' में संलग्न है।

(3) ठेके न उठने के कारण कुछ समूहों की आरक्षित राशि में कमी की गयी थी, किन्तु सभी ठेके खुली निविदाएं आमंत्रित कर ही उठाये गये। वांछित विवरण परिशिष्ट ''स'' के अनुसार संलग्न है।

(4) उक्त समूहों के ठेकों की जिन अनुज्ञाधारियों के नाम स्वीकृति जारी की गयी उनके विरुद्ध पुरानी बकाया नहीं थी।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2001-2002 के मदिरा समूह, उनका भौगोलिक क्षेत्र
तथा उनकी निर्धारित आरक्षित राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	मदिरा समूह का नाम	भौगोलिक क्षेत्र (राजस्व जिला)	मूल आरक्षित राशि
1	2	3	4
	जयपुर जोन		
1.	अजमेर	अजमेर	5504.60
2.	अलवर	अलवर	3897.97
3.	भरतपुर	भरतपुर	1662.12
4.	धौलपुर	धौलपुर	674.61
5.	जयपुर	जयपुर	12313.44
6.	दौसा	दौसा	1146.03
7.	टोंक	टोंक	1527.36
8.	झुंझुनूं	झुंझुनूं	2704.98
9.	सीकर	सीकर	2916.24
10.	सवाईमाधोपुर–करौली	सवाईमाधोपुर–करौली	1660.72
	जोन का योग		**34008.07**
	जोधपुर जोन		
11.	बाड़मेर	बाड़मेर	1136.52
12.	जैसलमेर	जैसलमेर	709.49
13.	बीकानेर	बीकानेर	2897.86
14.	चूरू	चूरू	1971.97
15.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	6151.18
16.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	4172.47

1	2	3	4
17.	जोधपुर	जोधपुर	4069.71
18.	नागौर	नागौर	2822.70
19.	पाली	पाली	2969.15
20.	सिरोही–जालौर	सिरोही–जालौर	3462.27
	जोन का योग		**30363.32**
	उदयपुर जोन		
21.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	2667.01
22.	बूंदी	बूंदी	1360.97
23.	बारां	बारां	1176.11
24.	बांसवाड़ा–डूंगरपुर	बांसवाड़ा–डूंगरपुर	1031.24
25.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	2395.27
26.	झालावाड़	झालावाड़	1298.04
27.	कोटा	कोटा	4149.10
28.	उदयपुर	उदयपुर	3245.69
29.	राजसमन्द	राजसमन्द	1790.21
	जोन का योग		**19113.64**
	कुल योग		**83485.03**

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 2001-2002 के मदिरा समूहों में धरोहर राशि जमा कराने का विवरण

क्र. सं.	मदिरा समूह का नाम	वांछित धरोहर राशि		धरोहर राशि जमा करवाने की निर्धारित दिनांक	धरोहर राशि जमा करवाने का विवरण		
					राशि	जमा होने की तिथि	भुगतान का तरीका
1	2	3		4	5	6	7
1.	अजमेर	नकद	41458000	10.4.2001	41458359	01.04.2001	नकद
		बैंक गारंटी	41458000		41458359	16.05.2001	बैंक गारंटी
		योग	**82916000**		**82916718**		
2.	अलवर		53900000	26.3.2001	19699560	04.04.2001	नकद
					500000	18.04.2001	नकद
					20401000	19.04.2001	नकद
					18671378	20.04.2001	नकद
					300000	23.04.2001	नकद
					30000	25.05.2001	नकद
					400000	27.04.2001	नकद

1	2		3	4	5	6	7
					1500000	30.04.2001	नकद
					500000	02.05.2001	नकद
					800000	03.05.2001	नकद
					1799960	14.05.2001	नकद
					524333	29.05.2001	नकद
					189786	19.07.2001	धरोहर राशि
					65766003		भरतपुर एवं
					11170600		दौसा स्थानांतरित
		योग	**53900000**		**54599403**		
3.	भरतपुर	नकद	16253000	26.3.2001	10848439	27.03.2001	नकद
		बैंक गारंटी	16253000		5404666	30.03.2001	नकद
					16253105	—	बैंक गारंटी
		योग	**32506000**		**32506210**		

1	2		3	4	5	6	7
4.	धौलपुर	नकद	7859610	26.3.2001	7859610	27.03.2001	नकद
		बैंक गारंटी	7859610		7859610	27.03.2001	बैंक गारंटी
		योग	**15719220**		**15719220**		
5.	जयपुर-दौसा	नकद	116539000	10.4.2001	100148000	31.03.2001	नकद
		बैंक गारंटी	116539000		8100000	01.04.2001	नकद
					8291080	03.04.2001	नकद
					25000000	13.04.2001	बैंक गारंटी
					20655000	30.04.2001	बैंक गारंटी
					8500000	07.05.2001	बैंक गारंटी
					33500000	29.05.2001	बैंक गारंटी
					14450000	02.06.2001	बैंक गारंटी
					14450000	04.06.2001	बैंक गारंटी
		योग	**233078000**		**233094080**		

1	2	3	4	5	6	7
6.	टोंक	19092000	26.3.2001	7700000	30.03.2001	नकद
				1800000	16.05.2001	नकद
				4309400	25.04.2001	नकद
				5282600	09.08.2001	नकद
	योग	**19092000**		**19092000**		
7.	झुंझुनूं	35875000	26.3.2001	1128000	28.03.2001	नकद
				13033400	30.03.2001	नकद
				8183800	10.04.2001	नकद
				550000	18.04.2001	नकद
				4478105	11.05.2001	नकद
				3300000	08.05.2001	नकद
				1200000	10.05.2001	नकद
				4000000	12.05.2001	नकद
				1695	24.05.2001	नकद
	योग	**35875000**		**35875000**		

1	2	3	4	5	6	7
8.	सीकर	37815000	26.3.2001	14638000	20.03.2001	नकद
				6310000	29.03.2001	नकद
				4764500	31.03.2001	नकद
				12100000	30.04.2001	नकद
	योग	**37815000**		**37812500**		
9.	सवाईमाधोपुर	23909125	26.3.2001	8307781	26.03.2001	नकद
				8000000	28.03.2001	नकद
				7602000	16.04.2001	नकद
	योग	**23909125**		**23909781**		
10.	बाड़मेर	12013000	3.4.2001	4700000	24.03.2001	नकद
				5400000	29.03.2001	नकद
				1495834	30.03.2001	नकद
	योग	**12013000**		**12495834**		

1	2	3	4	5	6	7
11.	जैसलमेर	9750000	26.3.2001	3901650	16.03.2001	नकद
				5850000	20.03.2001	नकद
	योग	**9750000**		**9751650**		
12.	बीकानेर	30652000	3.4.2001	12600000	26.03.2001	नकद
				566667	27.03.2001	नकद
				18000750	29.03.2001	नकद
	योग	**30652000**		**31218417**		
13.	चूरू	22899000	10.4.2001	8991900	31.03.2001	नकद
				7175	07.04.2001	नकद
				13900000	09.04.2001	नकद
	योग	**22899000**		**22899075**		

1	2		3	4	5	6	7
14.	हनुमानगढ़	नकद	28273000	3.4.2001	15315000	24.03.2001	नकद
		बैंक गारंटी	28273000		6763000	30.03.2001	नकद
					6195000	31.03.2001	नकद
					28273000	—	बैंक गारंटी
		योग	**56546000**		**56546000**		
15.	जोधपुर		42603000	3.4.2001	9200000	30.03.2001	नकद
					8736000	11.04.2001	नकद
					9605000	05.04.2001	नकद
					600000	10.04.2001	नकद
					675000	20.04.2001	नकद
					1250000	21.04.2001	नकद
					1800000	19.04.2001	नकद
					10739000	25.04.2001	नकद
		योग	**42603000**		**42605000**		

1	2		3	4	5	6	7
16.	नागौर		31390000	30.3.2001	12405000	23.03.2001	नकद
					14440200	09.04.2001	नकद
					2965000	21.04.2001	नकद
					1579800	23.04.2001	नकद
		योग	**31390000**		**31390000**		
17.	पाली	नकद	20452000	3.4.2001	2000000	30.03.2001	नकद
		बैंक गारंटी	20452000		37722	03.04.2001	नकद
					13858100	19.04.2001	नकद
					850000	23.04.2001	नकद
					1500000	27.04.2001	नकद
					1480000	25.01.2001	नकद
					20452000	—	बैंक गारंटी
		योग	**40904000**		**40177822**		

1	2	3	4	5	6	7
18. सिरोही	नकद	24334000	8.4.2001	14990000	31.03.2001	नकद
	बैंक गारंटी	24334000		338335	03.03.2001	नकद
				9489197	10.04.2001	नकद
	योग	**48668000**		**24817532**		
19. श्रीगंगानगर		57622000	6.4.2001	23873000	29.03.2001	नकद
				15600000	30.03.2001	नकद
				193446	31.03.2001	नकद
				500000	12.04.2001	नकद
				2200000	13.04.2001	नकद
				1150000	14.04.2001	नकद
				3950000	16.04.2001	नकद
				1150000	17.04.2001	नकद
				700000	18.04.2001	नकद
				975000	19.04.2001	नकद

1	2	3	4	5	6	7
				1650000	20.04.2001	नकद
				875000	21.04.2001	नकद
				1250000	23.04.2001	नकद
				1500000	25.04.2001	नकद
				539111	28.04.2001	समायोजन
				1435717	31.05.2001	समायोजन
				500000	09.07.2001	नकद
				64672	16.08.2001	नकद
	योग	**57622000**		**58105946**		
20.	भीलवाड़ा	33663000	26.3.2001	13514936	—	नकद
				8000000	30.03.2001	नकद
				1972000	9.04.2001	नकद
				1947696	10.04.2001	नकद
				552304	11.04.2001	नकद

1	2	3	4	5	6	7
				2000000	20.04.2001	नकद
				200000	24.04.2001	नकद
				500000	25.04.2001	नकद
				150000	02.05.2001	नकद
				200000	03.05.2001	नकद
				360000	04.05.2001	नकद
				150000	05.05.2001	नकद
				900000	07.05.2001	नकद
				180000	08.05.2001	नकद
				250000	09.05.2001	नकद
				800000	11.05.2001	नकद
				685000	12.05.2001	नकद
				1695000	14.05.2001	नकद
				89864	15.05.2001	नकद
	योग	**33663000**		**34146800**		

1	2	3	4	5	6	7
21.	बूंदी	17012000	26.3.2001	6907160	29.03.2001	नकद
				4152000	27.03.2001	नकद
				900000	10.04.2001	नकद
				500000	11.04.2001	नकद
				400000	12.04.2001	नकद
				200000	17.04.2001	नकद
				200000	18.04.2001	नकद
				200000	19.04.2001	नकद
				200000	20.04.2001	नकद
				1010000	23.04.2001	नकद
				142966	25.04.2001	नकद
				100000	07.05.2001	नकद
				575000	09.05.2001	नकद
				500000	10.05.2001	नकद
				125000	11.05.2001	नकद
				700000	12.05.2001	नकद
				200000	14.05.2001	
	योग	**17012000**		**17012126**		

1	2		3	4	5	6	7
22.	बारां	नकद	11237000	26.3.2001	9912961	15.02.2001	नकद
		बैंक गारंटी	11237000		1325000	27.03.2001	नकद
					11300000	—	बैंक गारंटी
		योग	**22474000**		**22537961**		
23.	बांसवाड़ा		18864000	26.3.2001	5730900	15.02.2001	नकद
					4978823	19.03.2001	नकद
					2117627	28.03.2001	नकद
					1500000	30.04.2001	नकद
					4430000	14.05.2001	नकद
					106400	15.05.2001	नकद
		योग	**18864000**		**18863750**		

1	2	3	4	5	6	7
24.	चित्तौड़गढ़	27959000	26.3.2001	11144000	07.03.2001	नकद
				1405000	27.03.2001	नकद
				6507642	27.03.2001	नकद
				3500000	07.04.2001	नकद
				800000	07.04.2001	नकद
				2200000	09.04.2001	नकद
				500000	10.04.2001	नकद
				200000	11.04.2001	नकद
				500000	13.04.2001	नकद
				400000	16.04.2001	नकद
				200000	19.04.2001	नकद
				200000	23.04.2001	नकद
				300000	24.04.2001	नकद
				100000	30.04.2001	नकद
				2733	02.05.2001	नकद
	योग	**27959000**		**27959375**		

1	2	3	4	5	6	7
25.	झालावाड़	17813000	26.3.2001	2500000	24.03.2001	नकद
				700000	26.03.2001	नकद
				2300000	28.03.2001	नकद
				6613000	31.03.2001	नकद
				1000000	07.04.2001	नकद
				370000	09.04.2001	नकद
				1200000	10.04.2001	नकद
				275000	11.04.2001	नकद
				150000	12.04.2001	नकद
				150000	13.04.2001	नकद
				450000	16.04.2001	नकद
				150000	17.04.2001	नकद
				150000	18.04.2001	नकद
				150000	19.04.2001	नकद
				150000	20.04.2001	नकद
				150000	21.04.2001	नकद
				300000	23.04.2001	नकद

1	2		3	4	5	6	7
					150000	24.04.2001	नकद
					150000	25.04.2001	नकद
					150000	26.04.2001	नकद
					150000	27.04.2001	नकद
					150000	28.04.2001	नकद
					305224	01.05.2001	नकद
		योग	**17813000**		**17813224**		
26.	कोटा		**47526000**	26.3.2001	**48092310**	27.03.2001	नकद
27.	उदयपुर–राजसमन्द	नकद	**37866000**	26.3.2001	22060000	21.03.2001	नकद
		बैंक गारंटी	**37866000**		15805517	26.03.2001	नकद
					37825000	01.04.2001	बैंक गारंटी
		योग	**75731000**		**75690517**		

परिशिष्ट ''स''

वर्ष 2001-2002 के मदिरा समूह, जिनकी आरक्षित राशि कम की गई, का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	मदिरा समूह का नाम	मूल आरक्षित राशि	संशोधित आरक्षित राशि
	जयपुर जोन		
1.	अजमेर	5504.60	4706.45
	जोधपुर जोन		
2.	बाड़मेर	1136.52	898.88
3.	बीकानेर	2897.86	2415.76
4.	चूरू	1971.97	1774.78
5.	श्रीगंगानगर	6151.18	4608.81
6.	हनुमानगढ़	4172.47	3126.25
7.	जोधपुर	4069.71	3303.35
8.	नागौर	2822.70	2476.93
9.	पाली	2969.15	2286.45
10.	सिरोही–जालौर	3462.27	2696.08
	उदयपुर जोन		
11.	चित्तौड़गढ़	2395.27	2155.75
12.	कोटा	4149.10	3734.20
13.	उदयपुर	3245.69	2921.13
14.	राजसमन्द	1790.21	1450.08
	योग	**46,738.70**	**38,554.90**

ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं हेतु खरीदे गये कम्प्यूटर

236. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्य यह सही है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998 में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 4 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि कम्प्यूटर खरीदने के लिए स्वीकृति की थी? यदि हां, तो कितने स्थानों पर कम्प्यूटर लगाये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार ने विभाग को कम्प्यूटर की अनुमोदित दरें, मय आपूर्ति फर्म के साथ भेज दी थी? यदि हां, तो क्या निर्धारित मानदण्डों के आधार पर 31 मार्च, 1999 तक खरीद के आदेश दिए गए थे?

(3) उक्त सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि में खरीद आदेश जारी नहीं करने के क्या कारण थे?

(4) क्या यह सही है कि विभाग ने एक वर्ष बाद 18 जनवरी, 2000 को कम्प्यूटर खरीदने के आदेश दिए थे?

(5) क्या उक्त कम्प्यूटर को खरीदे जाने की निविदाएं आमंत्रित की गई थीं? यदि नहीं, तो किस संस्था को उक्त कम्प्यूटर किस-किस दर पर खरीदे जाने के आदेश दिए थे?

(6) कम्प्यूटर खरीदे जाने से पूर्व विभाग के सूचना एवं प्रौद्योगिकी निदेशक ने क्या राय दी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998 में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 4 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि कम्प्यूटर खरीदने के लिए स्वीकृति दी थी। विभाग में कुल 120 स्थानों पर कम्प्यूटर लगाये गये।

(2) जी हां। सही है कि केन्द्र सरकार ने विभाग को कम्प्यूटर की अनुमोदित दरें, में आपूर्ति फर्म के साथ भेज दी थी, परन्तु 31 मार्च, 1999 तक खरीद के आदेश नहीं दिये जा सके थे।

(3) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने में देरी के कारण निर्धारित समयावधि में खरीद आदेश जारी नहीं किये जा सके। भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 22.11.1999 व 9.12.1999 को मापदण्डों को अनुमोदित किया गया। जिसके बाद दिनांक 18.1.2000 को खरीद के आदेश दिये गये।

(4) जी हां। सही है।

(5) कम्प्यूटरों की खरीद के आदेश भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फर्म मैसर्स जेनिथ स्टेयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत मापदण्डों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जारी किया गया था। अतः इसके लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। वित्त विभाग की अनुमति आई.डी. नम्बर 2288/एफ.एम./99 दिनांक 30.9.1999 से जी.एफ. एण्ड ए.आर. में शिथिलता प्रदान करते हुए उपरोक्त खरीद करने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

(6) कम्प्यूटर खरीदे जाने से पूर्व विभाग के सूचना एवं प्रौद्योगिकी निदेशक ने निम्न राय दी थी–

1. फर्म के कम्प्यूटर, आई.एस.ओ. 9002 प्रमाणित होने चाहिए।
2. सर्वर कम्प्यूटर विण्डोज एन.टी., नोवल, एस.सी.ओ. यूनिक्स ओपरेटिंग सोफ्ट वेयर व अन्य दूसरे प्रकार के कम्प्यूटर, विंण्डोज–95/98 आपरेटिंग सोफ्ट वेयर के अनुकूल होने चाहिए।
3. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा तय मापदण्ड व उच्च मापदण्डों के कम्प्यूटर भारत सरकार द्वारा तय दरों या उनसे कम दरों पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार कर फर्म से नेगोसिएशन कर (जिसमें निदेशक प्रौद्योगिकी भी उपस्थित थे) इसी कीमत में उच्च क्षमता का कम्प्यूटर आपूर्ति की फर्म से सहमति लेकर कार्यवाही की गई।

प्रश्न संख्या–237

(स्थगित)

कोषाधिकारी दौसा के विरुद्ध कार्यवाही

238. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दौसा में दिनांक 20.8.2001 को 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान कोषाधिकारी दौसा के नेतृत्व में सभा भवन के पास नारेबाजी की थी? यदि हां, तो एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में नारेबाजी करने के क्या कारण थे?

(2) उक्त बैठक में और कौन–कौन से अधिकारी उपस्थित थे? क्या उक्त से उक्त घटना की पूछताछ की गई?

(3) क्या कोषाधिकारी द्वारा की गई नारेबाजी की जांच में उन्हें दोषी पाया गया? यदि हां, तो सरकार ने क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की?

(4) क्या यह भी सही है कि कोषाधिकारी दौसा के विरुद्ध पद के दुरुपयोग करने, पक्षपात करने, अनियमित आचरण करने, राजनीति में सक्रिय रहने सहित अनेकों शिकायतें जांच के दौरान सही पाई गई थी? यदि हां, तो पी.डी., डी.आर.डी.ए. दौसा ने पत्रांक 873 दिनांक 2.2.2002 को जो पत्र कलक्टर, दौसा को लिखा था? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(5) क्या सरकार ऐसे कोषाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 20.8.2001 को 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान कलक्ट्रेट परिसर में (सभा भवन के पास) कुछ कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी की गई थी। कोषाधिकारी, दौसा भी उनके साथ थे। इस नारेबाजी का कारण व्यक्तिगत एवं पारिवारिक घरेलू विवाद था।

(2) उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर अंकित है। जी हां। उक्त घटना के सम्बन्ध में अतिरिक्त कलक्टर विकास ने बैठक में उपस्थित अधिकारी जिला परीवीक्षा व समाज–कल्याण अधिकारी, दौसा से पूछताछ की है।

(3) कोषाधिकारी द्वारा की गई नारेबाजी की जांच अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। जांच पूर्ण होने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। यह सही है कि कोषाधिकारी, दौसा के विरुद्ध पद के दुरुपयोग करने, पक्षपात करने, अनियमित आचरण करने, राजनीति में सक्रिय रहने सहित शिकायतों की जांच पी.डी. (डी.आर.डी.ए.) से कराई गई थी, जांच पूर्ण होने पर ही सही स्थिति का पता लगेगा। पी.डी. (डी.आर.डी.ए.) दौसा के पत्रांक 873 दिनांक 2.2.2002 की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट ''ब''

(5) जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर जांच रिपोर्ट में कोषाधिकारी के दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्रीजी के 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित समिति की बैठक दिनांक 20.8.2001 में उपस्थित अधिकारीगण। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर ने की थी एवं सदस्य सचिव, शम्भूराम मीणा जिला पर्यवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, दौसा थे

क्र. सं.	अधिकारीगण नाम
1.	श्री चुन्नीलाल जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा।
2.	श्री एम. एम. शर्मा, अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), दौसा।
3.	श्री हरजी लाल अटल, उप खण्ड अधिकारी, दौसा।
4.	श्री कल्याण सहाय शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, दौसा।
5.	श्री आनन्दी लाल पूर्विया, सांख्यिकी सहायक डी.आर.डी.ए., दौसा।
6.	श्री लहरी लाल शर्मा, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा।
7.	श्री रामअवतार गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक, एस.सी./एस.टी. निगम, दौसा।
8.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, दौसा।
9.	तहसीलदार, दौसा।
10.	नायब तहसीलदार, लालसोट
11.	तकनीकी सहायक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, दौसा।
12.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) दौसा।
13.	राधेलाल बैरवा, सहायक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, दौसा।
14.	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दौसा।
15.	श्रीफूल मीणा, प्रतिनियुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
16.	शम्भूदयाल शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा।
17.	लक्ष्मीनारायण मीणा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, दौसा।
18.	उप वन संरक्षक, दौसा।
19.	प्यारे लाल गुप्ता, निरीक्षक (कार्य) सहकारिता दौसा।
20.	श्री मुरारीलाल शर्मा, जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, दौसा।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा

क्रमांक : एफ( )जांच/2001/873 जयपुर, दिनांक : 2.2.2002

जिला कलक्टर,
दौसा।

विषय :– श्री प्रहलाद कुमार लवानिया, कोषाधिकारी, दौसा द्वारा पद का दुरुपयोग की शिकायत के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक संख्या/2001/4393 दिनांक 24.11.2001

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में श्री प्रहलाद कुमार लवानिया, कोषाधिकारी, दौसा के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

1. अपने पद का दुरुपयोग करके अपने भाई को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विभाग में कार्य पर लगवाने के सम्बन्ध में :

   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप खण्ड दौसा से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया था। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने अपने पत्र क्रमांक प.10/संस्था/प.4/2002/138 दिनांक 19.1.2002 के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री मदन मोहन शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा का चयन, चयन समिति द्वारा होना बताया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि श्री मदनमोहन शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा का चयन करते समय यह स्पष्ट नहीं था कि यह कोषाधिकारी का भाई है।

2. सहकार मेडिकल भण्डार के पेंशनरों के मेडिकल बिलों को समय पर भुगतान नहीं करने बाबत :

   इस सम्बन्ध में अभिकरण के पत्र क्रमांक 846 दिनांक 16.1.2002 द्वारा व्यवस्थापक, सहकारी मेडिकल स्टोर, क्रय-विक्रय सहकारी समिति दौसा को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण चाहा गया।

   प्रधान व्यवस्थापक, दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 299 दिनांक 17.1.2002 द्वारा अवगत कराया है कि कोष कार्यालय

द्वारा जानबूझकर मेडिकल बिलों का भुगतान समय पर नहीं किया गया जिससे पेंशनरों को दवाई मिलने में असुविधा होती है। प्रधान व्यवस्थापक द्वारा अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि सहकारी समिति के बिलों का जानबूझकर पेंडिंग रखा जाता है जबकि प्राइवेट दवा विक्रेताओं के बिलों को भुगतान करने में वरियता दी जाती है। कई बार तो समस्या उत्पन्न होने पर कलक्टर महोदय के हस्तक्षेप से भुगतान प्राप्त किया गया है।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कोषाधिकारी द्वारा निजी दवा विक्रेताओं के बिलों के भुगतान में वरियता दी जाती है जबकि समिति के बिलों को देरी से पास किया जाता है जिसके कारण पेंशनरों को समय पर दवाई नहीं मिलने के कारण कठिनाई होती है।

साथ ही अध्यक्ष, राज्य पेंशनर्स समाज जिला शाख दौसा ने भी अपने पत्र क्रमांक 6 दिनांक 21.2.2002 द्वारा सहकारी मेडिकल भण्डार के बिलों का समय पर भुगतान नहीं करने का उल्लेख किया है।

3. कोषाधिकारी एवं उसके कुछ चहेते कर्मचारियों द्वारा कलक्ट्रेट के सभा कक्ष के समक्ष नारेबाजी करने बाबत :

इस सम्बन्ध में अभिकरण के पत्र क्रमांक 806-07 दिनांक 24.12.2001 द्वारा कोषाधिकारी दौसा से स्पष्टीकरण चाहा गया तो कोषाधिकारी दौसा ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मेरे राजकीय आवास पर मेरे ऊपर दिनांक 11.8.2001 को इस शहर के एक भूमाफिया एवं अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति श्री कैलाश जाली द्वारा प्राणघातक हमला किया गया तथा मेरे को हद तक डरा दिया कि मैं 9 दिन तक भयवश घर से बाहर नहीं निकल सका। दिनांक 20.8.2001 को मेरे सहायक कोषाधिकारी एवं कोष कार्यालय के कर्मचारी मुझे मेरे आवास से कार्यालय लेकर आये। कार्यालय आने पर कलक्टर परिसर में एक बैठक की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलक्टर महोदय को इस बाबत अवगत कराया जाना उचित होगा। मैं एवं मेरे कर्मचारी तथा कर्मचारी यूनियन के नेता पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने सभा कक्ष में गये जहां जिला कलक्टर महोदय भी थे। इस दौरान मेरे द्वारा घटी घटना को बताया गया।

इसके साथ ही समाज कल्याण अधिकारी, दौसा जो कि 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के समन्वयक थे उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण चाहा गया।

समाज कल्याण अधिकारी दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 9101 दिनांक 31.1.2002 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.8.2001 को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु क्रियान्वयन समिति की बैठक चल रही थी जिसके दौरान सभाकक्ष के बाहर बरामदे में कलक्टर परिसर के कार्मिकों द्वारा नारे एवं शोरशराबा किया जा रहा था। नारेबाजी करने वाले कार्मिकों को अध्यक्ष महोदय ने सभाकक्ष में बुलाकर पूछताछ की जिनके साथ श्री पी. के. लवानिया जिला कोषाधिकारी भी थे। समाज कल्याण अधिकारी, दौसा ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इसके बाद व्यवधान के कारण बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

इस प्रकार समाज कल्याण अधिकारी दौसा की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कुछ कार्मिकों द्वारा कलक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की जिनके साथ श्री पी. के. लवानिया जिला कोषाधिकारी भी थे।

4. स्वयं की पत्नी को दहेज के कारण परेशान करने बाबत :

इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी से स्पष्टीकरण चाहा गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे घरेलू एवं पारिवारिक जिन्दगी को बरबाद करने में एक कुख्यात भूमाफिया का हाथ है। कोषाधिकारी ने किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया जिसके कारण उक्त बिन्दु पर जांच नहीं की जा सकी।

5. अपने आपको दानदाता व सामाजिक कार्यकर्ता स्थापित करने के लिए सरकारी विभागों से राशि ऐंठना :

इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि यह बिन्दु निराधार है। शिकायत में किसी विभाग के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण जांच नहीं की जा सकी।

6. कार्यालय में बैठकर शराब पीना :

इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी से स्पष्टीकरण चाहा गया तो कोषाधिकारी दौसा ने इस बिन्दु को निराधार बताया है। चूंकि यह मामला कोषाधिकारी की आदत से सम्बन्धित है। अतः इसकी जांच श्रीमान् द्वारा कभी भी कराई जा सकती है।

7. सड़कों, स्कूलों एवं निजी आयोजनों समारोहों का कार्यालय समय में उद्घाटन करना :

इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी से स्पष्टीकरण चाहा गया जिसमें कोषाधिकारी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मैंने आज दिनांक तक किसी सड़क/स्कूल आदि का उद्घाटन नहीं किया है। साथ ही उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में राज्य सरकार के विधायक/सांसद द्वारा कोषाधिकारी को जहां भी किसी कार्य के लिए बुलाया जाता है तो स्वयं उपस्थित होता है जो कि मेरे राज्य कार्य का हिस्सा है।

उद्घाटन समारोहों में भाग लेने के सम्बन्ध में जब कोषाधिकारी से पुनः स्पष्टीकरण चाहा गया तो कोषाधिकारी दौसा ने अपने पत्र दिनांक 17.1.2002 के द्वारा स्पष्ट किया है कि मैं विधायक/सांसद महोदय द्वारा बुलाये जाने पर ही उपस्थित होता हूं।

8. दहेज में मिली कार का गैर कानूनी उपयोग करना :

इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी से स्पष्टीकरण चाहा गया तो कोषाधिकारी ने बताया कि कार संख्या आर.जे. 34–1 स्वयं की नहीं है न ही उक्त कार दहेज में मिली है। यह कार भरतसिंह पुत्र हंसराज गूजर पूर्व विधायक करौली की है जिनके परिवार के ये सदस्य हैं। उक्त कार डाग क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण मेरे निवास पर खड़ी करते हैं। कोषाधिकारी द्वारा बताये गये वाहन मालिक को पत्र लिखा गया जिसका जवाब आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उक्त वाहन दहेज में मिला या नहीं स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन उक्त वाहन का प्रयोग कोषाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

9. कोषाधिकारी का कथन कि आधी सरकार मेरी जेब में है :

उक्त बिन्दु के बारे में कोषाधिकारी दौसा से स्पष्टीकरण चाहा गया। इस सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट है तथा जांच से परे है।

अतः बिन्दुवार जवाब के साथ सम्बन्धित विभागों से प्राप्त पत्रों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

एस.डी./
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)

हिण्डौन सिटी की पेयजल समस्या का निस्तारण

239. **श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्य यह सही है कि हिण्डौन सिटी में पेयजल समस्या है? यदि हां, तो इसका निवारण कब तक कर दिया जावेगा?

(2) उक्त शहरी क्षेत्र में फिल्टर प्लांट, इंटेकवैल का निर्माण क्यों नहीं हो सका? उक्त दोनों स्कीमों का लाभ शहर की जनता को कब तक मिलने की सम्भावना है?

(3) सरकार शहरी जलयोजना हिण्डौन की संशोधित स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। हिण्डौन सिटी में वर्तमान पेयजल वितरण 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। पानी की कमी की पूर्ति हेतु 5 नलकूप बना लिए गए हैं। जिनमें से 2 नलकूपों को चालू कर दिया गया है तथा शेष 3 नलकूपों को भी आगामी ग्रीष्म में चालू कर दिया जावेगा। जिससे जल सेवा स्तर बढ़कर 74 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन हो जावेगा। इसके अतिरिक्त कस्बे में 18 हैण्ड पम्प भी चालू हैं।

(2) शहरी जल योजना हिण्डौन के आगुमेंटेशन प्रस्ताव वर्ष 1995 में रुपये 170.35 लाख के स्वीकृत किये गये थे जिसके तहत फिल्टर प्लांट, इंटेकवैल एवं अन्य कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे। हिण्डौन शहर के लिए जगर बांध में 400 एम.सी.एफ.टी. पानी इस योजना हेतु आरक्षित कराया जाना था परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा रुपये 160 लाख की राशि उक्त बांध को ऊंचा करने के लिए मांगी गई। स्वीकृत योजना में उक्त प्रावधान न होने के कारण यह राशि सिंचाई विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अब उक्त कार्य के लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करा दी गई है। सिंचाई विभाग द्वारा बांध का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् फिल्टर प्लांट एवं इंटेकवैल का निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा।

(3) शहरी जल योजना हिण्डौन के आगुमेंटेशन प्रस्ताव वर्ष 2006 की आबादी को लाभान्वित करने के लिए स्वीकृत थे। स्वीकृत प्रस्ताव के प्रावधानों में से स्टोरेज टैंक, वितरण प्रणाली, विद्युतीकरण इत्यादि के कार्य पूर्ण हो गये हैं। सिर्फ इंटेकवैल एवं फिल्टर प्लांट का कार्य शेष है। स्वीकृत लागत रुपये 170.35 लाख के विरुद्ध रुपये 182 लाख व्यय हो चुके हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में तथा प्रश्न 2 के उत्तर के अनुसार सम्भावित अधिक खर्च का आकलन किया जा रहा है। तत्पश्चात् संशोधित योजना बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की जावेगी।

राज्य में नई नियुक्तियों पर रोक

240. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पदों को भरने हेतु नई नियुक्तियों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) राज्य में किन–किन विभागों में कौन–कौन से पदनाम से वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक कुल कितने पद जनवरी, 2002 तक रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त कर नियुक्तियां करने के निर्देश हैं।

(2) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों में वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के कुल 16198 पद जनवरी, 2002 तक रिक्त थे। सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीरबल राम राजकीय विद्यालय महरमपुर (झुंझुनूं) के अध्यापकों का स्थानान्तरण

241. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला झुंझुनूं के वीर चक्र नायक श्री बीरबल राम राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय महरमपुर में प्रिंसिपल सहित एक साथ 7 व्याख्याताओं के और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है?

(2) क्या अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों ने अन्यत्र प्रवेश हेतु टी.सी. मांगना शुरू कर दिया है? क्या संस्कृत विद्यालय में संस्कृत के ही अध्यापक की कमी को सरकार उचित समझती है? यदि नहीं, तो फिर सरकार अब कितने समय में रिक्त अध्यापकों के पद भर देगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वीर चक्र नायक श्री बीरबल राम राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, महरमपुर (झुंझुनूं) के प्राचार्य को पाते वेतनमान में पदोन्नति पर चीथवाड़ी लगाया गया था। किन्तु दिनांक 20.2.2000 के द्वारा पूर्व आदेशों को स्थगित कर प्राचार्य को पुनः महरमपुर में पदस्थापित कर दिया गया। संस्था के किसी भी व्याख्याता का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण उसकी शिकायत होने पर किया गया था।

(2) जी नहीं। संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है।

श्रीगंगानगर शुगर मिल्स का प्रदूषण निवारण संयंत्र

242. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड श्रीगंगानगर में इस वर्ष 10 जनवरी, 2002 को 30 लाख की लागत से स्थापित वायु प्रदूषण संयंत्र 20 दिन में ही नकारा साबित हो गया? यदि हां, तो किन कारणों से? उक्त संयंत्र के सप्लायर को भुगतान की गयी राशि एवं उसकी गारंटी शर्तों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शुगर मिल के तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से स्टीम ट्यूब फटने से शुगर मिल को कितनी राशि का नुकसान हुआ? मशीनरी उपकरण व कितने दिन तक पिराई का कार्य बन्द रहने के कारण गन्ना उत्पादकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने का विचार रखती है? वायु प्रदूषण संयंत्र के सप्लायर के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त संयंत्र जुलाई, 2001 में स्थापित किया गया था। दिनांक 10.1.2002 से गंगानगर शुगर मिल्स का पिराई सत्र प्रारम्भ होने पर यह संयंत्र दिनांक 30.1.2002 तक कार्य करता रहा। दिनांक 30.1.2002 को तकनीकी कारणों से कार्य बन्द किया गया था। संयंत्र के सप्लायर्स को किये गये भुगतान एवं गारंटी की शर्तों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(2) तकनीकी खराबी से स्टीम ट्यूब फटने से शुगर मिल्स को दिनांक 30.1.2002 को पहली बार लगभग 6.50 लाख तथा दूसरी बार दिनांक 19.2.2002 को लगभग 9.37 लाख रुपये की हानि आंकी गई है। पहली बार लगभग 3 दिन तथा दूसरी बार 19.2.2002 से दिनांक 23.2.2002 तक गन्ना पिराई का कार्य बन्द रहा।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, गंगानगर शुगर मिल्स से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट–2

अनुलग्नक "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–369 की प्रति)

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक : 26 नवम्बर, 2001

अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2), जैसा कि राजस्थान के लिए राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या–7) द्वारा अनुकूलित किया गया है, की धारा 9 की उपधारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि :

1. उद्योग विभाग द्वारा लवण उत्पादन हेतु आबंटित लवण क्षेत्र के लिए निष्पादित नवीन लीजडीड एवं उसके नवीनीकरण पर मुद्रांक कर बाजार मूल्य के स्थान पर प्रतिभूति राशि एवं तीन वर्ष के वार्षिक किराये को जोड़कर प्रतिफल के रूप में संदत्त राशि पर 11 प्रतिशत की दर से देय होगा।

2. उद्योग विभाग द्वारा निष्पादित लवण क्षेत्र के हस्तान्तरण विलेख पर मुद्रांक कर बाजार मूल्य के स्थान पर प्रतिभूति राशि, हस्तान्तरण शुल्क, तीन वर्ष का वार्षिक किराया एवं मौके पर किये गये निर्माण कार्यों की लागत को जोड़कर कुल प्रतिफल के रूप में संदत्त राशि पर 11 प्रतिशत की दर से देय होगा।

(सं. एफ.2(18)वित्त/कर/96 पार्ट)

राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(आर. के. शर्मा)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-371 का विवरण)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	निलम्बन की तिथि
1	2	3
1.	डा. नीलम रानी चुग	23.03.1999
2.	डा. प्रताप राय सिरवी	23.03.1999
3.	डा. मगन सिंह शेखावत	09.10.1987
4.	डा. चन्दर किरण खुबलानी	02.04.1999
5.	डा. कमला गुरुबानी	02.04.1999
6.	डा. जे. एस. मट्ठा	24.08.1999
7.	डा. आर. बी. मोदी	जनवरी 2001
8.	डा. रेखा देव	वर्ष 1997 से
9.	डा. रमाकान्त सक्सैना	वर्ष 2000 से
10.	श्री रिछपाल पुनिया, उप अधीक्षक, पुलिस	12.03.2001
11.	श्री गुमान सिंह, उप अधीक्षक, पुलिस	14.08.2001
12.	श्री अविनाश रणवाह, संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां	27.05.2000
13.	श्री तैय्यब अली, परियोजना निदेशक (कृषि)	24.02.1999
14.	श्री सी. एस. मेहता, उप निदेशक (कृषि)	24.02.1999
15.	श्री दलवीर सिंह, उप निदेशक (कृषि)	24.02.1999
16.	श्री के. सी. सिर्वा, सहायक कृषि अभियंता	13.10.1999
17.	श्री भवानी सिंह बारेठ, सहायक कृषि अभियंता	20.12.2001
18.	श्री प्रेमस्वरूप शर्मा, सहायक निदेशक कृषि	03.11.2001
19.	श्री के. एस. त्रिपाठी, सहायक अभियंता (सिंचाई विभाग)	19.10.2000
20.	श्री बी. एल. कर्दम, सहायक अभियंता (सिंचाई विभाग)	07.08.2000

1	2	3
21.	श्री सुशील कुमार अग्रवाल, सहा. अभियंता (सिंचाई विभाग)	25.04.2001
22.	श्री एस. सी. पाटनी, अधिक्षण अभियंता (सिंचाई विभाग)	05.03.2001
23.	श्री बी. एल. पाहवा, अधिशासी अभियंता (सिंचाई विभाग)	05.03.2001
24.	श्री एन. के. सोलंकी, अधिशासी अभियंता (सिंचाई विभाग)	05.03.2001
25.	श्री जगदीश चन्द अरोड़ा, सहायक अभियंता (सिंचाई विभाग)	05.03.2001
26.	श्री शिवकरण, सहायक अभियंता (सिंचाई विभाग)	05.03.2001
27.	श्री एम. सी. सैनी, सहायक अभियंता (सिंचाई विभाग)	05.03.2001
28.	श्री श्याम लाल गुप्ता, सहायक अभियंता (सिंचाई विभाग)	24.01.2002
29.	श्री सैयद मो. शफी, स. लेखाधिकारी, (सिंचाई विभाग)	24.01.2001
30.	श्री वी. एस. गर्ग, सहायक अभियंता, पी.एच.ई.डी.	25.04.2000
31.	श्री पी. के. शर्मा, अधिशासी अभियंता, पी.एच.ई.डी.	13.09.2000
32.	श्री एस. के. पुरोहित, सहायक अभियंता, पी.एच.ई.डी.	13.09.2000
33.	श्री नरेश गौड़, सहायक अभियंता, पी.एच.ई.डी.	13.09.2000
34.	श्री बी. एल. मीणा, आर.ए.एस.	06.10.2001
35.	श्री संतोषी लाल गोयल, स. लोक अभियोजक (T)	24.01.2002
36.	श्री ओम प्रकाश सनाड्य, जिला आबकारी अधिकारी	09.11.2000
37.	श्री एस. एस. अठवाल, सहायक नगर नियोजक	10.01.2001
38.	सुश्री सुरभी अवस्थी, बाल विकास परियोजना अधिकारी	25.08.2001
39.	श्री विश्वेस जोशी, जेल अधीक्षक	07.12.2001
40.	श्री मनफूल सिंह, उप शासन सचिव, विधि रचना संगठन	13.05.2001
41.	श्री मदनलाल शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी	26.09.2001

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं. 1	अधिकारी का नाम 2	निलम्बन की तिथि 3	निलम्बन से बहाल करने की तिथि 4
1.	डा. राजकमल जैनव	18.11.2000	07.07.2001
2.	डा. आर. सी. सुनार	22.11.2000	07.07.2001
3.	डा. जे. एम. मेहता	22.11.2000	07.07.2001
4.	डा. गुरुदत्त	22.11.2000	07.07.2001
5.	डा. एस. के. चुट्टानी	09.08.2001	31.08.2001
6.	श्री मदन लाल राठी, उप पंजीयक, सहकारी समिति	11.05.2000	11.05.2001
7.	श्रीमती परमजीत अरोड़ा, पुस्तकालयध्यक्ष, शिक्षा विभाग	11.09.2000	29.03.2001
8.	श्री यदुनाथ सिंह सहायक निदेशक, कृषि विभाग	25.04.2000	05.02.2001
9.	श्री टी. पी. यादव, होम्यो. चिकित्सक	20.05.2000	01.08.2001
10.	श्री राजबहादुर, आयुर्वेद, चिकित्सक	02.06.2000	29.03.2001
11.	श्री दिनेश कुमार शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक	02.06.2000	29.03.2001
12.	श्री बृजमोहन गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्सक	20.09.2000	29.03.2001
13.	श्री ओमराज पाल सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक	20.09.2000	29.03.2001
14.	श्री प्रकाशचंद स्वामी, आयुर्वेद चिकित्सक	20.9.2000	29.03.2001

1	2	3	4
15.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक	9.10.2000	29.03.2001
16.	श्री ओ. पी. शर्मा, अधिशासी अभियंता, सिंचाई	07.08.2000	03.04.2001
17.	श्री एस. बी. अग्रवाल, सहायक अभियंता, सिंचाई	7.8.2000	03.04.2001
18.	श्री दिलमोहन राज माथुर, अधिशासी अभियंता	19.10.2000	01.08.2001
19.	श्री ए. के. शर्मा अधिशासी अभियंता सिंचाई	07.08.2000	01.08.2001
20.	श्री प्रदीप नागर, आर.ए.एस.	13.10.2000	01.08.2001
21.	श्री मुरारी लाल गुप्ता, सहायक निदेशक अभियंता	15.05.2001	06.02.2002
22.	श्री रामजीलाल मीणा, उप अधीक्षक, जेल	13.08.1996	23.05.2001
23.	श्रीमती ममता यादव, बाल विकास परियोजना अधिकारी	05.08.1996	29.03.2001
24.	श्रीमती प्रियम्बदा आचार्य, बाल विकास परियोजना अधिकारी	06.04.1999	06.08.2001
25.	श्री चेतन देव उपाध्याय, जेल अधीक्षक	27.04.1996	06.02.2002
26.	श्री पी. एन. भारद्वाज सहायक निदेशक, उद्योग	24.04.2001	28.09.2001

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-372 का विवरण)

क्र. सं.	पद का नाम	विभाग का नाम	कुल पदों की संख्या	अ.पि.जा. के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	राज. राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1999	कार्मिक विभाग	677	140
2.	राज. न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2001	विधि विभाग	116	31
अन्य सेवाएं				
1.	सहायक आचार्य, मेडिसिन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	10	02
2.	वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	04	01
3.	वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	06	02
4.	वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	05	02
5.	वरिष्ठ प्रदर्शक, माइक्रोबायलोजी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	03	01
6.	वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	10	03
7.	वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेंसिक मेडिसिन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	08	03
8.	वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकैमिस्ट्री	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	05	01
9.	चिकित्सा अधिकारी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	518	116
10.	चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सक)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	27	07
11.	क्यूरेटर	पुरातत्व एवं संग्रहालय	01	–
12.	सहायक शल्य पशु चिकित्सक/ पशुपालन प्रसार अधिकारी	पशुपालन विभाग	100	09

1	2	3	4	5
13.	प्रवक्ता, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	तकनीकी शिक्षा	10	02
14.	प्रवक्ता, सिविल अभियांत्रिकी	तकनीकी शिक्षा	15	05
15.	उप अधीक्षक पुलिस (वायरलैस)	पुलिस दूरसंचार	03	01
16.	जूनियर कैमिस्ट	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	08	04
17.	व्याख्याता–व्याकरण (शास्त्री कक्षाओं के लिए)	संस्कृत शिक्षा	03	01
18.	व्याख्याता–साहित्य (शास्त्री कक्षाओं के लिए)	संस्कृत शिक्षा	01	01
19.	व्याख्याता–अंग्रेजी (शास्त्री कक्षाओं के लिए)	संस्कृत शिक्षा	03	–
20.	व्याख्याता–राजनीति विज्ञान (शास्त्री कक्षाओं के लिए)	संस्कृत शिक्षा	02	01
21.	व्याख्याता–इतिहास (शास्त्री कक्षाओं के लिए)	संस्कृत शिक्षा	01	–
22.	व्याख्याता–गारमेंट प्रोडक्ट एण्ड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट	कालेज शिक्षा	01	–
23.	व्याख्याता–गृह विज्ञान (बाल विकास)	कालेज शिक्षा	02	02
24.	व्याख्याता–जैनोलोजी	कालेज शिक्षा	02	–
25.	व्याख्याता–गृह विज्ञान (क्लोथिंग टैक्सटाइल)	कालेज शिक्षा	01	–
26.	व्याख्याता–मनोविज्ञान	कालेज शिक्षा	01	–

1	2	3	4	5
27.	व्याख्याता–गृह विज्ञान (होम मैनेजमेंट)	कालेज शिक्षा	01	–
28.	व्याख्याता–सांख्यिकी	कालेज शिक्षा	01	–
29.	व्याख्याता–अंग्रेजी	कालेज शिक्षा	07	01
30.	व्याख्याता–दर्शन शास्त्र	कालेज शिक्षा	03	–
31.	व्याख्याता–विधि	कालेज शिक्षा	03	–
32.	व्याख्याता–अर्थशास्त्र	कालेज शिक्षा	20	05
33.	व्याख्याता–वनस्पति शास्त्र	कालेज शिक्षा	32	09
34.	व्याख्याता–गृह विज्ञान (फूड न्यूट्रेशन)	कालेज शिक्षा	03	–
35.	व्याख्याता–उर्दू	कालेज शिक्षा	01	–
36.	व्याख्याता–गृह विज्ञान (शिक्षा विस्तार)	कालेज शिक्षा	02	01
37.	व्याख्याता–भूगर्भ शास्त्र	कालेज शिक्षा	03	01
38.	व्याख्याता–हिन्दी	कालेज शिक्षा	50	10
39.	व्याख्याता–समाजशास्त्र	कालेज शिक्षा	30	06
40.	व्याख्याता–प्राणीशास्त्री	कालेज शिक्षा	32	08
41.	व्याख्याता–संगीत (कण्ठ)	कालेज शिक्षा	02	–
42.	व्याख्याता–रसायन शास्त्र	कालेज शिक्षा	33	08
		योग	1586	385

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-375 का विवरण)

अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सम्पत्ति ब्यौरे का विवरण

क्र. सं.	सेवा का नाम	वर्ष	कुल अधिकारियों की संख्या	अधिकारी जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत की	अधिकारी जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत नहीं की
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1999	231	226	5
		2000	231	226	5
2.	भारतीय पुलिस सेवा	1999	142	139	3
		2000	142	138	4
3.	भारतीय वन सेवा	1999	94	93	1
		2000	94	93	1

परिशिष्ट "ब"

बकाया रहे अचल सम्पत्ति विवरणों की सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सेवा का नाम	वर्ष
1.	श्री अशोक शेखर	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1999, 2000
2.	श्री अतुल कुमार गुप्ता	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1999, 2000
3.	श्री बी. शेखर	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1999, 2000
4.	श्रीमती मन्जू रानी	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1999, 2000
5.	श्री सुखदीप बरार	भारतीय प्रशासनिक सेवा	1999, 2000
6.	श्री अनिल खन्ना	भारतीय पुलिस सेवा	1999, 2000
7.	श्री जंगा श्रीनिवास राव	भारतीय पुलिस सेवा	2000
8.	श्री के. नरसिम्हा राव	भारतीय पुलिस सेवा	1999, 2000
9.	श्री मधुकर टण्डन	भारतीय पुलिस सेवा	1999, 2000
10.	एन. उदयशेखर	भारतीय वन सेवा	1999, 2000

परिशिष्ट–6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–376 की रिपोर्ट)

Proceedings of the meeting of the Committee of Physical Verification of Molasses in the distillery, Sriganganagar, as per Head Office order No.F./L&T/2001–02/2610 dated 30.5.2001 and No. 2841 dt. 4.6.2001.

Physical Verification Committee has started molasses physical verification from 6.6.2001 and completed it on 8.6.2001. Stock position of molasses and its analysis of M.S. Tank No. 1, 2 and masonary tank (Pit) are given as under :—

	Dip	T.R.S.	Brix	Total qty. (qtls.)
M.S. Tank No. 1 (Inside distillery)	24 Cm.	46.03	94.2	923.18
M.S. Tank No. 2 (Outside distillery)	12 Cm.	47.6	92.4	361.68
Masonary pit.	17"	40.2	85.00	2797.25
Total :				**4082.11 qtls.**

Total quantity of molasses as per P.V. :	4,082.00 qtls.
Quantity as per Book Balance as on 31.3.2001	18,396.00 qtls.
Wastage & Shortage	**14,314.00 qtls.**

As per H.O. order No. 18196 dated 29.3.2001 the Committee constituted had also taken the dip of masonary pit on 2.4.2001 and also many times at different places but actual quantity could not be ascertained due to high variation in dip of molasses in masonary pit owing to slope so the report could not be submitted. However, the dip

or M.S. tanks was the same as mentioned above, and also the dip of masonary pit was same.

There is a breakage in the masonary pit wall above 2'–6' height from bottom and the size of breakage is 8'×10' (photo copy of drawing prepared by JEn. on 5.5.2001 and photograph of site as well as process note sheet for repair of wall is enclosed for reference).

Sd/-	Sd/-
(N. R. Sharma)	(J. M. Sharma)
Accountant	Manager Finance
RSGSM, Sriganganagar	RSGSM, H.O., Jaipur

Sd/-	Sd/-
(B. K. Gupta)	(B. K. Mittal)
Offg. Chief Chemist	C.D.C. RSGSM,
RSGSM, Sriganganagar	H.O. Jaipur

Note : Three samples of molasses one each from above tanks duly signed by the Committee members handed over to Distillery Lab. Incharge— Sh. Vikas Kumar.

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी,
आश्वनशाला श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : 871

दिनांक : 10.08.2001

श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय,
राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड,
श्रीगंगानगर (राज.)

विषय : मोलेसेज के भौतिक सत्यापन बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक आरएसजीएसएम/डिस्टी./लैब/मोलेसेज 1024 दिनांक 9.8.2001

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 9.1.2001 को आपके आदेश की पालना में निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा आश्वनशाला में मुख्य कैमिस्ट श्री गुप्ता के साथ मोलसेज का भौतिक सत्यापन किया गया तो एम.एस. टेंक नं. 1 में 23 सी.एम., एम.एस. टेंक नं. 2 में 11 सी.एम. व मैसेनरी टेंक में 1' 6" डिप पाई गई। प्रयोगशाला से इसकी मात्रा की जांच करवाई गई तो आश्वनशाला में कुल 4384.38 क्विंटल शीरा पाया गया। दिनांक 8.8.2001 को दो टैंकर में 327.80 क्विंटल मोलेसेज आया है।

रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

भवदीय

ह०/-

सहायक आबकारी अधिकारी,
आश्वनशाला, श्रीगंगानगर

परिशिष्ट–7

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–378 का विवरण)

वर्ष 2002–2003 के मदिरा समूहों की निर्धारित मूल आरक्षित राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	मदिरा समूह का नाम	मूल आरक्षित राशि
1	2	3
	जयपुर जोन	
1.	अजमेर	5487.15
2.	अलवर	4385.23
3.	भरतपुर	1912.13
4.	धौलपुर	924.66
5.	जयपुर	13852.63
6.	दौसा	1289.30
7.	टौंक	1718.30
8.	झुंझुनूं	3043.12
9.	सीकर	3280.78
10.	सवाईमाधोपुर–करौली	1912.73
	जोन का योग	**37806.03**
	जोधपुर जोन	
11.	बाड़मेर	1081.14
12.	जैसलमेर	798.19
13.	बीकानेर	2758.67
14.	चूरू	2060.90
15.	श्रीगंगानगर	5186.01

1	2	3
16.	हनुमानगढ़	3742.05
17.	जोधपुर	3834.25
18.	नागौर	2825.11
19.	पाली	2706.87
20.	सिरोही–जालौर	3220.72
	जोन का योग	**28213.91**
	उदयपुर जोन	
21.	भीलवाड़ा	3000.39
22.	बून्दी	1531.09
23.	बारां	1323.13
24.	बांसवाड़ा–डूंगरपुर	1509.10
25.	चित्तौड़गढ़	2516.35
26.	झालावाड़	1460.30
27.	कोटा	4277.32
28.	उदयपुर	3354.76
29.	राजसमन्द	1656.87
	जोन का योग	**20629.31**
	कुल योग	**86649.25**

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 2002-2003 के लिए अब तक स्वीकृत मदिरा समूहों का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	नाम मदिरा समूह	एकाकी विशेषाधिकार राशि जिस पर ठेका स्वीकृत किया गया	व्यक्ति जिनके नाम ठेका स्वीकृत किया गया
1	2	3	4
1.	अजमेर	55,05,00,000	श्री देवेन्द्र मील, नरेन्द्र सिंह भण्डारी एण्ड पार्टी
2.	अलवर	48,87,23,000	श्री विजय कुमार जायसवाल, विकास यादव एण्ड पार्टी
3.	भरतपुर	22,82,13,000	श्री विजय कुमार जायसवाल, विकास यादव एण्ड पार्टी
4.	धौलपुर	10,92,66,000	श्री विजय कुमार जायसवाल, विकास यादव एण्ड पार्टी
5. 6.	जयपुर दौसा	1,58,51,51,000	श्री जगनन्दन सिंह एण्ड पार्टी
7.	सीकर	34,79,99,999	श्री बीरबलराम पूनिया, राजेन्द्र कुमार पूनिया एण्ड पार्टी
8.	सवाईमाधोपुर-करौली	20,27,00,000	श्री विजय कुमार जायसवाल, विकास यादव एण्ड पार्टी
9. 10.	बाड़मेर जैसलमेर	19,81,33,000	जितेन्द्र शर्मा एण्ड पार्टी
11.	जोधपुर	43,67,27,009	श्री दयालसिंह, अनीष अहमद एण्ड पार्टी

1	2	3	4
12.	बारां	14,52,00,125	श्री राकेश पारिता, भीमसेन एण्ड पार्टी
13. 14.	कोटा बून्दी	60,13,92,999	श्री ओमप्रकाश, राकेश सुहालका एण्ड पार्टी
15.	बांसवाड़ा–डूंगरपुर	16,29,99,999	श्री चन्दन सिंह एण्ड पार्टी
16.	चित्तौड़गढ़	26,27,35,000	श्री सलीमअख्तर खां एण्ड पार्टी
17.	झालावाड़	16,25,33,786	श्री विरेन्द्रसिंह झाला, भूपेन्द्र कुमार एण्ड पार्टी
18. 19.	उदयपुर राजसमन्द	54,43,92,999	श्री हनुमानसिंह चम्पालाल एण्ड पार्टी

परिशिष्ट "स"

वर्ष 2002-2003 के लिए दिनांक 13.3.2002 तक जिन मदिरा समूहों हेतु निविदाएं प्राप्त नहीं हुई, का विवरण

क्र.सं.	नाम मदिरा समूह
1.	चूरू
2.	श्रीगंगानगर
3.	हनुमानगढ़
4.	नागौर
5.	पाली
6.	भीलवाड़ा

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-379 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग (आबकारी अनुभाग)

क्रमांक : प.11(48)वित्त/आब/93 जयपुर, दिनांक : 7.2.2002

आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में सहायक आबकारी अधिकारी सम्वर्ग की वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक की विभागीय पदोन्नति समितियों की पूर्व अनुशंसाओं का राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम 1974 के नियम-II (II-बी) के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किये गये पुनरावलोकन के फलस्वरूप निम्नांकित आबकारी निरीक्षक ग्रेड-I को सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर इनके सामने अंकित वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं. 1	नाम अधिकारी सर्वश्री 2	चयन का प्रकार 3
	वर्ष 1993-94	
1.	गणेशलाल वैष्णव	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	विजेन्द्र सिंह	वरिष्ठता-सह-योग्यता
3.	जितेन्द्रनाथ पुरोहित	वरिष्ठता-सह-योग्यता
4.	बजरंग लाल गुलेरिया	वरिष्ठता-सह-योग्यता
5.	शांतिजी टिमरवा	वरिष्ठता-सह-योग्यता
6.	बन्ने सिंह राठौड़	वरिष्ठता-सह-योग्यता
7.	उपकार करण माथुर	योग्यता
8.	हिरेन्द्र सिंह चौधरी	योग्यता
9.	जमनालाल सोमानी	योग्यता
	वर्ष 1994-95	
1.	मीठालाल धाकड़	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	जगदीश प्रसाद शर्मा	वरिष्ठता-सह-योग्यता
3.	शिवदान सिंह भाटी	वरिष्ठता-सह-योग्यता
4.	अशोक कुमार भटनागर	वरिष्ठता-सह-योग्यता
5.	बसंतीलाल सुराणा	वरिष्ठता-सह-योग्यता
6.	गोपीकरण भट्ट	योग्यता
7.	चन्द्रशेखर सिंह झाला	योग्यता

1	2	3
	वर्ष 1995-96	
1.	दुल्ले सिंह	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	प्रभुदयाल वर्मा (अ.ज.जा.)	वरिष्ठता-सह-योग्यता
3.	राजेन्द्र प्रसाद माथुर	वरिष्ठता-सह-योग्यता
4.	दयालपुरी गोस्वामी	योग्यता
5.	मनीराम ईणानीया	योग्यता
6.	कमल प्रकाश दीवाना	योग्यता
7.	केसरा राम (अ.जा.)	वरिष्ठता-सह-योग्यता
	वर्ष 1996-97	
1.	हस्तीमल पानगडिया	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	रतनसिंह राठौड़	वरिष्ठता-सह-योग्यता
3.	कोजा राम	वरिष्ठता-सह-योग्यता
4.	दिनेश चन्द्र शर्मा	वरिष्ठता-सह-योग्यता
5.	सुमेर सिंह जाखड़	वरिष्ठता-सह-योग्यता
6.	मुकेश भार्गव	वरिष्ठता-सह-योग्यता
7.	सूरज प्रकाश सिंह राठौड़	वरिष्ठता-सह-योग्यता
	वर्ष 1997-98	
1.	सुभाष चन्द्र ग्रोवर	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	चन्द्रशेखर विजय	योग्यता
	वर्ष 1998-99	
1.	हरशाद अहमद खान	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	शिवकुमार शर्मा	योग्यता

ह०/-
(आर. के. शर्मा)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान
मिनि सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

(देखिये नियम 19 (1))

प्रत्यर्थी को सम्मन

अपील संख्या : 3026/2000

प्रेषिति :

The State of Rajasthan
Through the Secretary to
the Govt. Finance Deptt.,
Rajasthan, Jaipur

यत : भंवर लाल मालाकार (अपीलार्थी का नाम, पद, विभाग का नाम) ने...द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2000 के विरुद्ध अपील (अपील के ज्ञापन और आदेश की प्रति संलग्न है) दाखिल की है। एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से अनुदेशित और प्राधिकृत तथा अपील से सम्बन्धित समस्त सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ प्रतिनिधि या अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष तारीख 14 माह 2 वर्ष 2001 हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है।

आप सम्मन की तामील से 15 दिन के भीतर अपना जवाब पांच प्रतियों में और समस्त दस्तावेज पेश कर सकेंगे जिन पर आप अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने हेतु आशयित हों।

जवाब दाखिल करने और पूर्व वर्णित दिन को उपस्थित होने के व्यतिक्रम में, अपील की सुनवाई और अवधारणा आपकी अनुपस्थिति में कर दी जावेगी।

आज दिनांक 20.12.2000 को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुद्रा सहित जारी किया गया।

नोट :- उक्त अपील में दिनांक 11.1.2001 को स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की जावेगी।

संलग्न :- अपील की प्रति

ह०/-
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान
मिनि सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

(देखिये नियम 19 (1))

प्रत्यर्थी को सम्मन

अपील संख्या : 3027/2000

प्रेषिति :

The State of Rajasthan
Through the Secretary to
the Govt. Finance Deptt.,
Rajasthan, Jaipur

यत : घीसालाल मीणा (अपीलार्थी का नाम, पद, विभाग का नाम) ने...द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2000 के विरुद्ध अपील (अपील के ज्ञापन और आदेश की प्रति संलग्न है) दाखिल की है। एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से अनुदेशित और प्राधिकृत तथा अपील से सम्बन्धित समस्त सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ प्रतिनिधि या अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष तारीख 29 माह 1 वर्ष 2001 हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है।

आप सम्मन की तामील से 15 दिन के भीतर अपना जवाब पांच प्रतियों में और समस्त दस्तावेज पेश कर सकेंगे जिन पर आप अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने हेतु आशयित हों।

जवाब दाखिल करने और पूर्व वर्णित दिन को उपस्थित होने के व्यतिक्रम में, अपील की सुनवाई और अवधारणा आपकी अनुपस्थिति में कर दी जावेगी।

आज दिनांक 1.12.2000 को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुद्रा सहित जारी किया गया।

नोट :- उक्त अपील में दिनांक 6.12.2000 को स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की जावेगी।

संलग्न :- अपील की प्रति

ह०/-

सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान
मिनि सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

(देखिये नियम 19 (1))

प्रत्यर्थी को सम्मन

अपील संख्या : 3028/2000

प्रेषिति :

The State of Rajasthan
Through the Secretary to
the Govt. Finance Deptt.,
Rajasthan, Jaipur

यत : नाथू लाल वर्मा (अपीलार्थी का नाम, पद, विभाग का नाम) ने.. द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2000 के विरुद्ध अपील (अपील के ज्ञापन और आदेश की प्रति संलग्न है) दाखिल की है। एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से अनुदेशित और प्राधिकृत तथा अपील से सम्बन्धित समस्त सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ प्रतिनिधि या अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष तारीख 29 माह 1 वर्ष 2001 हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है।

आप सम्मन की तामील से 15 दिन के भीतर अपना जवाब पांच प्रतियों में और समस्त दस्तावेज पेश कर सकेंगे जिन पर आप अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने हेतु आशयित हो।

जवाब दाखिल करने और पूर्व वर्णित दिन को उपस्थित होने के व्यतिक्रम में, अपील की सुनवाई और अवधारणा आपकी अनुपस्थिति में कर दी जावेगी।

आज दिनांक 1.12.2000 को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुद्रा सहित जारी किया गया।

नोट :– उक्त अपील में दिनांक 6.12.2000 को स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की जावेगी।

संलग्न :– अपील की प्रति

ह०/–
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान
मिनि सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

(देखिये नियम 19 (1))

प्रत्यर्थी को स्थगन प्रार्थना-पत्र का नोटिस

The State of Rajasthan
Through the Secretary to
the Govt. Finance Deptt.,
Rajasthan, Jaipur

अपील नम्बर : 3021/2000

श्री कमल कृष्ण शर्मा

बनाम

राजस्थान सरकार एवं अन्य

यत : कमल कृष्ण शर्मा (अपीलार्थी का नाम, पद, विभाग का नाम) ने आदेश क्रमांक 30.8.2000 दिनांक के विरुद्ध (स्थगन प्रार्थना-पत्र एवं अपील के ज्ञापन और आदेश की प्रति संलग्न है) दाखिल किया है। एतद्द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से अनुदेशित और प्राधिकृत तथा स्थगन प्रार्थना-पत्र एवं अपील से सम्बन्धित समस्त सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ प्रतिनिधि या अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष दिनांक 8 माह 12 वर्ष 2000 हाजिर होने के लिए सम्मानित किया जाता है।

आप सम्मन की तामील कर नियत तिथि से पूर्व उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब पांच प्रतियों में मय दस्तावेज एवं सम्बन्धित रेकार्ड के साथ पेश करें।

अधिकरण के समक्ष उक्त दिवस को उपस्थित होने के व्यतिक्रम में अपील की सुनवाई और अवधारणा आपकी अनुपस्थिति में कर दी जावेगी।

आज दिनांक 4.12.2000 को मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुद्रा सहित जारी किया गया।

ह०/-
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-385 का विवरण)

वर्ष 1994 से फरवरी, 2002 तक स्वीकृत योजनाओं की सूची

क्र.सं.	जल योजना का नाम	योजना का प्रकार
1.	श्यालावास खुर्द	पाइप्ड
2.	कुटी	पाइप्ड
3.	उनबड़ा गांव	पम्प एवं टैंक
4.	पंडितपुरा	पम्प एवं टैंक
5.	करनावर	पम्प एवं टैंक
6.	कोलाना	पम्प एवं टैंक
7.	आभानेरी	पम्प एवं टैंक
8.	हिंगोटा	संवर्धन जल योजना
9.	लोटवाड़ा	संवर्धन जल योजना
10.	बसवा शहरी	संवर्धन जल योजना
11.	बांदीकुई शहरी	संवर्धन जल योजना
12.	धनावड़	संवर्धन जल योजना
13.	नादेरा	संवर्धन जल योजना
14.	बिवाई-बासबिवाई	संवर्धन जल योजना
15.	बैजूपाड़ा-झूथाहेड़ा	संवर्धन जल योजना
16.	बड़ियाल कलां	संवर्धन जल योजना
17.	गुढ़ा कटला	संवर्धन जल योजना
18.	गुड़लिया	संवर्धन जल योजना
19.	अरनिया	संवर्धन जल योजना
20.	गुल्लाना	संवर्धन जल योजना
21.	जागीर बांदीकुई	संवर्धन जल योजना

परिशिष्ट–10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-386 का विवरण)

जिला बांसवाड़ा में जनता जल योजना पेटर्न पर संधारित चयनित योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	ग्राम पंचायत/जल समिति को योजना हस्तान्तरण का माह/वर्ष
1.	जगपुरा	6.6.1997	2/2001
2.	बस्सीआड़ा	6.6.1997	12/2001
3.	कसारवाड़ी	6.6.1997	4/2001
4.	मोर	6.6.1997	2/2001
5.	बजवाना	6.6.1997	9/2001
6.	बस्सी	6.6.1997	पंचायत द्वारा चार्ज में नहीं ली गई
7.	निचला घंटाला	6.6.1997	1/2001
8.	बडगांव	6.6.1997	5/2000
9.	पिण्डारवा	6.6.1997	2/2001
10.	देलवाड़ा लोकिया	21.4.1997	1/2002
11.	आमजा	21.4.1997	2/2000
12.	कोहाला	21.4.1997	5/1999
13.	कटुम्बी	21.4.1997	7/2000
14.	पिपलोद	21.4.1997	8/1999
15.	फलवा	21.4.1997	4/2000
16.	नाहरपुरा	–	पूर्व में विभाग द्वारा संधारित योजना जनता जल योजना के तहत पंचायत को सौंपी।
17.	रोहनिया	–	पूर्व में विभाग द्वारा संधारित योजना जनता जल योजना के तहत पंचायत को सौंपी।
18.	छाजा	–	पूर्व में विभाग द्वारा संधारित योजना जनता जल योजना के तहत पंचायत को सौंपी।
19.	कथेरिया	–	पूर्व में विभाग द्वारा संधारित योजना जनता जल योजना के तहत पंचायत को सौंपी।

परिशिष्ट-11

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-388 का विवरण)

खण्ड का नाम	क्र.सं.	योजना का नाम
1	2	3
नगर खण्ड, जैसलमेर	1.	पम्प व टेंक योजना साडीया
	2.	जल प्रदाय योजना करड़ा–गजनगढ़
	3.	जल प्रदाय योजना कोरियां–लूणार
	4.	पम्प व टेंक योजना गुरार
	5.	जल प्रदाय योजना केरला–मीठराउ
	6.	जल प्रदाय योजना केशर सिंह का तला
	7.	जल प्रदाय योजना कीता–पीथोडाई
	8.	जल प्रदाय योजना गज सिंह का गांव
	9.	जल प्रदाय योजना बम्बारा
	10.	जल प्रदाय योजना घेलक
	11.	जल प्रदाय योजना देवड़ा
	12.	जल प्रदाय योजना नगराजा
	13.	जल प्रदाय योजना अडबाला
	14.	जल प्रदाय योजना छतागढ़
	15.	जल प्रदाय योजना आसोलाई जानरा
	16.	जल प्रदाय योजना मगरा
	17.	जल प्रदाय योजना खारिया
	18.	जल प्रदाय योजना बीजराज का तला पोचिना
	19.	जल प्रदाय योजना बेरिसियाला
	20.	जल प्रदाय योजना फुलिया दय-I
	21.	जल प्रदाय योजना फुलिया दय-II
	22.	जल प्रदाय योजना सिंहडार आटिया
	23.	जल प्रदाय योजना थानेली

1	2	3
जिला खण्ड, जैसलमेर	24.	पम्प व टैंक योजना आसूतार
	25.	पम्प व टैंक योजना लोंगेवाला
	26.	पम्प व टैंक योजना घोटारू
	27.	पम्प व टैंक योजना साधेवाला
	28.	पम्प व टैंक योजना गगनेवाला
	29.	पेयजल योजना बांधा
	30.	पम्प व टैंक योजना कुरिया बेरी
	31.	पम्प व टैंक योजना घटियाली
	32.	पम्प व टैंक योजना शाहगढ़
	33.	पम्प व टैंक योजना बछियाछोड़
	34.	पम्प व टैंक योजना लगतला
	35.	पम्प व टैंक योजना धर्गी
	36.	पम्प व टैंक योजना किशनगढ़
	37.	पेयजल योजना हमीरवाड़ा
	38.	पेयजल योजना बाहला
खण्ड, पोकरण	39.	जल प्रदाय योजना घड़ियाली
	40.	जल प्रदाय योजना बोडाना
	41.	जल प्रदाय योजना जालूयाला
	42.	जल प्रदाय योजना रायचन्दयाला
	43.	जल प्रदाय योजना पांचे का तला
	44.	जल प्रदाय योजना आकल का तला
	45.	जल प्रदाय योजना केलावा
	46.	जल प्रदाय योजना खारा लूण्डायत
	47.	जल प्रदाय योजना खीया
	48.	जल प्रदाय योजना मानासर

परिशिष्ट–12

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–389 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत टी. एस. एस. की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	बिखरनिया खुर्द
2.	गोठड़ा
3.	राजलोता
4.	सूरियास
5.	बंवाल चारणा
6.	धाटा
7.	मोडी कलां
8.	राताटूण्डा
9.	ढाणीपुरा
10.	लाखीना
11.	सनेड़िया
12.	इटावड़ा लाडखानी
13.	इटावड़ा भोजा
14.	इटावड़ा सुरपुरा
15.	बिखरनियां कलां
16.	कोडियां
17.	मथानियां
18.	कोड
19.	बासनी जग्गा
20.	जेतपुरा कलां
21.	उदियास
22.	राजापुरा
23.	कल्याणपुरा

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत कार्यरत जनता जल योजना की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	बाड़ी घाटी
2.	किला
3.	संधानी
4.	चकढाणी
5.	बिछपुरी
6.	दधड़ास
7.	मांडल देवा
8.	किलका की ढाणी
9.	चूआं
10.	सोवा की ढाणी (बरना)
11.	केरिया रावा
12.	मेघवाल की ढाणी (चूआ)
13.	पालिसास
14.	पालियास की ढाणी
15.	पूनियास
16.	आकेली "बी"
17.	चोलियास
18.	ओरियाना
19.	रावत खेड़ा
20.	सूरपुरा
21.	निम्बड़ी कोठारियां
22.	निम्बड़ी कलां
23.	मांझी
24.	चूआ

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-390 का विवरण)

फरवरी, 2002 तक विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं में सम्भावित ग्राम

क्र.सं.	जिला	कुल ग्राम 1991 की जनगणनानुसार	कुल सम्भावित ग्रामों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	985	985
2.	अलवर	1946	1939
3.	बांसवाड़ा	1431	1431
4.	बारां	1070	1068
5.	बाड़मेर	1625	1590
6.	भरतपुर	1345	1337
7.	भीलवाड़ा	1565	1565
8.	बीकानेर	580	557
9.	बूंदी	826	826
10.	चित्तौड़गढ़	2172	2171
11.	चूरू	926	922
12.	दौसा	1009	1000
13.	धौलपुर	551	551
14.	डूंगरपुर	846	846
15.	गंगानगर	2738	2680
16.	हनुमानगढ़	1700	1604

1	2	3	4
17.	जयपुर	2131	2127
18.	जैसलमेर	518	515
19.	जालौर	665	665
20.	झालावाड़	1448	1445
21.	झुंझुनूं	824	824
22.	जोधपुर	860	857
23.	करौली	750	750
24.	कोटा	811	807
25.	नागौर	1374	1373
26.	पाली	904	904
27.	राजसमन्द	944	944
28.	सीकर	931	924
29.	सिरोही	446	445
30.	सवाईमाधोपुर	714	709
31.	टौंक	1019	1017
32.	उदयपुर	2235	2235
	कुल	**37889**	**37613**

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 392 की सूची)

राजीव गांधी लिफ्ट योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित 729 गांवों में से तहसील पचपदरा (पंचायत समिति बालोतरा) के गांवों की सूची

S. No.	Name of Tehsil	Name of Villages	Code No.	Population 1991
1	2	3	4	5
1.	पचपदरा	मूल की ढाणी	161	2221
2.	पचपदरा	पारालिया सासन	162	607
3.	पचपदरा	शिवनगर	164	795
4.	पचपदरा	हालियान	165	259
5.	पचपदरा	ग्यालानाड़ा	170	1500
6.	पचपदरा	भगवानिया की ढाणी	171	177
7.	पचपदरा	बांकियावास खुर्द	173	347
8.	पचपदरा	देवरिया	174	990
9.	पचपदरा	थोरियों की ढाणी	175	815
10.	पचपदरा	बांकियावास कलां	177	531
11.	पचपदरा	परालिया धामट	163	373
12.	पचपदरा	गोदावास कलां	165	718
13.	पचपदरा	गोदावास खुर्द	167	618
14.	पचपदरा	डोली कलां	163	1248
15.	पचपदरा	डोली खुर्द	169	714
16.	पचपदरा	अरया नामनेचा	180	90
17.	पचपदरा	अरबा पुरोहितान	181	41
18.	पचपदरा	डोली राजगुरा	184	1696

1	2	3	4	5
19.	पचपदरा	अरया उंडा	172	526
20.	पचपदरा	नगना	175	631
21.	पचपदरा	मंडली	146	1570
22.	पचपदरा	अरया डुडावतान	185	1332
23.	पचपदरा	अरबा चौहान	183	759
24.	पचपदरा	सीथली	179	251
25.	पचपदरा	निम्बा खेड़ा	182	75
26.	पचपदरा	कल्याणपुरा	186	2793
27.	पचपदरा	धरमासर	187	404
28.	पचपदरा	यगलोप	188	420
29.	पचपदरा	सांखलों की ढाणी	190	1034
30.	पचपदरा	रानिया देशीपुरा	192	745
31.	पचपदरा	सुरपुरा	191	1030
32.	पचपदरा	पिंडारन	138	595
33.	पचपदरा	मोरड़ा	136	110
34.	पचपदरा	गरोई सोडा	140	84
35.	पचपदरा	गरोई चारणा	139	445
36.	पचपदरा	दायमों की ढाणी	141	471
37.	पचपदरा	गंगावास	159	2183
38.	पचपदरा	जस्ती	158	1255
39.	पचपदरा	कोरना	160	3398
40.	पचपदरा	रुडवा कलां	157	1226
41	पचपदरा	रुडवा खुर्द	156	1008
42.	पचपदरा	मेडपुरा	103	526
43.	पचपदरा	मोहनपुरा	113	558

1	2	3	4	5
44.	पचपदरा	नेहरली	114	137
45.	पचपदरा	एकरली	112	111
46.	पचपदरा	डांडाली	115	250
47.	पचपदरा	चक चारनोट	110	32
48.	पचपदरा	थम्बली	154	527
49.	पचपदरा	बागावास	149	270
50.	पचपदरा	तिबानिया	148	275
51.	पचपदरा	मावातला	100	3823
52.	पचपदरा	चिलांड़ी	98	3970
53.	पचपदरा	सारणों की बेरी	42	1402
54.	पचपदरा	मायारो बेरा	99	4084
55.	पचपदरा	बरनावास जागीर	102	2601
56.	पचपदरा	बरनावास चारणा	101	1030
57.	पचपदरा	खानपुरा	92	1343
58.	पचपदरा	खारड़ी	96	1560
59.	पचपदरा	केलनकोट	109	169
60.	पचपदरा	पटोदी	95	1560
61.	पचपदरा	दुर्गापुरा	104	4717
62.	पचपदरा	बागावास	105	2263
63.	पचपदरा	सिमरखिया	106	1311
64.	पचपदरा	सतुनी पुरोहितान	107	574
65.	पचपदरा	सतुनी चारणान	108	442
66.	पचपदरा	पतासर	151	1161
67.	पचपदरा	बानियावास	150	519
68.	पचपदरा	मेघावास	147	294

परिशिष्ट "ब"

क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना उम्मेदसागर-धवा-कल्याणपुर-समदड़ी-खण्डप में सम्मिलित गांवों की सूची

क्र. सं.	तहसील का नाम	गांव का नाम	कोड सं.	जनसंख्या 1991
1.	पचपदरा	मोरडा	136	110
2.	पचपदरा	पिण्डारन	138	595
3.	पचपदरा	घरोई चारणा	139	445
4.	पचपदरा	धरोई सोडा	140	84
5.	पचपदरा	दायिमों की ढाणी	141	471
6.	पचपदरा	गोडावास कलां	165	718
7.	पचपदरा	डोली कलां	168	1248
8.	पचपदरा	डोली खुर्द	169	714
9.	पचपदरा	अराबा उण्डा	172	526
10.	पचपदरा	सीथली	179	251
11.	पचपदरा	अराबा नागनेचा	180	90
12.	पचपदरा	अराबा पुरोहितान	181	41
13.	पचपदरा	निम्बाखेड़ा	182	75
14.	पचपदरा	अराबा चौहान	183	759
15.	पचपदरा	डोली, राजगुरान	184	1696
16.	पचपदरा	अराया दुदावता	185	1332
17.	पचपदरा	कल्याणपुर	186	2793
18.	पचपदरा	धरमसर	187	404
19.	पचपदरा	बागलोप	188	420
20.	पचपदरा	सांखलों की ढाणी	190	1034
21.	पचपदरा	सुरपुरा	191	1030
22.	पचपदरा	रणिया देशीपुरा	192	715
	अन्य तीन गांव			
23.	पचपदरा	सरवड़ी	118	2075
24.	पचपदरा	घरसी का बाड़ा	137	426
25.	पचपदरा	बादू का बाड़ा	142	310

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-393 का विवरण)

मूण्डवा विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों रु.)	योजना में शामिल		लाभांवित किया जा चुका		योजना की वर्तमान स्थिति
				गांव	ढाणी	गांव	ढाणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	संवर्धन जलयोजना अमरपुरा, गुड़ला, चूटिसरा	1998-1999	6.67	2	–	2	–	पूर्ण
2.	संवर्धन जलयोजना सरासनी	1998-1999	6.62	1	–	1	–	पूर्ण
3.	जलयोजना जाटों नायकों की ढाणी, ईनाणा	1998-1999	6.19	–	3	–	3	पूर्ण
4.	जलयोजना मदरसा की ढाणी चूटिसरा	1998-1999	0.63	–	1	–	1	पूर्ण
5.	पुनर्गठित जलयोजना ताउसर	1998-1999	91.02	5	–	5	–	पूर्ण
6.	बेलदारों की ढाणी जिंदास	1998-1999	1.84	–	1	–	1	पूर्ण
7.	संवर्धन जलयोजना जाजोलाई	1998-1999	0.86	1	–	1	–	पूर्ण
8.	संवर्धन जलयोजना बासनी	1998-1999	1.99	1	–	1	–	पूर्ण
9.	हैण्डपम्प बुनरावता	1998-1999	0.55	1	–	1	–	पूर्ण
10.	हैण्डपम्प इन्दोकली	1998-1999	0.55	1	–	1	–	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	हैण्ड पम्प भटनोखा	1998–1999	0.55	1	–	1	–	पूर्ण
12.	हैण्ड पम्प थिरोद	1998–1999	0.55	1	–	1	–	पूर्ण
13.	हैण्ड पम्प झुझण्डा	1998–1999	0.55	1	–	1	–	पूर्ण
14.	हैण्ड पम्प स्कूल बुनरावता	1998–1999	0.55	1	–	1	–	पूर्ण
15.	हैण्ड पम्प जनाना	1998–1999	0.55	1	–	1	–	पूर्ण
16.	बंजारों की ढाणी गोठडा	1998–1999	7.69	–	3	–	3	पूर्ण
17.	विभिन्न ढाणी पारासरा	1998–1999	7.98	–	2	–	2	पूर्ण
18.	संवर्धन जलयोजना दीयावड़ी	1998–1999	7.65	–	1	–	1	पूर्ण
19.	संवर्धन जलयोजना लालाप	1998–1999	5.80	1	–	1	–	पूर्ण
20.	पाइप लाईन बासनी	1998–1999	0.23	1	–	1	–	पूर्ण
21.	संवर्धन जलयोजना धवा सेननी	1998–1999	7.29	2	–	2	–	पूर्ण
22.	संवर्धन जलयोजना खुडखुडा खुर्द	1998–1999	1.95	1	–	1	–	पूर्ण
23.	संवर्धन जलयोजना सिरसला	1998–1999	4.70	1	–	1	–	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	संवर्धन जलयोजना मांगलियावास	1998–1999	4.75	1	–	1	–	पूर्ण
25.	संवर्धन जलयोजना गोठन	1998–1999	5.13	1	–	1	–	पूर्ण
26.	संवर्धन जलयोजना बासनी नेता	1998–1999	7.08	1	–	1	–	पूर्ण
27.	जलयोजना कल्याणजी की ढाणी धावा	1998–1999	2.42	–	2	–	2	पूर्ण
28.	मेघवाल जाटों की ढाणी, अमरपुरा	1999–2000	1.91	–	1	–	1	पूर्ण
29.	जाटों की ढाणी खेण	1999–2000	1.55	–	1	–	1	पूर्ण
30.	रेगरवास चैनार	1999–2000	1.99	1	–	1	–	पूर्ण
31.	संवर्धन जलयोजना सालवा	1999–2000	4.33	1	–	1	–	पूर्ण
32.	हैण्ड पम्प कुमारी बसवानी बरनगांव	1999–2000	1.96	2	–	2	–	पूर्ण
33.	हैण्ड पम्प बासनी	1999–2000	1.47	1	–	1	–	पूर्ण
34.	हैण्ड पम्प खरनाल बरनगांव बापोड	1999–2000	1.47	3	–	3	–	पूर्ण
35.	हैण्ड पम्प बरनगांव	1999–2000	1.96	1	–	1	–	पूर्ण
36.	संवर्धन जलयोजना थिरोद	1999–2000	0.24	1	–	1	–	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	हैण्ड पम्प कुमारी बासनी	1999–2000	1.72	2	–	2	–	पूर्ण
38.	हैण्ड पम्प बासनी भाकरोद कादरपुरा	1999–2000	1.68	2	–	2	–	पूर्ण
39.	हैण्ड पम्प रूण	1999–2000	0.98	1	–	1	–	पूर्ण
40.	संवर्धन जलयोजना रूण	1999–2000	1.63	1	–	1	–	पूर्ण
41.	संवर्धन जलयोजना आसावरी	1999–2000	0.53	1	–	1	–	पूर्ण
42.	संवर्धन जलयोजना बासनी	1999–2000	1.94	1	–	1	–	पूर्ण
43.	संवर्धन पाइप्ड बासनी	1999–2000	6.26	1	–	1	–	पूर्ण
44.	जलयोजना नराधनियों की ढाणी	1999–2000	1.98	–	1	–	1	पूर्ण
45.	नाईकों की ढाणी जोधियासी	1999–2000	1.09	–	1	–	1	पूर्ण
46.	हैण्ड पम्प अठियासण	1999–2000	0.49	1	–	1	–	पूर्ण
47.	संवर्धन जलयोजना रिया श्यामदास	1999–2000	1.41	1	–	1	–	पूर्ण
48.	संवर्धन जलयोजना बाकलियावास	1999–2000	1.34	1	–	1	–	पूर्ण
49.	जलयोजना धर्माराम की ढाणी	1999–2000	0.58	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	हैण्ड पम्प गगवाना	2000–2001	0.60	1	–	1	–	पूर्ण
51.	हैण्ड पम्प पिथासिया	2000–2001	0.60	1	–	1	–	पूर्ण
52.	पशु अस्पताल चुटिसरा	2000–2001	0.97	1	–	1	–	पूर्ण
53.	राजपूत नाईक जाटों की ढाणी हिंगोनिया	2000–2001	1.90	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर
54.	हैण्ड पम्प आठियासन	2000–2001	0.51	1	–	1	–	पूर्ण
55.	संवर्धन जलयोजना धवा	2000–2001	1.98	1	–	1	–	पूर्ण
56.	संवर्धन जलयोजना खुड़ खुड़ा कलां	2000–2001	1.98	1	–	1	–	पूर्ण
57.	संवर्धन जलयोजना कंकड़ाय भदोरा	2000–2001	3.57	2	–	2	–	पूर्ण
58.	हैण्ड पम्प बरणगांव बसवानी	2000–2001	1.68	2	–	2	–	पूर्ण
59.	हैण्ड पम्प चिमरानी भाकरोद	2000–2001	1.68	2	–	2	–	पूर्ण
60.	हैण्ड कुमारी	2000–2001	1.68	1	–	1	–	पूर्ण
61.	हैण्ड पम्प चमरानी	2000–2001	0.84	1	–	1	–	पूर्ण
62.	हैण्ड पम्प पारासरा	2000–2001	1.68	1	–	1	–	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	हैण्ड पम्प खरनाल	2000–2001	1.26	1	–	1	–	पूर्ण
64.	हैण्ड पम्प बलाया	2000–2001	0.57	1	–	1	–	पूर्ण
65.	जलयोजना बावरी की ढाणी हिलोड़ी	2000–2001	1.93	–	1	–	1	पूर्ण
66.	विभिन्न ढाणी पालडी पिंचकिया	2000–2001	7.77	–	2	–	2	पूर्ण
67.	भाट मेघवाल की ढाणी पालड़ी व्यास	2000–2001	3.28	–	1	–	1	पूर्ण
68.	जलयोजना नाईकों की ढाणी मुदियाड़	2000–2001	5.60	–	1	–	1	पूर्ण
69.	जलयोजना नाईकों की ढाणी भदाणा	2000–2001	5.44	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर
70.	संवर्धन जलयोजना खुड़ खुड़ा खुर्द	2000–2001	1.65	1	–	1	–	पूर्ण
71.	संवर्धन जलयोजना झुझण्डा	2000–2001	1.88	1	–	1	–	पूर्ण
72.	जलयोजना भाटियों की ढाणी	2000–2001	1.89	1	–	1	–	पूर्ण
73.	जलयोजना कड़वासियों की ढाणी	2000–2001	1.94	1	–	1	–	पूर्ण
74.	जलयोजना नाईकों की ढाणी सिरसिला	2000–2001	1.85	–	1	–	01	पूर्ण
75.	जलयोजना दरोगों की कुम्पडास	2000–2001	1.75	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	संवर्धन जलयोजना हरसोलाव	2000-2001	4.28	1	–	1	–	पूर्ण
77.	सादों की ढाणी गागुड़ा	2000-2001	1.96	–	1	–	1	पूर्ण
78.	हैण्ड पम्प फागली	2001-02	0.87	1	–	1	–	पूर्ण
79.	संवर्धन फागली	2001-02	1.98	1	–	1	–	पूर्ण
80.	संवर्धन जलयोजना गगवाना	2001-02	1.90	1	–	–	–	कार्य प्रगति पर
81.	संवर्धन जलयोजना भदाणा	2001-02	1.88	1	–	–	–	कार्य प्रगति पर
82.	संवर्धन जलयोजना कृपा की ढाणी हरीमा	2001-02	1.90	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर
83.	जलयोजना पुरानाबास ग्राम मांजवास	2001-02	3.66	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर
84.	संवर्धन जलयोजना अठियासन	2001-02	18.38	1	–	–	–	कार्य प्रगति पर
85.	घेवरी मगरा मेघवाल बस्ती साडोकण	2001-02	0.80	1	–	1	–	पूर्ण
86.	माताजी का मन्दिर रावला बास सोडाकण	2001-02	0.60	1	–	–	–	कार्य प्रगति पर
87.	मेघवाल बस्ती गगवाना	2001-02	0.60	1	–	1	–	पूर्ण
88.	संवर्धन जलयोजना बापोड़	2001-02	4.40	1	–	–	–	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.	संवर्धन जलयोजना कुमारी	2001–02	2.00	1	–	1	–	पूर्ण
90.	जलयोजना दो ढाणी सेननी	2001–02	1.91	–	2	–	–	कार्य प्रगति पर
91.	जलयोजना मेघवालों की ढाणी पालड़ी जोधा	2001–02	1.37	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर
92.	जलयोजना जाट मेघवाल राजपूतों की ढाणी माणकपुर	2001–02	3.72	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर
93.	जलयोजना राजपूतों की ढाणी खुड़ खुड़ा खुर्द	2001–02	0.50	–	1	–	–	कार्य प्रगति पर
94.	संवर्धन जलयोजना हिलोड़ी	2001–02	2.63	1	–	–	–	कार्य प्रगति पर
95.	जलयोजना नाइकों की ढाणी कुचेरा फिरोजपुरा	2001–02	11.05	–	2	–	–	कार्य प्रगति पर
96.	संवर्धन जलयोजना खजवाना	2001–02	24.90	1	–	–	–	कार्य प्रगति पर
97.	जलयोजना विभिन्न ढाणी संखवास	2001–02	8.62	–	2	–	–	कार्य प्रगति पर
			योग	82	39	75	24	

परिशिष्ट–16

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–394 का विवरण)

जिला सवाईमाधोपुर की हैण्ड पम्प एवं टैंक से
प्रस्तावित योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 1991 की जनगणनानुसार आबादी	योजना की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1.	जीवद	2419	माह फरवरी, 1997 में स्वीकृति पश्चात् क्रियान्वयन पूर्ण हो चुका है	18.47
2.	बागड़ोली	2215	दिनांक 27.3.2002 को वित्त समिति द्वारा स्वीकृति हेतु पी.पी.सी. को अभिशंसा की	19.64
3.	गुर्जर बड़ौदा	1314	आबादी 1500 से कम होने के कारण परिवर्तन प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है	—
4.	बेरखण्डी	1734	योजना मार्च, 2002 से बोर्ड कार्यालय में तकनीकी परीक्षण में है	19.17
5.	करेल	1729	सक्षम स्तर (बोर्ड) पर स्वीकृति बाबत निर्णय हेतु भेजने की प्रक्रिया में है	21.45
6.	बपुई	1678	सक्षम स्तर (बोर्ड) पर स्वीकृति बाबत निर्णय हेतु भेजने की प्रक्रिया में है	19.52
7.	बैराड़ा	1652	योजना मार्च, 2002 से बोर्ड कार्यालय में तकनीकी परीक्षण में है	18.46
8.	मामडोली	1523	योजना के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं	—

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-402 की सूची)

(राजस्व) प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत, सायपुर पाखर राजस्व विभाग को प्राप्त प्रकरणों एवं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार से सूचिबद्ध कर प्रेषित है

क्र.सं.	नाम आवेदन कर्ता	किस्म प्रकरण	निस्तारण कार्यवाही
1	2	3	4
1.	रामचरणजी S/o मांगे लाल कोली	भूमि का कब्जा दिलाने	न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ में RT Act.1955 की धारा 183 B में प्रकरण दर्ज किया जाकर सुनवाई की जा रही है।
2.	जगदीश प्रसाद शर्मा	सीमाज्ञान कराने	सीमाज्ञान कराया गया।
3.	प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा. वि. पाखर की भूमि से अतिक्रमण हटवाने	विद्यालय भूमि से अतिक्रमण हटवाने	अतिक्रमण हटवाया गया।
4.	समस्त ग्रामवासी पाखर	आबादी भूमि में रास्ते से अतिक्रमण हटवाने	रास्ता मौके पर चालू पाया गया।
5.	इन्दर सिंह	मकान के अन्दर से पेड़ कटवाने	पेड़ की टहनियों को कटवाया गया।
6.	फणसा/रामजीवन	सहमति खाता विभाजन बाबत	खाता सहमति विभाजन किया जाकर न. नं. 203 दायर कर स्वीकृत हुआ है।
7.	छुट्टन/किशोरीमीणा	पिता का नाम शुद्ध कराने बाबत	शुद्धि पत्र संख्या 1 भरा जाकर शुद्धी की गई।
8.	भीमा, रामजी लाल/ मुकन्द मीणा	जमाबन्दी में नाम दर्ज कराने बाबत	डिक्री से नाम हटाया गया है अत: प्रार्थी को डिक्री की अपीले करने हेतु सूचित किया गया एवं पत्र फाइल किया।

1	2	3	4
9.	समस्त ग्रामवासी करणबास	ढाणी करनबास को राजस्व ग्राम घोषित करने	नवीन राजस्व ग्राम की शर्तें पूर्ण नहीं हैं आबादी बिखरी हुई है एवं 250 से कम है। पत्र फाइल किया गया।
10.	जोहरी लाल वगैरह	रहनफक कराने बाबत	पूर्ण में ही रहन फक हो चुकी है।
11.	झण्डूराम वगैरह	सहमति विभाजन प्रार्थना पत्र	सहमति विभाग पत्र प्रावधन प्रमाणित कर मा.नं. 204 दायर किया गया।
12.	समस्त ग्रामवासी पाखर	रा.उ.प्रा.वि.चंदेल तलाई रास्ते से अतिक्रमण हटवाया गया।	अतिक्रमण हटवाया गया।
13.	छुट्टन	पास बुक दिलाने	पास बुक दी गई
14.	तुलसी	,,	,,
15.	जगदीश शर्मा	रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने	शुद्धि पत्र सं.2 भरा जाकर नाम दर्ज करवाया गया।
16.	ग्रामवासी पाखर	बैरवा मौहल्ले में कुएं से अति. हटवाने बाबत	कुआं खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

नोट : क्र.सं. 12 पर अंकित प्रा. पत्र में 4 प्रकरण अंकित हैं।

ह०/-
तहसीलदार (भू.अ.)
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रभारी अधिकारी के समक्ष अन्य विभागों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है

क्र.सं.	नाम आवेदक	किस्म प्रकरण	निस्तारण कार्यवाही
1	2	3	4
1.	श्रीमती प्रवीण देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाडी केन्द्र का पट्टा जारी करने बाबत।	आबादी भूमि में खाली भूमि नहीं होने के कारण पट्टा नहीं दिया।
2.	श्रीमती बीना शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाडी केन्द्र का पट्टा जारी करने बाबत।	आबादी भूमि में खाली भूमि नहीं होने के कारण पट्टा नहीं दिया।
3.	श्रीमती हेमलता मीणा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाडी केन्द्र का पट्टा जारी करने बाबत।	आबादी भूमि में खाली भूमि नहीं होने के कारण पट्टा नहीं दिया।
4.	श्री टुण्डाराम मीणा च.श्रे.क. ग्राम पंचायत पाखर	वेतन दिलाने बाबत।	ग्राम पंचायत द्वारा 600/– नकद भुगतान किया गया।
5.	बाबूलाल मीणा ग्रामवासी	रास्ते से अतिक्रमण हटाने।	अतिक्रमण हटवाकर रास्ता चालू करवाया
6.	जगदीश प्रसाद ग्रामवासी	वार्ड नं. 9 में आवा–गमन चालू करवाने बाबत।	चालू करवाया गया
7.	ग्रामवासियान जैतपुर	जैतपुर को माडा योजना में करवाने बाबत।	श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर को पत्रांक 1089/27.11.2001 को निवेदन किया गया।

1	2	3	4
8.	ग्रामवासियान जैतपुर	आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने बाबत।	प्रयास किये जा रहे हैं।
9.	ग्रामवासियान सायपुर पाखर	पानी की समस्या बाबत।	सायपुर पाखर में जनता जल योजना है जो ग्राम पंचायत द्वारा ही संचालित की जाती है।
10.	श्रीमती हेमलता मीणा, बीना शर्मा, प्रवीण देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	माह 5/99 से वेतन भुगतान बाबत।	जिला परियोजना निदेशक, अलवर से भुगतान हेतु लिखा गया।
11.	प्र.अ.रा.उ.प्रा. सायपुर पाखर	विद्यालय प्रांगण से बिजली के तार हटवाने बाबत।	हटवाने की कार्यवाही की जा रही है।
12.	जोहरी गिर्राज वगैरह ग्रामवासियान सायपुर पाखर	बिजली कम आने बाबत।	विद्युत सप्लाई 132 K.V. G.S.S. मण्डावर से व्यवस्था कराई गई।

ह०/–
तहसीलदार (भू.अ.)
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-405 की सूची)

अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2002 तक पाली जिले में चयनित किये गये पंचायत समितिवाइज/नगरपालिकावाइज संख्या निम्न प्रकार है

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	चयनित व्यक्तियों की संख्या
1.	पाली	148
2.	रोहट	118
3.	मारवाड़ जंक्शन	288
4.	सोजत	190
5.	रानी	149
6.	जैतारण	328
7.	रायपुर	237
8.	बाली	433
9.	देसूरी	194
10.	सुमेरपुर	134
	योग	**2219**

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	चयनित व्यक्तियों की संख्या
1.	बाली	5
2.	फालना	16
3.	सुमेरपुर	29
4.	तखतगढ़	12
5.	रानी	6
6.	सोजत	7
7.	जैतारण	7
	योग	**82**

कुल योग : 2301

ह०/-
जिला रसद अधिकारी
पाली

पंचायतवाइज अन्नपूर्णा योजना में चयनित व्यक्तियों की संख्या

पंचायत समिति-रायपुर

क्र.सं.	नाम पंचायत	चयनित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	कालबकलां	12
2.	सबलपुरा	17
3.	कानूजा	18
4.	झाला की चौकी	15
5.	सैंदड़ा	23
6.	रायपुर	13
7.	झूठा	13
8.	चिताड़	10
9.	रामपुराकलां	6
10.	नानणा	14
11.	कुशलपुरा	20
12.	लिलाम्बा	20
13.	गिरी	11
14.	कलालिया	13
15.	दीपावास	05
16.	अमरपुरा	25
17.	प्रतापगढ़	02
	योग	237

1	2	3
	पंचायत समिति सोजत (विधान सभा क्षेत्र रायपुर)	
1.	केलवाद	2
2.	गुडाबिजा	9
3.	खोडिया	44
4.	चंडावल स्टेशन	04
5.	रायराकलां	15
6.	बायल	01
7.	चंडावल शहर	01
8.	बातना	04
	योग	**80**

कुल योग : 317

ह०/–
जिला रसद अधिकारी
पाली

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-407 की सूची)

जिला जयपुर में मिलावट पाये जाने खाद्य पदार्थों की
सूची वर्ष 1998 से फरवरी, 2002

क्र. सं.	मिलावटी खाद्य पदार्थों का नाम	वर्ष 1998	वर्ष 1999	वर्ष 2000	वर्ष 2001	फरवरी, 2002
1.	बिवरेज	88	01	–	01	–
2.	दूध	06	12	14	04	–
3.	दही	11	03	07	01	–
4.	खोआ	05	02	05	–	–
5.	आईसक्रीम	07	09	09	02	02
6.	घी	03	16	15	11	01
7.	तेल	10	03	–	04	–
8.	वनस्पती	03	–	–	–	–
9.	दालें	12	02	–	–	–
10.	आटा, बेसन, सूजी	06	04	02	–	–
11.	चाय	01	04	–	–	–
12.	मसाले	09	05	08	28	05
13.	आइसकेण्डी	02	–	06	01	–
14.	फूट प्रोडेंट	03	–	–	–	–
15.	बिस्कुट	–	01	–	–	–
16.	अन्य	11	02	–	–	01
	योग	89	64	66	52	09

परिशिष्ट–20

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–409 का विवरण)

क्र. सं.	पद का नाम	सिंचाई विभाग के रिकार्ड में सेवारत अधिकारियों की कुल संख्या	सिंचाई विभाग में पदस्थापन सेवारत अधिकारियों की संख्या	प्रतिनियुक्ति पर सेवारत/कार्यरत अधिकारियों की संख्या	रिक्त पद
1.	मुख्य अभियन्ता	10	08	02	–
2.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	09	07	–	02
3.	अधीक्षण अभियन्ता	66	60	02	04
4.	अधिशासी अभियन्ता	210	201	09	–
5.	सहायक अभियन्ता	948	703	185	60
	कुल योग	1243	979	198	66

परिशिष्ट "ब"

विभाग से बाहर अन्य विभाग/संस्थान में कार्यरत अधिकारियों की पदवार संख्या

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	मुख्य अभियन्ता	अति.मु. अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभिन्ता	कुल योग
1.	बी.बी.एम.बी	1	–	2	2	9	14
2.	वेपकोस	1	–	–	1	1	3
3.	आई.एम.टी.आई.	–	–	–	–	–	–
4.	हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर	–	–	–	1	–	1
5.	ई.एस.टी.आई. जयपुर	–	–	–	1	–	1
6.	आर.एस.बी.आई.जयपुर	–	–	–	1	–	1
7.	आर.एस.ए.एम.बी. जयपुर	–	–	–	1	–	1
8.	मैसर्स ए.बी.सी. एक्सपोर्ट कं.	–	–	–	1	–	1
9.	टी.ए.डी. डिपार्टमेंट	–	–	–	1	–	1
10.	डवलपमेंट डिपार्टमेंटल बी.डी.ओ.	–	–	–	–	39	39
11.	डी.पी.ई.पी.	–	–	–	–	7	7
12.	सी.डी.पी.ओ.	–	–	–	–	39	39
13.	लोक जुम्बिश	–	–	–	–	5	5
14.	डी.आर.डी.ए.	–	–	–	–	34	34
15.	जे.डी.ए.	–	–	–	–	6	6
16.	सीईजी कंसलटिंग कं.	–	–	–	–	1	1
17.	एल.एस.जी.	–	–	–	–	14	14
18.	आर.यू.आई.ए.पी.	–	–	–	–	13	13
19.	जिला परिषद्	–	–	–	–	17	17
	योग	2	–	2	9	185	198

परिशिष्ट-21

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-411 का विवरण)

खारी बांध तथा नहर पर मरम्मत एवं रखरखाव (मद 2702) पर हुए व्यय का विवरण वर्ष 1999 से फरवरी, 2002

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	रख-रखाव मद पर कुल आबंटित बजट	खारी बांध व नहरों पर		विशेष विवरण
			मरम्मत कार्य रख-रखाव मद पर हुआ व्यय	अकाल राहत मद में हुआ व्यय	
1	2	3	4	5	6
1.	1990-1991	58.19	0.14	–	वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक आबंटित बजट में कार्य प्रभारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते इत्यादि सम्मिलित हैं।
2.	1991-1992	83.00	0.57	–	
3.	1992-1993	81.00	0.97	0.88	
4.	1993-1994	63.07	0.11	–	
5.	1994-1995	6.00	0.65	5.60	
6.	1995-1996	5.00	0.17	–	
7.	1996-1997	4.50	0.04	–	
8.	1997-1998	8.20	0.64	–	
9.	1998-1999	14.00	0.65	–	
10.	1999-2000	10.50	0.21	8.91	
11.	2000-2001	7.50	0.32	8.52	
12.	2001-2002 (2/2002 तक)	10.00	0.89	8.23	

अनुलग्नक "अ"

पंचायत समिति, तिजारा में स्थित स्टोन क्रेशरों का विवरण

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	नाम व्यवसायी	पंजीयन दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	दिनांक	कर	शास्ति	ब्याज	योग	अग्रिम जमा	वसूली योग्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मै. एम.टी.सी. ग्रिट उद्योग	23.9.1999	1998–99	3.1.2001	–	–	–	–	–	–
	उधनवास	RST	1999–2000	26.12.2001	0.24	0.01	0.02	0.27	0.24	0.03
		CST	1999–2000	26.12.2001	0.11	0.01	0.01	0.13	0.11	0.02
2.	मै. नोनू स्टोन क्रेशर गोदान	1.7.1999	1999–2000	27.12.2001	–	–	–	–	–	–
3.	मै. श्री गणेश ग्रिट उद्योग	8.3.1999	1998–99	22.2.2001	–	–	–	–	–	–
	उधनवास	RST	1999–2000	27.12.2001	0.19	0.01	0.04	0.24	0.16	0.08
		CST	1999–2000	27.12.2001	0.16	0.01	0.01	0.18	0.17	0.01
4.	मै. श्रीमहालक्ष्मी ग्रिट उद्योग	1.12.1997	RST 1997–98	13.7.2000	0.01	–	–	0.01	–	0.01
	उधनवास		CST 1997–98	13.7.2000	0.13	0.02	–	0.15	–	0.15
			RST 1998–99	13.7.2000	0.07	0.01	–	0.08	0.08	–
			CST 1998–99	13.7.2000	2.76	0.11	2.03	2.90	2.69	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RST 1999–2000	27.12.2001	–	–	–	–	–	–
			CST 1999–2000	27.12.2001	2.35	–	0.03	2.38	2.30	0.08
5.	मै. सूर्य ग्रिट उद्योग उधनवास	4.2.1998	RST 1997–98	1.9.2000	–	–	–	–	–	–
			CST 1997–98	1.9.2000	0.06	–	–	0.06	0.06	–
			RST 1998–99	3.3.2000	0.22	0.01	0.11	0.34	0.03	0.31
			CST 1998–99	3.3.2000	3.67	0.17	1.74	5.58	2.42	3.16
			RST 1999–2000	26.12.2001	–	–	–	–	–	–
			CST 1999–2000	26.12.2001	2.21	0.10	0.41	2.72	2.21	0.51
6.	मै. श्रीहनुमान ग्रिट उद्योग	1.1.1998								
	उधनवास	RST	1997–98	6.1.2000	0.01	–	–	0.01	0.01	–
		CST	1997–98	6.1.2000	0.08	–	–	0.08	0.08	–
		RST	1998–99	4.1.2001	0.61	0.01	0.01	0.63	0.61	0.02
		CST	1998–99	4.1.2001	1.38	–	0.04	1.42	1.36	0.06
		RST	1999–2000	20.12.2001	0.26	–	0.05	0.31	0.18	0.13
		CST	1999–2000	20.12.2001	1.44	–	–	1.44	1.44	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	मै. जैम स्टोन क्रेशर कं.	1.12.1997								
	हसनपुर	RST	1997–98	10.5.2000	0.19	0.04	–	0.23	0.22	0.01
		RST	1998–99	16.1.2000	0.12	0.02	0.02	0.16	0.15	0.01
		RST	1999–2000	31.10.2001	0.15	0.01	0.03	0.19	0.19	–
8.	मै. शिव ग्रिट उद्योग	24.2.1998								
	उधनवास	RST	1997–98	1.5.2000	–	–	–	–	–	–
		RST	1998–99	14.2.2001	0.28	0.02	0.01	0.31	0.29	0.02
		CST	1998–99	14.2.2001	1.34	0.01	0.10	1.45	1.41	0.04
		RST	1999–2000	31.12.2001	0.01	–	–	0.01	0.01	–
		CST	1999–2000	31.12.2001	0.90	0.04	0.07	1.01	0.89	0.12
9.	मै. राजीव एंटरप्राइजेज	1.01.1987								
	तिजारा	RST	1995–96	16.1.1998	0.32	0.03	0.02	0.37	0.37	–
		RST	1996–97	27.1.1999	0.35	0.01	0.01	0.37	0.37	–
		RST	1997–98	31.5.2000	0.51	0.02	0.02	0.55	0.55	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RST	1998-99	3.1.2001	0.76	0.01	0.02	0.79	0.79	–
		RST	1999-2000	31.10.2001	1.23	0.01	0.17	1.41	0.99	0.42
10.	मै. दिव्या कंसट्रक्सन प्रोडक्ट्स गोदान	1.12.1994								
		RST	1995-96	23.3.1998	0.05	0.01	0.01	0.07	0.07	–
		RST	1996-97	26.3.1999	0.07	0.01	0.01	0.09	0.09	–
		RST	1997-98	29.5.2000	0.20	–	–	0.20	0.20	–
		RST	1998-99	22.2.2001	0.30	0.01	0.05	0.36	0.19	0.17
		RST	1999-2000	22.12.2001	0.86	–	0.04	0.90	0.80	0.10
11.	मै. राजेश ग्रिट उद्योग उधनवास	2.3.1998								
		RST	1997-98	13.7.2000	–	–	–	–	–	–
		RST	1998-99	6.11.2000	0.57	0.93	–	1.50	0.28	1.22
		CST	1998-99	6.11.2000	3.59	3.69	–	7.28	1.96	5.32
		RST	1999-2000	6.11.2000	0.57	1.14	–	1.71	0.26	1.45
		CST	1999-2000	6.11.2000	2.26	4.54	–	6.80	1.11	5.69
		RST	2000-2001	6.11.2000	1.13	2.28	–	3.41	0.53	2.88
		CST	2000-2001	6.11.2000	1.88	3.78	–	5.66	0.95	4.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	मै. मां संतोषी ग्रिट उद्योग	26.3.1997								
	उधनवास	RST	1996–97	–	–	–	–	–	–	–
		RST	1997–98	–	–	–	–	–	–	–
		RST	1998–99	–	–	–	–	–	–	–
		CST	1998–99	–	0.69	0.05	–	0.74	0.69	0.05
		RST	1999–2000	–	0.03	–	–	0.03	–	0.03
		CST	1999–2000	–	0.78	0.03	–	0.81	–	0.81

नोट : 1. मै. सूर्या ग्रिट उद्योग, उद्यनवास का वर्ष 1998–99 का कर निर्धारण इकतरफा पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध व्यवसायी द्वारा अपील की गई है।

2. मै. राजेश ग्रिट उद्योग, उद्यानवास के वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के कर निर्धारण अस्थायी है।

3. वसूली योग्य मांग अधिकांशतः शास्ति, ब्याज तथा घोषणा पत्रों के अन्तर्गत बकाया है।

अनुलग्नक "ब"

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर की टीम के साथ मै. राजेश ग्रिट उद्योग के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 3.8.2000 को किया गया था तथा अनुलग्नक–ब के अनुसार मांग कायम की गई थी।

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	नाम व्यवसायी	पंजीयन दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	दिनांक	कर	शास्ति	ब्याज	योग	अग्रिम जमा	वसूली योग्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मै. राजेश ग्रिट उद्योग	2.3.1998								
	उधनवास	RST	1997–98	13.7.2000	–	–	–	–	–	–
		RST	1998–99	6.11.2000	0.57	0.93	–	1.50	0.28	1.22
		CST	1998–99	6.11.2000	3.59	3.69	–	7.28	1.96	5.32
		RST	1999–2000	6.11.2000	0.57	1.14	–	1.71	0.26	1.45
		CST	1999–2000	6.11.2000	2.26	4.54	–	6.80	1.11	5.69
		RST	2000–2001	6.11.2000	1.13	2.28	–	3.41	0.53	2.88
		CST	2000–2001	6.11.2000	1.88	3.78	–	5.66	0.95	4.71

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–22

(अतारांकित प्रश्न संख्य– 420 का विवरण)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के विभिन्न एस्केपों द्वारा माह मार्च, 1999 से फरवरी, 2002 तक छोड़े गये पानी की मात्रा का विवरण

क्र. सं.	वर्ष एवं माह	एस्केप का नाम एवं उनसे छोड़े गये पानी की मात्रा (क्यूसेक डेज)								
		एस्कप बुर्जी 629 इन्दिरा गांधी फीडर	बुर्जी 165 इ.गा.मु.न.	बुर्जी 507 इ.गा.मु.न.	बुर्जी 186.5 सूरतगढ़ शाखा	बुर्जी 96.40 (आर) पुगल शाखा	बुर्जी 750 इ.गा.मु.न.	बुर्जी 1121.12 इ.गा.मु.न.	बुर्जी 1355.85 इ.गा.मु.न.	बुर्जी 47.60 सागरमल गोपाशाखा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					वर्ष 1999					
1.	मार्च, 1999	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1264	1358	465	2560
2.	अप्रैल, 1999	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	379	150	753	652
3.	मई, 1999	शून्य	शून्य	263	45	शून्य	4929	4185	2907	6987
4.	जून, 1999	शून्य	शून्य	शून्य	126	शून्य	3463	2027	812	4158
5.	जुलाई, 1999	1363	शून्य	308	शून्य	शून्य	1327	191	425	3357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	अगस्त, 1999	शून्य	शून्य	750	शून्य	शून्य	2955	2098	772	1965
7.	सितम्बर, 1999	शून्य	शून्य	13	शून्य	शून्य	94	90	231	152
8.	अक्टूबर, 1999	शून्य	शून्य	262	409	शून्य	8312	5401	2046	6878
9.	नवम्बर, 1999	शून्य	शून्य	67	शून्य	शून्य	609	631	931	2190
10.	दिसम्बर, 1999	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	157	102
					वर्ष 2000					
11.	जनवरी, 2000	शून्य	शून्य	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	195
12.	फरवरी, 2000	शून्य	शून्य	2	75	शून्य	793	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मार्च, 2000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	129	शून्य
14.	अप्रेल, 2000	375	शून्य	6	70	शून्य	3277	1319	2251	1154
15.	मई, 2000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3019	6856	3881	437
16.	जून, 2000	शून्य	शून्य	181	शून्य	शून्य	3392	1329	41	4036
17.	जुलाई, 2000	3826	शून्य	2136	250	शून्य	8893	3168	शून्य	4495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	अगस्त, 2000	शून्य	शून्य	शून्य	34	शून्य	151	शून्य	8	2248
19.	अक्टूबर, 2000	शून्य	शून्य	100	शून्य	शून्य	शून्य	1175	741	784
20.	नवम्बर, 2000	शून्य	शून्य	शून्य	5	शून्य	शून्य	शून्य	361	शून्य
21.	दिसम्बर, 2000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	531	शून्य
					वर्ष 2001					
22.	जनवरी, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	756	शून्य
23.	फरवरी, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	175	शून्य
24.	मार्च, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	154	शून्य
25.	अप्रैल, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	718	38
26.	मई, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	847	36
27.	जून, 2001	शून्य	शून्य	2425	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1638	शून्य
28.	जुलाई, 2001	शून्य	शून्य	1540	121	शून्य	3663	2306	114	1385
29.	अगस्त, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	134	शून्य	4243	697	334	1208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	सितम्बर, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	869	2096	99
31.	अक्टूबर, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1316	3501	508	1082
32.	नवम्बर, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	326	1612	229	596
33.	दिसम्बर, 2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	229
					वर्ष 2002					
34.	जनवरी, 2002	शून्य	शून्य	शून्य	30	शून्य	शून्य	शून्य	1077	शून्य
35.	फरवरी, 2002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	356	शून्य

टिप्पणी :– मुख्य नहर की बुर्जी 750, 1121.20, 1355.85 पर स्थित एस्केप के पानी का उपयोग क्रमशः दातौर वितरिका, नाचना लोवर वितरिका तथा घंटयाली वितरिका में किया जाता है। घंटयाली वितरिका में पानी केवल एस्केप के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है।